अष्टम माला, खंड 1, अंक 7

बुधवार, 23 जनवरी, 1985
3 माघ, 1906 (शक)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

पहला सत्र
(आठवीं लोकसभा)

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उसका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खंड है। सातवीं लोक सभा के अवसान तक लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण निकाले जाते थे : (एक) मूल संस्करण जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हो पर जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते है उनका अंग्रेजी/हिंदी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था; और (दो) हिंदी संस्करण जिसमें हिंदी में संपन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिंदी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं; (एक) अंग्रेजी संस्करण जिसमें अंग्रेजी में संपन्न हुई कार्यवाही मूल रूप में और हिंदी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा; और (दो) हिंदी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, पर उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ उन्हें फारसी में प्रकोष्ठकों में भी छापा जाएगा।

3. इसके अलावा लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल रिकार्ड और संदर्भ के लिए तैयार किया जा रहा है जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद् ग्रंथालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिंदी दोनों संस्करणों में एक उपयुक्त संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौनसा अंश-विशेष मूल रूप में अंग्रेजी/हिंदी में है और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिंदी के ये अलग अलग संस्करण सदस्यों एवं रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली;
जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप
महासचिव

1—166 LSS/ND/85

लोक सभा वाद विवाद

का

हिन्दी संस्करण

बुधवार, 23 जनवरी, 1985/3 माघ, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 3, नीचे से पंक्ति 2, "श्री मानवेन्द्र सिंह" के स्थान पर "श्री मान्वेन्द्र सिंह" पढ़िये।

पृष्ठ 6, पंक्ति 2, "वंत्री" के स्थान पर "मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 11, पंक्ति 17, "श्री बसुदेव आचार्य" के नाम के ऊपर चिह्न "+" पढ़िये।

पृष्ठ 25, नीचे से पंक्ति 8, "मिमानन" के स्थान पर "विमानन" पढ़िये।

पृष्ठ 37, पंक्ति 23, "श्री अमर राध्य प्रधान" के स्थान पर "श्री अमर राय प्रधान" पढ़िये।

पृष्ठ 59, पंक्ति 18, "पाल" के स्थान पर "भोपाल" पढ़िये।

पृष्ठ 86, पंक्ति 20, "(श्री अशोक सन)" के स्थान पर "श्री अशोक सेन" पढ़िये पढ़िये।

पृष्ठ 92, पंक्ति 7, "कृषि और ग्रामी विकासन मंत्री" के स्थान पर "कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री" पढ़िये।

पृष्ठ 103, पंक्ति 1, "(अनुवाद)" को यहां से लोप करके पंक्ति 2 के नीचे पढ़िये।

पृष्ठ 94, नीचे से पंक्ति 5, "माहाल" के स्थान पर "माहौल" पढ़िये।

पृ०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव
प्रो० सैफुद्दीन सोज 81,99-101
श्री अशोक सेन 82-85
97-100
श्री वड्डे सोभानेद्रीश्वर राव 86
श्री हरीश रावत 86-88
श्री सैफुद्दीन चौधरी 88-90
श्री जयप्रकाश अग्रवाल 90-92
श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी 91-93
श्री केयूर भूषण 93-95
श्री अमर रायप्रधान 95-97

खंड 2, 3 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री अशोक सेन 102
श्री गिरधारी लाल व्यास 102-104

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प
और विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक

विचार करने के लिए प्रस्ताव
प्रो० सैफुद्दीन सोज 104-108
श्री एस० बी० चव्हाण 106-109,
117-120
श्री अनिल बसु 109-110
श्री एडुआर्डो फेलीरो 110-113
श्री एच० एम० पटेल 113-115
श्री मूल चंद डागा 115-117

खंड 2 से 10 तथा 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव
श्री एस० बी० चव्हाण 121-124

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबंध विधेयक . . .

विचार करने के लिए प्रस्ताव
श्री बंसी लाल 124-125
श्री बसुदेव आचार्य 127-129
श्री नारायण चौबे 131-133
श्री भोलानाथ सेन 133-135
श्री उत्तम राठोड़ 135-136

खंड 2 से 23 और 1

कार्य मंत्रणा समिति
पहला प्रतिवेदन 138

लोक सभा

बुधवार, 23 जनवरी, 1985/3 माघ, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन

*57. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्यमान प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन करने का प्रस्ताव है ताकि योजना के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके : और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). कार्यकुशलता में सुधार लाने, विलंब को दूर करने, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को विकेंद्रीकृत करने, जिम्मेवारी लागू करने और नियमों तथा क्रियाविधियों को सुगम बनाने के प्रयोजन से प्रशासनिक संगठन क्रियाविधियों और परिपाटियों की समीक्षा का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : प्रशासन में तेजी लाने और बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिये तथा स्वच्छ प्रशासन के लिये प्रशासनिक सुधार किये जाने की प्रधान मंत्रीजी की घोषणा का संपूर्ण देश आभारी है। राजनीतिज्ञों के बीच भ्रष्टाचार के बारे में काफी कुछ कहा जा रहा है। परंतु भ्रष्टाचार नौकरशाही में भी उतना ही है।

संथानम् समिति के अनुसार क्रियान्वयन करने तथा निर्णय लेने में विलंब भ्रष्टाचार का एक मुख्य कारण है और योजनाओं के क्रियान्वयन में अच्छे नतीजे प्राप्त न होने का एक कारण निर्णय लेने में विलंब करना भी है। हमारे यहां नौकरशाही प्रशासनिक व्यवस्था है जोकि ब्रिटिश उपनिवेश तंत्र की विरासत है। प्रक्रियात्मक आपत्तियां उठाई जा सकती हैं और कोई भी कार्यवाही रोकी जा सकती है। हम परिणाम और कार्यवाही की बजाय प्रक्रियाओं को तरजीह देते हैं। अतः हमारी व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। कानून, नियमों तथा विनियमों को पूरी तरह बदलने की आवश्यकता है। इसके लिये कानून में संशोधन तथा संवैधानिक बदलाव की जरूरत है।

इस विशाल जिम्मेदारी को देखते हुये मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या आप प्रशासनिक तंत्र की संपूर्ण कायापलट करने के लिए पूरे मामले की जांच करने के लिए तैयार है और अगर आवश्यकता हुई तो क्या आप इसकी, जांच करने तथा सिफारिशें देने के लिये एक विशेष समिति, जिनमें आम आदमी भी शामिल होंगे, नियुक्त करेंगे।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य कृपया उत्तर को देखें जिस मे कहा गया है कि विलंब दूर करने की ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारे यहां कुछ पुराने तंत्र है जिसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। जानेमाने व्यक्तियों को संबद्ध करने के सुझाव पर हम निश्चित ही ध्यान देंगे और अगर आवश्यकता हुई तो हम इस पर अमल करेंगे।

प्रो० पी० जे० कुरियन : सफलता के लिये योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में लोगों का सम्मिलित होना अत्यंत आवश्यक है और वास्तव में, आजकल हमारी योजनाएं और कार्यक्रम नौकरशाही द्वारा ही क्रियान्वित की जाती हैं। हमें कोई ऐसा तरीका निकालना चाहिये जिससे योजना के क्रियान्वन तथा समीक्षा में लोगों का सम्मिलित होना सुनिश्चित हो सके। अतः मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या योजना की सफलता का मूल्यांकन तथा निर्धारण करने और लोगों की शिकायतों को सुनने के लिये प्रशासन के सभी स्तरों पर राज्य से लेकर खंड स्तरों तक— शिकायत सेल तथा मूल्यांकन समिति गठित करने पर विचार करेंगे। इन समितियों में आम लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिये। योजना की सफलता के बारे में सरकार को रिपोर्ट देने तथा योजना का निर्धारण और मूल्यांकन के बारे मे उन्हें जिम्मेवार बनाया जाना चाहिये।

श्री के० पी० सिंह देव : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। मूल्यांकन करने, निर्धारण करने तथा शिकायत सैल स्थापित करने आदि के बारे में उन्होंने जो मुद्दे उठाये हैं सरकार उन्हीं पर जोर दे रही है और उस ओर ध्यान दे रही है । आम आदमी को सम्मिलित किए जाने के संबंध में, हमारे भी यही विचार हैं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मंत्रीजी के उत्तर में अच्छी भावनाएं व्यक्त की गई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि क्या वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में स्वस्थ केंद्र-राज्य संबंध सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राज्यीय परिषद बनाने तथा योजना आयोग को उस परिषद का सचिव बनाने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ?

श्री के० पी० सिंह देव : यह कार्यवाही करने के लिये सुझाव है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहती हूं कि प्रखंड स्तर पर जो विकास के कार्य होते हैं, इनके लिये प्रखंड स्तर के पदाधिकारी को न तो वह शक्ति प्रदत्त होती है और न उनको काम करने के उतने साधन प्राप्त होते हैं। उसके लिये सरकार ने कौन सी योजना बनायी है कि प्रखंड स्तर पर विकास के कार्य में गति आये और टाइम बौंड प्रोग्राम के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर विकास के कार्य अधिक और कम से कम समय मे हमें मिल सकें?

[अनुवाद]

श्री के० पी० सिंह देव : सरकार का भी यही इरादा है। हम इस पर विचार कर रहे हैं।

श्री विजेन्द्र बहादुर सिंह : मैं प्रशासनिक सुधारों के संबंध में माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं। आखिरकार ये सभी अधिकारी चाहे वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों अथवा भारतीय पुलिस सेवा के राज्यों के कुछ संवर्गों से आते हैं। आजकल यह राज्य सरकारों के लिए यह एक आम बात हो गई है कि अगर वह देखते हैं कि अधिकारीगण ठीक से काम नहीं कर रहे—चाहे वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के हों अथवा भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग के—उन्हें दिल्ली भेज दिया जाता है। यह राज्यों की सामान्य प्रक्रिया है जिसके बारे में लोग भी जानते हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूँ कि इन राज्यों से निकाले गये अधिकारियों को— चाहे वे पुलिस अथवा प्रशासनिक संवर्ग के हो यहाँ लेने की प्रणाली को वह बदलना चाहते है? क्या वह एक ऐसी व्यवस्था करेंगे जिसके अंतर्गत जिस अधिकारी को आप चुनना चाहे उसे सीधे दिल्ली से चुना जा सके ?

मैं यह प्रश्न इस लिए पूछा रहा हूं क्योंकि हम रोज देखते है और सुनते हैं और रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि विशेष रूप में पुलिस के बारे मे, लोगों के दिमागों में यह आम धारणा है कि इन सभी निकाले गये अधिकारियों को दिल्ली भेज दिया जाता है और सभी अच्छे अधिकारियों को राज्य में ही बनाएं रखा जाता है। इस बारे में सरकार क्या सोच रही हैं ?

श्री के० पी० सिंह देव : चयन करने की प्रणाली हैं। चयन राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके भी किया जाता है। माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा वह ठीक है। कतिपय मामलो में जिन अधिकारियों की दिल्ली में आवश्यकता होती है उन्हें दिल्ली भेजने में समय लगता है। किन्हीं परिस्थितियों के कारण उन्हें यहाँ नही भेजा जाता । यह भी एक ऐसा काम है जिसे हमें राज्य सरकारों के परामर्श से करना है।

[हिन्दी]

नवादा, बिहार में कागज मिल की स्थापना

*58. श्री कुंवर राम : क्या उद्योग और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की नीति प्रत्येक जिले में एक उद्योग स्थापित करने की है;

(ख) क्या निकट भविष्य में नवादा जिले में कौवाकोल में, जहां आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध है, कोई कागज मिल स्थापित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इसकी स्थापना की जाएगी ?

[अनुवाद]

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक एककों की स्थापना करने हेतु विभिन्न राजकोषीय तथा वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती है ।

(ख) और (ग) : सरकार का नवादा जिले में एक कागज मिल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । किन्तु तकनीकी विकास से महानिदेशालय में जुलाई, 1984 में प्रतिवर्ष 3,000 मी० टन स्ट्रा बोर्ड बनाने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र में एक एकक का पंजीकरण किया गया है ।

[हिन्दी]

श्री कुंवर राम : अध्यक्ष महोदय, मैंने सरकार से अपने मूल प्रश्न में यह पूछा था कि स्वर्गीय श्रीमति इन्दिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में इस बात की घोषणा कि थी कि हर पिछड़े जिले में एक उद्योग खड़ा किया जायेगा, क्या सरकार की यह नीति है या नहीं। अगर स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की थी और यह नीति जिस पर आज हम चल भी रहे हैं तो उस नीति का इन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन्होंने यह जानकारी लेने का प्रयास किया कि वहां जो कच्चा माल उपलब्ध है, उस माल से पेपर मिल्स चलायी जाती है, तो क्यों नहीं उस जिले को कच्चे माल से लाभान्वित किया गया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष महोदय, सरकार की नीति है कि तेजी से संतुलित औद्योगीकरण किया जाए और इसके लिए सरकार की तरफ से कई योजनायें लागू की जा रही हैं । हमारी खास दिलचस्पी है कि औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए इलाकों में ये योजनायें लागू की जायें और उसी के अंतर्गत ऐसे जिले या क्षेत्र जहां औद्योगीकरण नहीं हुआ है, उनकी तरफ खास ध्यान दिया जा रहा है। सेंट्रल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी स्कीम, ट्रांसपोर्ट सब्सिडी स्कीम और कन्सेशनल फिनांस स्कीम की 1-4-83 को समीक्षा की गई थी और जो 31 मार्च, 1985 तक वे लागू रहेंगी । इन सारी योजनाओं का उद्देश्य औद्योगीकरण को गति देना है, ताकि पिछड़े हुए इलाकों का विकास हो ?

जहां तक नवादा जिले का प्रश्न है, माननीय सदस्य द्वारा बताया गया है कि वहां पर कच्चा माल उपलब्ध है। श्रीमन्, एक ही जिले को दृष्टि में रखकर फैसला नहीं किया जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक जो लक्ष्य निर्धारित किया था, उससे ज्यादा पेपर बनाने की प्रतिस्थापित क्षमता हमारे पास है। इस जिले के लिए मैंने पहले ही अपने मूल उत्तर में बताया है कि डी० जी० टी० डी० के साथ पहले ही एक यूनिट रजिस्टर हो गया है। श्रीमन्, बिहार सरकार से मिली सूचना के अनुसार अशोक पेपर मिल, ठाकुर पेपर मिल बंद होने के कगार पर हैं, क्योंकि वहां पर कच्चा माल उपलब्ध नहीं है। दूसरी जगहों पर भी पेपर बनाने की इकाइयों को कच्चे माल की उपलब्धता की तस्वीर को सामने रखकर ही लाइसेंस दिया जाता है और क्षमता स्वीकृत की जाती है।

श्री कुंवर राम : अध्यक्ष महोदय, क्या इसे माखौल नहीं माना जाएगा कि जहां कच्चा माल उपलब्ध नहीं है, वहां कारखाना खोला जाता है और जहां कच्चा माल उपलब्ध है, वहां कारखाना नहीं है? इसी संदर्भ में मैंने पिछले सत्र में भी सरकार से स्पष्ट रूप से जानना चाहता था, उस समय सरकार ने कहा कि दूसरी जगह कारखाने खोले हैं। जो विकसित क्षेत्र है, जो विकसित इलाका है, वहीं कारखाने हैं और उस कारखाने को कच्चा माल देने की सरकार ने कोशिश की । मैं सरकार से जानना चाहूंगा क्या मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते अपने कर्तव्यों का पालन कर सकूंगा, अगर सरकार का उत्तर इस प्रकार का हो?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, पहले जो चल रही इकाइयां हैं, उनके बारे में ही मेरा यह उत्तर है। लेकिन अब आगे कोई नई क्षमता स्वीकृत करते समय माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसपर पूरा ध्यान दिया जाएगा ।

श्रीमती ऊषा वर्मा : अध्यक्ष महोदय, लखीमपुर-खीरी के लिए पहले ही एक पेपर मिल की योजना स्वीकृत हो चुकी थी, लेकिन अभी तक उसपर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं, क्या उस पर दोबारा विचार किया गया है या नहीं ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अध्यक्ष, महोदय, उपलब्ध सूचना के अनुसार मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है।

श्री मानवेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार की पालिसी प्रत्येक जिले में उद्योग स्थापित करने की है, जिससे कि ग्रामीण अंचल में उद्योग धंधे स्थापित हो सके और अधिक से अधिक लेबर एंम्पलॉयड की जा सके ।

जैसे मथुरा में एक आयल रिफाइनरी लगी है, लेकिन उसमें ज्यादातर काम टैकनीकल होते हैं जिससे वहां के लोगों को उस उद्योग में नौकरी कम मिल रही है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह के उद्योग-धंधों का अधिक से अधिक गठन किया जाय, जिनमें अधिक से अधिक लोगों को एम्पलायमेंट मिल सके।

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां। सरकार का प्रयास यही है कि औद्योगिकरण तेजी से किया जाय तथा खास तौर से पिछड़े क्षेत्रों में किया जाय और इस तरह से किया जाय जिससे उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जा सके तथा ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके। माननीय सदस्य का यदि कोई डेफिनिट सुझाव होगा तो उस पर भी विचार करेंगे।

श्री पी० तुलसीराम। आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले के अच्छेमपेट ताल्लुके में कागज बनाने का सामान बहुत ज्यादा मिलता है और वहां से दूसरी जगहों पर जाता है। क्या सरकार का ऐसा कोई प्लान है कि वहां पर इसकी फैक्टरी बनाई जाय ?

श्री आरिफ़ मोहम्मद खां: सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है।

अध्यक्ष महोदय। इससे पहले कि प्रश्न सं० 59 का जवाब आये, प्रोफेसर साहब, यह आप के रत्नागिरी का सवाल आ गया है। मुझे कुछ याद आ रहा है, आप अपना वायदा कब पूरा करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते। मैंने एक मर्तबा पूरा किया है, अब फिर पूरा करूंगा।

अध्यक्ष महोदय। वह तो हजम हो गये।

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पर्यटक केन्द्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सहायता

*59. **प्रो० मधु दण्डवते।** क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में सिंधुदुर्ग और रत्नागिरी जिले पश्चिमी तट की प्राकृतिक सुंदरता के कारण पर्यटक केंद्रों के लिए आदर्श स्थल हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र में इन पर्यटक केंद्रों के विकास के लिए सहायता देने का है जिससे पर्यटन में वृद्धि से विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत)। (क) और (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में गणपतिपुले नामक स्थान महाराष्ट्र सरकार द्वारा अवस्थानुसार ढंग से विकास के लिए अभिनिर्धारित केंद्रों में से एक केंद्र है।

राज्य सरकार द्वारा पहले से ही गणपतिपुले में तीर्थयात्रियों के लिए कुछ रिहायशी आवास और एक रेस्तरां का निर्माण किया गया है। फिलहाल, केंद्रीय सरकार के पास सिंधुदुर्ग के विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते। प्रश्न कोंकण क्षेत्र के रमणीय स्थलों विशेषकर सिन्धुदुर्ग और रत्नगिरी जिलों में पर्यटक केन्द्रों को स्थापित करने के बारे में है। अगर आप इसके जवाब को देखें तो पायेंगे कि प्रश्न प्राकृतिक सुन्दरता आदि से संबंधित है। उत्तर रूखा और नीरस है और जिस तरीके से जवाब दिया गया है मुझे उस पर आपत्ति है।

अध्यक्ष महोदय। अगली दफा इसे और सुन्दर बनाईये।

प्रो० मधु दण्डवते। उत्तर सुन्दर होना चाहिये। और उसका क्रियान्वयन और भी सुन्दर होना चाहिये।

महोदय, जहां तक इन दो जिलों और सम्पूर्ण कोंकण क्षेत्र का संबंध है उत्तर में बताया गया है कि महाराष्ट्र में रत्नागिरि जिले में गणपतिपुले को क्रमबद्ध रूप में विकास के लिये महाराष्ट्र सरकार द्वारा चुना गया है। किन्तु इस विषय में केन्द्र द्वारा सहायता का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। माननीय मंत्री से मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह बात उन्हें मालूम है कि समुद्रतट के नजदीक विशेष रूप से इस जिले में प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण अनेक स्थल हैं। इसी सौन्दर्य के कारण हिन्दी और मराठी की अनेक फिल्मों को फिल्माने के लिये इन स्थानों को पसन्द किया गया है।

अध्यक्ष महोदय। 'शूटिंग' के लिए या फिल्म दिखाने के लिए ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्षमा कीजिए । इन्हें शूटिंग के लिये चुना गया है । स्क्रीनिंग तो थियेटर में किया जाता है । थियेटर भी उतना ही सुन्दर है । सौभाग्यवश हमारे सदन में श्रीमती वैजयन्तीमाला और अन्य कलाकार भी सदस्य हैं । आप उनसे यह मालूम कर सकते हैं कि जो कुछ मैंने कहा है वह सच है अथवा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या यहां भी कोई फिल्म कम्पनी स्थापित होनी चाहिये ।

प्रो० मधु दण्डवते : पश्चिमी तट पर फिल्म शूटिंग के अतिरिक्त यहां विश्रामगृह भी बनाये जा सकते हैं जिनसे पर्याप्त विदेशी आय हो सकती है । मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि इस सुन्दर क्षेत्र में पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये राज्य के पास पर्याप्त धन और संसाधन नहीं हैं, क्या इन पर्यटन केन्द्रों के विकास के लिये आप अधिक वित्तीय सहायता देने पर पुनर्विचार करेंगे ।

[हिन्दी]

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय सदस्य के जो विचार हैं, उन के बारे में यह कहना चाहूंगा कि हमने जो उन के प्रश्न का जवाब दिया है, उससे हमारा मकसद यह है कि एक बार हमारा पर्यटन विभाग इस बात को तय कर चुका था और मेरे ख्याल से माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होगी कि योजना आयोग के ये निर्देश थे कि इतने बड़े देश के अन्दर पर्यटन विभाग के लिए यह संभव नहीं है कि एक साथ सभी टूरिस्ट्स सेन्टर्स का वह विकास कर सके । इसलिए हमारी जो ऐसी योजनाएं हैं जो एक क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं या जहां पर हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं, वे जाना पसन्द करते हैं, उन योजनाओं को राज्य सरकारें अपने हाथ मे लें और जो ऐसे स्पोट हैं, जहां पर विदेशी पर्यटक आते हैं और जो राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, उन को केन्द्रीय सरकार का पर्यटन विभाग अपने हाथ मे ले । इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए सन् 1981-82 के अन्दर हमारे विभाग ने पूरे देश का सर्वे कराया और सभी राज्य सरकारों के सहयोग से जो सर्वे हुआ, उस मे 61 ट्रेविल सरकिट्स बनाए गये और मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य को इस की जानकारी होगी । ये जो 61 सरकिट्स हैं, जिन को ट्रेविल सरकिट्स कहते हैं, इन के माध्यम से करीब 441 स्पोट्स को चुना गया और उन ट्रेविल सरकिट्स में, जैसा कि माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है, एक ट्रेविल सरकिट उस में आता है जिस को हम बम्बई–मुराद–जंजीरा–गणपतिपुले–वेनगुरला ट्रेविल सरकिट कहते हैं । इस के आधार पर जब राज्य सरकार हमारे पास कोई प्रस्ताव भेजती है, तो हमारा यह प्रयास रहता है कि हम उन मे ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दें, जोकि राष्ट्रीय स्तर की हों और जिस मे हम लोग उन की मदद कर सकें । इसलिए इस प्रश्न के जवाब में जो उत्तर दिया गया है, उस में यह लिखा गया है कि हमारे पास ऐसी कोई पेन्डिंग योजना नहीं है, जिस पर हम कोई विचार कर रहे हों । इस के बावजूद मैं माननीय सदस्य की जानकारी में यह लाना चाहूंगा कि महाराष्ट्र सरकार का जो टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन है, वह वेनगुरला के अन्दर और सामन्तवाला में होलीडे रिजोर्ट बनाने के लिए प्रस्ताव कर रहा है और उसके लिए उन्होंने काम शुरू करने की बात भी सोची है । इस के अलावा प्राइवेट सेक्टर को एन्करेज कर रहे हैं और यह कोशिश कर रहे हैं कि कुडाल के अन्दर एक मोटल का निर्माण किया जाए । यह भी सिन्धुदुर्ग में आता है । इस प्रकार की कुछ योजनाएं राज्य सरकार अपने हाथ में ले रही है । इस के अलावा कोई प्रस्ताव अगर वे हमारे पास भेजेंगे तो हम आप की भावनाओं को जानते हुए उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जवाब देते समय एक बुनियादी बात यह बताई कि जहां पर डोमेस्टिक टूरिस्ट्स आते हैं, वहां पर नये सेन्टर खोलने की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है लेकिन जहां पर विदेशी टूरिस्ट्स आते हैं, वहां पर ज्यादा सहायता केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से दी जाएगी । मैं उन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक रत्नगिरि और सिन्धुदुर्ग हल्के का प्रश्न है, सौभाग्य से पहली मर्तबा वहां पर नये प्रधान मंत्री जा कर आए हैं और उन्होंने भी वह हल्का देखा है । मैं उन को यह जानकारी देना चाहता हूं कि यह हल्का और यह जिला ऐसा है जो गोआ के ईर्दगिर्द है और जैसे गोआ में काफ़ी विदेशी टूरिस्ट्स आते हैं वैसे ही वहां पर भी काफी विदेश से टूरिस्ट्स भी आते हैं । आप ने जो मार्गदर्शक सिद्धान्त तय किये हैं, क्या उन के आधार पर आप ज्यादा आर्थिक सहायता उन को देने की कोशिश करेंगे और कोई एक्सपर्ट्स की एक छोटी सी कमेटी नियुक्त कर के—वैसे तो इंडस्ट्रीज के ख्याल से यह बैकवर्ड एरिया रहा है—कम से कम टूरिस्ट्स सेन्टर के ख्याल से उस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे और यह काम आप हाथ में लेंगे या नहीं, यह सवाल मैं पूछना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, आपको पहले भी एक मर्तबा कहा था कि वहां बहुत अच्छी तरह से आम का प्लान्टेशन होता है । उसकी वहां पर तरक्की और रिसर्च होनी चाहिए । आपने एक मर्तबा कहा भी था कि एक दफा आम का टेस्ट लेंगे और मैंने आपको वहां का आम भेजा भी था । अगर आप वहां का नैसर्गिक सौन्दर्य देखना चाहते हैं तो स्पीकर साहब मैं आपको अपनी कांस्टीच्युएन्सी में ले जाने के लिए तैयार हूं ।

अध्यक्ष महोदय : वहां आम होता है लेकिन मेरा मन वहां जा कर खाने को करता है।

मंत्री जी, आपने इनकी बात सुनी, मेरी बात भी सुने। हमारे सीकर में लक्ष्मणगढ़ और दूसरी जगह फतेहपुर में ऐसे प्राकृतिक दृश्य हैं जिनका कि आपको अन्दाजा न हो और उन्हें बाहर के लोग आकर देखते हैं। आप उन पर भी ध्यान रखिए।

श्री अशोक गहलोत : अध्यक्ष जी, अब मुझे मालूम पड़ा कि इसमें कमी कहां रह गई ? जब हमारे माननीय सदस्य ने आपके पास आम का टोकरा भेजा है और वह मेरे पास पहुंचा ही नहीं तो मैं कैसे कह सकता हूं।

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं और कमेटी बनाने का भी सुझाव दिया है, उसके बारे में मैं सोचता हूं कि हम राज्य सरकारों को लिख कर भेजेंगे और उसके बारे में पूरी जांच करवायेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे प्रधान मंत्री जी इस मंत्रालय के इंचार्ज हैं। उन्होंने भी यह बात ध्यान में रखी है कि यह जो हमारा देशी पर्यटन है इसको बढ़ावा मिले। इसलिए हमारा मंत्रालय इस बारे में गंभीरतापूर्वक विचार कर रहा है। इनके अलावा अगर और भी कोई ऐसा ब्यूटी स्पाट होगा उनके पास जिससे कि हम राज्य सरकार की मदद कर सकें. .

प्रो० मधु दण्डवते : राज्य सरकार के पास सेन्स आफ ब्यूटी है लेकिन रिसोर्सिज नहीं हैं।

श्री अशोक गहलोत : हमारे जो प्लान अलोकेशंस होने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि पिछले सालों में जो हमें अलोकेशन हुए थे उनसे करीब तीन गुना ज्यादा पैसा हमें मिल सकेगा और उससे हम राज्य सरकारों के प्रस्तावों पर ज्यादा ध्यान दे सकेंगे।

डा० दत्ता सामंत : अध्यक्ष महोदय, यह जो बाम्बे से गोआ तक का 400 मील का सी कोस्ट है इसमें रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग को आप देखने जायेंगे तो आप गणपति पुले को बम्बई के नजदीक 100–150 मील की दूरी पर सिन्धुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पर पायेंगे। यह जो बम्बई से गोआ का सी कोस्ट है उसमें सिन्धुदुर्ग पोर्ट छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनाया था। वह समुद्र में आधा या एक मील अन्दर चला गया है और उसमें एक-एक पत्थर इतना बड़ा लगा है कि आपकी क्रेन उसको उठा नहीं सकती है। इसका जो सराउण्डिंग वाटर है वह साल्ट वाटर है और स्वीट वाटर भी है। दिस इज द वण्डर आफ द वर्ल्ड। इसमें इतनी अच्छी जगह हैं कि ट्रीज हैं, कोकोनेट ट्रीज हैं। देश के लिए यह एक हिस्टोरिकल मोन्युमेंट है और बहुत अच्छी जगह है। मैं खुद वहां रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। यह जो सिन्धुदुर्ग हिस्टोरिकल प्लेस है क्या इसको भी आप ध्यान में रख कर इसके बारे में भी आप कोई प्लेनिंग करेंगे। जैसा दंडवते जी ने सुझाव दिया, क्या केन्द्रीय सरकार इन स्थानों के लिए भी कोई पैसा खर्च करेगी ? ये दोनों सुन्दर टूरिस्ट स्पाट्स हैं। शिवाजी के बारे में महाराष्ट्र की और गोआ की जनता के जो सेन्टीमेंट्स हैं, क्या उनको ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार इनके लिए कोई पैसा दे कर इन्हें टूरिस्ट स्पाट बनायेगी ?

श्री अशोक गहलोत : जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिए हैं उनके बारे में मैं कह चुका हूं कि हम कोशिश करेंगे कि उस पूरे क्षेत्र में फेज में विकास हो सके, ऐसे कोई प्लान बने।

श्री राम प्यारे पनिका : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से प्राकृतिक क्षेत्रों को सुन्दर और विकसित करने का निर्णय लिया गया है, क्या ऐसे क्षेत्रों को भी जो कि हमारे बड़े बड़े काम्पलेक्स हैं, जैसे कि मिर्जापुर में 10 हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन होने जा रहा है. . . और काफी उस में पांच हजार तो शुरू भी हो गया है। तो क्या मंत्री जी ऐसे स्थानों को जो नये तीर्थ-स्थल बन रहे हैं उन के ब्यूटीफिकेशन के लिए व्यवस्था करेंगे क्यों कि वहां दुनिया के काफी देशों के लोग जिन से हमारा सम्बन्ध है और जिन का हमारे साथ कोलाबोरेशन है, वहां आते हैं और सब से बड़ी बात यह है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वे अपने यहां कोई ऐसा फण्ड नहीं रखते ब्यूटीफिकेशन के लिए, तो क्या आगामी वर्षों में सेवेन्थ फाइव ईयर प्लान में उन के ब्यूटीफिकेशन के लिए और उन को टूरिस्ट स्पाट बनाने के लिए आप कोई स्पेशल व्यवस्था करेंगे ?

श्री अशोक गहलोत : माननीय सदस्य का जो सुझाव है, मैं समझता हूं वह इस क्वेश्चन से कवर नहीं होता है क्योंकि वह वहां कोई इंडस्ट्री लग रही है, उस के बारे में पूछ रहे हैं। . . . (व्यवधान) . . .

श्री राम प्यारे पनिका : मैं ने ओबरा और रेणुकोट का नाम लिया है।

[अनुवाद]

श्री मानिक सन्याल : उत्तर बंगाल जिले में बहुत से आकर्षक स्थल हैं और अगर पर्यटन को विकसित किया जाता है तो यह न सिर्फ पर्यटकों को ही आकर्षित करेगा अपितु इससे विदेशी मुद्रा की भी आय होगी । इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार वहां पर पर्यटन का विकास करने पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह ।

गंगा प्राधिकरण गठित करने का निर्णय

*60. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा प्राधिकरण का गठन करने संबंधी उनके निर्णय के क्या कारण हैं ;

(ख) इसके गठन की शर्तें क्या हैं, इसमें कौन-कौन सदस्य होंगे तथा इसे कौन-सी परियोजनाएं सौंपी जाएंगी ;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ; और

(घ) यदि हां, तो गंगा के संबंध में प्रदूषण रोधी उपाय करने में अब तक राज्य सरकारों द्वारा उपेक्षा बरतने के रिकार्ड को देखते हुए प्राधिकरण किस प्रकार अपना उद्देश्य पूरा करेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) गंगा भारत की सबसे बडी नदी ही नहीं है बल्कि लाखों भारतीयों के जीवन से भी जुड़ी हुई है । इस नदी के किनारों पर बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ शहरों के बढ़ते हुए आकार से नदी के प्रदूषण ने गंगा के पानी को नहाने तथा पीने के लिए उपयोग करने वाले लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डालने के गंभीर अनुपात को ग्रहण किया है । प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपयुक्त कदम उठाना अनिवार्य हो गया है । केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गंगा बेसिन का एक व्यापक सर्वेक्षण किया है । सर्वेक्षण के जांच परिणामों से पता लगता है कि नदी के प्रदूषण की समस्या को उपयुक्त निरोधक उपायों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है । इसलिए नदी में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए गंगा प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है ।

(ख) इस प्राधिकरण की एक शीर्ष निकाय सहित चार स्तरीय संरचना होगी जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होंगे तथा इसमें संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों को सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा । शीर्ष निकाय के अन्य सदस्यों में ये शामिल होंगे : उपाध्यक्ष, योजना आयोग, राज्यों के पर्यावरण तथा वन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, तथा योजना मंत्री, योजना आयोग में, पर्यावरण तथा विज्ञान के प्रभारी सदस्य/सचिव पर्यावरण विभाग की अध्यक्षता में एक संचालन समिति होगी जिसमे सभी संबंधित केन्द्र तथा राज्य सरकार के अभिकरणों का प्रतिनिधित्व होगा । प्रत्येक राज्य में संबंधित मुख्य-सचिव की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति होगी जो कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी । सदस्य, विज्ञान तथा पर्यावरण प्रभारी, योजना आयोग की अध्यक्षता में कम्प्यूटर बक-अप के साथ एक प्रबोधन क्रियाविधि स्थापित की जायेगी ।

(ग) यह कार्यक्रम एक समयबद्ध परियोजना आधार पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के अभिकरणों द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया जायेगा ।

—विद्यमान मलजल निकासी तथा उपचार संयंत्रों की मरम्मत ।

—विद्यमान मल निर्वात पद्धति की मरम्मत ।

—प्रमुख नगरों में मलजल उपचार तथा सिंचाई और जलकृषि के लिए प्रावधानों के अतिरिक्त बायो-गैस और खाद के संबंध में संसाधनों की प्रतिप्राप्ति के लिए नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना करना ।

(घ) हालांकि गंगा के साथ-साथ के कई स्थानों में मलजल उपचार सुविधाएं स्थापित की गई हैं, फिर भी इनको चलाने की जिम्मेदार नगरपालिकाएं तथा स्थानीय निकाय ऐसा करने में प्रभावी नहीं रहे हैं । अधिकतर यह संसाधनों की कमी, अन्य गतिविधियों में उपलब्ध संसाधनों का परिवर्तन, आन्तरिक प्रबंध व्यवस्था समस्याओं आदि के कारण हैं । कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकार के अभिकरणों को पर्याप्त संसाधन आबंटित करने तथा उन्हें विशेष दायित्व सौंपने का प्रस्ताव है । राज्य सरकारों को इन संयंत्रों के सफल प्रचालन तथा रख-रखाव को

सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्ष दायित्व उठाना होगा तथा इन मामलों में केन्द्रीय प्राधिकरणों के साथ घनिष्ट रूप से कार्य करना होगा। प्राधिकरण की प्रस्तावित चार-स्तरीय संरचना कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करेगी।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : गंगा प्राधिकरण का गठन करने संबंधी निर्णय के लिये मैं सरकार को बधाई देता हूं। क्या इस परियोजना व्यय का ब्यौरा तैयार किया गया है। गंगा प्राधिकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों पर कुल कितना खर्च आने की संभावना है ?

श्री वीर सेन : मैं आपके प्रश्न को नहीं समझ सका।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मैं इस गंगा प्राधिकरण के तहत होने वाले अनुमानित व्यय के बारे में जानना चाहता हूं ?

श्री वीर सेन : व्यय की अनुमानित राशि 250 करोड़ रुपये है।

श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : मेरा दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न के भाग (ग) के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि इस परियोजना में निम्नलिखित कार्य सम्मिलित होंगे—विद्यमान मलजल निकासी तथा उपचार संयंत्रों की मरम्मत, विद्यमान मल व्ययन पद्धति की मरम्मत, प्रयुक्त नगरों में मलजल उपचार तथा सिंचाई और जलकृषि के लिये प्रावधानों के अतिरिक्त बायो-गैस और खाद के संबंध में संसाधनों की प्रतिप्राप्ति के लिये नए मलजल उपचार संयंत्रों की स्थापना।

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं क्या बायो-गैस के बेचने तथा सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने से सरकार को होने वाली आय का अनुमान लगाया गया है ?

श्री वीर सेन : एक अस्थायी अनुमान लगाया गया है और यह 37 रुपये प्रति व्यक्ति आय है तथा व्यय 24 रुपये प्रति व्यक्ति के लगभग होने की आशा है। प्रति व्यक्ति का अर्थ है यह राज्य की जनसंख्या से जुड़ा होगा जहां हम काम शुरु करने जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले इस देश की करोड़ों जनता की तरफ से प्रधान मन्त्री को बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने पहले ही कार्यक्रम में इस बड़े दायित्व का भार लेना स्वीकार किया।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न पूछने की बजाय, वे निर्णय दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री श्याम लाल यादव : गंगा का न केवल इस देश के करोड़ों लोगों के जीवन से ही सम्बन्ध है, बल्कि गंगा का देश के लोगों की संस्कृति, धर्म और सभ्यता से भी ताल्लुक है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री श्याम लाल यादव : यह जो उत्तर है, उसके पार्ट (सी) में जो बताया गया है उसके सम्बन्ध में मैं दो-तीन बातें जानना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि यह 250 करोड़ की धनराशि कितने समय के लिए निर्धारित की गई है—एक वर्ष के लिए है, दो वर्ष के लिए है या कितने समय के लिए है, यह इसमें स्पष्ट नहीं है।

दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम का इंप्लीमेंन्टेशन सेन्ट्रल और स्टेट एजेंसीज करेंगी लेकिन जैसा कि हमारा तजुर्बा है और हमारे उत्तर प्रदेश में गंगा का अधिकांश भाग पड़ता है लेकिन वहां पर जल निगम, जल संस्थान और सीवेज बोर्ड में आपस में कोई कोआर्डिनेशन नहीं है, उनका टकराव होता है, ऐसी स्थिति में यदि एक सेन्ट्रल एजेन्सी हो तभी इस कार्य को सफलतापूर्वक किया जा सकता है।

तीसरी बात यह है कि उत्तर में प्रोजेक्ट कांपोनेन्ट्स में तीन पार्ट बताए गए हैं—रेनोवेशन करना, सेलेक्टिव टाउन्स में सीवेज प्लान्ट्स को ट्रीट करना आदि लेकिन इसमें एक बात मैं समझता हूं छूट गई है कि गंगा में अन्य बहुत सी बड़ी नदियां जैसे यमुना है और गोमती है वह पटना से पहले उसमें आकर मिल जाती हैं और जिनके द्वारा बहुत अधिक प्रदूषण गंगा में आता है तो इसके लिए क्या व्यवस्था की जायेगी ? इसके साथ ही जो ड्रेनेज है वह इतना ब्लाक हो गया है कि उसमें पानी नहीं बहता है। उसमें बहुत अधिक सिल्टिंग हो गई है। गंगा में पटना से ऊपर की तरफ गर्मियों में ही नहीं, जाड़ों में भी पतली सी धारा बहती है।

चौथी बात यह है कि गंगा के किनारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनके गन्दे पानी से गंगा में जो पोल्यूशन होता है, उसको रोकने में पोल्यूशन कन्ट्रोल बोर्ड असमर्थ रहे हैं। इसलिए प्रोजेक्ट कांपोनेन्ट में इसको रोकने का भी उपाय होना चाहिए और सिल्टिंग को दूर करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इसलिए मेरा निवेदन है क्या इस बात पर विचार किया जायेगा कि अभी जो बहुत सी एजेंसीज हैं उनको खत्म करके उनके स्थान पर एक सेन्ट्रल एजेंसी बनाकर उसके द्वारा इसको कार्यान्वित कराया जाए ?

श्री वीर सेन : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न एस्टिमेटेड कास्ट के सम्बन्ध में है तो यह जो धनराशि है वह पांच वर्ष के लिए है और एक लाख से ऊपर के जो सिटीज हैं, उनके लिए है।

अन्य बातें जो आपने कही हैं वह सुझाव जैसे हैं। यह इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो होता है उसके लिए ट्रीटमेन्ट प्लान्ट्स का अरेंजमेन्ट किया जा रहा है, स्टैंडर्ड्स निश्चित किए जा रहे हैं, हर एक इण्डस्ट्री को भी बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड के मुताबिक पोल्यूशन को रोकने का काम करें।

जहां तक इम्प्लीमेन्टेशन का सवाल है, हर स्टेट में स्टियरिंग एजेंसी बनाई जा रही है जो स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स के काम को और 'सी' करेगी, उनके काम की देखभाल करेगी और साथ ही साथ अगर कहीं पर कोई कमी होगी, तो उसको ठीक कराएगी।

[अनुवाद]

श्री वडडे सोभानाद्रीस्वारा : क्या माननीय प्रधान मंत्री दूसरी गंगा अर्थात् तेलुगु गंगा परियोजना के बारे में भी इतनी ही दिलचस्पी लेंगे जो उनके अनुमोदन के लिए विचाराधीन है, जिससे रायल सीमा और मद्रास नगर में लाखों लोगों को पेय जल मिल सकेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : हम दक्षिण भारत में भी नदियों के बारे में भी विचार कर रहे हैं। अभी यह निर्णय नहीं किया गया है कि किस नदी से काम शुरू किया जाये। इस विषय में हम आपसे परामर्श करेंगे और यथा शीघ्र दक्षिण की नदियों पर काम प्रारम्भ करेंगे।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुनर्गठन

*61. **श्रीमती किशोरी सिन्हा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम का पुनर्गठन करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप वे मिलें बन्द कर दी जायेंगी जिन्हें बचाना सम्भव नहीं है; और

(ग) उन मिलों का ब्यौरा क्या है जिनको पुनर्जीवित करना सम्भव नहीं है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) से (ग). राष्ट्रीय वस्त्र निगम को पुनर्गठित करने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मैं जानना चाहती हूं कि कितनी मिलें रुग्ण हैं और अब तक कुल कितनी राशि का घाटा हुआ है ?

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, राष्ट्रीय कपड़ा निगम की लगभग 125 मिलें हैं और इन 125 मिलों में से केवल 18 मिलों को लाभ हो रहा है और 137 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यह भी जानना चाहती हूं कि क्या इन घाटे वाली मिलों को जारी रखने की कोई योजना है जिस पर राष्ट्रीय हित में सरकार ने विचार किया है और यदि हां, तो इन मिलों के बारे में किसी अन्तिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

श्री पी० ए० संगमा : हम इन मिलों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिये कई कदम उठा रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व हमने राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के कार्यकरण की व्यापक समीक्षा की थी और स्वयं वाणिज्य मंत्री के स्तर पर की गई इस व्यापक समीक्षा से राष्ट्रीय कपड़ा निगम को हो रहे कुल घाटे में जिनका सर्वाधिक हिस्सा है हमने उन 22 मिलों का पता लगाया है। इसके बाद हमने इन 22 मिलों को तीन वर्गों में वर्गीकृत किया और हमें पता लगा कि वास्तव में 8 मिलों की अत्यन्त खराब स्थिति है। हमने इन रुग्ण मिलों के जिनकी गत जनवरी में बहुत खराब स्थिति थी कार्यकरण पर विचार

करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी और इस कार्यकारी दल की रिपोर्ट हाल ही में प्रस्तुत की गई है और यह सरकार के विचाराधीन है ।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, नेशनल टेक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत जो मिलें हैं, उनमें करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है । इसकी वजह यह है कि जो आफिशियल वहां पर मिलों को चला रहे हैं, उनको कपड़े का अंदाजा नहीं है । वहां पर गलत कपड़ा बनता है और सस्ते दामों पर बाजार में बेचा जाता है । मैं जानना चाहता हूं कि जो एडवाइजरी कमेटी बनाई जा रही है उसमें क्या ट्रेडिंग कम्युनिटी को शामिल किया जाएगा और जो नुकसान हो रहा है, उसको रोकने के लिये कोई कदम उठाए गए हैं ।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मेरे विचार से माननीय सदस्य का तर्क ठीक नहीं है । वास्तव में राष्ट्रीय कपड़ा निगम कपड़े की केवल उन किस्मों का उत्पादन कर रहा है जो हम लोगों की मार्किट आवश्यकताओं का अध्ययन करने के बाद आवश्यक पाते हैं । वास्तव में हमने अब कुछ मिलों का पता लगाने का प्रयास किया है जो पूरी तरह से निर्यात प्रयोजनों के लिये कपड़े का उत्पादन करेंगी । जैसा कि माननीय सदस्य को पता है हम 'जनता क्लाथ' के नाम से प्रसिद्ध कपड़े का भी उत्पादन कर रहे हैं जो जन साधारण की आवश्यकता के लिये है ।

श्री आनन्द गजपति राजू पूसापति : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन मिलों का इसलिए पुनर्गठन किया जा रहा है क्योंकि ये भारी घाटे में चल रही हैं और इनकी प्रौद्योगिकी पुरानी हो गई है । इतना ही नहीं अपितु वे गरीब उपभोक्ताओं के लिये कपड़े का उत्पादन नहीं कर रही हैं । गरीब उपभोक्ता पर इसका बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है । अतः मैं सर्वप्रथम यह जानना चाहता हूं कि क्या वे इन मिलों का पुनर्गठन करेंगे और यदि हां, तो किस प्रकार । दूसरे वे इस देश के गरीब लोगों के लिये कपड़े का कितना उत्पादन करेंगे ।

श्री पी० ए० संगमा : मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय कपड़ा निगम की मिलों के पुनर्गठन के बारे में है और मैंने कहा है कि इस समय ऐसा करने का हमारा कोई प्रस्ताव नहीं है । लेकिन गत वर्ष 1984 में जब योजना आयोग ने राष्ट्रीय कपड़ा निगम के कार्यकरण की समीक्षा की थी तो सुझाव दिया था कि हमें राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ढांचे पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिये कि मिल स्तर पर होल्डिंग कम्पनी और सहायक कम्पनियों के बीच संबंध क्या हो । अतः 'होल्डिंग कम्पनी' ने योजना आयोग के सुझाव पर विचार किया है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने योजना आयोग के सुझाव को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने गत वर्ष अक्तूबर में राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ढांचे पर विचार करने संबंधी यह कार्य एक स्वतंत्र तथा बाहरी परामर्शदाता को सौंपा है । हमने उन्हें पांच महीने का समय दिया है और हम आशा करते हैं कि इस वर्ष मार्च के अन्त तक हमें यह रिपोर्ट मिल जायेगी ।

श्री दिनेश सिंह : राष्ट्रीय कपड़ा निगम का एक कार्य ऐसी मिलों का पुनर्गठन करना भी था जो उन्होंने अधिगृहीत की थीं । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम ने किन्हीं मिलों का पुनर्गठन किया है और यदि हां, तो इस पुनर्गठन का क्या परिणाम रहा । मैं राष्ट्रीय कपड़ा निगम के ढांचे के पुनर्गठन के बारे में नहीं कह रहा हूं अपितु उन मिलों के पुनर्गठन के बारे मे कह रहा हूं जो आपने अधिगृहीत की हैं ।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं माननीय सदस्य के साथ सहमत हूं । वास्तव में हमने इस समिति से, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया है, इस पहलू पर भी विशेष रूप से विचार करने के लिये कहा है । यह आवश्यक हो सकता है कि कुछ मिलों का विलय कर दिया जाये और इसके बुनाई प्रभाग को किसी अन्य बुनाई प्रभाग में अथवा कताई प्रभाग में अन्तरित किया जाये । यह पुनर्गठन करना पड़ेगा । हमें इस समस्या का पता है और हम इस पर विचार कर रहे हैं ।

पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों द्वारा भारत के विरुद्ध प्रचार

***62. प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1984-85 के दौरान भारत में अल्पसंख्यकों के साथ बर्ताव के बारे मे पाकिस्तान में समाचार पत्रों/अन्य प्रचार माध्यमों द्वारा किए जा रहे शरारतपूर्ण प्रचार के बारे में पाकिस्तान सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध का स्वरूप और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोई विरोध प्रकट किया गया था ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) से (ग) . भारत में अल्पसंख्यकों के प्रति व्यवहार के सम्बन्ध में पाकिस्तान के अखबार आदि में जो नकारात्मक रिपोर्टें दी जाती हैं उसके बारे में सरकार ने कई मौकों पर पाकिस्तान सरकार से अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की है क्योंकि ये न सिर्फ पूरी तरह झूठी होती है, बल्कि इनसे हमारे आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप भी होता है ।

प्रो० नारायण चंद पराशर : मैं जानना चाहता हूं कि हमारे विरोध प्रकट करने का पाकिस्तान सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है अथवा उनकी प्रतिक्रिया क्या है और क्या उन्होंने अपने प्रचार की तेजी को कम कर दिया है अथवा हमारे विरोध का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था ?

श्री खुर्शीद आलम खां : जी हां, इस बारे में प्रगति के लक्षण हैं लेकिन हमें अभी भी उनसे ठोस प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है ।

प्रो० नारायण चंद पराशर : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन हमारे अपने प्रचार माध्यम विशेष रूप से विदेश सेवा डिवीजन और अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग पाकिस्तान के प्रचार का प्रतिकार करने के लिये किया गया है क्योंकि पाकिस्तान सीमा के साथ लगे हुए हमारे देश के कुछ क्षेत्रों में पाकिस्तान के टेलीविजन और रेडियो द्वारा प्रसारित कार्यक्रम भी देखे–सुने जाते हैं । क्या इस पहलू पर भी विचार करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, यह कार्यवाही की गई है लेकिन यह विशिष्ट तरीके से की गई है ।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के फालतू कर्मचारियों की छंटनी

*63. **श्री बसुदेव आचार्य**
श्री आनन्द पाठक } : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कपड़ा निगम के लगभग 55,000 कर्मचारियों को शीघ्र ही फालतू घोषित करके निकाला जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन श्रमिकों के हितों की रक्षा किस प्रकार की जायेगी; और

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं । तथापि, श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण एक सतत प्रक्रिया है जो अनेक बातों अर्थात् आधुनिकीकरण कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, उत्पाद शृंखला में परिवर्तन, क्षमताओं में परिवर्तन तथा कार्य मानदण्डों में संशोधन पर निर्भर करती है ।

(ख) तथा (ग) . प्रभावित कामगारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा ।

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, हमारे देश में कपड़ा उद्योग अस्त-व्यस्त स्थिति में है इसे राष्ट्रपति ने और कल प्रधान मंत्री ने भी स्वीकार किया है । सैंकड़ों कपड़ा मिलें बंद हो गई हैं और इन्हें संकटग्रस्त घोषित किया गया है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम की स्थापना संकटग्रस्त एककों को दोबारा सामान्य बनाने के विशेष प्रयोजन से की गई थी लेकिन अधिकांशतया यह निगम इस मामले में असफल रहा है । राष्ट्रीय कपड़ा निगम के घाटे में वृद्धि हो रही है । मंत्री महोदय स्वीकार कर चुके हैं कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन 125 मिलों में से केवल 18 मिलों में ही घाटा 40 प्रतिशत तक है ।

उन्होंने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि प्रभावित श्रमिकों को उचित मुआवजा दिया जायेगा । इसका आशय यह है कि कपड़ा श्रमिकों की छंटनी की जायेगी अथवा उन्हें उत्पीड़ित किया जायेगा । अत: मैं जानना चाहता हूं कि छंटनी अथवा उत्पीड़न के परिणामस्वरूप प्रभावित हुए श्रमिकों की संख्या क्या है?

श्री पी० ए० संगमा : जब हमने संकटग्रस्त मिलों का अधिग्रहण किया था—अब हम उन्हें राष्ट्रीय कपड़ा निगम कहते हैं तो हमारी एक समस्या फालतू श्रमिकों का होना था । अत: हमने सोचा कि जब तक श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण नहीं किया जाता तब तक मिलें सक्षम नहीं बन सकतीं । इस प्रकार यह प्रक्रिया शुरु की गई थी । श्रमिकों के सुव्यवस्थीकरण की इस योजना पर सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति द्वारा विचार किया गया था और उन्होंने यह भी सुझाव दिया था कि हमें श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण करना चाहिए । अत: सर्वप्रथम हमने श्रमिकों को अवसर दिया है कि यदि कोई श्रमिक स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने के लिये इच्छुक है तो वे स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति ले सकते हैं और अन्य श्रमिकों की वस्तुत: छंटनी की जायेगी । इन मिलों के अधिग्रहण के समय हमें पता लगा कि इन अधिगृहीत मिलों में 10 प्रतिशत फालतू श्रमिक थे ।

मैं इसके ब्यौरे में नहीं आऊंगा लेकिन मैं इतना बताऊंगा कि अब क्या किया गया है और भविष्य में हम क्या करेंगे। लेकिन श्रमिकों का सुव्यवस्थीकरण एकतरफा नहीं किया जाता है। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सदैव विभिन्न कार्मिक संघों तथा श्रमिकों को विश्वास में लेते हैं। स्वैच्छिक सेवा-निवृत्त किये गये अथवा छंटनी किये गये पदों की संख्या अब तक 24039 है जिसमें समाप्त किये गये रिक्त पदों की संख्या 13,744 थी। अतः इस सुव्यवस्थीकरण के परिणामस्वरूप लगभग 10,295 श्रमिक प्रभावित हुए थे। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सलाह पर यह विशेष पहलू साउथ इंडियन टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को सौंपा गया था कि वह आगामी सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिये इस कार्य को करे और उन्होंने सुझाव दिया है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राष्ट्रीय कपड़ा निगम में लगभग 38,000 अतिरिक्त श्रमिक हो जायेंगे और उन्होंने सुझाव दिया है कि इसका क्रमबद्ध तरीके से सुव्यवस्थीकरण किया जाना चाहिए और उनके सुझाव के अनुसार 1985–86 तक हम 7,000 श्रमिकों को, 1987–88 मे 7,500 श्रमिकों को, 1988–89 में 8,500 श्रमिकों को और 1989–90 मे 8,000 श्रमिकों की छंटनी करेंगे। कुल छंटनी 38,000 श्रमिकों की होगी।

श्री वसुदेव आचार्य : महोदय, क्या आप उन्हें मेरी ओर से दूसरा अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे सकते हैं?]

अध्यक्ष महोदय : वह इसके लिए अपनी शक्ति सुरक्षित रखें...........

(व्यवधान)

डा० दत्ता सावंत : महोदय, मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य क्या आप अपना अनुपूरक प्रश्न उन्हें पूछने देंगे ?

श्री वसुदेव आचार्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, श्री आचार्य, उन्हें पूछने दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : दूसरे अनुपूरक प्रश्न के लिये उन्होंने अपनी जगह श्री दत्ता सामन्त को दे दी है।

[हिन्दी]

श्री दत्ता सामन्त : वर्ष 1983 में सरकार ने जिन बम्बई की 13 कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण करके नेशनल टैक्सटाइल कार्पोरेशन के अंतर्गत कर दिया था, उन मिलों के 22 हजार वर्कर्स अभी तक काम पर नहीं लिए गए हैं, सरकार उनके बारे में क्या करना चाहती है। दूसरे, आपने कहा कि प्रभावित कामगारों को या तो वालेंटरी रिटायरमेंट के बैनिफिट देंगे अथवा उचित कम्पैन्सेशन दिया जाएगा, मगर इन राष्ट्रीयकृत मिलों के जो वर्कर्स रिटायर होते हैं या कम्पैन्सेशन लेना चाहते हैं, उनको कम्पैन्सेशन नहीं दिया जाता है। ऐसे वर्कर्स की संख्या 7 या 8 हजार है। राष्ट्रीयकरण के वक्त चूंकि आपने मिल-मालिकों को 70 करोड़ रुपये की गारंटी दी थी, उस समय आपने मजदूरों के कम्पेन्सेशन आदि के बारे में कुछ नहीं किया। इसलिए मैं दो प्रश्न पूछना चाहता हूं-पहला तो यह कि राष्ट्रीयकरण के बाद इन 22 हजार वर्कर्स को काम पर लेने के सम्बन्ध में क्या सरकार कोई डायरेक्टिव देगी कि उनको तुरन्त काम पर लिया जाए और दूसरे यह कि जो लोग रिटायर होते हैं और जिनको ग्रेच्युटी और कम्पैन्सेशन नहीं मिल रहा है, उनको भी कम्पैन्सेशन और ग्रेच्युटी देने के लिए कोई निर्देश जारी किए जाएंगे।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, इन 13 मिलों के बारे में, जब इनका अधिग्रहण किया गया था, श्रमिकों की कुल संख्या 34,000 थी। अब तक हमने 17,000 श्रमिकों को ले लिया है। **(व्यवधान)** 17000 श्रमिकों को हमने वापस लिया है। अतः मैं सहमत हूं कि बहुत से श्रमिक हैं जिन्हें अभी लिया जाना है।

जहां तक मुआवजे का संबंध है मैंने स्पष्ट रूप से वक्तव्य दिया है कि राष्ट्रीय कपड़ा निगम से जिसकी भी छंटनी की जायेगी उसे निश्चित रूप से मुआवजा दिया जायेगा। इस बारे में कोई विवाद नहीं है।

डा० दत्ता सामन्त : मेरे पास पत्र है कि यह मुआवजा नहीं दिया जायेगा क्योंकि इसका राष्ट्रीयकरण किया गया है।

[हिन्दी]

क्योंकि जो रिटायर हो रहा है उसको भी रिटायरमेंट बैनिफिट नहीं मिल रहा है। आपने मिल-मालिकों की गारंटी ली है, मगर जिन मिलों को नेशनेलाइज किया गया है, उनके वर्कर्स को आप ग्रैच्युटी नहीं दे रहे हैं, यह अत्यन्त गंभीर समस्या है।

[अनुवाद]

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, प्रक्रिया यह है कि जब कभी मिल का अधिग्रहण और राष्ट्रीयकरण किया जाता है, हम इसके लिये भुगतान आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। इन पहलुओं पर भुगतान आयुक्त द्वारा विचार किया जाता है। और सभा को याद होगा कि तत्कालीन वाणिज्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रतापसिंह ने इसी सभा में वाद-विवाद का उत्तर देते हुए कहा था कि मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी और हम इस बात पर कायम हैं।

डा० दत्ता सामन्त : क्या आप कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यही कहा है।

श्री आनन्द पाठक : महोदय, मंत्री जी द्वारा दिए गए उत्तर से पता चलता है कि मुख्य रूप से आधुनिकीकरण पर बल दिया गया है।

राष्ट्रीय कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण से काफी मजदूरों की छंटनी हो जाती है। आधुनिकीकरण कार्यक्रम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए व्यय किए जाते हैं परन्तु इसके साथ ही रोजगार गारंटी कार्यक्रम को जिसके द्वारा रोजगार के अवसर पैदा किये जाते हैं कोई महत्व नहीं दिया गया है। बहुत अधिक जनशक्ति बेकार पड़ी है। मैं इसी प्रश्न पर आ रहा हूं। हमारी राय में रोजगार उन्मुख कार्यक्रम को सुदृढ़ किया जाए और इससे अधिक गहन बनाया जाए। परन्तु हम देखते हैं कि बहुत से मजदूरों की छंटनी की जा रही है।

मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार छंटनी किये गये मजदूरों को बदले में रोजगार उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए तैयार है क्योंकि केवल मुआवजे के भुगतान से बेरोजगारी की समस्या, जो निरन्तर बढ़ती जा रही है, हल नहीं होगी। मेरा सीधा प्रश्न यही है।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, मैं पहले वाले प्रश्न के उत्तर में इसका जवाब दे चुका हूं। फिर भी, माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं यह और बताना चाहता हूं कि हम क्रम बद्ध ढंग से इसे करने जा रहे हैं। हमारे अध्ययन अनुसार यदि हमने उपरोक्त कदम उठाये तो मजदूरों को मुआवजे के भुगतान में लगभग 78 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। इस प्रकार सभी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है।

श्री हरूभाई मेहता : क्या माननीय मंत्री महोदय इस पर ध्यान रखेंगे कि मुआवजे का भुगतान नौकरी का विकल्प नहीं है और यदि कोई सुव्यवस्थीकरण आवश्यक है तो देखा जाये कि उससे किसी को कठिनाई न हो। इस समय जब पूर्ण कपड़ा नीति की समीक्षा हो रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार करेंगे कि ऐसा किये जाने तक कपड़ा मजदूरों की छंटनी पर रोक लगा दी जाए ? एक स्पष्ट आश्वासन दिया जाए कि जब तक नीति में संशोधन नहीं हो जाता सरकार राष्ट्रीय कपड़ा निगम के मजदूरों की छंटनी पर रोक लगाएगी ? क्या सरकार इस पर विचार करेगी कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण सीधा छंटनी करने की बजाए वैकल्पिक रोजगार देने विद्युत चालित करघों को लगाने तथा वैकल्पिक रोजगार के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु पहले से व्यवस्था की जाए।

श्री पी० ए० संगमा : मैंने आपके सुझाव को नोट कर लिया है।

श्री उत्तम राठौड़ : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : महोदय, हो सकता है। परन्तु मैं कैसे जान सकता हूं कि आपका प्रश्न अधिक महत्वपूर्ण है और उनका महत्वपूर्ण नहीं है। उनका प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपका। मैं एक महत्वपूर्ण सदस्य और दूसरे में अन्तर नहीं करता हूं।

श्री ललित माकन : अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार बिरला मिल को, जिसकी दशा बहुत खराब है, अपने हाथ में लेने पर विचार कर रही है; विशेषरूप से इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि दिल्ली महानगर परिषद ने इस मिल का सरकार द्वारा राष्ट्रीयकरण किए जाने की सिफारिश करते हुए पिछले वर्ष एक संकल्प पारित किया था।

श्री पी० ए० संगमा : महोदय, हमें बहुत से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। माननीय सदस्य इस बारे में मुझ से कई बार मिल चुके हैं। अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है।

श्री लंका में जातीय हिंसा की समस्या का हल

*64. **श्री उत्तम राठौड़ :**
श्री कमल नाथ : } क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान श्रीलंका के कुछ क्षेत्रों में उत्पन्न हाल की हिंसात्मक घटनाओं की ओर आकर्षित किया गया है जिन से भारत मूल के अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उस देश में जातीय हिंसा संबंधी समस्या को सुलझाने हेतु श्रीलंका सरकार की सहायता करने के लिए कोई नये कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर श्रीलंका सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : सरकार का अब भी यही दृढ़ मत है कि श्रीलंका में अर्से से जो जातीय समस्या चली आ रही है उसे राजनीतिक समाधान से ही सुलझाया जा सकता है, सैनिक समाधान से नहीं। सरकार श्रीलंका की सरकार से सम्पर्क बनाए हुए है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

पटसन उत्पादों का निर्यात

*65. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(क) क्या सरकार का विचार पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष अधिक पटसन उत्पादों का निर्यात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनका कितनी मात्रा में निर्यात किया जायेगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) . (क) से (ग) : पटसन माल का निर्यात अप्रैल-सितम्बर, 1984 के दौरान 141.01 करोड़ रु० का था जबकि 1983 की उसी अवधि के दौरान 90.77 करोड़ रु० का था। आशा है कि वित्तीय वर्ष 1984-85 के दौरान पटसन माल का निर्यात 1983-84 के दौरान किये गए 163.71 करोड़ रु० मूल्य के 233.500 मे० टन के निर्यात की तुलना में 275.00 मे० टन का होने की संभावना है जिसका मूल्य 300 करोड़ रु० से भी अधिक होगा। तथापि, कच्चे पटसन की उच्च कीमतों के परिणामस्वरूप पटसन माल की उत्पादन लागत भी तेजी से बढ़ी है जिससे निर्यातकों के लिए प्रतियोगी कीमतों की पेशकश करके विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धा करना कठिन हो गया है। इसके अलावा, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में संश्लिष्टों तथा अन्य उत्पादक देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा है।

सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा कम करना

*66. **श्री भोला राउत :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिविल सेवाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा को 28 वर्ष से घटा कर 26 वर्ष कर दिया गया है;

(ख) क्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1979 में आयु सीमा 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो 28 वर्ष की आयु सीमा में आने वाले पात्र उम्मीदवारों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) . (क) से (ग): वर्ष 1979 में सिविल सेवा परीक्षा की नई योजना लागू करते समय सरकार ने अधिकतम आयु सीमा को 26 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दिया था, हालांकि कोठारी समिति और संघ लोक सेवा आयोग ने उस समय की 26 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा को ही बनाए रखने की सिफारिश की थी। इसके बाद, भारत में सिविल कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद और संघ लोक सेवा आयोग ने यह सूचित किया कि उच्चतर आयु सीमा का सेवाओं की आवश्यकताओं के लिए नए भर्ती वाले कर्मचारियों को उपयुक्त ढंग से प्रशिक्षित करने तथा ढालने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। संघ लोक सेवा आयोग ने यह सलाह दी कि अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 26 वर्ष कर दिया जाए। इस मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद, अक्तूबर, 1983 में यह निर्णय किया गया था कि अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 26 वर्ष कर दिया जाए और इसे 1985 की परीक्षा से प्रभावी किया जाए ताकि इच्छुक उम्मीदवारों को उच्चतर आयु सीमा के साथ परीक्षा में बैठने का कम से कम एक और अवसर मिल सके। इस निर्णय का व्यापक प्रचार भी किया गया था। 26 वर्ष की घटाई गई अधिकतम आयु सीमा को किसी अन्य बाद की तारीख से लागू करने के लिए प्राप्त हुए और अभ्यावेदनों पर आगे विचार करते हुए, सरकार ने अब यह निर्णय किया है कि घटाई गई यह आयु सीमा 1985 की परीक्षा से नहीं बल्कि 1986 की परीक्षा से लागू होगी।

श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुओं पर हमला

*67. **श्री के० टी० कोसलराम :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान श्रीलंका की नौसेना ने रामेश्वरम् समुद्रतट के समीप भारतीय जल सीमा में निहत्थे भारतीय मछुओं पर कितनी बार हमला किया और उनमें कितनी जानें गई तथा कितने मछुए लापता है; और

(ख) श्रीलंका की नौसेना द्वारा भारतीय मछुओं को इस प्रकार मारने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) पिछले दो वर्षों में ऐसी कई वारदातें हुई है जबकि श्रीलंका की नौसेना की नौकाओं ने रामेश्वरम के तट के करीब भारत के प्रादेशिक समुद्र में निहत्थे भारतीय मछेरों पर हमला किया है।

(1) 1983 में ऐसी 9 वारदातों की सूचना मिली थी।

(2) 1984 में ऐसी 12 वारदातों की सूचना मिली थी।

(3) 1984 के शुरू में मछली पकड़ने वाली चार नौकाओं के कप्तानों को पकड़ लिया गया था जो कि अब भी श्री लंका में है 11 अक्तूबर, 1984 को 17 कप्तानों को उनकी नौकाओं के साथ पकड़ लिया गया था और वे अब भी श्री लंका में बंदी है।

(4) पिछले दो महीनों में दो अलग-अलग वारदातों में तीन मछेरे मारे गए हैं।

(5) 11 जनवरी को श्रीलंका की एक गश्ती नौका भारत की प्रादेशिक सीमा के काफी भीतर आकर हमारे मछेरे को काफी परेशान कर रही थी और उनसे उनकी मछलियाँ और जाल छीन रही थी। यह नौका और उसके कर्मीदल के सात सदस्य भारत की हिरासत में हैं।

(ख) हमारे तटरक्षकों ने गश्त तेज कर दी है। नौसेना से भी सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

हमने श्रीलंका की सरकार से कई बार सख्त विरोध प्रकट किया है और हमारे प्रादेशिक समुद्र में अवैध रूप से प्रवेश करने की बार-बार की इन घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त की है। हमने श्रीलंका की सरकार से यह भी कहा है कि वे हमारी नौकाओं और उनके कप्तानों को फौरन रिहा कर दे तथा जान-माल का जो नुकसान किया गया है उसका खामियाजा दे।

पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को पुनः आरम्भ करना

*68. **श्री सैफुद्दीन चौधरी :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से पश्चिम बंगाल में रुग्ण उद्योगों को पुनः आरम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रकार की सहायता देने के लिए कितने पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) भारत सरकार द्वारा कितने मामलों में कार्रवाई की गई है; और

(ग) कितने मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गयी है तथा उसके क्या कारण है ?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) । (क) भारत सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा पश्चिम बंगाल में रुग्ण एककों को पुनर्स्थापना करने के बारे में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री से समय-समय पर अनेक पत्र प्राप्त हुए है । ऐसे पत्रों की सही—सही संख्या बता पाना संभव नहीं हो सकेगा ।

(ख) और (ग) . सरकार ने वर्तमान नीति के अनुसार राष्ट्रीयकरण सहित इन एककों का अन्तिम निपटारा करने के लिए विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रख कर इन मामलों में कार्रवाई की है ।

[हिन्दी]

हिमाचल क्षेत्र की कला और संस्कृति के संरक्षण के लिये पृथक प्राधिकरण

*69 श्री हरीश रावत । क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल क्षेत्र की कला और संस्कृति के संरक्षण और पुरातत्व कालीन वस्तुओं के परिरक्षण के लिए एक पृथक प्राधिकरण बनाने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं , तो इन क्षेत्रों की धरोहरों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) । (क) और (ख). सरकार के पास इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) तथापि, हिमालय क्षेत्र की विशिष्ट जरूरतों के बारे में इस विभाग को जानकारी है । इस विभाग के अन्तर्गत संस्थाओं द्वारा विरासत के संरक्षण के लिए अपने कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए हैं । ये हैं :

(i) क्षेत्र की प्रदर्शन कलाओं के विभिन्न स्वरूपों का प्रलेखन;

(ii) प्रदर्शन कलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन;

(iii) संग्रहालयों में इस क्षेत्र के लोक संगीत वाद्यों और अन्य कलावस्तुओं का परिरक्षण;

(iv) इस कार्यकलापों की प्रोन्नति में लगे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ;

(v) स्मारकों/चित्रों का संरक्षण और परिरक्षण;

(vi) पाण्डुलिपियों का संग्रह;

(vii) भित्तिचित्रों का प्रलेखन; और

(viii) साहित्य का प्रकाशन

[अनुवाद]

श्रीमती इन्दिरा गांधी का निधन होने पर अस्थिरता भारत में पैदा हो जाने संबंधी अमरीकी विदेश विभाग द्वारा एक अध्ययन

*70 श्रीमती गीता मुखर्जी । क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय की ओर दिलाया गया है कि अमरीकी विदेश विभाग ने इस बात का पता लगाने हेतु एक अध्ययन करने का आदेश दिया था कि यदि श्रीमती गांधी का अचानक निधन हो जाये तो भारत में किस हद तक अस्थिरता पैदा हो जायेगी;

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त रिपोर्ट की प्रतियाँ/पाण्डुलिपि भारत सरकार के पास भिजवाने के लिये वाशिंगटन स्थित भारतीय दूतावास को उपलब्ध कराई गई थी; और

(घ) यदि हाँ, तो उक्त रिपोर्ट भारतीय दूतावास को कब मिली थी और वह भारत में कब प्राप्त हुई तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) । (क) भारत सरकार को इस बात की जानकारी है कि अमरीकी विदेश विभाग ने ऑस्टिन में टैक्सास यूनिवर्सिटी में सरकार के प्रोफेसर राबर्ट एल० हार्डग्रेव को यह काम सौंपा था कि वे अगले पांच वर्ष में भारत में सामाजिक, राजनीतिक और वैदेशिक नीतियों की सम्भावित प्रवृत्तियों पर एक अध्ययन तैयार करवें । इस अध्ययन में जिन विभिन्न स्थितियों पर विचार किया गया है उनमें एक यह भी है श्रीमती गांधी की अगर अचानक मृत्यु हो जाए तो भारत की राजनीतिक स्थिति क्या होगी ।

(ख) जिस अध्याय में श्रीमती इंदिरा गांधी की अचानक मृत्यु की बात पहले ही कही गई है, सरकार उसे बहुत घिनौना समझती है। इसमें कोई शक नहीं कि इससे मन में अनेक सवाल पैदा होते हैं।

(ग) और (घ) : सान फ्रांसिसको में हमारे प्रधान कौंसल को सितम्बर, 1983 में इस पांडुलिपि का एक अंश प्रा० हार्डग्रेव से प्राप्त हुआ था। अंतिम पांडुलिपि का एक अंश मार्च 1984 के पहले हफ्ते में प्रो० हार्डग्रेव से वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास को डाक से मिला था। बाकी हिस्से एक हफ्ते बाद आए। राजदूतावास ने इस पांडुलिपि की एक प्रति सामान्य तारीके से 12 मार्च, 1984 को मंत्रालय में एक कनिष्ठ अधिकारी के नाम भेजी थी।

दुर्भाग्य से उस समय इस पांडुलिपि को बहुत सावधानी के साथ नहीं पढ़ा गया। इस सिलसिले में जो चूक हुई है उस पर हम गौर कर रहे हैं। बहरहाल हम इस बात के लिए भी कदम उठा रहे हैं कि मंत्रालय में फिर कभी इस प्रकार की चूक न हो।

बाद की घटनाओं की रोशनी में सरकार इस बात पर भी विचार कर रही है कि किन परिस्थितियों में यह अध्ययन करवाया गया और इसके निहितार्थ क्या थे।

गैस-सिलेण्डरों की कमी

*71. श्री नवीन रावणी : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में ऐसे कितने औद्योगिक एकक हैं जो गैस-सिलेण्डरों का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रतिवर्ष गैस के कितने सिलेण्डर बनाये जाते हैं;

(ख) क्या अब भी गैस-सिलेण्डरों की कमी है और गैस कनेक्शन प्राप्त करने वालों की लम्बी पंक्ति है; और

(ग) सरकार तत्सम्बन्धी मांग को पूरा करने हेतु गैस सिलेण्डरों का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठा रही है?

रसायन और उर्वरक तथा उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) एल०पी०जी० सिलेण्डरों का निर्माण करने वाले संगठित क्षेत्र में 33 एकक हैं और उनका उत्पादन 1983 में 19.45 लाख तथा 1984 में (जनवरी से नवम्बर) 31.71 लाख रहा है।

(ख) पैट्रोलियम विभाग ने बताया है कि देश में गैस-सिलेन्डरों की कोई कमी नहीं है। देश में एल०पी०जी० सिलेन्डरों के उत्पादन और उनके भरने की क्षमता की उपलब्धता के आधार पर तैयार किये गये पंजीकरण कार्यक्रम के अनुसार कनेक्शन दिए जाते हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन वृद्धि

*72. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संघ और कुछ भूतपूर्व संसद सदस्य काफी समय से यह मांग कर रहे हैं कि मूल्यों में वर्तमान वृद्धि को देखते हुए, स्वतंत्रता सेनानियों और स्वतंत्रता सेनानियों की विधवाओं को वर्तमान पेंशन जो इस समय क्रमश: 300 रुपए और 250 रुपए है में वृद्धि करके प्रत्येक के लिए पांच सौ रुपए कर दी जाये;

(ख) क्या स्वतंत्रता सेनानियों के लिये गठित-गैर सरकारी सलाहकार समिति ने भी सर्व सम्मति से इस प्रकार की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को ऐसा करने में क्या कठिनाई है और इस मांग को स्वीकार न करने का औचित्य क्या है?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग). सरकार को स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की मासिक राशि में वृद्धि करने के लिए समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। केन्द्रीय स्तर पर स्वतंत्रता सेनानियों की गैर-सरकारी सलाहकार समिति ने 21-7-1984 को हुई अपनी बैठक में योजना के अधीन वर्तमान पेंशन की राशि को 300 रुपए प्रति मास से बढ़ाकर 500 रुपए प्रतिमास करने की सिफारिश की थी। इस विषय में सरकार द्वारा और आगे विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुदाल जांच आयोग की अन्तरिम रिपोर्ट

*73. श्री चित्त महाटा
डा० कृपासिन्धु भोई } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुदाल जांच आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का विचार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग) . अन्तरिम रिपोर्ट का सरकार अध्ययन कर रही है ।

अमरीकी प्रतिनिधियों का दौरा

*74 श्री बी० बी० देसाई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के कुछ प्रतिनिधियों ने भारत का दौरा किया था और भारत के प्रधान मंत्री से मिले थे; और

(ख) यदि हां, तो उन विशिष्ट व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्होंने किन विषयों पर चर्चा की थी ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) और (ख) . अमेरिका के कई प्रतिनिधि जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए हुए हैं, भारत आए थे और उन्होंने प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी । इन मुलाकातों में मुख्य रूप से अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की सामान्य समीक्षा तथा द्विपक्षीय मामलों से सम्बद्ध विषयों पर विचार विमर्श हुआ ।

विवरण

1. जार्ज शुल्ट्ज अमरीका के विदेश मंत्री . .	2—4 नवम्बर, 1984
2. सेनेटर क्लेबोर्न पैल की भारत यात्रा . .	27 नवम्बर, 1984
3. सेनेटर नुन, मलेंस, सासेर और जान्स्टन . .	29 नवम्बर से 1 दिसम्बर, 1984 तक
4. सेनेटर चार्ल्स पर्सी	2—4 जनवरी, 1985
5. सेनेटर प्रेसलर	8—11 जनवरी, 1985
6. डा० हेनरी किसींजर, भूतपूर्व विदेश मंत्री . .	17—19 जनवरी, 1985

विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी

*75. श्री मूल चन्द डागा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी की प्रवृत्ति देखी गयी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 और 1984 के दौरान अलग-अलग कितने विदेशी पर्यटक भारत आये और वर्ष 1985 के दौरान कितने पर्यटकों के आने की संभावना है; और

(ग) पर्यटकों की संख्या में कमी होने के क्या कारण हैं और उसको बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) से (ग) . 1981 से लेकर पिछले कुछ वर्षों के दौरान, पाकिस्तान और बंगलादेश के राष्ट्रिकों को छोड़ते हुए, पर्यटक-आगमन इस प्रकार हैं :

वर्ष	पर्यटक आगमन
1981	853,148
1982	860,178
1983	884,731
1984	852,503

2. देश के कुछ भागों में और पड़ोसी देशों में भी गड़बड़ी के हालात और विदेशों में प्रतिकूल प्रचार के कारण 1984 में पर्यटक आगमन में थोड़ी कमी आई थी। तथापि, विभाग द्वारा और साथ ही साथ विदेश-स्थित हमारे दूतावासों द्वारा प्रतिकूल प्रचार को प्रभावहीन करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं और यह उम्मीद है कि 5891 के दौरान स्थिति सुधर जाएगी।

3. पर्यटक भेजने वाली प्रमुख मार्किटों में भारत की पर्यटन-क्षमता के बारे में बेहतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए विभाग विदेशों से मीडिया के प्रतिनिधियों को भारत की यात्रा करने, फिल्में तैयार करने तथा मैगजीनों और समाचार-पत्रों में लेख लिखने के लिए आमंत्रित करता है। इसके अतिरिक्त, विभाग चुने हुए यात्रा-अभिकर्ताओं और यात्रा परिचालकों को भारत में पर्यटक अभिरुचि के विविध स्थानों की परिचायक यात्राओं पर भी आमंत्रित करता है ताकि वे संभावी पर्यटकों को मार्किटिंग करने के लिए समुचित यात्रा-सूत तैयार कर सकें।

4. सरकार ने टूरिस्ट चार्टरों को भारत आने और दिल्ली, बम्बई मद्रास तथा कलकत्ता के चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डों और गोआ तथा त्रिवेन्द्रम में भी उतरने की अनुमति देने का भी निर्णय किया है। इससे, यह आशा की जाती है, कि भारत की यात्रा करने के लिए और अधिक बजट-पर्यटक आकर्षित होंगे।

कोणार्क में ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम की व्यवस्था आरम्भ करना

*76. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या [प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने कोणार्क में ध्वनि-प्रकाश व्यवस्था आरम्भ करने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या तत्संबंधी मंजूरी दे दी गयी है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार इस अनुरोध पर पुनर्विचार करने का है ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग और इसके विशेषज्ञ निकाय केन्द्र द्वारा संरक्षित स्मारकों में ध्वनि-प्रकाश के उन कार्यक्रमों को मंजूरी देने पर विचार करते हैं जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप के होते हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम में इन स्मारकों से सम्बद्ध घटनाओं का अनुक्रम प्रामाणिक होना चाहिए। कोणार्क का सूर्य मन्दिर एक धार्मिक स्मारक है और इसमें घटनाओं का ऐसा कोई अनुक्रम नहीं है जिनसे इन्हें ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम द्वारा व्यक्त करने के लिए अनुमति देने का औचित्य सिद्ध होता हो।

इसके अतिरिक्त, स्मारक इतनी जर्जरावस्था में है कि ध्वनि-प्रकाश कार्यक्रम के प्रस्ताव पर विचार करने से पूर्व इसकी मरम्मत की आवश्यकता है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

टेलीविजन निर्माताओं द्वारा अधिक मूल्य लिया जाना

165. **श्री अमर सिंह राठवा**
श्री विजय कुमार यादव } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कतिपय टेलीविजन निर्माताओं पर अधिक मूल्य लिये जाने की शिकायत की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अन्तरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) एकाधिकार एवं प्रतिबंधनकारी व्यापार पद्धति आयोग ने हाल ही में 44 विनिर्माताओं/विक्रेताओं को जांच के लिए "नोटिस" दिया है। मामले की छानबीन की जा रही है।

उद्योग लगाने के लिए उड़ीसा को जारी किये गये आशय पत्र

166. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी, गैर सरकारी और संयुक्त क्षेत्रों में उद्योग चलाने के लिये उनके मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को कितने आशय पत्र जारी किये गये और उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे कितने उद्योग हैं जिनमें आशय पत्र जारी किये जाने के बावजूद काम प्रारम्भ नहीं हो सका है ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उड़ीसा सरकार और उनके मंत्रालय द्वारा ऐसे उद्योग लगाने के लिए क्या उपाय किये गये हैं, जिनके लिये आशय पत्र जारी किये जा चुके हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 1980-81 से 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) के दौरान उड़ीसा राज्य में सरकारी और गैर-सरकारी तथा संयुक्त क्षेत्र में उद्योगों को स्थापना करने के लिए उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अधीन 133 आशयपत्र स्वीकृत किए गए थे। जारी किए गए आशय पत्रों से सम्बन्धित ब्यौरा अर्थात् उपक्रम का नाम और पता, विनिर्माण की वस्तु, क्षमता तथा स्थापना स्थल भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा अपने "मंथली न्यूज लैटर" में नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रकाशन की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में नियमित रूप से भेजी जा रही हैं।

(ख) और (ग). एक आशयपत्र एक वर्ष की आरम्भिक वैधता अवधि के लिए स्वीकृत किया जाता है और पर्याप्त औचित्य होने पर वैधता अवधि 6-6 महीने बढ़ाए जाने के लिए 2 बार अनुमति दी जा सकती है। उद्यमी द्वारा आशयपत्र की शर्तें पूरी कर दिए जाने पर इसे औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया जाता है। औद्योगिक लाइसेंस की आरम्भिक वैधता अवधि 2 वर्ष होती है और जिसके लिए पर्याप्त औचित्य होने पर एक-एक वर्ष का समय बढ़ाने की 2 बार अनुमति दी जा सकती है। आशयपत्र जारी होने के बाद औद्योगिक परियोजना को फलीभूत होने में लगभग 3 से 4 वर्ष लग जाते हैं। किन्तु, पनपने की वास्तविक अवधि हर उद्योग में अलग-अलग होती है।

वर्ष 1980-81 से 1984-85 (दिसम्बर, 1984 तक) में जारी किए गए 133 आशयपत्रों में से 26 आशयपत्रों को औद्योगिक लाइसेंस में बदल दिया गया है, जबकि 21 आशयपत्र अब व्यपगत समझ लिए गए हैं। शेष आशयपत्र कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में होंगे।

(घ) सरकार उन सभी औद्योगिक परियोजनाओं, जिनके लिए आशयपत्र/लाइसेंस जारी किए गए हैं, के शीघ्र कार्यान्वयन करने का सुनिश्चय कर लेने के लिए इच्छुक है। इसे ध्यान में रखते हुए, प्रशासनिक मंत्रालयों और राज्य सरकारों से आशयपत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों की प्रगति की मॉनीटरिंग करने के लिए अपने प्रशासनिक तंत्र का पुनर्गठन करने तथा उसे सुदृढ़ बनाए जाने तथा उद्यमियों को परियोजनाओं का यथाशीघ्र ही कार्यान्वयन करने में मदद देने के लिए कहा गया है।

अन्टार्कटिका में क्रिल मछली पकड़ना

167. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महासागर विकास विभाग का अन्टार्कटिका में क्रिल मछली पकड़ने को बढ़ावा देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अन्टार्कटिका के पिछले तीन अभियानों के दौरान क्रिल मछलियों के कुछ नमूने पहले ही भारत में लाए गए हैं। 1985-86 में क्रिल मछलियों को बड़ी मात्रा में भारत लाने के लिए हाल ही में प्राप्त मत्स्य तथा समुद्र वैज्ञानिक अनुसंधान जलयान "सागर सम्पदा" को उपयोग में लाने का प्रस्ताव है। इसे मनुष्य/पशु के आहार के रूप में उपयोग में लाने की सम्भाव्यता पर उसके बाद विचार किया जाएगा।

हिन्द महासागर में गहरे सागर खनन

168. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्द महासागर में गहरे सागर खनन के विकास के बारे में सरकार की क्या नीति है; और

(ख) इस दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख). महासागर नीति विवरण में प्रतिपादित महासागर नीति के अनुसरण में, केन्द्रीय हिन्द महासागर में बहुधात्विक पिण्डों की विस्तृत खोज का कार्य राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोआ द्वारा किया जा रहा है । यह परियोजना महासागर विकास विभाग द्वारा प्रायोजित की गई है। केन्द्रीय हिन्द महासागर के 30 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के क्षेत्र में विस्तृत सर्वेक्षण करने के बाद, 2 खनन स्थलों का पता लगाया गया है, जिनमें से प्रत्येक 150,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के हैं और लगभग बराबर वाणिज्यिक महत्व के हैं। भारत, जिसे अग्रगामी निवेशक के रूप में स्वीकार किया जा चुका है, ने हिन्द महासागर में अग्रगामी क्षेत्र के रूप में दो स्थलों में से एक स्थल का आबंटन किये जाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय समुद्र-तल प्राधिकरण के प्रारम्भिक आयोग को पहले ही एक आवेदन पत्र दाखिल कर दिया है । पर्यावरणीय आंकड़ों के एकत्रीकरण से सम्बन्धित कार्य सहित पिण्डों के खनन का अनुसंधान और विकास कार्य प्रारंभिक आयोग द्वारा भारत को खनन स्थल आबंटित किये जाने के पश्चात् हाथ में लिया जाएगा । बहुधात्विक पिण्डों से प्रयोगशाला पैमाने पर धातुएं (तांबा, निकल और कोबाल्ट) निकालना भी सम्भव हो गया है और इस प्रक्रिया को उन्नत किया जा रहा है ।

मालुकपोंग, अरुणाचल प्रदेश में औद्योगिक एस्टेट की स्थापना

169. **श्री पी० के० थुंगन** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश में मालुकपांग में एक औद्योगिक एस्टेट स्थापित करने का अरुणाचल प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिये कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है; और

(ग) प्रस्तावित योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

प्राचीन मूर्तियों तथा अन्य ऐतिहासिक वस्तुओं की चोरी

170. **श्री डूमर लाल बैठा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संस्कृति और इतिहास को दर्शाने वाली प्राचीन मूर्तियों तथा अन्य वस्तुओं आदि की चोरी हाल में काफी बढ़ गयी है; और

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान चोरी के कारण अथवा अन्यथा गायब हुई खोई वस्तुओं आदि का ब्यौरा क्या है तथा तत्संबंधी कारण क्या हैं और भविष्य में इस नुकसान को रोकने के लिये क्या उपाय किये गए हैं ?

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) पुरावशेषों की चोरियां समय-समय पर होती रहती हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में हुई पुरावशेषों की चोरियों की संख्या की एक राज्यवार सूची विवरण के रूप में संलग्न है और पुरावशेषों की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को नीचे दिया गया है :

(i) पुरावशेषों की निश्चित श्रेणियों का अनिवार्य पंजीकरण और उनके एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने जाने की सूचना पंजीकरण अधिकारी को देना;

(ii) पुरावशेषों का कार्य-व्यापार केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों तक ही सीमित कर दिया है;

(iii) पुरावशेषों के निर्यात पर प्रतिबंध;

(iv) पुरावशेषों के अवैध निर्यात को रोकने के लिए सीमा-शुल्क अधिकारियों की सहायता हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों और हवाई पत्तनों पर अधिकारियों की नियुक्ति;

(v) निर्यात से संबंधित वस्तुओं की जांच करने के लिए सलाहकार विशेषज्ञ समितियों का गठन और गैर-पुरावशेष प्रमाण-पत्र जारी करना;

(vi) पुरावशेषों को सुरक्षित रखने के लिए मूर्ति शेड और नवीन स्थल संग्रहालयों का निर्माण;

(vii) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा अबद्ध मूर्तियों का प्रलेखन;

(viii) महत्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों पर सशस्त्र पहरेदारों की तैनाती;

(ix) पहरा और निगरानी प्रबन्धों को मजबूत करना तथा मंडलों/महत्वपूर्ण संग्रहालयों में सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति; और

(x) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुरावशेष कक्ष खोलना।

विवरण

वर्ष 1980 से 1984 के दौरान पुरावशेषों की चोरी की संख्या की राज्यवार सूची

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1980	1981	1982	1983	1984	योग
1	आन्ध्र प्रदेश .	108	132	93	81	71	485
2	अरुणाचल प्रदेश .	..		..	6	..	6
3	असम . .	2	..	..	..	..	2
4	बिहार . .	7	..	..	..	5	12
5	गुजरात .	5	8	2	1	..	16
6	हरियाणा .	8	3	1	..	1	13
7	हिमाचल प्रदेश	14	9	23	38	37	116
8	जम्मू और कश्मीर	..	1	5	11	2	19
9	केरल .	26	20	10	3	1	60
10	कर्नाटक .	33	21	35	30	56	155
11	मध्य प्रदेश .	139	77	104	61	88	469
12	महाराष्ट्र .	7	11	9	23	39	89
13	मणिपुर . .	..	..	..	8	..	8
14	उड़ीसा . .	29	24	6	2	20	81
15	पंजाब . .	..	..	8	2	..	4
16	राजस्थान .	99	133	100	62	205	599
17	सिक्किम .	8	5	..	3	1	17
18	तमिल नाडु .	204	217	211	181	140	953
19	उत्तर प्रदेश .	112	175	98	129	185	699
20	पश्चिम बंगाल .	5	3	5		1	14
21	चंडीगढ़ . .	..	..	2	..	..	2
22	दिल्ली . .	63	11	2	4	9	89
23	गोआ, दमन और दीव	30	26	20	22	40	138
24	पांडिचेरी .	7	2	..	1	..	10
	योग .	906	878	728	668	896	4,076

असम के नेताओं से बातचीत

171. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असम समस्या का हल ढूंढने की दृष्टि से असम आन्दोलन के नेताओं से बातचीत पुनः आरम्भ करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या ऐसी कोई बातचीत चल रही है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी हां, श्रीमान । सरकार ने असम में विदेशी नागरिकों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए निमंत्रण भेजने का निर्णय किया है ।

(ख) आशा की जाती है कि बातचीत जल्दी की जाएगी ।

केरल का औद्योगिकरण

172. श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की केरल के औद्योगिकरण में तेजी लाने की कोई नई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख). विभिन्न जिलों का औद्योगीकरण मुख्य रूप से संबद्ध राज्य की जिम्मेदारी है । केन्द्रीय सरकार औद्योगिक दृष्टि से निर्धारित पिछड़े जिलों/क्षेत्रों से उद्योगों की स्थापना करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन और रियायतें देकर अपने प्रयत्नों को बढ़ाती है । केरल राज्य में निम्नलिखित जिलों को विभिन्न श्रेणियों में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा निर्धारित किया गया है :—

श्रेणी "क"	श्रेणी "ख"	श्रेणी "ग"
वायनाड	अल्लेप्पी	त्रिचूर
इडूक्की	कन्नानेरे	त्रिवेन्द्रम
	मालापुरम	

जिलों को स्वीकार्य प्रोत्साहन और रियायतें इस मंत्रालय के 7-9-1983 के प्रेस नोट के साथ पठित दिनांक 27-4-83 के प्रेस नोट सं० 4/1/81—बी० ए० डी० (खंड-3) में और "पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को प्रोत्साहन संबंधी पुस्तिका (केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय वित्तीय संस्थाएं) अप्रैल, 1984" में दी गई हैं, जिनकी प्रतियां संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

पिछले 3 वर्षों के दौरान, केरल में उद्योगों की स्थापना करने के लिए उद्यमियों को जारी किए गए आशय पत्रों तथा औद्योगिक लाइसेंसों और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरणों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	आशय पत्र	औद्योगिक लाइसेंस	तकनीकी विकास के महानिदेशालय के पंजीकरण
1982 . . .	29(15)	9(6)	14(9)
1983	35(25)	22(16)	24(10)
1984 . . .	5(3)*	20(11)	7(6)**

कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े केरल के पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को जारी किए गए आशय-पत्र, औद्योगिक लाइसेंस और तकनीकी विकास के महानिदेशालय में पंजीकरणों की संख्या को दर्शाते हैं ।

*नवंबर, 1984 तक

**सितंबर, 1984 तक

जहरीली गैसें छोड़ने वाले कारखानों की स्थापना विनियमित करने संबंधी नियम

173. **श्री आनन्द सिंह :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घनी आबादी वाले शहरों के निकट जहरीली गैसें छोड़ने वाले कारखानों की स्थापना को विनियमित करने संबंधी नियम क्या है ;

(ख) क्या आबादी वाले शहरों में और उनके आसपास इस प्रकार के कारखानों की स्थापना को विनियमित करने के लिए कोई केन्द्रीय तन्त्र है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) फैक्टरी अधिनियम (1948) तथा औद्योगिक लाइसेंसिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ साथ इस उद्देश्य के लिए व्यवस्थापकीय ढांचा बनाया गया है ।

(ख) तथा (ग): उनके लिए जो औद्योगिक लाइसेंसिंग सीमा के अन्तर्गत आते हैं, औद्योगिक विकास विभाग केन्द्रीय अभिकरण है जबकि अन्य उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर उद्योग निदेशालय है । उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम एवं नियमों के अनुसार मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं तथा उसके अन्तर्गत नियम बनाए गए हैं । कारखाना अधिनियम की धारा 61 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को कारखानों के लिए स्थान निर्धारण करने का अधिकार दिया गया है ।

पहाड़ी राज्यों में इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना

174. **प्रो० सैफुद्दीन सोज़ :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने वायदा किया था कि प्रदूषण मुक्त होने के कारण जम्मू तथा कश्मीर राज्य सहित पहाड़ी राज्यों मे इलेक्ट्रानिक उद्योगों की स्थापना की जायेगी ;

(ख) क्या सरकार का विचार उस वक्त वायदे को कार्यान्वित करने का है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार बारामूला (कश्मीर) मे, जोकि एक पिछड़ा जिला है, इस प्रकार के उद्योग स्थापित करने का है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । किन्तु, समूचे जम्मू तथा कश्मीर राज्य (जिसमें बारामूला जिला भी शामिल है) को श्रेणी "क" के पिछड़े जिले के रूप में अधिसूचित किया गया है और उद्योगों की स्थापना के लिए यह दल का विशेष प्राथमिकता का हकदार है । साथ ही इन इकाइयों को ऐसी इकाइयों को दिए जाने वाले अन्य आर्थिक प्रोत्साहन भी उपलब्ध होंगे ।

परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से ऊर्जा की मांग

175. **श्री चिन्तामणि जेना**
श्री नवीन रावणी : } : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा केन्द्रों से देश की ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं पूरी करने हेतु द्रुत कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ख) देश में परमाणु ऊर्जा के कितने केन्द्र हैं और वे कहां-कहां पर स्थित हैं और प्रत्येक केन्द्र से प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में उर्जा का उत्पादन हो रहा है;

(ग) क्या देश मे ऐसे और विद्युत केन्द्र लगाने की योजना बनाई गई है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आएगी, तथा ये केन्द्र कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ; और

(ङ) सरकार परमाणु ऊर्जा केन्द्रों के खराब होने तथा उनके आस-पास के क्षेत्रों को आणविक प्रभाव से बचाने हेतु रोकने के लिये क्या सुरक्षोपाय कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) तारापुर (महाराष्ट्र) में दो रिऐक्टर यूनिट, कोटा (राजस्थान) में दो यूनिट और कलपाक्कम (तमिलनाडु) में एक यूनिट लगाए गए हैं। राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट एक एंड शील्ड के रिस जाने के कारण 4 मार्च, 1982 से बंद चला आ रहा है। आशा है कि मद्रास परमाणु बिजलीघर का दूसरा यूनिट इस वर्ष चालू हो जाएगा। वर्ष 1984 में उपर्युक्त यूनिटों ने क्रमश: 1776.47 मिलियन यूनिट, 995.15 मिलियन यूनिट और 1264.25 मिलियन यूनिट बिजली का सकल उत्पादन किया।

(ग) जी हां।

(घ) इस शताब्दी के अन्त तक दाबित भारी पानी किस्म के 12 ऐसे रिएक्टर जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 235 मेगावाट होगी और उसी किस्म के 10 ऐसे रिऐक्टर जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी लगाने का प्रस्ताव है। सन् 1983 के मूल्य-स्तर पर 235 मेगावाट क्षमता के ऐसे दो यूनिटों की लागत 530 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया है। 500 मेगावाट क्षमता के ऐसे दो यूनिट की लागत 1000 करोड़ रुपये बैठती है। आशा है कि इन यूनिटों को इस शताब्दी के समाप्त होने से पहले चालू कर दिया जाएगा।

(ङ) जन-सामान्य और संयंत्रों में काम करने वाले कार्मिकों की सुरक्षा के लिए परमाणु बिजलीघरों मे बहुमुखी व्यवस्था अपनाई जाती है। संयंत्र-स्थल के ईर्द-गिर्द 1.6 किलोमीटर के अर्द्ध-व्यास में पड़ने वाले पूरे क्षेत्र का अधिग्रहण बिजलीघर द्वारा कर लिया जाता है और उसे क्षेत्र को बाड़ लगाकर घर दिया जाता है। संयंत्र के ईर्द-गिर्द 5 किलोमीटर के अर्द्ध व्यास के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र में लोगों के बसने पर नियंत्रण रखा जाता है। संयंत्रों को ठंडा करने वाली प्रणाली, संचालन प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली और बचाव प्रणाली के डिजायन मे आंतरिक परिपूर्णता रखी जाती है। डिजायन बनाने, सामग्री का चुनाव करने, उपस्कर बनाने, संस्थापन-कार्यों और संयंत्र के प्रचालन के दौरान गुणता नियंत्रण संबंधी उपायों को सख्ती से लागू करना अपेक्षित रहता है। पर्यावरण में रेडियोसक्रियता की उन्मुक्त की जाने वाली मात्रा को लगातार मापा और नियन्त्रित रखा जाता है। दुःसंभाव्य दुर्घटना हो जाने की स्थिति में रेडियोसक्रियता को बाहर जाने से रोकने के लिए दोहरी संरोधन व्यवस्था की जाती है जिसमे पूर्वबलित कंक्रीट की एक बिल्कुल भी लीक न कर सकने वाली रिऐक्टर बिल्डिंग होती है जो अबलित कंक्रीट की एक और बिल्डिंग से ढक दी जाती है। प्रत्येक बिजलीघर में ऐसे स्वास्थ्य भौतिक विज्ञानी जो स्टेशनों में प्रबन्धकों के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होते हैं, सुरक्षा संबंधी सभी प्रकार के कार्यकलापों पर निगरानी रखते हैं।

नैना देवी में यात्री सराय का निर्माण

176. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में श्री नैनादेवी में निर्माणाधीन यात्री सराय (यात्री आवास विकास समिति के अनुरोध पर प्रारम्भ) अब तक पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कार्य किस तारीख को पूरा किया गया तथा इस पर कुल कितना व्यय किया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजना किस तारीख तक पूरी होने की संभावना है तथा इसकी अनुमानित लागत क्या है तथा इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; तथा परियोजना को किस तारीख को मंजूरी दी गई तथा निर्माण कार्य किस तारीख को प्रारम्भ किया गया?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) भारतीय यात्री आवास विकास समिति की प्रबंध समिति की सिफारिशों पर विभाग ने नैना देवी में 9.25 लाख रु० की अनुमानित लागत पर एक यात्रिका के निर्माण की परियोजना को अनुमोदित किया था। समिति ने इस यात्रिका के निर्माण के लिए एक बीघे और 16 बिसवे का एक प्लाट हासिल कर लिया था। समिति ने हमें और आगे सूचना दी है कि नैना देवी में यात्रिका के निर्माण के लिए कई बार टन्डर्स आमंत्रित किए गए थे लेकिन उन्हें संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अत: भारतीय यात्री आवास विकास समिति की प्रबंध समिति द्वारा आगे की कार्यवाही के लिए प्रस्ताव की दुबारा जांच की जायेगी।

नेहरू युवक केन्द्रों के लिये नया संगठनात्मक ढांचा

177\. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेहरू युवक केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये कोई नया संगठनात्मक ढांचा शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां तो इस नये ढांचे की मुख्य बातें क्या हैं तथा यह किस तारीख से शुरू किया गया है ?

युवा कार्य एवं खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सौर ऊर्जा का विकास

178\. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सौर ऊर्जा के विकास के संबंध में प्राप्त की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह ग्रामीण क्षेत्रों तथा विशेषरूप से आदिवासी क्षेत्रों में कितनी सहायक है ; और

(ग) इसको देश में लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) सौर ऊर्जा एक प्रकार से विशेषकर ग्रामीण, पहाड़ी और जनजाति वाले क्षेत्रों में ताप और विद्युत के रूप में विकेन्द्रीकृत प्रयोग के लिए एक प्राकृतिक स्रोत है। अपारंपारिक ऊर्जा स्रोत विभाग, सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय सहित अनुसंधान और विकास, आदि प्ररूप विकास प्रशिक्षण, प्रदर्शन और विस्तार के क्षेत्र में एक देशव्यापी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। अनुसंधान और विकास के प्रयत्नों के फलस्वरूप सैकड़ों सौर तापीय युक्तियों और प्रणालियों का विकास कर लिया गया है और वे देश में वाणिज्यिक रूप में उपलब्ध हैं। इनमें मुख्य रूप से सौर जल तापक (हीटर), सौर वायु तापक, सौर स्टिल, सौर भट्टियों, सौर फसल शुष्कक और सौर कुकर हैं। इनका अधिकता से प्रयोग किया जा रहा है। सौर मार्ग प्रणालियो, सौर प्रशीतन और वातानुकूलित प्रणालियों, सौर तापीय विद्युत उत्पादन प्रणालियों आदि के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास के प्रयत्न जारी हैं। ग्रामीण और जन जाति वाले क्षेत्रों पर विशेष जोर देते हुए, देशभर मे सैंकड़ों सौर तापन प्रणालियों की स्थापना की गई है।

सौर प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी जो कि विद्युत में सौर ऊर्जा का सीधा परिवर्तन करती है, की देशभर मे विभिन्न प्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण सम्भावनाएं हैं। जिन प्रयोगों का देश में प्रदर्शन किया गया है, उनमें मुख्य रूप से सिंचाई और पीने के पानी की आपूर्ति के लिए जल पम्पन, सामुदायिक और सड़कों की रोशनी, सामुदायिक दूरदर्शन और रेडियो सेट आदि हैं। प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के विभिन्न पक्षों पर देशभर में विभिन्न संस्थानों में अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सेन्ट्रल इलेक्ट्रानिक लिमिटेड, बी०एच०ई०एल० और अन्य संगठनों की सहायता से इस समय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा एक विशाल राष्ट्रीय सौर प्रकाशवोल्टीय ऊर्जा प्रदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम और राज्य विद्युत बोर्डों की सहायता से कार्यान्वित किए गए कार्यक्रम के अधीन प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों के द्वारा अबतक लगभग 50 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

(ख) ग्रामीण और जनजाति वाले क्षेत्रों में, जंगलों, ग्रामीण जनसंख्या का ग्रामों से शहरों में जाने पर रोक लगाने, उनको संचार और मनोविनोद की सुविधाओं को बढ़ाने, कृषि उत्पादन को बढ़ाने और अतिरिक्त रोजगार जुटाने से, ऊर्जा का उपयोग, सामाजिक आर्थिक और पर्यावरण की समस्याओं को हल करने में सहायता कर सकता है। सड़कों की रोशनी जलपम्पों और सामुदायिक दूरदर्शन सेटों की स्थापना के फलस्वरूप देश के बिना विद्युतीकरण वाले क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। सौर ऊर्जा के विस्तृत पैमाने पर उपयोग होने से आशा की जाती है कि व्यापक ग्रामीण समुदाय जो ईंधन के परम्परागत स्रोतों पर ही निर्भर करता है, ईंधन के स्थान पर सौर ऊर्जा के उपयोग से परम्परागत उपयोग में कमी आ सकती है अथवा वह दूर की जा सकती है। इसके अतिरिक्त दूर-दराज के ग्रामीण तथा जन जाति वाले इलाकों में महिलाओं एवं बच्चों की नीरसता में इससे कमी आ जाएगी।

(ग) प्रदर्शन, क्षेत्र-परीक्षण, प्रशिक्षण और लोकप्रियता के प्रयोजन के लिए देशभर में विभिन्न सौर ऊर्जा प्रणालियों और युक्तियों की स्थापना की जा रही है। इस प्रकार की प्रणालियां आर्थिक सहायता प्राप्त मूल्य पर दी जा रही हैं। संबंधित राज्य और जिला स्तर की एजेन्सियां ऊर्जा के नए और नवीकरणीय स्रोतों के क्षेत्र में प्रदर्शन के

कार्यान्वयन/विस्तार कार्यक्रमों में सहायता कर रही है। प्रदर्शनियों एवं जनता की सूचनाओं, इश्तहारों, परचों, सूचना-वृत्तपट्टों, चित्रों के संचयन और उन्हें इधरउधर दिखा कर भी ऊर्जा को लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

नई वन नीति

179. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नई वन नीति के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) वनों के आस-पास रहने वाले आदिवासियों के संबंध में वन नीति की मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग), राष्ट्रीय वन नीति संबंधी प्रारूप पर सरकार अभी विचार कर रही है।

आई० टी० डी० ए० माइक्रो परियोजना और एम० ए० डी० ए० क्षेत्र

180. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा राज्यवार, प्रारम्भ से वर्ष 1984 तक आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में कुल कितनी समेकित जनजाति विकास एजेंसियों, माइक्रो परियोजनाओं तथा संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण वाले क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है तथा भारत सरकार ने अब तक कितनी परियोजनाओं के संबंध में मंजूरी दी है तथा संबंधित परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं ;

(ख) इन कार्यक्रमों के लिए योजनावार राज्यों को कितनी विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ;

(ग) राज्यों द्वारा तत्संबंधी योजनाएं बनाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) समयबद्ध तैयारी के लिये उनके मंत्रालय द्वारा तथा उन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) समेकित जनजाति विकास एजेंसियों, माइक्रो परियोजनाओं तथा संशोधित क्षेत्रीय विकास दृष्टिकोण वाले क्षेत्रों की संख्या और जो 31 दिसम्बर, 1984 तक अंतिम रूप देने के लिए लम्बित पड़े हैं, उनकी संख्या अनुलग्नक-I मे दी गई है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 172/85**]

(ख) ब्यौरे अनुलग्नक-II में प्रस्तुत किये जाते हैं। [**ग्रंथालय में रखागया। देखिएसंख्या एल०टी० 172/85**]

(ग) व्यापक योजनाएं तैयार करने मे विलम्ब मुख्यत: पर्याप्त सूचना की कमी तथा उपयुक्त कर्मचारी उपलब्ध न होने के कारण होता है। लेकिन सभी मामलों में कोर योजनाओं को कार्यान्वित किया जाता है।

(घ) जनजाति उप-योजना क्षेत्रों के लिए राज्यों के योजना कार्यक्रमों पर गृह मंत्रालय और योजना आयोग में समय-समय पर राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है और उपयुक्त सुधारात्मक उपायों की सिफारिश की जाती है। पत्राचार व दौरों के जरिये मामले पर राज्य सरकारों के साथ भी विचार-विमर्श किया जाता है। राज्य सरकारों को समवर्ती प्रबोधन और सावधिक मूल्यांकन का भी सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

पटना हवाई अड्डे पर वायुयानों के रात में उतरने की सुविधायें

181. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना हवाई अड्डे पर वायुयानों के रात मे उतरने की सुविधाएं प्रदान करने संबंधी कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस हवाई अड्डे पर वायुयानों का रात मे उतरना सुनिश्चित करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ग) क्या इस हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) और (ख): इस समय पटना हवाई अड्डे पर मध्यम तीव्रता धावनपथ प्रकाश (मीडियम इन्टेंसिटी रनवे लाइट) और संक्षिप्त दृश्य उपगमन प्रवणता सूचक पुंजित विजुअल एप्रोच स्लोप इन्डीकेटर सिस्टम (अवासिस) की व्यवस्था है। ये सुविधाएं साफ मौसम में रात में विमानों के प्रचालन के लिए पर्याप्त हैं। इस वर्तमान व्यवस्था में और अधिक सुधार और उन्नयन करने के लिए निम्नलिखित अति-रिक्त सुविधाएं मंजूर की गई हैं :—

(1) मध्यम तीव्रता धावनपथ प्रकाश (मीडियम इन्टेंसिटी रनवे लाइट) को बदल कर उच्च तीव्रता धावनपथ प्रकाश (हाई इन्टेंसिटी रनवे लाइट) में करना।

(2) 3-बार अवासिस लगाना। इन सुविधाओं के दिसम्बर, 1985 तक उपलब्ध किए जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए अंतस्थ खंड (टर्मिनल ब्लाक) का निर्माण और धावनपथ का विस्तार पूरा हो गया है। एप्रेन क्षेत्र के विस्तार में इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार से आवश्यक भूमि प्राप्त करने में समय लगने के कारण देरी हुई।

[अनुवाद]

अंटार्टिका अध्ययन संस्थान

182. श्री मोहन लाल पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंटार्टिका अध्ययन संबंधी एक संस्थान की स्थापना का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो यह संस्थान कब और कहां स्थापित किए जाने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) अन्टार्टिका अध्ययन केन्द्र स्थापित करने पर गठित किए गए अध्ययन दल ने मुख्य केन्द्र दिल्ली में और एक संभार-तन्त्र सहायक आधार गोआ में स्थापित करने की सिफारिश की है। प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

संस्थाओं और राजनैतिक दलों को विदेशी अंशदान/दान

183. श्री चित्त महाटा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ भारतीय संस्थाएं और राजनैतिक दल विदेशी अंशदान/दान प्राप्त कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं और राजनीतिक दलों का विवरण क्या है और सरकार के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें कितनी राशि प्राप्त हुई है और दान देने वालों के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) कुछ भारतीय संस्थाएं विदेशी अंशदान/दान प्राप्त कर रही हैं, जबकि राजनैतिक दलों पर विदेशी अंशदान/दान प्राप्त करने के लिए विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के अधीन प्रतिबंध है।

(ख) राजनैतिक दलों के अलावा विभिन्न संस्थाओं/संघों से अब तक प्राप्त विदेशी अंशदान की विवरणियों के अनुसार तीन वर्षों 1980, 1981 और 1982 के दौरान उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अंशदान इस प्रकार है :—

प्राप्ति का वर्ष	रकम (रुपये)
1980	209,11,65,935
1981	230,46,73,318
1982	233,78,61,105

चूंकि हर वर्ष प्राप्तकर्ता संघों की संख्या बहुत अधिक है, इसलिए इस संबंध में विस्तृत सूचना देना व्यवहार्य नहीं है।

(घ) जब तक प्राप्तकर्ता संघ विदेशी अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं करते, तब तक सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है।

सातवीं योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट

184. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के विकास संबंधी कार्यदल ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने सातवीं योजना में आदिवासी क्षेत्रों के विकास संबंधी उप-योजना दृष्टिकोण-पत्र की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो कार्यदल द्वारा कौन सी नई संकल्पना और मानदण्ड सुझाए गए हैं और इस बारे में उनके मंत्रालय ने क्या टिप्पणी की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित सिफारिशें शामिल हैं :—

(i) गरीबी को कम करने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, वानिकी, कुटीर, ग्राम और लघु उद्योगों आदि के क्षेत्रों में उत्पादकता का स्तर बढ़ाना अनुवर्ती योजना के दौरान गरीबी की रेखा को पार करने के लिए आदिवासी परिवारों के लिए एक आधार की व्यवस्था करने हेतु उनको काफी संख्या में सहायता देने के अतिरिक्त 1989–90 तक गरीबी की रेखा पार करने के लिए कम से कम 40 लाख आदिवासी परिवारों को आर्थिक सहायता देने का प्रस्ताव है।

(ii) औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी जाएगी जिसमें झुकाव व्यवसायीकरण की ओर होगा।

(iii) भूमि हस्तांतरण, कृषि, काश्तकारी, महाजनी, बंधक मजदूरी और ऋण बंधकता, वानिकी, शराब की बिक्री, व्यापार और सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रों में शोषण की समाप्ति।

(iv) उत्पादन, गरीबी-विरोधी, शिक्षा शोषण विरोधी और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त बुनियादी व्यवस्था।

(v) विशेष समस्याओं का सामना कर रहे संवेदनशील आदिवासी क्षेत्रों और समूहों का निवारक कार्यवाही के लिए पता लगाया जाना।

(vi) आदिवासी क्षेत्रों के विकृत हो रहे वातावरण में सुधार करना।

(ग) तथा (घ) : जी हां, श्रीमान, कार्यदल की सिफारिशें मंत्रालय को स्वीकार्य हैं।

जापान को कम दामों पर लौह अयस्क की सप्लाई

185. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापानी-खरीदारों के साथ हुए नवीनतम समझौते के कारण जापान को अब 1982-83 के मूल्यों की तुलना में 25 प्रतिशत कम दामों पर लौह अयस्क मिलेगा; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण राष्ट्रीय खनिज विकास निगम को कितनी हानि होगी और सरकार का इसे कैसे पूरा करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) : विश्व इस्पात उद्योग में निरन्तर मन्दी, जो क्रमिक वर्षों में जापानी बाजार में लौह अयस्क बाजार में अति-पूर्ति की स्थिति और फलस्वरूप कीमत में कमी के कारण जापान को लौह अयस्क की 1984–85 की बिक्री कीमतें 1982–83 में प्राप्त कीमतों की तुलना में अमरीकी डालर के रूप में लगभग 23 प्रतिशत कम थीं।

तथापि, अमरीकी डालर में अत्यधिक सुधार के कारण रुपया प्राप्ति में वृद्धि से हानि पर्याप्त रूप में कम हो जाएगी। चूंकि रुपये की विदेशी मुद्राओं में व्यापार उतार चढ़ाव आ रहे हैं अतः रुपये की दृष्टि से औसत इकाई मूल्य प्राप्ति पर और

3—166 LSS/ND/85

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के कार्यसंचालन परिणाम पर अपेक्षतया निम्न डालर कीमतों के प्रभाव की जानकारी वित्तीय वर्ष के अन्त तक हो पायेगी।

बांगलादेश राइफल्स और भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बीच में डोहखोला में गोलीबारी

186. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांगला देश राइफल्स और सीमा सुरक्षा बल के बीच जनवरी 1985 को कृष्ण नगर से लगभग 100 किलोमीटर दूर करीमपुर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में शिकारपुर के निकट एक सीमावर्ती गांव डोहखोला में गोलीबारी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में बांगलादेश सरकार को कोई विरोध पत्र भेजा गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और बांगला देश के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाये रखने के लिये भविष्य में इस प्रकार की झड़पों को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) 1-1-85 को सीमा सुरक्षा बल के एक हैड कांस्टेबल ने भारतीय क्षेत्र में दाल के हरे पौधों को काट रहे कुछ नागरिकों को चेतावनी दी। उसने उनकी वास्तविकता पर आपत्ति की और उनके द्वारा आक्रमण करने पर वह जख्मी हो गया तथा बेहोश हो गया। जब वह बदमाशों द्वारा बंगला देश की ओर घसीट कर ले जाया जा रहा था तो भारतीय किसानों ने हस्तक्षेप किया और उसका बचाव किया। भारत की ओर के नदी तट से सीमा सुरक्षा बल के कमांडर ने ऊंची आवाज में बांगलादेश राइफल्स से एक फ्लैग मीटिंग करने का अनुरोध किया परन्तु बंगलादेश राइफल्स ने सीमा सुरक्षा बल पर गोली चला दी। सीमा सुरक्षा बल को आत्म रक्षा में गोली चलानी पड़ी। कोई हताहत नहीं हुआ।

(ग) 2-1-1985 को उप-महानिरीक्षक सीमा सुरक्षा बल, दक्षिणी बंगाल द्वारा विरोध पत्र भेजा गया।

(घ) यद्यपि हमारे विरोध पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा है तथापि बंगलादेश राइफल्स द्वारा एक प्रति विरोधपत्र प्रस्तुत किया गया जिसका उत्तर दे दिया गया है। सीमा सुरक्षा बल के दक्षिणी बंगाल के उप महानिरीक्षक की बंगला देश राइफल्स, खुलना व कमांडेन्ट के साथ दोनों ओर के संबंधित अधिकारियों सहित 2-1-1985 को तनाव समाप्त करने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिये एक फ्लैग मीटिंग की गई। वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये उपयुक्त अनुदेश जारी किए।

पाकिस्तान में अमरीकी राजदूत का कथित वक्तव्य

187. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस्लामाबाद में संयुक्त अमेरिका के राजदूत द्वारा दिये गए इस वक्तव्य की ओर कि यदि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिये आयेगा और पाकिस्तान के दैनिक "नवाए वक्त" में राष्ट्रपति रीगन द्वारा पाकिस्तान के राष्ट्रपति को लिखे पत्र संबंधी समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान स्थित अमरीकी राजदूत के उस बयान पर जिसमें भारत को पाकिस्तान के विरुद्ध सम्भावित आक्रमणकारी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की गई थी और "नवाए-वक्त" की रिपोर्ट पर भी सरकार की गम्भीर चिन्ता से अमरीका सरकार को अवगत करा दिया गया है।

गोबर गैस संयंत्र लगाना

188. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में छठी योजना अवधि के दौरान गोबर गैस संयंत्र लगाने के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं;

(ख) गुजरात में उपरोक्त अवधि के दौरान इस प्रकार के संयंत्र लगाने हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए थे; ?

(ग) क्या लक्ष्य प्राप्त कर लिए गया है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी ग्रामीण आबादी शामिल किए जाने की सम्भावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिक्स विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज पाटिल) : (क) और (ख) . एक केन्द्रीय छठी योजना के दौरान बायोगैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना 1981–82 से 4 लाख बायोगैस संयंत्रों के लक्ष्य को लेकर प्रारम्भ की गई थी । इसमें सालाना आधार पर राज्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य 3,35000 संयंत्रों का था जिसमें से केवल गुजरात के लिए 26,600 संयंत्रों का लक्ष्य था । दिसम्बर, 1984 के अन्त तक गुजरात में स्थापित किए गए संयंत्रों की संख्या 17,580 है ।

(ग) और (घ) . लक्षित संयंत्रों के पूरे होने की निश्चित संख्या का पता केवल योजना अवधि के अंत में ही चल सकता है ।

(ङ) इस योजना के अधीन 1981–82 से 1984–85 की अवधि के दौरान लगभग 3 लाख से भी अधिक ग्रामीण परिवारों को लाभ हो सकता है ।

दलबदल विरोधी कानून

189. प्रो० मधु दण्डवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजनैतिक दल-बदल के कारण आन्ध्र प्रदेश में हाल ही में अल्पकालिक अस्थिरता के अनुभव को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार निर्वाचन सुधार के एक भाग के रूप में दल-बदल विरोधी कानून बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार के कानून के प्रस्तावों की विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जा चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो दल-बदल विरोधी कानून के कब तक बनाये जाने की संभावना है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) , जैसा कि संसद में राष्ट्रपति द्वारा दिए गए अभिभाषण में उल्लिखित है सरकार का संसद के वर्तमान सत्र में एक दलबदल विरोधी विधेयक लाने का विचार है ।

रबड़ का उत्पादन

190. प्रो० पी० जे० कुरियन : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1984 के दौरान रबड़ की कुल कितनी मात्रा का आयात किया गया ;

(ख) देश में प्राकृतिक रबड़ का कुल उत्पादन कितना है और घरेलू मांग कितनी है ;

(ग) क्या रबड़ उपभोक्ता उद्योग अपनी आवश्यकता बढ़ा-चढ़ाकर बता रहे हैं जिसके कारण अधिक आयात करने की आवश्यकता होगी ;

(घ) यदि हां, तो वास्तविक मांग का निर्धारण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ङ) देश में प्राकृतिक रबड़ का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) , 1984 के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कुल उत्पादन अनुमानतः 1,84,000 मे० टन और खपत अनुमानतः 2,11,000 मे० टन है । अन्तर को पूरा करने और बफर के स्तरों को 35,000 मे० टन से बढ़ा कर 45,000 मे० टन करने के लिए 1984 के दौरान प्राकृतिक रबड़ की 35,600 मे० टन मात्रा का आयात किया गया था ।

(ग) तथा (घ) : रबड़ की मांग और पूर्ति के प्रारम्भिक पूर्वानुमानों का, जैसे कि उद्योग तथा रबड़ बोर्ड द्वारा परियोजित किए गए हैं, सरकार द्वारा मूल्यांकन किया जाता है जोकि पहले उत्पादन तथा खपत के रुखों को ध्यान में रखते हुए और औद्योगिक विकास विभाग तथा रबड़ बोर्ड से परामर्श करके मांग और पूर्ति अन्तर पर यथार्थ दृष्टिकोण अपनाती है । इस प्रकार प्राप्त हुए अनुमानों का वर्ष के दौरान वास्तविक रुखों को ध्यान में रखते हुए समय समय पर समीक्षा की जाती है ।

(ङ) देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) रबड़ के नए रोपण तथा पुनर्रोपण को बढ़ाने के लिए रबड़ बागान विकास योजना को लागू करना ।

(2) अधिक पैदावार देने वाली सामग्री एकत्र करना तथा वितरण करना।

(3) उत्पादकता में सुधार लाने के लिए नली द्वारा वर्षा बौछार और बिमारियों के लिए हल्की बौछार को लोकप्रिय बनाना।

(4) गैर-परम्परागत क्षेत्रों में रबड़ बागान बढ़ाने को बढ़ावा देना।

विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु

191. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिकों, डाक्टरों आदि जैसे विशेषज्ञों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में विशेष रूप से विचार किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों की सेवा की अवधि बढ़ाने के संबंध में सर्वव्यापी प्रतिबन्ध लगाने का है?

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि क्या वैज्ञानिकों की कतिपय श्रेणियों की अधिवर्षता की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया जाय।

(ख) इस आशय के अनुदेश पहले ही मौजूद है कि लोक हित में अत्यन्त विरल और असाधारण मामलों को छोड़कर किसी भी मामले में सेवा काल में वृद्धि/पुनर्नियुक्ति न की जाए।

परती भूमि में वनरोपण

192. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह**
श्री वी० एस० विजयराघवन } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने प्रतिवर्ष पचास लाख हैक्टेयर परती भूमि पर वन लगाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उनको इस परियोजना के अन्तर्गत वनरोपण हेतु किस किस्म के पौध चुने जा रहे हैं; और

(ग) इस परियोजना संबंधी संगठनात्मक ढांचे और वित्तीय व्यवस्था का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां।

(ख) किसी प्रजाति का विशेष रूप में चयन नहीं किया गया है। जलावन की लकड़ी तथा चारे के उत्पादन के लिए उपयुक्त प्रजातियां लगाई जाएंगी। ये प्रजातियां मृदीय-जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुसार भिन्न भिन्न होंगी।

(ग) ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भोपाल में हुई गैस दुर्घटना का पर्यावरण पर प्रभाव

193. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में भोपाल में हुई गैस दुर्घटना से पर्यावरण पर हुए प्रभाव का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ग) क्या भोपाल में यूनियन कारबाइड फक्टरी ने जल और वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मंजूरी प्राप्त की थी; और

(घ) यदि हां, तो यह मंजूरी देने के क्या कारण थे?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) तथा (ख) : जी हां। जांच परिणामों की एक समरी रिपोर्ट सभापटल पर रखी गई है।

(ग) त। (घ)। राज्य बोर्ड द्वारा दूषित जल के बहिस्राव के लिए सौर वाष्पन ताल बनाने की शर्त पर मंजूरी दी गई थी जिसका उद्योग द्वारा अनुपालन किया गया। बोर्ड द्वारा वायु उत्सर्जन के लिए कोई मंजूरी नहीं दी गई थी।

भोपाल गैस रिसने के कारण पर्यावरण पर प्रभाव सम्बन्धी की सरकारी रिपोर्ट

5 दिसम्बर 1984 को जल प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए केन्द्रीय बोर्ड तथा पर्यावरण विभाग से वैज्ञानिकों के एक दल ने प्रभावित क्षेत्र में एक प्रारम्भिक वायु गुणवत्ता तथा भोपाल शहर के जल आपूर्ति साधन का सर्वेक्षण किया। जल सुरक्षित पाया गया तथा इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी प्रबोधन जारी रखा गया है। वायु गुणवत्ता सुरक्षित पाई गई।

2. तदन्तर दूसरे दल ने जिसमें केन्द्रीय बोर्ड के वैज्ञानिक भी थे, वनस्पति तथा मृदा पर प्रभाव का अनुमान लगाने के लिए प्रभावित क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया।

3. क्षेत्र में कुल वनस्पति हानि की मात्रा निम्न प्रकार से है :—

अत्याधिक प्रभावित क्षेत्र	3.5 वर्ग कि० मी०
बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र	10 वर्ग कि० मी०
साधारण प्रभावित क्षेत्र	6 वर्ग कि० मी०
हल्का प्रभावित क्षेत्र	5 वर्ग कि० मी०

4. वनस्पति हानि सर्वेक्षण द्वारा प्रभावित क्षेत्र का मोटे तौर पर सीमांकन करना संभव था। नुकसान की गणना अथवा विशिष्ट पौधों पर गैस का प्रभाव जानना भी संभव था तथा इस अनुक्रमणिका के आधार पर पौधों की परस्पर संवेदनाशीलता का निर्धारण किया जा सकता था।

बिहार की विभिन्न भाषाओं के संवर्धन हेतु परियोजना

194. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में आदिवासी भाषाओं तथा लोक कलाओं और लोक परम्पराओं तथा लोक गीतों सहित मैथिली आदि जैसी विभिन्न भाषाओं के अनुरक्षण और उनको बढ़ावा देने के लिए कोई परियोजना तैयार की जा रही है अथवा शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इन भाषाओं को हिन्दी की उपभाषाएं अथवा बोलियां न मानते हुए इन्हें उनके अपने महत्व के आधार पर अलग भाषाएं मानने का है ?

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभागों में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : (क) और (ख). यद्यपि, केवल बिहार की भाषाओं के संरक्षण के लिये कोई परियोजना नहीं है, तथापि, साहित्य अकादमी ने मैथिली को भारत की एक स्वतंत्र आधुनिक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की है, जिसमें अकादमी का कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर ने, जो जनजातीय भाषाओं की प्रोन्नति और विकास कार्य में लगा हुआ है, बिहार की कुरुख, मालटो और मुंडारी बोलियों की प्रोन्नति के लिये कार्य किया है। भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने संथाल, ओराव और मुंडा जनजातियों का अध्ययन किया है। हस्तशिल्प बोर्ड ने मधुबनी चित्रकारी को प्रोत्साहन दिया है। संगीत नाटक अकादमी ने इन क्षेत्रों की लोक तथा जनजातीय कला और संगीत तथा नृत्य को प्रोत्साहित किया है। इसमें फोटोग्राफी रंगीन स्लाइडों के जरिये मुंडा, ओराव, जिलटा, लोहरो, लाहासाना और मोचे जैसी विभिन्न जनजातियों को प्रलेखित किया है। छाऊ नृत्य का संगीत परिरक्षण के लिये रिकार्ड किया गया है। मिथिला क्षेत्र के लोक संगीत विवाह गीत, बंजारा, झूमर, गीतों का 6 घंटे का संगीत रिकार्ड किया गया है। विद्यापति चौमासा, होली, आल्हा के पद भी प्रलेखित किये गये है।

(ग) जैसा कि पहले ही बताया गया है, साहित्य अकादमी ने हिन्दी के अतिरिक्त मैथिली को भी एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता दी है। जिन भाषाओं को अकादमी द्वारा मान्यता नहीं दी गई है, उनके साहित्यिक विकास के लिये इसने भाषाओं और बोलियों की मान्यता के लिये योजनाओं के सम्बन्ध में सिफारिशें करने हेतु एक समिति भी गठित की है। यह समिति बिहार की अन्य भाषाओं अथवा बोलियों के दावों को भी, यदि कोई हो, जांच करेगी।

1984 के संसदीय चुनाव के दौरान हिंसा

195. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1984 में हुए संसदीय चुनाव के चुनाव अभियान के दौरान हुई हिंसा के फलस्वरूप किन्हीं व्यक्तियों के मरने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख), जी हां, श्रीमान। इस संबंध में असम, हरियाणा, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। शेष राज्यों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

राज्य		तारीख	घटना का संक्षिप्त विवरण	मौतों की संख्या	टिप्पणी
1. असम		शून्य	शून्य	शून्य	चुनाव नहीं कराए गए।
2. हरियाणा		24-12-84	फरीदाबाद संसदीय चुनाव क्षेत्र में कांग्रेस (जे) और कांग्रेस (आई) के कार्यकर्ताओं के मध्य एक झगड़े में जोवन नामक कांग्रेस (आई) का एक समर्थक गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और 25-12-84 को अस्पताल में जख्मों के कारण उसकी मृत्यु हो गयी।	1	एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल चल रही है।
3. मध्य प्रदेश		25-12-84	कांग्रेस (आई) और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मध्य पथराव की एक घटना में सात व्यक्ति जख्मी हो गए और एक जख्मी व्यक्ति का अस्पताल में 26-12-84 को देहान्त हो गया।	1	मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है।
4. महाराष्ट्र	(1)	19-12-84	रायगढ़ जिले में भारतीय शेतकरी कामगर पक्ष और श्री ए० आर० अंतुले की इन्दिरावादी महाराष्ट्र कांग्रेस के दो ग्रुपों के मध्य हुए झगड़े में इंदिरावादी महाराष्ट्र कांग्रेस के तीन कार्यकर्ता जख्मी हुए और एक जख्मी व्यक्ति अस्पताल में मर गया।	1	पनवेल पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है।
	(2)	20-12-84	एक स्वतंत्र उम्मीदवार श्री विलास तुपे के समर्थकों ने श्री ए० आर० अन्तुले के पार्टी आफिस पर हमला किया और अन्तुले का एक कार्यकर्ता मारा।	1	रोहा पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया और जांच पड़ताल की जा रही है। (श्री विलास तुपे और 144 अन्य समर्थकों को गिरफ्तार किया गया)।
5. मेघालय		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. नागालैंड		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7. पंजाब		शून्य	शून्य	शून्य	चुनाव नहीं कराए गए।

विवरण—जारी

राज्य		तारीख	घटना का संक्षिप्त विवरण	मौतों की संख्या	टिप्पणी
8. सिक्किम		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9. उत्तर प्रदेश	(1)	11-12-84	सुल्तानपुर जिले में कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने स्वामीनाथ पाठक की हत्या कर दी।	1	जांच पड़ताल करने पर यह पाया गया कि वह किसी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं था।
	(2)	17-12-84	कुछ व्यक्तियों द्वारा गांव कालिक में आग लगाने के कारण राजनारायण नामक व्यक्ति मर गया।	1	पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।
	(3)	18-12-84	हरदुआगंज (जिला अलीगढ़) के नजदीक कांग्रेस (आई) पार्टी के एक ड्राईवर की हत्या द० म० कि० पा० के कार्यकर्ताओं द्वारा की गई।	1	मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।
	(4)	24-12-84	गांव रऊना खुर्द के एक बचन सिंह को उसी गांव के तीन अन्य व्यक्तियों द्वारा चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई है।	1	मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।
	(5)	24-12-84	एक झगड़े में कुर्बान सिंह ने गांव इलाबस (जिला मैनपुरी) में एक सुबेदार पाण्डे पर गोली चला दी जिसके कारण वह मर गया।	1	मामला दर्ज किया गया है।
	(6)	24-12-84	गांव मुबारकपुर (जिला मेरठ) के निवासी अजयबीर सिंह द्वारा अन्य व्यक्तियों के कहने के अनुसार अपना मत डालने से इन्कार करने पर उस पर तीन व्यक्तियों ने चाकू से हमला किया वह बाद में अस्पताल में मर गया।	1	सभी तीनों अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं और उनके विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है।
	(7)	23/24-12-84	कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने श्री हरस्वरूप वाजपेयी जो रायबरेली लोक सभा सीट से आजाद उम्मीदवार था, पर गांव पाहुरवान के नजदीक हमला किया जिसमें श्री बाजपेयी जख्मी हो गए जिसके कारण वे 24 दिसम्बर को प्रातः 8–55 बजे रायबरेली अस्पताल में मर गए।	1	पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
	(8)	24-12-84	मतदान केन्द्र रानी मण्डी, इलाहाबाद लोकसभा क्षेत्र पर दो ग्रुपों के मध्य कहा सुनी में किसी ने गोली चला दी जिसके कारण एक व्यक्ति जख्मी हो गया और वह बाद में अस्पताल में मर गया।	1	मामला दर्ज किया गया है।
	(9)	25-12-84	मिर्जापुर लोक सभा चुनाव क्षेत्र के गांव राजाई में कांग्रेस (आई) और दमकिपा के कार्यकर्ताओं के मध्य कहा सुनी में एक दमकिपा कार्यकर्ता गम्भीर रूप से जख्मी हो गया और उसने जिला अस्पताल मिर्जापुर में दम तोड़ दिया।	1	दोनों पक्षों पर मामले दर्ज किए गए हैं और जांच पड़ताल की जा रही है।

विवरण—समाप्त

राज्य	तारीख	घटना का संक्षिप्त विवरण	मौतों की संख्या	टिप्पणी
(10)	27-12-84	जिला मैनपुरी में कुछ दमकिपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस (आई) कार्यकर्ताओं पर गोली चलाई जिसके कारण कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई।	1	दमकिपा कार्यकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है।
(11)	27-12-84	कुछ बदमाशों जिन्होंने सरसी मैंआपुर मतदान केन्द्र (जौनपुर लोक सभा क्षेत्र) पर कुछ मतपत्र छीने थे और भागने की कोशिश की थी उनके और पुलिस के मध्य मुठभेड़ में एक अपराधी मारा गया।	1	मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अन्तर्गत हिंगोली नांदेड़ में उस्मानशाही मिल का दूसरा एकक

196. श्री उत्तम राठोड़ : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांदेड़ में हिंगोली की उस्मानशाही मिल में, जो इस समय राष्ट्रीय कपड़ा निगम के अधीन है दूसरे एकक की स्थापना के लिये मांग की जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने इस परियोजना के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारियों से प्रतिवेदन मांगा है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र में हिंगोली के कृषि एवं औद्योगिक रूप से पिछड़ेपन को देखते हुए इस प्रकार का प्रतिवेदन मंगवाने का है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी हां। सरकार को एक सुझाव प्राप्त हुआ है।

(ख) इस मामले में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की टिप्पणी मांगी गई है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मंडल आयोग प्रतिवेदन पर लोकमत

197. श्री उत्तम राठोड़ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को लोक मत के लिए परिचालित किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया किस वैज्ञानिक आधार पर अपनाई गई है; और

(ग) प्रतिवेदन के परिचालन का क्या परिणाम निकला है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग). मंडल आयोग की रिपोर्ट लोकमत जानने के लिए परिचालित नहीं की गई है। आयोग द्वारा जिन अन्य पिछड़े वर्गों की सूची के बारे में सिफारिश की गई है उस पर लोक मत प्राप्त करने की प्रस्तावना सरकार के विचाराधीन है।

कपास और सूती कपड़ों के मूल्यों में समता

198. श्री उत्तम राठोड़ : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास उत्पादकों को मिलने वाले मूल्यों और उनके द्वारा सूती कपड़ों के लिए दिए जाने वाले मूल्यों में समता लाने की कोई मांग है; और

(ख) ऐसी समता लाने में क्या कठिनाइयां हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख). कपड़े जैसे अत्यन्त विविध वाले उत्पाद में, जिसमें बाजार मांगों के अनुरूप तेजी से परिवर्तन हो जाता है, रूई तथा वस्त्रों की कीमतों के बीच समता लाना कठिन है।

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मतिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित करना

199. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जन्मतिथि मनाने के लिए 23 जनवरी को सार्वजनिक-अवकाश घोषित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : (क) से (ग). ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्म दिवस के अवसर पर 23 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाए। इस संबंध में सरकार की नीति यह है कि महात्मा गांधी को छोड़कर, अन्य किन्हीं राष्ट्रीय नेताओं के जन्म दिवस अथवा जयंती को केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के लिये नियमित अनिवार्य छुट्टी के रूप में न घोषित किया जाए।

कलकत्ता तथा अन्य नगरों में वायु प्रदूषण सर्वेक्षण

200. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता और पूर्वी क्षेत्र के अन्य बड़े नगरों में वायुप्रदूषण सर्वेक्षण कराया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और इसे कब तक पूरा किया जायेगा ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी, हां।

(ख) कलकत्ता में अध्ययन से निम्नलिखित परिणाम सामने आये हैं।

	आवासीय	व्यापारिक	औद्योगिक
(1) भिन्न परमाणु (माइक्रो-ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) .	300	400	350
(2) सल्फर की आक्साइड (माइक्रो-ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर) .	20	40	54

जहाँ पर भिन्न परमाणु विहित सीमा से अधिक है वहाँ सल्फर आक्साइड की सीमा के अनुरूप कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वायुदूत द्वारा रात्रि डाक सेवा

201. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पर्यटन और नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वायुदूत द्वारा रात्रि डाक सेवा प्रारंभ की जायेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक;

(ग) क्या देश के सभी दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाया जायेगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा देश में सभी दूरस्थ क्षेत्रों को इसके अन्तर्गत लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गेहलोत) : (क) से (ङ), वायुदूत का प्रबन्धक-वर्ग इस समय रात्रिकालीन डाक सेवा प्रारंभ करने की संभावना की जांच कर रहा है। अभी तक इस सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं किया गया है।

कूडनकुलम में रिएक्टर की स्थापना किया जाना

202. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चार और रिएक्टर बनाने का निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम में एक रिएक्टर की स्थापना पर विचार करेगी क्योंकि यह स्थान टूटीकोरिन भारी जल संयंत्र के निकट है और तकनीकी विशेषज्ञों के एक दल ने इस स्थान को इस प्रयोजन के लिये पहले चुना ही था ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलेक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा गठित स्थल-चयन समिति ने दक्षिणी क्षेत्र में जिन स्थलों का अध्ययन किया है उनमें कूडनकुलम भी शामिल है। सरकार दक्षिणी विद्युत क्षेत्र के बारे में स्थल-चयन समिति की रिपोर्ट का अध्ययन कर रही है।

ग्रामीण इलाकों में उद्योगों की स्थापना में जिला उद्योग केन्द्रों का योगदान

203. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण इलाकों में उद्योगों को स्थापित करने में जिला उद्योग केन्द्रों ने प्रारंभ से ही पर्याप्त योगदान नहीं दिया है; और

(ख) यदि हां, तो देश में जिला उद्योग केन्द्रों को पुन: क्रियाशील बनाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी नहीं। जैसा कि नीचे दिखाया गया है, 1978-79 से अपनी स्थापना के समय से ही जिला उद्योग केन्द्रों का योगदान पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने में काफी महत्वपूर्ण रहा है।

1978-79 से 1982-83 तक स्थापित किए गए लघु उद्योग एककों तथा कामगार एककों की संख्या	11,95,764
ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित एककों की संख्या	8,72,381
कुल अतिरिक्त रोजगार सृजन	38,86,093
पिछड़े क्षेत्रों में सृजित रोजगार	23,89,694

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रुग्ण उद्योग

204. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य वार कितने बड़े और छोटे उद्योग रुग्ण हैं ;

(ख) उनकी रुग्णता के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार इन उद्योगों को पुन: खोलने पर विचार कर रही है ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) बैंकों द्वारा रुग्ण औद्योगिक एककों के बारे में दिए गए आंकड़ों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत रुग्णता संबंधी अपनी परिभाषा के अनुसार संकलित किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिये गए बड़े और लघु रुग्ण औद्योगिक एककों संबंधी राज्यवार अद्यतन उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) आन्तरिक और बाह्य जैसे दोनों के अनेक कारण जो अक्सर मिश्रित रूप से बने रहे, भारत में औद्योगिक रुग्णता के लिए जिम्मेदार रहे हैं। औद्योगिक रुग्णता के कुछ प्रमुख कारण दोषपूर्ण योजना, प्रबंध में खामियां, असक्षम वित्तीय नियंत्रण, संसाधनों का विविधिकरण, अनुसंधान और विकास पर अपर्याप्त ध्यान देना, अप्रचलित प्रौद्योगिकी तथा मशीनों, औद्योगिक संबंधों का कमजोर होना, मांग में परिवर्तन, कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की कमी तथा अवस्थापना संबंधी कठिनाइयां हैं।

(ग) सरकार ने औद्योगिक रुग्णता पर काबू पाने के लिए केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थाओं के मार्गदर्शन हेतु कुछ नीति विषयक अभ्युपायों की घोषणा की है। मार्गदर्शी सिद्धांतों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नलिखित हैं :—

(1) केन्द्रीय सरकार में प्रशासनिक मंत्रालयों को उनके प्रभार के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की रुग्णता को रोकने तथा उपचारात्मक कारंवाई करने के लिए विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई है। रुग्ण एककों के पुनरुज्जीवन और पुनर्स्थापन के लिए उन्हें रुग्णता को मॉनिटरिंग करने तथा समन्वय कार्य करने में प्रमुख भूमिका अदा करनी होगी। उपयुक्त मामलों में प्रशासनिक मंत्रालय ऐसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों, जहां, बड़े पैमाने पर रुग्णता व्याप्त है, के लिए स्थायी समितियां गठित करें।

(2) वित्तीय संस्थानों को मॉनीटरिंग प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के निर्देश दे दिए गए हैं ताकि प्रारम्भिक रुग्णता को दूर करने के लिए समय के अन्दर सुधारात्मक कार्रवाई करना संभव हो सके। प्रत्येक यूनिट के ऋणों के उपयोग तथा कार्यकरण को मॉनिटर करने के लिए सहायता प्राप्त एककों से सामयिक विवरणियाँ प्राप्त करने की व्यवस्था की जायेगी। रुग्ण एककों के बोर्ड में नामित निदेशकों को भी वित्तीय संस्थानों को समय-समय पर विवरणियाँ प्रस्तुत करनी होंगी। इस प्रकार प्राप्त जानकारी का भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा विश्लेषण किया जायेगा तथा उसे रुग्ण एककों से सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों तथा केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3) वित्तीय संस्थान और बैंक उनके द्वारा किए जाने वाले निदान संबंधी अध्ययन के आधार पर रुग्ण अथवा प्रारंभिक रूप से रुग्ण एककों पर आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे। बढ़ती हुई रुग्णता के मामलों में जहाँ कहीं उन्हें यह विश्वास हो जायेगा कि एकक भली प्रकार कार्य करने में समर्थ हो सकता है उनमें वित्तीय संस्थान प्रबन्ध सम्बन्धी उत्तरदायित्व ग्रहण करने पर भी विचार करेंगे। वित्त मंत्रालय प्रबंध अधिग्रहण करने के लिए उचित मार्गदर्शी सिद्धांत जारी करेगा।

(4) जहाँ कहीं बैंक और वित्तीय संस्थान किसी रुग्ण एकक को रुग्णता रोकने या उसको पुनर्स्थापित करने में असमर्थ हैं वहाँ वे सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार एकक से अपनी बकाया धन राशि के लिए कार्रवाई करेंगे। किन्तु ऐसा करने से पूर्व वे ऐसे मामलों की सूचना केन्द्र सरकार को दे देंगे उसका जो यह निर्णय करेगी कि क्या एकक का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाना चाहिए या क्या प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी सहित किसी अन्य विकल्प से उपक्रम को पुनः जीवित किया जा सकता है। राष्ट्रीयकरण सम्बन्धी निर्णय दो मुख्य मानदण्डों पर आधारित होगा, जिनमें पहला यह कि एकक को एक उपयुक्त समयावधि जीव्यक्षम में बनाया जा सकता है तथा दूसरा यह कि ऐसा कोई कदम उठाना निश्चित रूप से जनहित में है।

(5) जब उपक्रम के राष्ट्रीयकरण का निर्णय ले लिया जाता है,तो इसके प्रबंध को उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबन्धों के अधीन अधिक छह महीने की अवधि के लिए हाथ में लिया जा सकता है ताकि सरकार राष्ट्रीयकरण के लिए आवश्यक कदम उठा सके।

(6) जो औद्योगिक उपक्रम इस समय उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के नियंत्रण में चल रहे हैं उनका निपटान भी उपर्युक्त सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। इस बात का निर्णय यथाशीघ्र लिया जायेगा कि क्या उपक्रम का राष्ट्रीयकरण किया जाना है या किसी अन्य विकल्प से हल निकल सकता है। यदि इनमें से कोई भी विकल्प संभाव्य नहीं समझा जाता है तो सरकार उस एकक को अनधिसूचित करने के बारे में विचार कर सकती है। बैंक और वित्तीय संस्थान इसके बाद इस उपक्रम को बकाया धन राशि को सामान्य बैंकिंग प्रक्रियाओं के अनुसार निपटायेंगे।

विवरण

राज्य/संघशासित प्रदेश	बड़े रुग्ण एकक (जून,1983 के अंत में) (अनन्तिम)	लघु उद्योग रुग्ण एकक (दिसम्बर, 1982 के अन्त में)
	एककों की संख्या	एककों की संख्या
1	2	3
पश्चिम बंगाल	108	11,201
महाराष्ट्र	92	5,910
उत्तर प्रदेश . . .	54	6,771
गुजरात	42	2,564
तमिलनाडु . . .	48	8,111
कर्नाटक	27	4,094
आन्ध्र प्रदेश	17	4,595
मध्य प्रदेश	20	1,197

1	2	3
केरल	16	1,736
बिहार	13	2,504
हरियाणा	9	1,107
राजस्थान	7	689
गोआ	5	133
उड़ीसा	3	1,438
पंजाब	4	1,085
असम	2	2,565
दिल्ली	2	1,326
पांडिचेरी	..	489
हिमाचल प्रदेश	..	193
जम्मू और काश्मीर	..	449
चण्डीगढ़		77
मणिपुर		385
मेघालय	..	176
नागालैंड	..	51
त्रिपुरा	..	177
दादरा, नागर, हवेली	..	2
अण्डमान और निकोबार	..	22
मिजोरम	..	2
	463	58,549

[हिन्दी]

चाय के निर्यात में गिरावट

205. श्री हरीश रावत : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष चाय के निर्यात में गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या चाय के निर्यात में यह गिरावट विदेशों में चाय के कम उपभोग के कारण आई है; और

(ग) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) . प्रश्न ही नहीं उठते ।

उत्तर प्रदेश में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी की यूनिट स्थापित करना

206. श्री हरीश रावत : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कम्पनी का विचार सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश में अपनी एक यूनिट स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह यूनिट किस स्थान पर स्थापित किए जाने की सम्भावना है और उस पर कितना व्यय होने की संभावना है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) तथा (ख), एक सरकारी उपक्रम हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड ने सिनेमा की रंगीन पॉजिटिव फिल्मों व कलर पेपर तथा एक्स रे व ग्राफिक आर्ट फिल्मों के समेकित उत्पादन हेतु क्रमश: 190 करोड़ रुपये और 104 करोड़ रुपए की लागत से एककों की स्थापनार्थ प्रस्ताव भेज दिए हैं।

इन परियोजनाओं की स्थापना के बारे में सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली और अन्य स्थानों पर जान और माल की हानि

207. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में 31 अक्तूबर, 1 नवम्बर, और 2 नवम्बर, 1984 को कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी और हजारों निर्दोष लोग मारे गए और बेघर हो गए थे और उनकी सम्पत्ति को लूटा और बर्बाद किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दिल्ली में उन लोगों को जिनके परिवार के सदस्य मारे गए, घायल हुए और जिनकी सम्पत्ति लूटी गई थी, राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(घ) क्या इस मामले की कोई जांच की जा रही है और नागरिकों की सुरक्षा के अपने कर्तव्य में विफल रहने वालों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) क्या भविष्य में ऐसी स्थिति की रोकथाम के लिए राज्यों को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख), दिल्ली और देश के अन्य भागों में दंगों में मारे गए व्यक्तियों की संख्या, लूटी गई/नष्ट की गयी सम्पत्ति व मूल्य के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) परिवार में मारे गए प्रत्येक व्यक्ति की दर से 10,000 रुपये की तदर्थ राहत दी गयी। जो जख्मी हुए हैं उन्हें प्रत्येक को 2000 रुपए दिए गए हैं। मकान नष्ट किए जाने के मामले में 10,000 रुपये की राहत दी गई और काफी नुकसान के मामले में 5,000 रुपये की राहत दी गयी। कम क्षति के मामले में 1,000 रुपए का अनुदान दिया गया। व्यापारी, ट्रांसपोर्ट आपरेटर आदि, जिन्हें दंगों के दौरान नुकसान हुआ, प्रत्याभूति प्रस्तुत किये बिना एक लाख रुपये तक के बैंक ऋण के हकदार हैं और 5 लाख रुपये तक के ऋण पर 12—1/2 प्रतिशत रियायती ब्याज दर लागू होगी। 4.30 करोड़ रुपये की राशि का नि:शुल्क अनुदान दिया गया।

(घ) महानिरीक्षक के पद का एक पुलिस अपर आयुक्त जांच कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली में दंगों के दौरान पुलिस अधिकारियों के आचरण की जांच करना भी सम्मिलित है।

(ङ) अपने नागरिकों के जान और माल की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य है और भविष्य में इस प्रकार की स्थिति होने से रोकने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	नष्ट हुई सम्पत्ति का मूल्य (चल और अचल, दोनों प्रकार की)
1.	दिल्ली . . .	2,146	अभी तक पूर्ण मूल्यांकन नहीं किया गया है।
2.	अरुणाचल प्रदेश . . .	शून्य	15,000 रु० (एक आरा मिल जला)
3.	आन्ध्र प्रदेश . . .	शून्य	7.46 लाख रुपये

1	2		3
4.	बिहार	120	5.95 करोड़ रुपये
5.	हरियाणा	106	3 करोड़ रुपये
6.	हिमाचल प्रदेश	2	1.86 करोड़ रुपये (जिसमें से 1.07 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पत्ति का बीमा है)
7.	जम्मू और काश्मीर	17	27 लाख रुपये
8.	कर्नाटक	शून्य	11.96 लाख रुपये
9.	मध्य प्रदेश	94	11.50 लाख रुपये
10.	महाराष्ट्र	9	1.5 करोड़ रुपये
11.	राजस्थान	1	1.07 करोड़ रुपये
12.	तमिल नाडु	2	81.77 लाख रुपये
13.	त्रिपुरा	शून्य	8 लाख रुपये (सरकारी सम्पत्ति सहित)
14.	उत्तर प्रदेश .है	203	24.13 करोड़ रुपये
15.	पश्चिम बंगाल	14	शून्य
16.	उड़ीसा	3	शून्य

सिख परिवारों का अपने घरों में वापस आना

208. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, आदि के कई सिख परिवार श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के पश्चात् सिखों पर हुए हिंसक हमलों के कारण अपने घरों को छोड़कर सुरक्षा के लिए पंजाब भाग गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उन्हें अपने निवास स्थानों को वापस लाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) : पंजाब सरकार द्वारा एकत्र की गई सूचना के अनुसार लगभग 5000 सिख परिवार अन्य राज्यों से पंजाब मे चले गए थे।

(ग) और (घ) : इन परिवारों की गलतफहमी को दूर करने और अपने मूल स्थानों पर वापिस आने को मनाने के प्रयास किए गए हैं । कुछ राज्य सरकारों ने पंजाब में विभिन्न स्थानों पर ऐसे परिवारों से मिलने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी दल भेजे हैं । प्राधिकारियों द्वारा की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप ऐसे अनेक परिवार अपने मूल स्थानों को लौट आए हैं ।

वृक्ष लगाने के लिए लक्ष्य

209. **श्री नवीन रावणी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना के दौरान देश में वृक्ष लगाने के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी ;

(ख) इस संबंध में प्रत्येक राज्य की क्या उपलब्धि रही; और

(ग) सातवीं योजना के दौरान प्रत्येक राज्य में कितने-कितने क्षेत्र में वृक्ष लगाए जाने का विचार है तथा इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए कितनी-कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) छठी पंच वर्षीय योजना के लिए वानिकी बजट में 452.19 करोड़ रुपए के परिव्यय से 891.58 करोड़ वृक्ष लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था।

(ख) दिसम्बर, 1984 तक की उपलब्धि अनुबंध –I में दी गई है।

(ग) सातवीं पंच वर्षीय योजना को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लगाए गए पौधे (करोड़ में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	54.61
2.	असम	14.27
3.	बिहार	47.71
4.	गुजरात	106.77
5.	हरियाणा	34.63
6.	हिमाचल प्रदेश	19.09
7.	जम्मू व कश्मीर	7.25
8.	कर्नाटक	82.25
9.	केरल	23.50
10.	मध्य प्रदेश	123.71
11.	महाराष्ट्र	76.35
12.	मणिपुर	3.85
13.	मेघालय	3.15
14.	नागालैण्ड	4.67
15.	उड़ीसा	45.00
16.	पंजाब	22.28
17.	राजस्थान	23.00
18.	सिक्किम	2.88
19.	तमिल नाडु	44.33
20.	त्रिपुरा	6.49
21.	उत्तर प्रदेश	112.01
22.	पश्चिम बंगाल	30.95
23.	अरुणाचल प्रदेश	4.16
24.	गोवा, दमन तथा दीव	0.87
25.	मिजोरम	12.37
26.	पांडिचेरी	0.19
27.	अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	3.29
28.	चंडीगढ	0.13
29.	दादर व नगर हवेली	1.00
30.	दिल्ली	1.08
31.	लक्षद्वीप	0.01
	योग	904.83

टायरों के उत्पादन और वितरण संबंधी समिति

210. श्री विजय कुमार यादव।
प्रो० पी० जे० कुरियन।

क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टायर निर्माताओं ने लोक प्रिय ब्रांडों के टायरों की कीमतों में इस वर्ष जनवरी से प्रति टायर 600 रुपये की वृद्धि कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या पिछले छ: महीनों में टायरों के उत्पादन लागत में कोई वृद्धि हुई है; और

(घ) क्या सरकार का टायरों और ट्यूबों के उत्पादन और वितरण पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमे टायर व्यापारियों के पर्याप्त प्रतिनिधि होंगे, का गठन करने का विचार है ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)। (क) तथा (ख) जी नहीं। किन्तु 1984 के दौरान जो छूट टायर कम्पनियों द्वारा दी जा रही थी वह उन्होंने समाप्त कर दी है ।

(ग) टायर बनान के काम मे प्रयुक्त होने वाली कुछ निविष्टियों जैसे कि नायलोन टायर कोर्ड, सिंथेटिक रबड़, रबड़ रसायन आदि की लागत में वृद्धि हुई है ।

(घ) अभी ऐसा कोई विचार नहीं है ।

दो पहिया स्कूटरों के मूल्य

211. **श्री चित्त महाटा।** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दो पहिया स्कूटरों के निर्माताओं द्वारा अक्तूबर, 1984 के बाद उनके मूल्यों में वृद्धि कर दी गई है;

(ख) क्या निर्माताओं ने स्कूटरों के मूल्य बढ़ाने का अनुरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सरकार ने उन्हें इसकी अनुमति दे दी थी; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण थे ?

उद्योग एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)। (क) जी, हां, कुछ निर्माताओं ने अक्तूबर, 1984 के बाद स्कूटरों का मूल्य बढ़ा दिया है।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) स्कूटर समेत मोटर वाहनों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है ।

ग्रामीण उद्योग

212. **श्री चित्त महाटा।** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण उद्योगों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) देश में ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)। (क) जिला उद्योग केन्द्र ग्रामीण उद्योगों को सभी सहायता एवं समर्थन प्रदान कर रहे हैं। 1982–83 के अंत तक जिला उद्योग केन्द्रों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार देश में 11,07,800 नये लघु और कारीगर एकक शुरू किए

गए हैं। जिनमें से 8,72,381 एकक ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित हैं । इन एककों से 36,12,108 व्यक्तियों को रोजगार मिला है जिनमें से 23,89,694 व्यक्ति ग्रामीण उद्योगों में कार्य कर रहे थे ।

(ख) सातवीं योजना 1985–90 का नीतिपत्र दस्तावेज में देश में ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के लिए पर्याप्त बल दिया गया है ।

निर्यातों में गिरावट के कारण देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ना

213. **श्री चित्त महाटा** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में आर्थिक स्थिति बिगड़ने के मूल कारणों में से एक कारण राज्यों से निर्यात में गिरावट आ जाना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख) . भारत के निर्यातों में निरन्तर वृद्धि देखी जा रही है । निर्यातों, आयातों के आंकड़े राज्य-वार उपलब्ध नहीं हैं, क्योंकि ये आंकड़े पूरे भारत के आधार पर संकलित किये जाते हैं तथा रखे जाते हैं । देश में आर्थिक अवनति नहीं हुई है । दूसरी ओर, भारतीय अर्थव्यवस्था नियमित सुधार दिखा रही है । छठी योजना की अवधि में औसत वृद्धि दर सम्भवतः 5.2 प्रतिशत के लक्ष्य को प्राप्त हो जाएगी ।

क्षेत्रीयतावादी और पृथकतावादी ताकतें

214. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो महीनों के दौरान उत्तर-पूर्व क्षेत्र में क्षेत्रीयतावादी और पृथकतावादी ताकतें बहुत सक्रिय रही हैं ;

(ख) क्या देश में पृथकतावादियों की गतिविधियां देश के लगभग सभी भागों में दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन गतिविधियों रोकने के बारे में विभिन्न राज्यों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(घ) इन गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है; और

(ङ) क्या इस बारे में इस बीच कोई विशिष्ट नीति तैयार की गई है ?

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) गत दो महीनों के दौरान केवल त्रिपुरा में ऐसी ताकतें बहुत सक्रिय थीं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के अन्य भागों में ऐसी ताकतों की गतिविधियों में कोई वृद्धि नहीं हुई ।

(ख) यद्यपि देश के कुछ भागों में पृथकतावादी और अलगाववादी प्रवृत्तियां देखने में आई हैं । किन्तु देश के लगभग सभी भागों में ऐसी गतिविधियों में दिन-प्रतिदिन कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ग) से (ङ) . देश की एकता और अखण्डता को किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना तथा उसे बनाए रखना केन्द्र अथवा राज्य सरकार का प्रमुख कर्तव्य और उत्तरदायित्व है । इस प्रयोजन के लिए, पृथकता का प्रचार अथवा व्यवहार करने वालों के लिए विभिन्न कानूनों में कठोर दण्ड की व्यवस्था है।

मिथाइल आइसो साइनेट (मिक) के रिसाव का दीर्घकालीन प्रभाव

215. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ में हाल ही में आयोजित भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में कुछ विशेषज्ञों ने मिथाइल आइसो साइनेट के रिसाव के संभावित दीर्घकालीन प्रभाव के बारे में कुछ टिप्पणी की है;

4—166 LSS/ND/85

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गैस के प्रभाव के संबंध में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के सम्मेलन में व्यक्त किये गये विशेषज्ञों के विचारों की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने विशेषज्ञों के विचारों को किस सीमा तक स्वीकार किया है; और

(घ) सरकार उसमें दिये गये सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठा रही है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) लखनऊ में हालिया विज्ञान कांग्रेस के अधिवेशन में इस विषय पर एक अनियत सामान्य चर्चा हुई थी। सी० एस० आई० आर० के महानिदेशक डा० एस० वरदराजन ने भी इस विषय पर एक सामान्य वार्ता की।

(ख), (ग) और (घ). विज्ञान कांग्रेस ने इस विषय पर किसी प्रकार की कोई सिफारिशें नहीं की हैं। सरकार ने पहले से ही भोपाल में एम० आई० सी० गैस से प्रभावित लोगों पर दीर्घावधि प्रभावों की जानकारी को प्राप्त करने के लिए शीघ्र कदम उठाए हैं। एम० आई० सी० गैस के लोगों पर अल्प, मध्यम और दीर्घावधि प्रभावों पर भी विस्तृत अध्ययनों को गांधी मेडिकल कालेज, भोपाल में शुरू किया गया है। उनका संबंध परिष्कृत और आधुनिक तरीकों से गैस से प्रभावित लोगों के फेफड़ों की जांच करने और इन व्यक्तियों को लम्बी अवधि तक निरीक्षण अधीन करने से है। एम० आई० सी० गैस से पीड़ित लोगों का इलाज करने के लिए निर्देश देने और एम० आई० सी० गैस के जहर से संबंधित चिकित्सा क्षेत्रों में अनुसंधान और वैज्ञानिक अध्ययनों को भी शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित 5 समुदाय आधारित स्वास्थ्य क्लीनिकों के माध्यम से गैस पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाने और उनके बारे में अनुवर्ती कारंवाई करने के लिए एक विस्तृत सर्वेक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है।

भारत पाक सीमा पर उग्रवादियों की घुसपैठ

216. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय सीमा सुरक्षा बल को अधिक शक्तिशाली बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि वह भारत पाक सीमा पर उग्रवादियों की घुसपैठ को प्रभाव पूर्ण ढंग से रोक सके ;

(ख) यदि हां, तो सीमा सुरक्षा बल तथा अन्य बलों को इस सम्बन्ध में सुदृढ़ बनाने के लिए किन उपायों पर विचार किया जा रहा है;

(ग) क्या इस बारे में किसी ठोस कदम पर विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (घ). भारत-पाकिस्तान सीमा पर सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ बनाने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या संबंधी जांच में प्रगति

217. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या संबंधी जांच में अब तक कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार को उक्त हत्या के सही अपराधी का कब तक पता लगा लेने का विश्वास है और इसके पीछे किन एजेंसियों का हाथ है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) और (ख). यह कहना सही नहीं है कि अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। वास्तविक हत्यारे को तुरन्त गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके बाद दो गिरफ्तारियां और की गई हैं। अन्य किन्हीं सम्पर्कों का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल गठित किया गया है।

(ग) इस संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

पर्यावरण को कीटनाशियों से खतरा

218. श्री मूलचन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 23 नवम्बर, 1984, के हिन्दुस्तान टाइम्स में "पेस्ट साइड्स थ्रेट टू इनवायर्नमेंट" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो जनता द्वारा इसके उपयोग को सुरक्षित बनाने के लिए कीटनाशी दवाओं के उपयोग को विनियमित करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या उनका मंत्रालय प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यवाही करने हेतु अन्य मंत्रालयों से विचार-विमर्श करता है; और

(घ) यदि हां, तो भूतकाल में इस प्रकार के मामलों पर तथा इस मामले विशेष पर किन-किन मंत्रालयों से बातचीत की गई है ?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : (क) जी हां ।

(ख) (1) कीटनाशी दवा अधिनियम (1968) के अन्तर्गत देश में खतरनाक कीटनाशी दवाओं के प्रयोग को विनियमित करने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक अन्तर मंत्रालय समिति का गठन किया गया है।

(2) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने भी जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कीटनाशी दवाओं का स्वास्थ्य पर प्रभाव के बारे में एक समिति का गठन किया है ।

(3) विभिन्न वैज्ञानिक संगठनों द्वारा बल-सूचकों (बायो-इन्डिकेटर्स) को कीटनाशी दवाओं के प्रदूषण के प्रबोधन के लिए, फसलों की मुख्य महामारी के लिए समन्वित महामारी प्रबंध प्रणाली विकसित करने, विशेषरूप से पौध स्रोतों से बायो-डिग्रेडेबल का उपयोग तथा पर्यावरण में कीटनाशी दवाओं के कारण हुए प्रदूषण के प्रबोधन के लिए उपयोग पर अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा रहा है ।

(ग) जी हां ।

(घ) कीटनाशी दवाओं के आयात, उत्पादन तथा इनके प्रयोग से संबंधित नीतियों के पर्यावरणीय आशयों से संबंधित मुद्दों को संबंधित मंत्रालयों जैसे, कृषि, स्वास्थ्य, रसायन तथा उर्वरक और उद्योग मंत्रालयों के साथ उठाया गया था ।

कोयले पर आधारित तापीय विद्युत का उत्पादन

219. श्री मूलचन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस को छोड़कर सभी विकसित देश पुन: कोयले पर आधारित विद्युत का उत्पादन शुरु करने जा रहे हैं;

(ख) क्या उपर्युक्त बात को ध्यान में रखकर तथा इस तथ्य को देखते हुए कि सरकार को कोटा परमाणु संयंत्र लगाने से पहले ही काफी नुकसान हो चुका है; सरकार 2000 ईसवी तक 10,000 मेगावाट परमाणु विद्युत तैयार करने के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम पर दृढ़ रहना चाहती है; और

(ग) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा आयोग ने उद्योग विभाग से सम्पूर्ण कार्यक्रम को एक ही बार में मंजूर करने के लिए पहले ही कह दिया है जिससे कि उपर्युक्त कार्यक्रम के लिए आवश्यक हिस्से-पुर्जों को तैयार करने में देरी न हो ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह ध्यान मे रखते हुए कि परमाणु बिजली पैदा करने वाले जिन पांच यूनिटों को चालू किया जा चुका है उनमें से चार यूनिट संतोषजनक रूप से काम कर रहे हैं और न्यूक्लीयर ईंधन-चक्र के सभी पहलुओं में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा चुकी है, यह प्रस्ताव है कि परमाणु बिजलीघरों की स्थापित क्षमता को बढ़ाकर सन् 2000 तक 10,000 मेगावाट कर दिया जाए ।

(ग) जी नहीं, परमाणु ऊर्जा आयोग ने पूंजी-निवेश से जुड़ी लागत को नियंत्रित रखने और परि-योजनाओं के पूरा होने में लगने वाली अवधि को घटाने के सन्दर्भ में इस बात पर बल दिया है कि सारे कार्यक्रम को एक ही बार में मंजूर करना लाभप्रद रहेगा।

लदान-पूर्व निरीक्षण अधिकारियों को दण्डित करना

220. श्री मूलचन्द डागा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में लदान-पूर्व निरीक्षण अधिकारियों को भूलचूक और सांठगांठ के विभिन्न कृत्यों के लिए दण्डित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थान-वार और वर्ष-वार कितने अधिकारियों को दंडित किया गया ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) तथा (ख). गत तीन वर्षों के दौरान 26 अधिकारियों को दण्डित किया गया जिनके ब्यौरे निम्नोक्त प्रकार हैं:—

	1982	1983	1984
बम्बई	1	3	3
कन्नागापल्ली (केरल)	1	..	..
कुन्नितुरै (केरल)	1	..	..
कट्टरकारा (केरल)	1	..	..
कुन्नितुरै (केरल)	1	..	..
कोचीन	1	1	..
कानपुर	1	..	1
मद्रास	..	1	..
कुडालूर (तमिलनाडु)	..	1	..
राजकोट	..		1
कलकत्ता	..		1
लुधियाना	..	..	1
आगरा	..	..	1
फरीदाबाद	..	..	1
दिल्ली	..	..	1
गाजियाबाद	..	1	1
अहमदाबाद	..	1	..
योग	7	8	11

गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए एककों द्वारा स्व-प्रमाणीकरण

221. श्री मूलचन्द डागा : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोई ऐसी नई पद्धति आरम्भ की है जिसके अनुसार एककों के पास गुणवत्ता नियंत्रण करने और प्रमाणीकरण करने की अपनी व्यवस्था है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार ऐसे कितने एककों को यह सुविधा दी गई है

(ग) क्या उपर्युक्त योजना संतोषजनक रूप से चल रही है; और

(घ) सरकार की जानकारी में गत तीन वर्षों के दौरान, वर्ष-वार, ऐसे कितने मामले आये हैं जिन गुणवत्ता नियंत्रण करने के लिए स्व-प्रमाणीकरण योजना का दुरुपयोग किया गया था?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष	स्थिति
1982	उन सभी 18 एककों को जिन्हें 1981 में इस योजना के अन्तर्गत मान्यता दी गई थी, एक वर्ष के लिए नवीकृत कर दिया गया था ।
1983	1981 में मान्यता दिए गए तथा 1982 में नवीकृत उन सभी 18 एककों को जारी रखने की अनुमति दी गई थी ।
1984	1983 में मान्यता दिए गए 18 एककों में से ६ एककों की मान्यता समाप्त कर दी गई थी । तीन नए एकक जोड़े गए । इस समय कुल 15 एकक हैं जिन्हें यह सुविधा दी गई है ।

(ग) जी हां ।

(घ) विहित मानदण्ड का पालन न करने पर 1982 में एक एकक को 1 सितम्बर, 1982 से 8 मार्च, 1983 तक के दौरान तथा दो एककों को 1983 में 27 मई से 21 नवम्बर, 1983 तक की अवधि के दौरान स्व-प्रणाली-करण की योजना चलाने की अनुमति नहीं दी गई थी ।

विहित मानदण्ड का पालन न करने की वजह से 1984 के दौरान, छः एककों के स्व-प्रमाणीकरण के नवीकरण की अनुमति भी नहीं दी गई थी ।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क की खरीद

222. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा गत तीन वर्षों में (माह-वार) उड़ीसा की खानों से निर्यात के प्रयोजन के के लिए खरीदे गये लौह अयस्क की प्राप्त मात्रा का टनों में प्राप्त ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

मात्रा मी० टन में

	1982	1983	1984
जनवरी	६0,300	60,06६	70,235
फरवरी	70,134	६1,113	62,147
मार्च	75,937	६8,500	६6,६61
अप्रैल	79,349	52,571	53,532
मई	६5,3६8	50,628	६3,822
जून	40,370	54,514	70,077
जुलाई	59,959	54,585	85,8६0
अगस्त	52,3६3	51,148	79,333
सितम्बर	53,791	55,412	६9,६5६
अक्तूबर	51,359	48,040	40,7६9
नवम्बर	60,392	53,5६7	50,005
दिसम्बर	६2,28६	६4,894	६7,093
योग	7,31,६08	६,75,844	7,79,130

उड़ीसा स्थित कोणार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता

223. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** । क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय हित के स्थानों पर पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा स्थित कोणार्क में पर्यटकों को आकर्षित करने की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) । (क) से (ग) : महत्वपूर्ण केन्द्रों और राष्ट्रीय अभिरुचि के स्थानों की पर्यटक संभावनाओं का विकास करना एक सतत प्रक्रिया है जो केन्द्र, राज्य सरकारों तथा प्राइवेट सेक्टर के मिले-जुले संसाधनों द्वारा संचालित होती है । ऐसे केन्द्रों के विकास के लिए उठाए गए कदमों में, समचित संख्या में होटलों और युथ होस्टलों तथा यात्री निवास जैसे अन्य टाइप के आवास का निर्माण, इन केन्द्रों की यात्रा करने वाले पर्यटकों के लिए विविध प्रकार की सुख-सुविधाएं प्रदान करने की व्यवस्था, संचार और परिवहन व्यवस्थाओं में सुधार तथा देश और विदेश दोनों में इन केन्द्रों का पर्यटक गंतव्यों के रूप में प्रचार करना शामिल है।

केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा पर्यटक-संभाव्यता को बढ़ाने के लिए कोणार्क में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/ अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है :

(1) भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा प्रबंध-चालित एक यात्री-गृह।

(2) भूमि-उपयोग और भू-दृश्यांकन को समाहित करते हुए एक मास्टर योजना तैयार करना।

(3) 3.49 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर एक टॉयलेट ब्लॉक, जो निर्माणाधीन है।

(4) पुरी और कोणार्क के बीच एक मेरिन ड्राइव, जिसका राज्य सरकार द्वारा पहले ही निर्माण कर लिया गया है ।

(5) पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित कराए गए ब्रोशरों, फोल्डरों और तैयार कराई गई फिल्मों तथा डाक्यूमेंटरी फिल्मों के माध्यम से कोणार्क का प्रचार किया जाता है ।

गंगा के प्रदूषण को रोकने के लिए कार्यवाही योजना

224 **श्रीमती जयन्ती पटनायक** । क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा और इसकी सहायक नदियों का प्रदूषण रोकने के लिए कार्य योजना कार्यान्वित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो अनुमानित लागत, आबंटित धनराशि और कार्यान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों का क्या ब्यौरा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरसेन) । (क) जी हां।

(ख) योजना के प्रथम चरण के लिए अनुमानित लागत 250.00 करोड़ रु० है तथा कार्यान्वित किए जाने वाले प्रस्तावित कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं;

(1) विद्यमान मल-जल निकासी और उपचार संयंत्रों की मरम्मत करना तथा उन मुहाना स्थलों, जहां ये सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं, में इनका सृजन करना ।

(2) गैस संक्षेपक स्थापित करके ऊर्जा को काम में लाना; और

(3) जल कृषि (एक्वाकल्चर) तथा सिंचाई के लिए उपचारित अपशिष्ट जल का उपयोग।

आदिवासी क्षेत्रों को सामाजिक–आर्थिक और कानूनी न्याय प्रदान करने के लिए अपनाई गई नीति]

225. **श्री गिरिधर गोमांगो**। क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने संविधान की धारा 275 (1) के अन्तर्गत आदिवासी क्षेत्रों में प्रशासन को सुदृढ़ बनाने और उनको सामाजिक—आर्थिक और कानूनी न्याय प्रदान करने के लिए अब तक क्या क्रमिक नीति अपनाई है;

(ख) क्या आदिवासी क्षेत्रों वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने इन नीतियों को कार्यान्वित किया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनजाति क्षेत्रों में प्रशासन संबंधी महेश्वर प्रसाद ग्रुप ने अधिकारियों के चयन, विशेष संवर्ग के गठन, जनजाति क्षेत्रों में तैनात कार्मिकों के लिए विशेष भत्ता आदि के लिए कुछ मानदण्डों की सिफारिशें की हैं। सातवें वित्त आयोग ने 13 राज्यों मे जनजाति क्षेत्रों में कार्य कर रहे कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए 30.71 करोड़ रुपये देने का फैसला किया गया था। इस आठवें वित्त आयोग ने जनजाति क्षेत्रों में तैनात राज्य कर्मचारियों के लिए क्षतिपूर्ति भत्ते की अदायगी के लिए 30 करोड़ रुपये, रिहायशी मकानों के निर्माण के लिए 37.328 करोड़ रुपये और चूने गए आदिवासियों के गांवों में कुछ मूल सुविधाओं के लिए 47.05 करोड़ रुपये देने का फैसला किया है।

(ख), (ग) और (घ). माहेश्वर प्रसाद ग्रुप की सिफारिशों और जनजाति उप-योजना क्षेत्रों में एक प्रणाली के प्रशासन की आवश्यकता की सराहना की गयी और राज्यों ने इसे सिद्धान्तरूप से स्वीकार किया है। एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं और सामाजिक परियोजनाओं में परियोजना प्रशासकों/परियोजना अधिकारियों से जो एकीकृत जनजाति विकास परियोजनाओं में सामान्यत: प्रथम श्रेणी के अधिकारी होते हैं, के माध्यम से उपयुक्त संरचना उपलब्ध करायी गयी है और एम० ए० डी० ए० खंडों और आदिम जनजाति परियोजनाओं के प्रभारी अधिकारियों के रूप में विशेष अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। उनकी सहायता उपर्युक्त कर्मचारियों द्वारा की जाती है।

लघु सीमेंट संयंत्र

226. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1984 को प्रत्येक राज्य में कार्य कर रहे लघु सीमट संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक राज्य से नए लघु सीमेंट संयंत्रों की स्थापना हेतु प्राप्त हुए कितने आवेदन पत्र मंजूरी हेतु सरकार के विचाराधीन हैं और गुजरात से इस प्रकार के कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन आवेदनों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) 31 दिसम्बर, 1984 को विभिन्न राज्यों में उत्पादनरत लघु सीमेंट संयंत्रों की संख्या निम्नलिखित है:—

1. आंध्र प्रदेश	5
2. बिहार	1
3. गुजरात	3
4. जम्मू तथा काश्मीर	1
5. कर्नाटक	3
6. मध्य प्रदेश	2
7. उत्तर प्रदेश	1

(ख) लघु सीमेंट संयंत्रों के लिए आवेदनों की संख्या (राज्यवार) जो इस समय विचाराधीन है नीचे दी गई है:—

1. गुजरात	1
2. तमिल नाडु	1
3. उत्तर प्रदेश	1

(ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से उनकी राय पता लगने के बाद इन आवेदनों पर निर्णय लिया जाएगा।

गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाकिस्तानियों की घुसपैठ

227. श्री मोहन लाल पटेल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संवेदनशील और सामरिक महत्व के गुजरात के कच्छ क्षेत्र में निरन्तर और बड़े पैमाने पर पाकिस्तानियों की घुसपैठ होती रही है ;

(ख) यदि हां, तो 1983 और 1984 के दौरान अनुमानतः कितने पाकिस्तानियों ने घुसपैठ की; और

(ग) इन घुसपैठियों को वापस भेजने और भविष्य में सीमा पार से उक्त घुसबैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ।?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) . ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी नागरिकों की घुसपैठ हुई है । कानून के अधीन घुसपैठियों को रोकने, उनका पता लगाने और उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को स्थायी अनुदेश दिए गए हैं ।

वैज्ञानिकों का दल अंटार्कटिका भेजा जाना

228. श्री कमलनाथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में वैज्ञानिकों के एक दल को अंटार्कटिका भेजा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दल द्वारा क्या-क्या नए प्रयोग किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या पहले भेजे गए दलों द्वारा एकत्र किये गए आंकड़ों का विश्लेषण कर लिया गया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी॰ पाटिल) : (क) और (ख) . जी हां श्रीमान । इन्डियन स्कूल ऑफ माइन्स के डॉ॰ बी॰ बी॰ भट्टाचार्य के नेतृत्व में 83 सदस्यों का चौथा भारतीय अंटार्कटिक अभियान दल जिसमें 22 वैज्ञानिक भी शामिल हैं, वहां मौजूद है। यह दल 4-12-84 को गोआ से रवाना होकर 28-12-84 को अंटार्कटिका पहुंचा। इसके मार्च, 1985 के अन्त तक भारत वापिस लौटने की आशा है।

(ग) पहले तीन अभियानों के दौरान वैज्ञानिक क्षेत्रों में प्रारंभ किये गये अन्वेषणों को जारी रखा जा रहा है ताकि प्रत्येक वर्ष प्राप्त की जा रही सूचना से बर्फीले महाद्वीप पर सम्पर्ण जानकारी प्राप्त की जा सके। तथापि, चौथे अभियान के दौरान क्षेत्र की खनिज क्षमता के निर्धारण के लिए भूभौतिकी सर्वेक्षण पर बल दिया जाएगा।

(घ) पहले अभियान के दौरान एकत्र किये गए आंकड़ों को विश्लेषित और प्रकाशित किया गया है। दूसरे अभियान के दौरान एकत्र किए गए नमूनों, आंकड़ों और सामग्री पर कार्रवाई की गई है तथा दूसरी वैज्ञानिक रिपोर्ट मुद्रणाधीन है। तीसरे अभियान के दौरान प्राप्त की गई सूचना का विश्लेषण किया जा रहा है ।

बंगलादेश सीमा पार से गोलीबारी

229. श्री कमलनाथ : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश सीमा पार से हमारे नागरिकों और रक्षाकर्मियों पर गोलीबारी की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध मे सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या बंगलादेश सरकार से कोई विरोध प्रकट किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा) : (क) जनवरी, 1985 में बंगला देश सीमा पार से गोलीबारी की दो घटनाएं हुई थीं। लेकिन इसको गोलीबारी की बढ़ती हुई प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये गोलीबारी बंगलादेश राइफल्स द्वारा नागरिकों और सीमा सुरक्षा बल को डराने के लिये की गई थी।

(ख) से (घ) . जैसा कि इन दो घटनाओं में किया गया है, ऐसे प्रत्येक मामले में सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी बंगला देश में अपने प्रतिपक्षी अधिकारियों के पास एक विरोध पत्र-भेजते हैं और सीमा सुरक्षा बल और बंगलादेश राइफल्स के बीच मामले को तय करने के लिये तथा शांति और व्यवस्था बनाए रखने हेतु तनाव समाप्त करने के लिये फ्लैग मीटिंग की जाती हैं।

खेल नीति में परिवर्तन

230. **श्री कमलनाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में खेलों में देश के खराब प्रदर्शन को देखते हुए हमारी खेल नीति मे कोई परिवर्तन किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो अच्छे खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने, पर्याप्त प्रशिक्षण और अभ्यास सुविधाएं प्रदान करने और प्रतिभावान और उदीयमान खिलाड़ियों को स्कूल स्तर पर ही चुनने और प्रशिक्षण देने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के खिलाड़ी को पेंशन देने का कोई प्रस्ताव है?

युवा कार्य और खेल विभाग में राज्य मंत्री (श्री आर० के० जयचन्द्र सिंह) : (क) और (ख) . नई राष्ट्रीय खेल नीति, जिसे हाल ही में अंतिम रूप दिया गया था, सरकारी संकल्प के रूप में 21 अगस्त, 1984 को पहले ही सभा पटल पर रख दिया गया है। राष्ट्रीय खेल नीति की अनुवर्ती कारंवाई के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ प्रशिक्षण शिविरों में सुयोग्य खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण और अभ्यास के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्वायत्त खेल प्राधिकरणों को सहायता देना भी परिकल्पित है। प्रतिभा खोज छात्रवृत्तियां और प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों की विद्यमान योजनाओं को जारी रखने के अलावा, युवा अवस्था में प्रतिभाशालियों का पता लगाने और उन्हें प्रशिक्षित करने को ध्यान में रखकर खेल स्कूलों और खेल छात्रावासों को शुरु करने की भी परिकल्पना की गई है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हो। इसे और सुसाध्य बनाने के लिए जिसे ऐसे जिले मुख्यालयों में जहां खेल स्टेडियम नहीं हैं वहां खेल स्टेडियम के निर्माण को प्रोत्साहित करने की भी परिकल्पना की गई है।

(ग) सरकार का खिलाड़ियों के लिए पहले ही राष्ट्रीय कल्याण कोष चल रहा है जिसमें विपत्तियों के कुछ मामलों में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को पेंशन देने की व्यवस्था है।

सस्ते रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण

231. **श्री कमल नाथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सस्ते रंगीन टेलीविजन सेटों का निर्माण बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश मे बने सेटों का बाजार मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार ने रंगीन टेलीविजन सेटों के लिए 'किटों' के आयात की अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो गत वर्ष के दौरान कितने "किटों" का आयात किया गया?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नई दिल्ली मे हाल ही में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, सस्ते मूल्य के रंगीन दूरदर्शन सेटो की कीमत लगभग 7000 रु० से 7500 रु० के बीच है, जिनमें दिल्ली में लगने वाले सभी कर शामिल हैं।

(ग) तथा (घ). "शियाड" के दौरान 90,000 रंगीन दूरदर्शन किटों के सामयिक तदर्थ आधार पर आयात के अलावा सरकार द्वारा रंगीन दूरदर्शन सेटों के लिए किटों के आयात की और कोई अनुमति नहीं दी गई है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के लिए अनुसंधान और विकास योजनाएं

232. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र में, उनके पर्यावरण की सुरक्षा और पर्वतीय संसाधनों पर उनकी निर्भरता समाप्त करने के लिए कोई अनुसंधान और विकास योजनाएं हैं?

पर्यावरण तथा वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : जी हां।

पर्वतीय विकास, विशेष रूप से हिमालय क्षेत्र की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए अनेक अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम कार्यान्वित की विभिन्न अवस्थाओं में हैं, इनमें ये शामिल हैं:

21 विश्वविद्यालयों तथा हिमालय क्षेत्र में अन्य अभिकरणों की सक्रिय भागीदारी सहित समन्वित पारि-विकास अनुसंधान कार्यक्रम । इस कार्यक्रम में ये शामिल हैं:

- पारि-पद्धति पुनः उत्पत्ति अध्ययन ;
- स्थानीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रौद्योगिकी को विकसित करना तथा प्रबंध संवेष्टन;
- नरसरियों तथा पौध बैंकों का सृजन ;
- जीव-मंडल रिजर्वों का सृजन ;
- जल संभर प्रबंध व्यवस्था ;
- सघन वनरोपण तथा भूमि संरक्षण;
- भू-स्खलन आपद नियंत्रण;
- पारि-विकास शिविर जिसमें विद्यार्थी तथा ग्राम जनता भी शामिल है;
- भू-संरक्षण, वनरोपण तथा कमजोर ढालुओं का स्थिरीकरण;
- अनेक केन्द्रों सहित हिमालयन पर्यावरण तथा विकास संस्थान का सृजन करना है जो पूर्णरूप से प्रौद्योगिकी विकास करने तथा स्थान विशेष समस्याओं के प्रबंधकीय हल के लिए समर्पित है ताकि अधिकतम प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के माध्यम से सतत विकास संभव हो सके।

इन कार्यक्रमों का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों के सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना तथा पर्वतीय संसाधनों पर पहाड़ी जनता की निर्भरता समाप्त करना नहीं है ।

खाद्य तेलों के उत्पादन में वृद्धि

233. **श्रीमती माधुरी सिंह :** क्या वाणिज्य और पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोयाबीन तेल, बिनौला तेल तथा चावल की भूसी का तेल के उत्पादन तथा उपलब्धता में वृद्धि करने तथा खाद्य तेलों की स्थिति स्थिर तथा संतोषजनक स्तर पर लाने के लिये क्या उपाय किये गये है?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी०ए०संगमा) : सोयाबीन, बिनौला और चावल की भूसी के तेल के उत्पादन और उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए किये गये उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:—

(1) मध्य प्रदेश मे सोयाबीन के उत्पादन के सम्बन्ध में विशेष परियोजना चलाना ;

(2) बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सोयाबीन के सम्बन्ध मे केन्द्र द्वारा आयोजित योजना का कार्यान्वयन;

(3) गैर-परंपरागत तिलहन फसलों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि ;

(4) इन तिलहनों के उत्पादन के अनुरूप आवश्यक प्रोसेसिंग तथा भवस्थापना संबंधी सुविधाओं की स्थापना ;

(5) 100 रु० प्रति मे० टन से 300 रु० प्रति मे० टन वनस्पति में चावल भूसी के तेल के प्रयोग के लिए उत्पादन शुल्क छूट में वृद्धि ;

(6) देश में तिलहनों के उत्पादन और विकास के समन्वय करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय तिलहन बोर्ड की स्थापना। देश में खाद्य तेलों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए आयातों द्वारा घरेलू उत्पादन की अनुपूर्ती भी की जाती है ।

दक्षिण एशियाई देशों के बीच आपसी सम्बन्ध

234. **श्रीमती माधुरी सिंह** । क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण एशियाई क्षेत्र में भारत द्वारा किस प्रकार की समस्याओं का सामना किया जा रहा है; और

(ख) सरकार का विचार इन देशों के साथ निकट सम्बन्ध बढ़ा कर परस्पर विचार विमर्श से उन समस्याओं को हल करने हेतु क्या कार्यवाही करने का है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ शान्ति और अच्छी प्रतिवेशिता की नीति के प्रति वचनबद्ध है । फिर भी दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में कुछ समस्याएं पैदा हो जाती हैं जिनकी जड़े हम इस क्षेत्र के देशों के सामान्य ऐतिहासिक अतीत में देख सकते हैं। जिस समय इस उपमहाद्वीप का विभाजन हुआ उस समय ऐसी बहुत सी समस्याएं और बहुत से उलझे हुए मसले विरासत में मिले थे। सीमान्त सीमाओं प्राकृतिक संसाधनों और समान जातीय उद्भव ने इन समस्याओं को जटिलताओं को और अधिक बढ़ा दिया है।

(ख) हमारी कोशिश बराबर यही रही है कि संप्रभुतात्मक समानता और एक-दूसरे के मामले में अहस्तक्षेप के सिद्धान्तों के आधार पर अपने पड़ोसियों के साथ संबन्ध और अच्छे किए जाएं। इस उद्देश्य से हमने इस क्षेत्र के अन्य देशों के साथ सभी स्तर पर द्विपक्षीय सहयोग को प्रोत्साहित किया है । जहां परिस्थितियों ने इजाजत दी है वहां पर हमने अपने पड़ोसियों के साथ बातचीत भी शुरु की है । हमारा इरादा अपनी इन नीतियों पर चलते रहने का है ।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारिता (एस० ए० आर० सी०) समिति द्वारा लिए गए निर्णय

235. **श्रीमती माधुरी सिंह** । क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहकारिता समिति ने एक दक्षिण एशियाई परिसर और एक सांस्कृतिक समारोह आयोजित करने की सिफारिश की है ;

(ख) समिति ने इस सम्बन्ध में अन्य क्या निर्णय किये हैं; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस क्षेत्र में गहरे सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने हेतु क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क) जी हां, नई दिल्ली में 7 से 9 जनवरी, 1985 तक आयोजित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की जो कला एवं संस्कृति संबन्धी तकनीकी समिति ने अपनी दूसरी बैठक में भारत की इस पहली का स्वागत किया था कि नवम्बर, 1985 में अगले अंतर्राष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेले में दक्षिण एशियाई सांस्कृतिक समारोह भी किए जाएं। लेकिन दक्षिण एशियाई परिसर बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) इस समिति ने अक्तूबर, 1985 में भारत में प्रथम दक्षिण एशियाई भूगर्भ कांग्रेस का आयोजन करने का भी निश्चय किया और यह निश्चय भी किया गया कि 1986 के आखिर में बंगलादेश में दक्षिण एशियाई इतिहास सम्मेलन का आयोजन किया जाए। दूसरे दक्षिण एशियाई संघ खेल दिसम्बर, 1985 में

बंगलादेश में होने वाले हैं । इस समिति ने जो अन्य निर्णय लिए उनमें गोष्ठियों और कार्यशालाओं का अध्ययन करना, अध्ययन दलों, दस्तकारी प्रदर्शनियों, पुरानी इमारतों की फोटो प्रदर्शनियां, कैटलॉग गाइड के आदान-प्रदान तथा ऐतिहासिक दस्तावेजों के प्रकाशन, इतिहास तथा अनुसंधान की दृष्टि से मूल्यवान दस्तावेजों की फोटो प्रतियां और लघु फिल्मों का आदान-प्रदान, विशेषज्ञों का आदन-प्रदान और खेल आदि के क्षेत्र में शिक्षण शिविरों का आयोजन भी शामिल है ।

(ग) भारत सरकार ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग के प्रति हमेशा ही एक ठोस तथा रचनात्मक दृष्टिकोण अपनाया है । भारत उन सभी कार्यक्रमों के लिए पूरे मन से काम कर रहा है जो तकनीकी समिति ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग की रूपरेखा के अन्तर्गत सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए तय किये थे। वस्तुत: यह अपने पड़ोसी देशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध समुन्नत करने के हमारे काफी समय से चल रहे प्रयासों का ही एक पूरक प्रयास है।

भारत-चीन सम्बन्ध

236. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-चीन सम्बन्धों में अनुकूल बदलाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) चीन के साथ सम्बन्ध सामान्य बनाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है; और

(घ) सीमा समस्या कब तक हल हो जाने की सम्भावना है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : (क), (ख) और (ग) : 1981 में चीन के साथ अधिकारी स्तर की बातचीत की शुरुआत होने के बाद से भारत और चीन के संबंधों में धीरे-धीरे सुधार हुआ है । अभी तक इस बातचीत के पांच दौर हो चुके हैं । इनमें चीन-भारत सीमा के प्रश्न पर तथा संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, शिक्षा, खेल-कूद इत्यादि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। अगस्त, 1984 में चीन के साथ एक व्यापार करार पर भी हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें "सर्वाधिक अनुग्रह प्राप्त राष्ट्र-वाला" अनुच्छेद शामिल किया गया है।

(घ) यह कहना तो मुमकिन नहीं है कि सीमा का सवाल कब तक तय हो जायेगा लेकिन अब तक अधिकारियों के स्तर पर जो बातचीत हुई है उसमें दोनों पक्षों ने ऐसे सामान्य सिद्धांत तय करने की कोशिश की है जिनके आधार पर भविष्य में बातचीत हो सके। पिछले दौर की बातचीत में इस बात पर भी सहमति हुई थी कि अधिकारियों के स्तर पर जब अगली बार बातचीत होगी तो उस समय सीमा के सवाल पर भी कुछ ठोस विचार विमर्श किया जाएगा ।

भरपूर फसल होने के कारण काफी की बिक्री की समस्या

237. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी की भरपूर फसल होने के कारण इसकी बिक्री की समस्या उत्पन्न हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इसकी बिक्री के लिए क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है ;

(घ) भारतीय काफी की निर्यात क्षमता कितनी है और विदेशों में नई मण्डियां खोजने के लिए क्या कदम उठाए हैं; और

(ङ) उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य तथा पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ)। सदस्य को निर्यातों के लिए भारत का वार्षिक कोटा काफी वर्ष 1983-84 के 41,722 मे० टन से बढ़ाकर काफी वर्ष 1984-85 के लिए 43,424 मे० टन कर दिया गया है। सोवियत संघ भी काफी की पर्याप्त मात्रा की खरीद करता है। गैर-कोटा देशों को भारत के निर्यात बढ़ाने के लिए यूरोप, मध्य पूर्व तथा खाड़ी सुदूरपूर्व तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों म निर्यात संवर्धन के लिए गैर-कोटा देशों को चार बिक्री-सह अध्ययन दल भेजे गए थे। इन अध्ययन दलों की रिपोर्टों के आधार पर काफी की बिक्री बढ़ाने के लिए गैर-कोटा देशों को रियायतें दी जा रही हैं। निर्यात संवर्धन उपाय के रूप में काफी बोर्ड ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय मेलों/प्रदर्शनियों में भी भाग लिया है।

(ङ) कीमतों की स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए काफी बोर्ड द्वारा घरेलू बाजार में रिलीज की जाने वाली मात्राओं को ध्यानपूर्वक विनियमित किया जाता है।

जसबीर सिंह की गिरफ्तारी

238. **डा० कृपा सिन्धु भोई।** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिण्डरावाले के भतीजे जसबीर सिंह को जिसे पाकिस्तान में ननकाना साहिब जहां वह गुरु नानक के जन्मदिन समारोह के दौरान नवम्बर, 1984 में गया था, में आपत्तिजनक गतिविधियों और उत्तेजना पैदा करने वाले भाषण देने के कारण गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) देश के भीतर तथा बाहर ऐसे अन्य व्यक्तियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने और उन्हें दण्ड देने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती राम दुलारी सिन्हा)। (क) और (ख). श्री जसबीर सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत नजरबंद किया गया है। पाकिस्तान में उसके प्रवास के दौरान उसकी गतिविधियों और भाषणों के लिए उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 124-क, 153-क और अवैध गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 13 के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया है और जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के तहत उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए सतर्कता रखी जाती है।

अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई

239. **श्री आनन्द सिंह।** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में सरकार ने अमरीका द्वारा पाकिस्तान को अत्याधुनिक हथियारों की सप्लाई से भारतीय उपमहाद्वीप में शांति को उत्पन्न खतरे का मामला अमरीका सरकार के साथ उठाया है;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर और किस रूप में; और

(ग) क्या प्रधान मंत्री अपनी प्रस्तावित अमरीका यात्रा के दौरान अमरीका सरकार के साथ इस मामले पर चर्चा करेंगे?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां)। (क) जी हां।

(ख) और (ग)। इस विषय पर भारत के विचारों से अमरीका की सरकार को बहुत साफ शब्दों में और कई अवसरों पर अवगत कराया गया है; इनमें अमरीका के उप राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, सहायक विदेश मंत्री और विभिन्न सेनेटरों तथा अमरीकी कांग्रेस के सदस्य भी शामिल हैं जिन्हें उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान अवगत कराया गया था। भविष्य में भी जब कभी मौका आयेगा तब हम इस मामले को उठायेंगे।

जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को हानि

240. **प्रो० सैफुद्दीन सोज।** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब के संकट तथा अन्य संबद्ध समस्याओं के कारण जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को हुई हानि की मात्रा के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को ठीक करने के लिए उनके मंत्रालय का विचार क्या उपाय करने का है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : (क) योजना आयोग द्वारा संगठित किए गए, अधिकारियों के एक केन्द्रीय दल ने जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन उद्योग के विविध घटकों को हुई क्षति का जायजा लेने के लिए अक्तूबर, 1984 के दौरान जम्मू और कश्मीर की यात्रा की।

(ख) जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन को हुई हानि का प्रमुख कारण, भारत में, पंजाब-संकट और पंजाब में सड़क व रेल संचार-व्यवस्था के भंग होने जैसी, विविध घटनाओं के बारे में विदेशों में प्रतिकूल मीडिया-प्रचार था। स्थितियों के सामान्य हो जाने, भारत में पर्यटकों की सुरक्षा और पंजाब में रेल व सड़क संबंधी संचार-व्यवस्था के फिर चालू हो जाने के बारे में हमारे मीडिया-प्रचार में अनुकूलतापूर्वक जोर देते हुए प्रतिकूल प्रचार को प्रभावहीन किया जा रहा है। अकेले जम्मू और कश्मीर राज्य में पर्यटन के संवर्धन के लिए जो विशेष प्रयास किए गए हैं वे निम्नलिखित हैं:—

(1) जम्मू और कश्मीर का केवल एक अवकाश-विहार-स्थल के रूप में ही नहीं बल्कि एक समागम केन्द्र (कन्वेंशन सैंटर) के रूप में भी संवर्धन करने पर प्रचार अभियान में जोर देना।

(2) जम्मू और कश्मीर में स्थितियों के सामान्य होने के तथ्य को उजागर करने के लिए यात्रा परिचालकों, यात्रा अभिकर्ताओं और मीडिया से संबंधित व्यक्तियों के साथ अधिकाधिक सम्पर्क करना।

(3) 1 नवम्बर से 31 मार्च के दौरान यात्रा हेतु 4 या उससे अधिक यात्रियों के ग्रुप के लिए दिल्ली—श्रीनगर सेक्टर में इंडियन एयरलाइंस द्वारा राउंड ट्रिप किरायों में 30 प्रतिशत शीतकालीन ग्रुप डिस्काउंट प्रदान करना। "गुलमर्ग विंटर पैकेज" के लिए भी डिस्काउंट उपलब्ध है।

(4) जम्मू और कश्मीर पर्यटन विकास निगम द्वारा 1,400 रु० के मूल्य पर कश्मीर में सात दिन के एक विशेष पैकेज टूअर की शुरुआत करना जिसके अंतर्गत गुलमर्ग में 3 दिन का स्कीइंग शामिल है; और

(5) दिल्ली और श्रीनगर के बीच इंडियन एयरलाइंस की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करना और श्रीनगर तथा बम्बई के बीच एक उड़ान शुरु करना।

निरस्त्रीकरण के संबंध में अमरीका-रूस विचार वार्ता

241. **श्री अमर राय प्रधान :**

श्री चिंतामणि जेना :

श्री आनन्द सिंह :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आणविक हथियार नियंत्रण के संबंध में अमरीकी विदेश मंत्री श्री जार्ज शुल्त्ज और सोवियत विदेश मंत्री श्री आंद्री ग्रोमिको के बीच हाल ही में जेनेवा में हुई वार्ता के क्या परिणाम निकले ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : 7 और 8 जनवरी, 1985 को अमरीकी विदेश मंत्री श्री जार्ज शुल्त्ज और सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री श्री आंद्री ग्रोमिको के बीच एक बैठक हुई थी। इस बैठक की समाप्ति पर संयुक्त राज्य अमरीका और संयुक्त सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि वे हथियारों के सम्बन्ध में बातचीत फिर शुरु करेंगे।

इस विषय में जारी संयुक्त वक्तव्य में कहा गया है कि "इस बातचीत के विषय सामरिक और माध्यमिक रेंज के अंतरिक्ष और नाभिकीय शस्त्रों से संबद्ध तरह-तरह के सवाल होंगे और इन तमाम सवालों पर उनके पारस्परिक संबंधों को देखते हुए विचार किया जाएगा और उन्हें सुलझाया जाएगा।"

"यह बातचीत दोनों ओर के प्रतिनिधि मंडलों के बीच होगी जो तीन वर्गों में विभाजित होंगे।"

इस वक्तव्य का पूरा पाठ विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

जैसे कि पहले सहमति हुई थी, अमरीकी विदेश मंत्री जार्ज पी० शुल्त्ज तथा सोवियत संघ की कम्यु-निस्ट पार्टी की केन्द्रीय समिति के पोलित ब्यूरो के सदस्य, सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के मंत्री परिषद के प्रथम उपाध्यक्ष एवं सोवियत समाजवादी गणतंत्र संघ के विदेश मंत्री आंद्री ग्रोमिको के बीच 7 और 8 जनवरी, 1985 को जनेवा में बैठक हुई।

इस बैठक के दौरान उन्होंने नाभिकीय एवं अंतरिक्ष शस्त्रों को कम करने के संबंध में अमरीका और सोवियत वार्ता के विषय और उद्देश्य पर विचार विमर्श किया।

दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस बातचीत के विषय सामरिक और माध्यमिक दर्जे के अंतरिक्ष नाभिकीय शस्त्रों से संबद्ध तरह-तरह के सवाल होंगे और इन तमाम सवालों पर उनके पार-स्परिक संबंधों को देखते हुए विचार किया जाएगा और उन्हें सुलझाया जाएगा।

इस वार्ता का लक्ष्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकने के उद्देश्य से कारगर समाधान तैयार करना और इस होड़ को जमीन पर ही खत्म करना तथा नाभिकीय शस्त्रों को परिसीमित और कम करना तथा सामरिक ठहराव मे स्थिरता लाना होगा।

दोनों पक्षों को यह विश्वास है कि हथियारों को सीमित और कम करने की दिशा में सामान्य प्रयत्न के रूप में होने वाली यह वार्ता अंततः सभी जगह से नाभिकीय हथियारों को पूरी तरह से खत्म करने की दिशा में अग्रसर होगी।

नयी वार्ता शुरू होने की तारीख और उसके स्थान के विषय में एक महीने के अन्दर-अन्दर राज-नयिक सूत्रों के माध्यम से सहमति दी जाएगी।

यूनियन कारबाइड कारखाने भोपाल में दुर्घटना

242. **प्रो० मधु दण्डवते :** क्या **उद्योग और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल में यूनियन कारबाइड कारखाने को लाइसेंस मंजूर करते समय किन्हीं खतरों का पूर्वानुमान लगाया गया तथा क्या लाइसेंस मंजूर करने से पहले कोई शर्तें रखी गई थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या शर्तें रखी गई थीं;

(ग) इन शर्तों के पालन किये जाने पर निगरानी रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई थी;

(घ) क्या कारखाने के कार्यकरण के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट प्रस्तुत हुई थी; और

(ङ) यदि हां, तो भोपाल में यूनियन कारबाइड कारखाने में दिसम्बर, 1984 में हुई दुर्घटना को रोकने हेतु कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उद्योग और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग). मिथाइल आइसोसायनेट पर आधारित कीटनाशकों के हेतु उत्पादन में० यूनियन कार्बाइड इण्डिया लि० को एक औद्योगिक लाइसेंस 31 अक्तूबर, 1975 को दिया गया था। औद्योगिक लाइसेंस में निर्धारित शर्तों में से एक का संबंध जल, वायु तथा भूमि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु पर्याप्त उपाय करने से था। प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उचित प्राधिकरण है।

फैक्टरी अधिनियम, 1948 के अधीन आने वाली, फैक्टरी में सुरक्षा संबंधी पहलुओं के विषय में कारखाने से यह अपेक्षित है कि वह उनका पालन करे।

(घ) तथा (ङ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, इस कारखाने में पहले छह दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। इन दुर्घटनाओं की जांच करने के बाद फैक्टरी इन्सपेक्टर ने कारखाने के प्रबंधकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समुचित निदेश दे दिए थे। इन में से दो दुर्घटनाओं के बारे में राज्य सरकार ने भारतीय दण्ड संहिता के अधीन मुकदमे भी दर्ज किए थे जो कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भोपाल के समक्ष हैं।

12-00 मध्याह्न

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र । श्री एस० बी० चव्हाण ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : (श्रीनगर) : खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यवस्था का कौन-सा प्रश्न उठाना चाहते हैं ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : : शून्य काल ।

अध्यक्ष महोदय : कोई शून्य काल नहीं है । आप का व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह एक मामले विशेष के बारे में है ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न बताइये ।

[हिन्दी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : यह एक क्रान्तिकारी के बारे में है । आज नेताजी सुभाष चन्द्र बोस का जन्म दिन है ।......

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय । मैं इस संबंध में पहले ही एक सदस्य को नियम 377 के अधीन मामले को उठाने की अनुमति दे चुका हूं (व्यवधान).

श्री अब्दुल रशीद काबुली : : आप कृपया मुझे अनुमति दीजिए । आज एक महान नेता का जन्म दिन है ....**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, परसों सत्र समाप्त हो जाएगा और पिछले तीन दिनों से हम जासूसी गतिविधियों के बारे में चर्चा की अनुमति की मांग कर रहे हैं ......(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इस संबंध में आपको पहले ही बता चुका हूं । कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होने वाली है ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, प्रधान मंत्री जी ने दल-बदल विरोधी विधेयक की मुख्य बातों पर विचार करने हेतु विपक्षी दलों की बैठक बुलाई थी । सौभाग्य की बात है कि हम लोगों में आम सहमति हो गई है हमने आम सहमति की सूचना उन्हें दे दी है । चूंकि विधान सभा चुनाव 2 और 5 मार्च को होने जा रहे हैं, मैं आप से जानना चाहता हूं कि क्या पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सत्र 25 तारीख तक चलेगा अथवा दल-बदल विरोधी विधेयक पारित करने के लिए इसे बढ़ाये जाने की संभावना है ।

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी हो सकता है ।

[हिन्दी]

आज आप से बात करेंगे ।

[अनुवाद]

हम इस पर विचार-विमर्श करेंगे ।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं ?...

अध्यक्ष महोदय : आप नियमों का उल्लंघन करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं ? आप अब पुराने सदस्य हैं । आप को जानने की आवश्यकता नहीं है । आप नियमों को पहले ही जान चुके हैं ।

[हिन्दी]

मैं ऐसे एलाऊ नहीं करूंगा । आप को तरीके से, दूसरे तरह से करना चाहिए । आप 377 में करिए, ऐसा क्यों करते हैं ?

**कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

[अनुवाद]

कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

[हिंदी]

श्री अब्दुल रशीद काबुली : ...... **

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इस बारे में इतने उत्सुक थे तो आपने मुझे पहले ही लिख दिया होता । मैंने आपको मना नहीं किया था । एक सज्जन पहले ही ऐसा कर चुके हैं और मैंने उन्हें अनुमति दी है ।

श्री ईरासु अय्यापू रेड्डी (कुरनूल) उठ खड़े हुए ।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री ईरासु अय्यापू रेड्डी (कुरनूल) : क्या मैं जान सकता हूं कि सत्र निश्चित रूप से 25 तारीख तक चलेगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप कहां थे । क्या आप सुन नहीं रहे थे ? मैं बता चुका हूं कि इस पर विचार करेंगे । आप को पता चल जाएगा ।

12-02 म० प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : मैं विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं —

1. विदेशी अभिदाय (उपहारों अथवा भेंटों का ग्रहण अथवा अभिधारण) संशोधन विनियम, 1984 जो 21 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 980 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।
2. विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन नियम, 1984 जो 5 नवम्बर, 1984 के भारत के राजस्व में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 755(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी०—89/85]

कम्पनी अधिनियम, एकाधिकार और अवरोधक व्यापार अधिनियम, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, इन्चेक टायर्स लिमिटेड तथा नेशनल रबर मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, आदि के अधीन अधिसूचनाएं

उद्योग और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/4/80 आई०सी०सी० जो सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क के लागू होने से छूट देने के बारे में है ।

(दो) प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/4/80 आई०जी०सी० जो सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 108 के लागू होने से छूट देने के बारे में है ।

(तीन) प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/4/80 आई०सी० सी० जो सरकारी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धाराओं 43क, 149(2क), 205ख, 263, 264, 265, 266, 307, 308, 316, 317 और 386 के लागू होने से छूट देने के बारे में है ।

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

5—166 LSS/ND/85

(चार) प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/4/80-आई० ओ० सी०, जो सरकारी कम्पनियों को अधिनियम, 1956 की धाराओं 165, 187क, 294 तथा धारा 294कक की उपधाराओं (2) और (3) के लागू होने से छूट देने के बारे में है।

(पांच) प्रारूप अधिसूचना संख्या 15/3/84-आई०ओ०सी, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 के लागू होने से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-90/85]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 396 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 688(अ), जो 10 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स सेंड इन्वेस्टमेंन्टस कम्पनी लिमिटेड तथा पांच अन्य कम्पनियों को मैसर्स ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स कम्पनी लिमिटेड में समाकलन करने के बारे में है।

(दो) का० आ० 796(अ), जो 18 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मैसर्स पंजाब वायरलैस सिस्टम लिमिटेड के समाकलिन करने के बारे में है।

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 642 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) लागत लेखा अभिलेख (इंजीनियरी उद्योग) नियम, 1984, जो 7 जुलाई, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 688 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) लागत लेखा अभिलेख (इलेक्ट्रिकल केबल्स और कंडक्टर्स) नियम, 1984, जो 21 जुलाई 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 767 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-91/85]

(4) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (कर्मचारियों की भर्ती) संशोधन नियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1019 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (अवरोधक व्यापार करार के रजिस्ट्रार, संयुक्त रजिस्ट्रार, उप-रजिस्ट्रार और सहायक रजिस्ट्रार की भर्ती तथा सेवा की शर्तें संशोधन नियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का० नि० 1020 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (जांच निदेशक की भर्ती और सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 1984, जो 29 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 1021 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—92/85]

(5) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या का० आ० 797(अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो लघु क्षेत्र के लिये वस्तुओं के आरक्षण के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-93/85]

(6) इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़-मैन्युफैक्चरर्स' लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1984 की धारा 31 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत इनचेक टायर्स लिमिटेड और नेशनल रबड़ मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड राष्ट्रीयकरण में किसी सम्पत्ति में बंधक, प्रभार, स्वत्व अथवा किसी अन्य

हित के बारे में सूचना नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या का०आ० 896 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-94/85]

(7) डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम, 1981 की धारा 30 की उपधारा (3) के अन्तर्गत डालमिया दादरी सीमेंट लिमिटेड (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) निधियों का प्रशासन, (संशोधन में नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 14 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं० का० आ० 836 (अ), में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-95/85]

(8) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (जांच तथा पंजीकरण के महानिदेशक की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 29 दिसम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1307 के अन्तर्गत प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-96/85]

(9) (एक) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखें।

(दो) इंडियन प्लाइवुड इंडस्ट्रीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-97/85]

(10) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 67 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (संशोधन) नियम, 1984 जो 1 अगस्त, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 584(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार (सूचना) संशोधन नियम, 1984, जो 31 अगस्त, 1984 के भारत को राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 643(अ), में प्रकाशित हुए थे।

(11) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 66 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग (संशोधन) विनियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 18 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 857 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-98/95]

(12) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क/18कक की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 656, जो 28 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कोट्टयम टैक्सटाइल्स लिमिटेड, कोट्टयम (केरल) के प्रबन्ध के बारे में है।

(दो) का०आ० 657, जो 28 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा प्रभूराम मिल्स लिमिटेड, चेंगान्नूर (केरल) के प्रबन्ध के बारे में है।

(तीन) का० आ० 658(अ), जो 28 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा मालाबार स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कालीकट, केरल के प्रबन्ध के बारे में है।

(चार) का० आ० 740(अ), जो 26 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा महादेव टैक्सटाइल्स मिल्स, हुबली, कर्नाटक के प्रबन्ध के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 746(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा सोमसुन्दरम सुपर स्पिनिंग मिल्स, मुथानेन्डल, तमिलनाडु, के प्रबन्ध के बारे में है ।

(छः) का० आ० 748(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा प्लाइ बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पोर, जम्मू तथा कश्मीर के प्रबन्ध के बारे में है।

(सात) का० आ० 973(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा प्लाइ बोर्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, पम्पोर, जम्मू तथा कश्मीर के प्रबन्ध के बारे में है ।

(आठ) का० आ० 749(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कावेरी स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, पुदुकोटायी के प्रबन्ध के बारे में है ।

(नौ) का० आ० 784(अ), जो 11 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा श्री दुर्गा काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लिमिटेड, कोननगर, हुगली, पश्चिमी बंगाल के प्रबन्ध के बारे में है ।

(दस) का० आ० 814(अ), जो 31 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा स्वदेशी काटन मिल्स, कानपुर, रायबरेली के प्रबन्ध के बारे में है ।

(ग्यारह) का० आ० 825(अ), जो 9 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और का० आ० 926 (अ), जो 7 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा डा० पोल लोहमन (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में है ।

(बारह) का० आ० 844 (अ), जो 15 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र मे प्रकाशित हुआ था तथा इंडिया मशीनरी कम्पनी लिमिटेड, हावड़ा के प्रबन्ध के बारे में है ।

(तेरह) का० आ० 870(अ), जो 21 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा था ब्रिटेनिया इंजीनियरिंग कम्पनी, कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में है ।

(चौदह) का० आ० 876(अ), जो 23 नवम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ब्रेन्टफोर्ड इलेक्ट्रिक (इंडिया) लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में है ।

(पन्द्रह) का० आ० 947 (अ), जो 18 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा इंडिया बेल्टिंग एंड काटन मिल्स लिमिटेड, सीरमपुर, पश्चिमी बंगाल के प्रबन्ध के बारे में है ।

(सोलह) का० आ० 960(अ), जो 27 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा श्रीराम शुगरस एंड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बोबिली के प्रबन्ध के बारे में है।

(सतरह) का० आ० 962(अ), जो 27 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा श्रीराम शुगरस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सीतानगरम्, आंध्र प्रदेश के प्रबन्ध के बारे में है।

(अठारह) का० आ० 866(अ), जो 28 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा कृष्णा सीलीकेट एण्ड ग्लास वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्ध के बारे में है ।

(उन्नीस) का० आ० 967(अ), जो 28 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा लिली बिस्कुट कम्पनी लिमिटेड (प्राइवेट), कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(बीस) का० आ० 968(अ), जो 28 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एंजल इंडिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(इक्कीस) का० आ० 969(अ), जो 28 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा बंगाल पोट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में था ।

(बाईस) का० आ० 971(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अशोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(तेईस) का० आ० 972(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा ग्लूकोनेट लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(चौबिस) का० आ० 974(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा इंडियन हैल्थ इंस्टीट्यूट एण्ड लेबोरेटरी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(पच्चीस) का० आ० 975(अ), जो 29 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा अपोलो जिपर कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

(छब्बीस) का० आ० 983(अ), जो 31 दिसम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज (असम) लिमिटेड, चन्द्रपुर के प्रबंध के बारे में है।

(सत्ताईस) का० आ० 747(अ), जो 28 सितम्बर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा श्री जानकी शुगर मिल्स एण्ड कम्पनी, डोइवाला, देहरादून (उत्तर प्रदेश) के प्रबंध के बारे में है।

(अट्ठाईस) का० आ० 15(अ), जो 11 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा मोटर एण्ड मशीनरी मैन्यूफैक्चरर्स लि०, कलकत्ता के प्रबंध के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 99/85]

(13) (एक) नारियल जटा बोर्ड, कोचीन के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल जटा बोर्ड, कोचीन के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-100/85]

(14) (एक) सेन्ट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल मशीन टूल्स इंस्टीट्यूट, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-101/85]

(15) (एक) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन रबड़ मैन्यूफैक्चरर्स रिसर्च एसोसिएशन के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-102/85]

(16) (एक) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-103/85]

(17) (एक) सेन्ट्रल पल्प एण्ड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट, देहरादून के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्ट्रल पल्प एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, देहरादून के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 104/85]

(18) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट आफ डिजाइन, अहमदाबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-105/85]

(19) (एक) नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1955 की धारा 17 की उपधारा 4 के अन्तर्गत नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचीन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नारियल जटा बोर्ड, एर्नाकुलम, कोचीन के वर्ष 1983-84 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-106/85]

(20) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) (क) बेबवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) बेबवेट एण्ड कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-107/85]

(दो) (क) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) रिचर्डसन एण्ड क्रुडास (1972) लिमिटेड के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-108/85]

(तीन) (क) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत हेवी प्लेट एण्ड वेसल्स लिमिटेड, विशाखापत्तनम के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-109/85]

(चार) (क) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-110/85]

(पांच) (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स, बंगलौर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-111/85]

(छः) (क) नेशनल बाईसिकल, कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के 31 मार्च, 1982 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 112/85]

(सात) (क) इंजिनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) इंजिनियरिंग प्रोजक्टस (इंडिया) लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 113/85]

(आठ) (क) भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 114/85]

(नौ) (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 115/85]

(दस) (क) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 116/85]

(ग्यारह) (क) नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 117/85]

(बारह) (क) नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) नेशनल न्यूजप्रिंट एंड पेपर मिल्स लिमिटेड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 118/85]

(तेरह) (क) हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(ख) हेवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रांची का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–119/85]

वायुयान अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें और होटल प्रबंध, खान पान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, नयी दिल्ली, बम्बई, मद्रास के विवरण और समीक्षायें आदि

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक गहलोत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) वायुयान अधिनियम, 1934 की धारा 14क के अंतर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) वायुयान (पहला संशोधन) नियम, 1985, जो 10 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 16(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

(दो) वायुयान (चौथा संशोधन) नियम, 1984, जो 8 दिसंबर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1235 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पण।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-120/85]

(2)(क) (एक) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था और पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान बंबई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(तीन) होटल प्रबंध, खानापान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार, संस्थान, मद्रास, के वर्ष 1983-84 वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(चार) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(पांच) होटल प्रबन्ध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिक और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, श्रीनगर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी) तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(छः) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, भुवनेश्वर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(सात) खाद्य पदार्थ प्रवीणता (फूड क्राफ्ट) संस्थान समिति, अहमदाबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(आठ) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिक और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(नौ) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिकि और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दस) खाद्य पदार्थ प्रवीणता (फूड क्राफ्ट) संस्थान तिरुचिरापल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ग्यारह) खाद्य पदार्थ प्रवीणता (फूड क्राफ्ट) संस्थान पटना के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(बारह) खाद्य पदार्थ प्रवीणता (फूड क्राफ्ट) संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(ख) होटल प्रबंध, खानपान व्यवस्था प्रौद्योगिकी और प्रयुक्त पोषाहार संस्थान, नई दिल्ली, बंबई, मद्रास, कलकत्ता, श्रीनगर, अहमदाबाद, हैदराबाद, बंगलौर और भुवनेश्वर तथा खाद्य पदार्थ प्रवीणता (फूड क्राफ्ट) संस्थान, पटना, दिल्ली और तिरुचिरापल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकारण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-121/85]

वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

पर्यावरण तथा वन विभाग में राज्य मंत्री (श्री वीर सेन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 53 के अंतर्गत वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 18 नवंबर, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 712(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(2) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 765 (अ) और 766(अ) की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 16 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 की उपधारा (1) के अंतर्गत जारी किये गये वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) (संघ राज्य क्षेत्र) नियम, 1983 के नियम 8 के अंतर्गत गोवा और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्रों के अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की घोषणा की गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई, देखिये संख्या एल० टी०-122/85]

सीमा शुल्क अधिनियम और आयकर अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) । मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 13(अ), जो 7 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिनके द्वारा 13 नवंबर, 1971 की अधिसूचना संख्या 93/71 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) अधिसूचित माल (अवैध आयात का निवारण) संशोधन नियम, 1984, जो 7 जनवरी, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 45 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल० टी० 123/85]

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(एक) का० आ० 3828, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अन्तर्गत "जलियांवाला बाग नेशनल मैमोरियल ट्रस्ट" को निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है ।

(दो) का० आ० 3829, जो 24 नवंबर, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "राष्ट्रीय नेत्रहीन एसोसिएशन की कर्नाटक शाखा" को निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है ।

(तीन) का० आ० 3830, जो 24 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "वेद रक्षण निधि ट्रस्ट, मद्रास" को निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1986-87 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है ।

(चार) का० आ० 3831, जो 24 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "मिशनरिज आफ दी चैरिटी, कलकत्ता" को निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1989-90 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है ।

(पांच) का० आ० 3832, जो 24 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(23ग) के अन्तर्गत "चुरहाट बाल कल्याण सोसायटी" को निर्धारण वर्ष 1984-85 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है ।

(छः) का० आ० 3834, जो 24 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें 28 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या 5884 का शुद्धि पत्र दिया हुआ है ।

(सात) का० आ० 3836, जो 25 नवम्बर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961, की धारा 10(23ग) के अंतर्गत "दि टाटा एग्रीकल्चरल एण्ड रूरल ट्रेनिंग

सैंटर फार दि ब्लाइंड, बंबई" को निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(आठ) का० आ० 3837, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "मुस्लिम विमैन एंड सोसायटी, मद्रास" को निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिए छूट देने के बारे में है।

(नौ) का० आ० 3838, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "नवजीवन ट्रस्ट, अहमदाबाद" को निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(दस) का० आ० 3839, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "नेशनल सेंटर फार दी परफार्मिंग आर्टस" को निर्धारण वर्ष 1985-86 से 1987-88 तक अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) का० आ० 3840, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) के अंतर्गत "विवेकानंद राक मैमोरियल एण्ड विवेकानंद केंद्र" को निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।

(बारह) का० आ० 3841, जो 24 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ तथा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23ग) "इंस्टीट्यूट आफ कैमिस्टस (इंडिया)" को निर्धारण वर्ष 1983-84 से 1985-86 तक की अवधि के लिये छूट देने के बारे में है।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-124/85]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा परीक्षित लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा, आदि

कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार और संस्कृति विभाग में राज्य मंत्री (श्री के० पी० सिंह देव) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम, 1984 जो 13 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1055 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1984 जो 15 दिसंबर 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1241 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1984 जो 13 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1056 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1984 जो 15 दिसंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1240 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय पुलिस सेवा (वर्दी) दूसरा (संशोधन) नियम, 1984 जो 13 अक्तूबर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1053 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) पहला संशोधन विनियम, 1984, जो 21 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 789 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) दूसरा संशोधन विनियम, 1984, जो 21 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 790 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य-संख्या का नियतन) नवां संशोधन विनियम, 1984, जो 29 सितंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1016 में प्रकाशित हुए थे।

(दस) का० आ० 1011, जो 29 सितंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो ऐसे भारतीय सिविल सेवा के उन पेंशन भोगियों, जो 1 जनवरी, 1975 से पूर्व सेवा निवृत्त हो गये थे, की पेंशन के पुनरीक्षण के बारे में है।

(ग्यारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पहला संशोधन नियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 49 में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पहला संशोधन विनियम, 1985, जो 19 जनवरी, 1985 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 50 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-125/85]

(2) (एक) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-126/85]

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें, पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983–84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा, और जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत पत्र

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): मैं श्रीमती रामदुलारी सिन्हा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (चौथा संशोधन) नियम, 1984, जो 15 दिसंबर, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1241 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (पांचवां संशोधन) नियम, 1984, जो 29 दिसंबर 1984 को भारत के राजपत्र मे अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1323 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-127/85]

(2) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल (अधीनस्थ अधिकारियों तथा निम्न अधिकारियों) पदोन्नति तथा वरिष्ठता (संशोधन) नियम, 1984, जो 13 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1051 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-128/85]

(3) (एक) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयोग के वर्ष 1981-82 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-129/85]

(4) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पुनर्वास उद्योग निगम लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा नियंत्रक महालेखापरीक्षक की तत्संबंधी टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 130/85]

(5) जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) टालस्टाय मार्ग-जनपथ नई दिल्ली के चौराहे पर निर्माणाधीन राज्य व्यापार निगम के बहु-मंजिले भवन के लोहे की ट्यूबों की पाड़ के 31 जनवरी 1984 को ढह जाने के बारे में जांच करने वाले एक सदस्यीय आयोग जांच प्रतिवेदन।

(दो) प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही का ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 131/85]

सी०एम० सी० लिमिटेड, सिकन्दराबाद का वर्ष 1983–84 का और सेमीकन्डक्टर काम्पलैक्स लिमिटेड का वर्ष 1983–84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उनके कार्यकरण की समीक्षा के बारे में विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और इलैक्ट्रानिकी विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(क) (एक) सी० एम० सी० लिमिटेड सिकंदराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सी० एम० सी० लिमिटेड सिकंदराबाद का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 132/85]

(ख) (एक) सेमीकंडक्टर कंपलेक्स लिमिटेड एस० ए० एस० नगर के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) सेमीकंडक्टर कंपलेक्स लिमिटेड एस० ए० एस० नगर का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 133/85]

(ग) (एक) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड सिंहभूमि के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय यूरेनियम निगम लिमिटेड सिंहभूमि का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षित की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 134/85]

(घ) (एक) भारतीय इलैक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) भारतीय इलेक्ट्रानिक्स निगम लिमिटेड हैदराबाद का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 135/85]

(ङ) (एक) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड बंबई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड बंबई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 136/85]

(2) (एक) भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण पर सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 137/85]

(3) (एक) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 138/85]

(4) (एक) टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, बंबई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, बंबई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन)।

(तीन) टाटा आधारभूत अनुसंधान संस्थान, बंबई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 139/85]

(5) (एक) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साहा परमाणु भौतिकी संस्थान, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 140/85]

(6) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भौतिकी संस्थान भुवनेश्वर, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 141/85]

(7) (एक) मेहता गणित तथा गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) मेहता गणित तथा गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) मेहता गणित तथा गणितीय भौतिकी अनुसंधान संस्थान, इलाहाबाद, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 142/85]

(8) (एक) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी, बंबई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी, बंबई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 143/85]

(9) परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 की धारा 30 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) परमाणु ऊर्जा (मध्यस्थता प्रक्रिया) नियम 1984 जो 23 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 629 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) परमाणु ऊर्जा (खानों का कार्यसंचालन खनिजों और निहित वस्तुओं को संभालना) नियम, 1984 जो 21 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र] में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 781 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) परमाणु ऊर्जा (कारखाने) नियम, 1984 जो 21 जुलाई, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 782 में प्रकाशित हुए थे।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 144/85]

निर्यात (गुण-प्रकार नियन्त्रण और निरीक्षण) अधिनियम, चाय अधिनियम, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें, भारतीय निर्यात उधार गारंटी कारपोरेशन लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1983 का प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा आदि

वाणिज्य और पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० ए० संगमा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :—

(1) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उप-धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 2983, जो 22 सितंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिस में 12 मई, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई अधिसूचना संख्या का० आ० 1572 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(दो) तामचीनी का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1984, जो 29 सितंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 3097 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) गैस सिलेंडरों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984 जो 1 सितंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 2867 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) बिजली के घरेलू उपस्करों का निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1984, जो 3 नवंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 3423 में प्रकाशित हुए थे।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 145/85]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 16 (अ) की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 772 (अ), जो 10 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो लोकियन टी एस्टेट के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को बढ़ाने के बारे में है।

(दो) का० आ० 773 (अ), जो 10 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पाशोक टी एस्टेट के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को बढ़ाने के बारे में है।

(तीन) का० आ० 774 (अ), जो 10 अक्तूबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो बाह्-दुक्वार टी एस्टेट के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को बढ़ाने के बारे में है।

(चार) का० आ० 946 (अ) जो 18 दिसंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो पोटोंग टी एस्टेट के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को बढ़ाने के बारे में है।

(पांच) का० आ० 957 (अ), जो 26 दिसंबर, 1984 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो चारगोला टी एस्टेट के प्रबंध-ग्रहण की अवधि को बढ़ाने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 146/85]

(3) तंबाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 32 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) तंबाकू बोर्ड (संशोधन) नियम 1984, जो 22 अगस्त 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 618 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) तंबाकू (बोर्ड) (नीलामी) नियम, 1984, जो 22 अगस्त 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 620 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(4) तंबाकू उपकर अधिनियम, 1975 की धारा 11 की उपधारा (4) के अंतर्गत तंबाकू उपकर नियम, 1984 की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 अगस्त 1984 को भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 147/85]

(5) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(क) (एक) भारतीय निर्यात उधार गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड बंबई के वर्ष 1983 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय निर्यात उधार गारंटी कार्पोरेशन लिमिटेड बंबई का वर्ष 1983 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 148/85]

(ख) (एक) भारतीय, राज्य व्यापार निगम लिमिटेड नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-माहलेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 149/85]

(ग) (एक) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) प्रोजेक्ट्स एंड इक्विपमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नई दिल्ली, का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 150/85]

(घ) (एक) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय काजू निगम लिमिटेड, कोचीन, के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(6) उपर्युक्त मद (5) के (ख) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 151/85]

(7) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, बंबई, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, बंबई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 152/85]

(8) (एक) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोचीन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरिक्षित लेखे।

(दो) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कोचीन, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 153/85]

(9) (एक) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय हीरा संस्थान, सूरत, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 154/85]

(11) (एक) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् बंबई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद् बंबई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 155/85]

(13) (एक) रसायन और सह-उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद् कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रसायन और सह-उत्पाद निर्यात संवर्धन परिषद कलकत्ता के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 156/85]

(14) (एक) बेसिक कैमिकल्स फार्मास्युटिकल्स एंड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बंबई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) बेसिक कैमिकल्स फार्मास्युटिकल्स एंड कास्मेटिक्स एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल बंबई के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 157/85]

(15) (एक) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) इलायची बोर्ड कोचीन के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 158/85]

(16) टैक्सटाइल्स कमेटी बंबई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 159/85]

(17) (एक) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय व्यापार मेला प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी एक विवरण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 160/85]

(18) (एक) व्यापार विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) व्यापार विकास प्राधिकरण नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 161/85]

(19) (एक) काजू निर्यात संवर्धन परिषद् कोचीन के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) काजू निर्यात संवर्धन परिषद के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 162/85]

(21) भारतीय चाय व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा-परीक्षित लेखाओं को संगणना-वर्ष के समाप्त होने के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित अवधि में सभा पटल पर न रखे जाने के कारण को स्पष्टीकरण करने वाला एक विवरण (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 163/85]

(22) चाय बोर्ड के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखे लेखा-वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 164/85]

(23) प्लास्टिक और लिनोलियम निर्यात संवर्धन परिषद् बंबई के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 165/85]

(24) इलायची व्यापार निगम लिमिटेड के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 166/85]

6—166 LSS/ND/85

(25) काफी बोर्ड का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे, लेखा-वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 167/85]

(26) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे, लेखा-वर्ष की समाप्ति के पश्चात 9 महीनों की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 168/85]

याचिका समिति

बैठक के कार्यवाही-सारांश

[अनुवाद]

महासचिव : मैं याचिका समिति (1984-85) (सातवीं लोक सभा) की 68वीं बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिंदी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

नियम 377 के अधीन मामले

[हिन्दी]

(एक) महाराष्ट्र के चन्द्रपुर, भण्डारा और गढ़चिरोली में जिन सिंचाई परियोजनाओं का काम रुका पड़ा है उन पर पुनः काम आरंभ करने की आवश्यकता

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा व गढ़चिरोली जिलों में रुकी हुई सिंचाई परियोजनाओं का शुरू किया जाना।

महाराष्ट्र के चंद्रपुर, भंडारा व गढ़चिरोली जिलों में 63 प्रतिशत से अधिक जंगल है। यह इकालाजिकल बैलेंस रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन वहां पर जंगल संरक्षण नियमों की आड़ लेकर वहां की सिंचाई परियोजनाओं के काम को रोक दिया गया है और ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत भी जंगलों के अंदर यही नियम लागू होने के कारण यहां भी काम रोक दिए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप लाखों मजदूर बेकार हो गए हैं और उनके सामने भुखमरी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसके ठीक विपरीत यहां अधिकृत जंगलों की कटाई का काम, लकड़ी बेचने के लिए शुरू है। उक्त तीनों जिलों में सिंचाई का काम नहीं होने की वजह से यहां के किसान अकाल का सामना कर रहे हैं।

मेरा अनुरोध है कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इस बारे में थोड़ी ढिलाई बरत कर सिंचाई योजनाओं को पूर्ण करने की कोशिश करे और यहाँ के किसानों को आत्म-निर्भर व स्वावलंबी बनाने में मदद करे। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि यह योजना कार्यान्वित की जाय तो यहां पर इतना चावल पैदा हो सकता है कि पूरे महाराष्ट्र की जरूरत पूरी कर दे।

[अनुवाद]

(दो) विद्यमान पदों को भरने तथा नये पदों के सृजन पर लगे हुए प्रतिबंध पर पहाड़ी क्षेत्रों में ढील देने की आवश्यकता

प्रो० नारायण चन्द पराशर (हमीरपुर) : महोदय, विद्यमान रिक्त पदों को भरने तथा नये पदों के सृजन करने को कार्यभार के आधार पर भी उचित है, पर प्रतिबंध के कारण विकास प्रक्रिया को, विशेष देश के ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में विकास प्रक्रिया को भारी धक्का पहुंचा है। गैर-योजनागत व्यय में वृद्धि पर रोक की बात तो समझ में आती है लेकिन यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि उससे विकास को धक्का न लगे और सामान्य सेवाएं अस्त व्यस्त न हों या उनमें गिरावट न आए। अतः यह एक विडंबना है कि जब एक ओर डाक-तार विभाग का विभाजन किया जा रहा है जिससे अनेक पदों का दर्जा बढ़ जायेगा और अनेक नये पद बनाये जायेंगे,

दूसरी ओर वित्त मंत्रालय ने डाकघरों की एक शाखा खोलने पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है जब कि उनमें केवल विभागेतर कर्मचारी नियुक्त किये जाने होते हैं और कोई नियमित कर्मचारी नियुक्त नहीं किये जाने हैं। और तो और डाक-घरों का दर्जा बढ़ाने पर भी प्रतिबंध है जहां राज्य सरकारें पंचायतें/स्थानीय लोग एन० आर० सी० लेकर हानि को पूरा करने के लिए तैयार हैं।

12-06 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

अतः अनुरोध है कि योजना आयोग द्वारा यथापरिभाषित देश के पहाड़ी क्षेत्रों के मामले में प्रतिबंध में छूट दी जाए क्यों कि वे आर्थिक रूप से पिछड़े इलाके हैं वहां विकास बहुत धीमा हुआ है और भौगोलिक दृष्टि से दुर्गम क्षेत्र हैं।

(तीन) राकेट छोड़ने के केन्द्र को कुछ शाखाओं को श्रीहरिकोटा से बंगलौर स्थानांतरित करना

श्री वड्डे शोभानाद्रीश्वारा राव (विजयवाड़ा) : महोदय, विश्वस्त सूत्र से ज्ञात हुआ है कि श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट छोड़ने वाले स्टेशन की अनेक शाखाओं और अनुभागों को बंगलौर स्थानांतरित किया जा रहा है। यह पता लगा है कि अनेक व्यक्तियों का स्थानांतरण किया जा चुका है। यह स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा दिये गए स्थानांतरण न किये जाने के उस आश्वासन के विरुद्ध है जो उन्होंने उस समय दिया था जब वहां के कर्मचारियों ने 18 माह पहले हड़ताल की थी।

(चार) त्रिचूर में दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री पी० ए० एन्टनी (त्रिचूर) : महोदय, त्रिचूर केरल का भौगोलिक केंद्र तथा राज्य की सांस्कृतिक राजधानी है। 1981 की जनगणना के अनुसार साक्षरता 92.5% है जो भारत में सर्वाधिक है। त्रिचूर में केरल का कृषि विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कालेज, राज्य का एकमात्र पशुचिकित्सा कालेज, अन्य अनेक शिक्षा संस्थाएं, एक बैंकिंग केंद्र, केरल का एक व्यापारिक केंद्र, साहित्य अकादमी और अन्य प्रमुख सांस्कृतिक संस्थाएं स्थित हैं।

किंतु दुर्भाग्यवश सर्वाधिक शिक्षित त्रिचूर जिलों में दूरदर्शन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि त्रिचूर में तत्काल दूरदर्शन सुविधा उपलब्ध करायी जाए।

(पांच) बकिंघम एंड कर्नाटक मिल्स, मद्रास के श्रमिकों को राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण देने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : बी एंड सी मिल्स, मद्रास हाल ही में पुनः खोली गई है किंतु श्रमिकों की भरती बहुत कम हो रही है। अनेक लोगों को मिल में लिया जाना है और उनको काम सौंप जाना है। इसके अलावा श्रमिकों को उनकी बकाया राशि तथा वैध छंटनी-राशि आदि का भुगतान भी नहीं किया गया है। आजतक उन्हें बोनस नहीं दिया गया है। लगभग सभी श्रमिकों के लिए जीवन यापन कठिन हो गया है, क्योंकि उन्हें मिल प्रबंधकों, राज्य या केंद्र सरकार से कोई सहायता नहीं मिल रही हैं। इन श्रमिकों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से मांगें गये ऋणों पर आज तक कार्यवाही नहीं की गई है, उन्हें मंजूर करने को तो बात ही अलग है। एक पूरे वर्ष से श्रमिक भुखमारी के शिकार रहे है और कुछ श्रमिकों की तो बेरोजगारी के कारण मृत्यु हो गई। इन श्रमिकों की सहायता के लिए मेरा भारत सरकार और मिल प्रबंधकों से अनुरोध है कि उन्हें इस मिलके सभी श्रमिकों को चाहे उन्हें नौकरी पर ले लिया गया है अथवा नहीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण की व्यवस्था करनी चाहिए। इस प्रकार की सहायता से ही इन श्रमिकों की कठिनाइयां दूर हो पायेगी और तभी ये इस मिल में श्रमिकों के रूप में अपने कर्तव्यों का पूरी तरह से पालन कर पायेंगे। मुझे आशा है कि सरकार इस कार्य को तत्काल युद्धस्तर पर करेगी।

(छः) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के जन्मदिन को सार्वजनिक छुट्टी घोषित करके उसे एक राष्ट्रीय दिवस घोषित करने की आवश्यकता

श्री अमरराय प्रधान (कूच बिहार) : आज 23 जनवरी है और 88 वर्ष पहले आज के दिन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के महानतम नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था।

नेताजी दो बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद उन्होंने आल इंडिया फारवर्ड ब्लाक की स्थापना की जिससे कि वे वाम पंथी शक्तियों को एकता के सूत्र में पिरो सकें तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद

के विरुद्ध संघर्ष के लिए देशका नेतृत्व कर सकें। नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज के हजारों बहादुर सैनिक देशकी आजादी के लिए लड़े और मरे। उनके "चलो दिल्ली" और "मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" के आह्वान ने इस देश के लाखों नर-नारियों को प्रेरणा दी। आजाद हिन्द फौज के सैनिकों ने भारतभूमि पर अर्थात् मणिपुर में मोरंग नामक स्थान पर स्वतंत्र भारत का तिरंगा झंडा फहराया था। आजाद हिन्द सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्य किया। इस देशकी जनता ने नेताजी पर अपार स्नेह और प्यार लुटाया।

आज मैं इस देश के लाखों नर-नारियों की भावनाओं को दोहराते हुए इस सदन का ध्यान पुनः इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पवित्र जन्मदिन को देशभर में सार्वजनिक छुट्टी के रूप में मनाया जाना चाहिए। इस समय केंद्र सरकार द्वारा 23 जनवरी का दिन केवल पश्चिम बंगाल में छुट्टी के रूप में मनाया जाता है। क्या नेताजी राष्ट्रीय नेता नहीं हैं? इस अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष में यह उचित ही होगा कि प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी 23 जनवरी को सार्वजनिक छुट्टी के रूप में एक राष्ट्रीय दिवस घोषित करें और देश की उन्नति के लिए 'युवाओं को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देशभक्ति पूर्ण आदर्शों पर चलने का आह्वान करें।

(सात) फरक्का बांध परियोजना के अंतर्गत कालिन्दी नेवीगेशन लॉक गेट में पायी गई दरार के बारे में जांच की आवश्यकता

श्री जैनल आबेदीन (जंगीपुर) : महोदय, मैं सदन का ध्यान उस गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं जो कि 360 लाख रुपये की लागत की फरक्का बांध परियोजना के अधीन "कालिन्दी नेवीगेशन लाक-गेट" नाम की योजना से पैदा हुई है। इस योजना का निर्माण फरक्का बांध परियोजना प्राधिकरण के पर्यवेक्षणाधीन हो रहा है। योजना को निजी ठेकेदारों को दे दिया गया है। जबकि 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। लाक-गेट के बीच में 5 वें खंड में बड़ी भारी दरार देखी गई है, जिसके कारण वर्षा ऋतु में भारे का सारा निर्माण ध्वस्त हो सकता है। यह पता चला है कि नींव की तली में सही ढंग से सीट की भराई नहीं की गई जिसके कारण ऐसा विश्वास किया जाता है यही इस गंभीर दरार का कारण है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि यह दरार या तो पर्यवेक्षण के अभाव में पड़ी है या फिर प्राइवेट ठेकेदार भ्रष्ट तरीकों से या दोनों की मिलीभगत से पड़ी है।

अतः मैं तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मामले की तात्काल निष्पक्ष जांच-पड़ताल की मांग करता हूं, जिससे कि ऐसे गंभीर अनर्थ का पर्दाफाश किया जा सके तथा इस राष्ट्रीय परियोजना को बचाने के लिए ठीक प्रकार से मरम्मत की जा सके और इस क्षेत्र के हजारों ग्रामीणों का जीवन भी बचाया जा सके।

(हिन्दी)

(आठ) उत्तर प्रदेश में मजखाली (अल्मोड़ा) में रंगीन फोटो फिल्मों का एक कारखाना स्थापित करने के लिए भारत फोटो फिल्म कंपनी को निदेश देने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जनपद के मजखाली नामक स्थान में भारत फोटो फिल्म कंपनी द्वारा एक रंगीन फोटो फिल्म की यूनिट छठी पंचवर्षीय योजनावधि में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव था। सस्ती भूमि संचार एवं परिवहन सुविधा, उपयुक्त जलवायु तथा पर्याप्त जल की उपलब्धता के बावजूद भी उद्योग एवं योजना मंत्रालय में विद्यमान विभिन्न क्षेत्रीय दबाव ग्रुपों ने अपने-अपने स्वार्थ वश इस परियोजना को अपेक्षित स्वीकृति समय पर प्राप्त नहीं होने दी है। जिस उद्योग का निर्माण कार्य छठी योजना के अंतिम वर्ष में प्रारंभ हो जाना चाहिए था उसका निर्माण कार्य आज भी प्रारंभ नहीं हुआ है। आवश्यक सुविधाओं के अभाव का बहाना लेकर इस पिछड़े पर्वतीय क्षेत्र में इस उद्योग के स्थापित करने में विलंब से इस क्षेत्र का अहित होने के साथ-साथ स्व० प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकसभा में दिए गए आश्वासन का उल्लंघन भी है।

अतः मेरा आग्रह है कि इस उद्योग को शीघ्र मजखाली (अल्मोड़ा) में स्थापित करने हेतु भारत फोटो फिल्म कंपनी को निर्देश दिए जाने चाहिए।

12-15 म० प०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 12 और 13 पर एक-साथ विचार करेंगे । प्रो० सैफुद्दीन सोज़ प्रस्ताव करेंगे और बोलेंगे ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 नवंबर, 1984 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 15) का निरनुमोदन करती है ।"

मैं राष्ट्रपति महोदय द्वारा 20 नवंबर को जारी किये अध्यादेश का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं और उसी अध्यादेश के स्थान पर यह विधेयक लाया जा रहा है ।

इस विधेयक का विरोध करने के मेरे पास निश्चित कारण हैं, क्योंकि असम और पंजाब के प्रतिनिधियों के बिना मैं इस सभा को वास्तव में लोक सभा नहीं मानता हूं । मैं नहीं समझता कि आयोग के पास 13 नवंबर को चुनावों की घोषणा करने का कोई प्राधिकार है, जबकि राष्ट्रपति महोदय ने 20 नवंबर को अध्यादेश जारी कर दिया था । इससे पता चलता है कि आयोग एक ओर तो असम राज्य सरकार से संपर्क किए हुए था और दूसरी ओर केंद्रीय सरकार से भी संपर्क साधे हुआ था और असम में चुनाव किसी भी सरकार को रास नहीं आ रहे थे । मैं योग्य विधि मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने देश में लोकमत का अनादर क्यों किया । इस देश की जनता असम और पंजाब में चुनाव चाहती थी और जहां तक असम की बात है और विधि मंत्री महोदय को यह बात अच्छी तरह पता होनी चाहिये--संभवतया यह उनका प्रथम विधेयक है जिसे वह विधि मंत्री के रूप में इस सदन में प्रस्तुत कर रहे हैं और जहां तक श्री सेन महोदय की बात है मैं उनका अत्यधिक सम्मान करता हूं क्योंकि वह हमारे देश के चोटी के न्यायविदों में से एक हैं--मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी 1983 में असम में हुए चुनावों को स्वीकार किया गया । हमारे लिए यह आश्चर्य की बात थी ।

परंतु उस निर्णय के बाद तो केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के लिए वहां चुनाव कराना आसान था और उच्चतम न्यायालय ने यह आशा की थी कि 1979 की मतदाता सूचियों को संशोधित कर लिया जायेगा । कोई भी यह नहीं समझ पाता है कि असम सरकार सूचियों को संशोधित करने को क्यों तैयार नहीं है जबकि पर्याप्त समय था और उच्चतम न्यायालय ने भी यह आशा प्रकट की थी कि सूचियां दिसम्बर 1984 से पूर्व संशोधित कर दी जायेंगी ।

गैर-सरकारी आयोग भी था । मेरे विचार से हमारे विधि मंत्री महोदय को इसका पता होगा । यह गैर-सरकारी आयोग जिसके अध्यक्ष श्री टी० यू० मेहता थे उन लोगों द्वारा स्थापित किया गया था जो इस देश की स्वतंत्रता के लिए लड़े थे तथा इस देश की जनता की बंधन मुक्ति के लिए लड़े थे अर्थात असम स्वतंत्रता सेनानी संघ लेकिन इस आयोग की सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया ।

अत: मैं अनुभव करता हूं कि या तो यह सोच लिया गया कि भारत के निर्वाचन आयोग हमारी बात मान जायेगा या निर्वाचन आयोग स्वयं राज्य सरकार के कहने में आ गया । चुनाव आयोग का कहना है कि 13 नवंबर की उसकी अधिसूचना कोई सांविधिक अधिसूचना नहीं थी । सही है, परंतु इसका वही प्रभाव है । सारा देश जानता है कि चुनाव एक विशेष तिथि को होंगे । आयोग ने अधिसूचना जारी करने के लिए 13 नवंबर ही क्यों चुना था और वह भी अध्यादेश से एक सप्ताह पहले ? यही वह महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसकी ओर मैं विधि मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । जहां तक पंजाब का प्रश्न है, मैं यह अनुभव करता हूं कि पंजाब में बहुत कुछ घट चुका है । केवल: विधान बना कर आप पंजाब की स्थिति को सुधार नहीं सकते हैं । पंजाब में हिंदू और सिक्खों के बीच

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

परंपरागत सौहार्द को फिर से स्थापित करने के लिए गंभीर प्रयास करने होंगे। पंजाब में कलह और घृणा के पूरे वातावरण को समाप्त करना होगा। प्रधान मंत्री महोदय द्वारा अपने मनोरम भाषण में कल दिए गये वक्तव्य के बाद यह आशा बंधती है कि पंजाब में शांति और सौहार्द फिर से स्थापित हो जायेगा। इसी बीच आपने इस सदन के लिए अपने प्रतिनिधि चुनने से पंजाब के लोगों को वंचित कर दिया है।

जहां तक पंजाब की बात है मैं अनुभव करता हूं और जैसा कि मैं पहले भी इस सभा में बोल चुका हूं कि अकाली नेताओं विशेषकर लोंगोवाल और टोहरा नेताओं ने कभी भी खालिस्तान जैसे आतंकवाद या अलगाववादी नारों की बात नहीं की। मैं इस सम्मानित सदन में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। कोई व्यक्ति वह चाहे किसी भी दल का हो, भारत की एकता और अखंडता के विरुद्ध अलगवाद या अन्य किसी प्रकार के नारे नहीं लगा सकता है। इस प्रकार के लोगों से कड़ाई से पेश आना चाहिये। हम भारत की सीमा के भीतर किसी प्रकार के आतंकवाद या अलगाववाद को सहन नहीं कर सकते परंतु हमको यह समझ लेना चाहिये कि अकाली नेता विशेषकर लोंगोवाल और टोहरा ने आतंकवाद की कभी वकालत नहीं की और खालिस्तान का कभी समर्थन नहीं किया। मेरे विचार से हमारे विधि मंत्री महोदय यह बात भली भांति जानते होंगे। केवल दो दिन पहले ही तो एक वयोवृद्ध कम्युनिस्ट नेता श्री हरकिशन सुरजीत ने एक वक्तव्य दिया था कि लोंगोवाल और टोहरा ने खालिस्तान के नाम पर भिंडरावाले को कभी राह नहीं दी थी। वह हमारे देश के माननीय नागरिक हैं। वह केवल संसद सदस्य हैं बल्कि अखंडता के समर्थक भी हैं। वह हमें बता रहे हैं कि आजकल पंजाब में अकाली नेता जो कुछ भी बोलते हों लोंगोवाल और टोहरा ने, जब भिंडरावाले चाहता था कि खालिस्तान की घोषणा कर दी जाए, कभी समर्थन नहीं किया।

मुझे राष्ट्रीय सिख मंच से एक पत्र मिला है। मेरे विचार से यह पत्र सभी सांसदों को लिखा गया है। इसपर ले० जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जैसे व्यक्ति के हस्ताक्षर हैं। मैं सारे पत्र को पढ़कर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैं केवल एक पैरा पढ़ूंगा। इससे हमें पता चल जायेगा कि अकाली नेता किसी प्रकार के अलगाववाद का समर्थन नहीं करते हैं। पैरा 3 में यह उल्लेख है:

"एक ऐसी धारणा पनपने दी गई है कि सिखों और शेष देश के बीच एक प्रकार का टकराव है। यह गलत है। सिख भी राष्ट्र के ही अंग हैं और उनको अलगाववादी दर्शाने का कोई भी प्रयास गुमराह करने वाला और विवेकहीन है। और क्या कहें यह देश के व्यापक हित में नहीं है।"

महोदय, मैं एक शब्द पंजाब समस्या संबंधी संकल्प पर अपनी विशेष रुचि के बारे में कहूंगा। मैं इस तथ्य पर जोर देना चाहता हूं जैसा कि मैंने पहले भी अनेक बार किया था। यह मात्र एक सड़क नहीं है जो पंजाब से होकर गुजरती है और जम्मू और काश्मीर की सप्लाई लाइन है। मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि यह वह प्राणाधार है जो पंजाब और जम्मू तथा कश्मीर को जोड़ती है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पंजाब को जम्मू तथा कश्मीर से अलग नहीं किया जा सकता है। हमारा पर्यटन लड़खड़ा गया है और पंजाब की समस्या के कारण हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। सभी लोग पंजाब की बात करते हैं। परंतु जब हम पंजाब की बात करते हैं तो उसमें काफी अंतर होता है, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था इन परिस्थितियों में नहीं पनप सकती है। हम अपनी अर्थव्यवस्था को तब तक विकसित नहीं कर सकते जब तक पंजाब में शांति स्थापित नहीं हो जाती।

उपाध्यक्ष महोदय: पंजाब और असम के प्रतिनिधियों को इस सभा में आने से रोका गया है। अतः मैं इस विधेयक का पूरी तरह से विरोध करता हूं। इस विधेयक के पीछे जो भावना है वह ठीक हो सकती है। परंतु पंजाब की समस्याओं को हल किए बिना यह विधेयक निरर्थक है और इसीलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य उस अध्यादेश को विनियमित करना है जो कि सन 20 नवम्बर को ही जारी किया जा चुका था। विधेयक के उद्देश्य और कारणों सम्बन्धी कथन से इसके कारण स्पष्ट हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की

धारा 14, उप-धारा (2) में यह व्यवस्था है कि चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चुनाव के लिए अधिसूचना विभिन्न समयों पर की जा सकती है। तथापि यह अनुभव किया गया था कि इस बात का धारा में स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि क्या राज्य में कुछ चुनाव क्षेत्रों में या तो संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों को कतई न करा कर संसद या राज्य विधान सभा के चुनाव कराये जा सकते हैं। जहां तक वर्तमान विधेयक का सम्बन्ध है, यह तो उसी अध्यादेश के बदले में लाया जा रहा है कि संसद के चुनाव दो राज्यों अर्थात असम और पंजाब में कराये बिना ही करा लिए जाएं।

जहां तक असम का सम्बन्ध है, मैं तथ्यों का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि मेरे मित्र प्रो० सोज ने यह आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग की अवहेलना की गयी। शायद सच्चाई का उन्हें पता ही नहीं है। 1983 में राज्य विधान सभाओं के चुनाव 1979 की मतदाता सूचियों के अनुसार कराये गये थे। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में प्रावधान है कि प्रत्येक चुनाव से पहले एक विशेष तिथि तक प्रत्येक चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूचियों को अद्यतन बनाया जायेगा। जब तक कि ऐसा न करने के कारणों को लिखित में न दे दिया जाए और चुनाव आयोग यह अनुभव करता है कि इसे चुनावों से पहले अद्यतन नहीं बनाया जा सकता। जहां तक 1983 के चुनाव की बात थी, मतदाता सूचियां, जिन पर चुनाव कराये गये थे, 1979 के आधार पर ही थीं और उन्हें 1983 तक अद्यतन नहीं बनाया गया था और चुनाव आयोग ने लिखित में जो कारण दिया था वह यह था कि अधिनियम की धारा 21 के अनुसार कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब थी कि हर जगह दंगे हो रहे थे तथा हिंसा की विभिन्न अन्य कार्यवाहियां नियमित रूप से जारी थीं और इसी लिए उसके मतानुसार 1983 तक सूचियों को अद्यतन बनाना असम्भव था। अतः अधिनियम की धारा 21, उप-धारा (2) के अधीन, लिखित रूप में दिए गये कारणों के अनुसार इसने यह निर्णय लिया था कि 1983 के चुनाव 1979 की सूचियों के आधार पर हों। उसके पश्चात उन्होंने गोहाटी उच्च न्यायालय में और उच्चतम न्यायालय में भी रिट याचिका दाखिल की, जिन पर उच्चतम न्यायालय ने एक साथ ही सुनवाई की और एक आम निर्णय दिया, जिसे अब बताया गया है। उन रिट याचिकाओं में यह चुनौती दी गई थी कि जब तक 1979 की मतदाता सूचियां अद्यतन नहीं हो जाती तब तक निर्वाचन आयोग द्वारा असम में संसदीय चुनाव नहीं कराये जाने चाहियें। और याचिकाओं में इस बात पर विशेष जोर दिया गया था कि मतदाता सूचियों में अधिकांश व्यक्ति ऐसे है जो भारतीय नागरिक नही है। हमारे संविधान के अनुसार केवल भारतीय नागरिकों को ही संसदीय चुनावों और राज्य के चुनावों में मतदान करने की अनुमति है। ये आरोप लगाये गये थे कि उन गैर-भारतीय नागरिकों के नाम बड़ी संख्या में सम्मिलित कर लिये गये हैं जो अवैध रूप से बंगलादेश से आये थे और इसलिये 1979 की मतदाता सूचियां बिल्कुल बेकार हैं।

सभा को याद होगा कि इस समस्या पर दो दल नित्य ही लड़ रहे थे, अर्थात् अखिल असम छात्र संघ और संग्राम परिषद ने इसी आधार पर 1983 के चुनावों का बहिष्कार किया था अर्थात् 1979 की मतदाता सूचियों को चुनाव कराने के लिये इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अखिल असम छात्र संघ और संग्राम परिषद तथा याचिका दाताओं द्वारा उच्चतम न्यायालय के समक्ष विभिन्न तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किये गये थे कि मतदाता सूचियों में अनेक ही नहीं अपितु लाखों मतदाता ऐसे हैं जो भारतीय नागरिक नहीं है और इसलिये इन मतदातासूचियों के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव नहीं कराये जाने चाहिये। इस पर चुनाव आयुक्त ने उच्चतम न्यायालय को यह आश्वासन दिया था कि वह इसके पर्याप्त पुनरीक्षण करायेंगे। इस अधिनियम के अन्तर्गत दो प्रकार का पुनरीक्षण किया जाता है. पहला तो गहन पुनरीक्षण और दूसरा संक्षिप्त पुनरीक्षण जिसे आपको अति शीघ्र करना है। गहन पुनरीक्षण का अर्थ है, घर-घर जाकर उन व्यक्तियों के नागरिक होने के बारे में पता लगाना जो मतदाता सूचियों मे दर्ज हैं अथवा दर्ज होना चाहते हैं. इत्यादि और इस काम में पर्याप्त समय लगता है। चुनाव आयोग ने वचन दिया और भारत सरकार इस बात का विरोध नहीं कर सकी अर्थात जब तक असम में मतदाता-सूचियों का गहन पुनरीक्षण नहीं हो जाता, तब तक कोई चुनाव न कराये जायें। 1984 में यह वचन दिया गया था। उसके आधार पर, उच्चतम न्यायालय ने 1983 के चुनाव को वैध ठहराया था क्योंकि 1983 में चुनाव के पूर्व मतदातासूचियों को अद्यतन न बनाये जाने के बारे मे चुनाव आयोग ने जो कारण बताये थे उससे उच्चतम न्यायालय संतुष्ट था कि कानून और व्यवस्था की स्थिति ऐसी थी कि 1983 से पहले मतदातासूचियों को अद्यतन नहीं बनाया जा सकता था। चुनाव आयोग द्वारा दिये गए इस वचन से न्यायालय संतुष्ट था कि मतदातासूचियों का गहन पुनरीक्षण किये बगैर चुनाव नहीं कराये जायें। अब चुनाव कराये जाने थे, क्योंकि जैसा कि आप को ज्ञात है कि गत संसद् की अवधि 1985 में समाप्त होने वाली थी और अधिनियम की धारा 14 में यह व्यवस्था है कि चुनाव अवश्य ही कराये जाने चाहिये जिससे कि पुरानी

[श्री अशोक सेन]

सभा का कार्यकाल समाप्त होने पर नयी सभा का गठन किया जा सके। ऐसी स्थिति में चुनाव कराया जाना आवश्यक था। और उच्चतम न्यायालय ने जो सभा के गठन को आवश्यक बताते हुए यह निर्णय किया था कि आखिर असम छात्र संघ, ग्राम परिषद और याचिका दायर करने वालों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समक्ष रखी गई मांग के बावजूद चुनावों को टाला नहीं जा सकता है। इसलिये, चुनाव आयोग इस दुविधा में था अर्थात् संसदीय चुनाव कराया जाना आवश्यक था, क्योंकि पुरानी सभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व नई सभा का गठन किया जाना आवश्यक था और इसके बावजूद मतदातासूचियों का गहन पुनरीक्षण किये बगैर असम में चुनाव नहीं कराये जा सकते थे, जैसा कि चुनाव आयोग द्वारा पहले ही वचन दिया जा चुका था। इसीलिये, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तत्काल बाद (मेरे विचार से, जहां तक मुझे याद है) वह निर्णय सितम्बर में किसी तारीख को दिया गया था। ठीक तारीख मुझे याद नहीं है। चुनाव आयोग की ओर से मैं उच्चतम न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ था और हुआ यह था कि मेरे माध्यम से चुनाव आयोग ने यह वचन दिया था कि चुनावों से पूर्व मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण किया जायेगा, 20 नवम्बर 1984 को अध्यादेश जारी किया गया था जिसमें यह व्यवस्था थी कि चुनाव आयोग को असम और पंजाब के लिये चुनाव की अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि धारा 14, उपधारा (2) पूर्णतः स्पष्ट नहीं है अर्थात् हालांकि विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये समय समय पर विभिन्न अधिसूचनायें जारी करने की अनुमति ली थी किन्तु यह बात स्पष्ट नहीं थी कि किसी भी पूरे राज्य को संसदीय चुनावों से वंचित रखा जा सकता है अथवा नहीं। इसलिये अध्यादेश जारी किया गया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : कृपया क्षमा करें, क्या आप मुझे कुछ समय देंगे ? मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला उठाया था। आपने उत्तर नहीं दिया।

श्री अशोक सेन : मैं उसका उत्तर देने की चेष्टा कर रहा हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह विषयान्तर नहीं होगा। मुद्दा यह है कि आयोग को 13 नवम्बर को अधिसूचना जारी करने की जल्दी क्या थी ? अध्यादेश 20 नवम्बर को जारी किया गया था। 13 तारीख को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू था और चुनाव आयोग को कोई भी अधिसूचना जारी करने का अधिकार नहीं था। मुद्दा यह है।

श्री अशोक सेन : मैं उसका उत्तर देने वाला था किन्तु आपने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा ही नहीं की। आज सभी मुद्दों का उत्तर एक साथ नहीं दे सकते हैं। शायद आप दे सकते हों किन्तु मैं नहीं दे सकता। फिर भी मैं हर मुद्दे का एक-एक करके उत्तर दूंगा।

धारा 14, उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिनियम में यह उपबन्ध पहले से ही है कि संसदीय चुनाव कराये जाने से पूर्व चुनाव आयोग को विभिन्न राज्यों के लिये और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों के लिये विभिन्न तारीखें अधिसूचित करने का अधिकार है और अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सारी अधिसूचनायें जारी करने को कहा गया है। इसलिये 13 नवम्बर को चुनाव आयोग ने अन्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिये, अन्य क्षेत्रों के लिये चुनाव की घोषणा की थी चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिये अध्यादेश जारी करना पड़ा था। किन्तु 13 तारीख को आयोग को चुनाव घोषित करने का अधिकार था। मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 14, उपधारा (2) पढ़ूंगा और माननीय सदस्य को पता चल जायेगा कि पर्याप्त अधिकार था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्या आयोग 13 नवम्बर को पंजाब और असम को छोड़ सकता था ?

श्री अशोक सेन : जी हां।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरे विचार से ऐसा नहीं किया जा सकता है। कृपया मुझे बताइये।

श्री अशोक सेन : मेरे विचार में माननीय सदस्य ने अधिनियम को सावधानीपूर्वक नहीं पढ़ा है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पढ़ने को तैयार हूं।

श्री अशोक सेन : मैं यही करने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप थोड़ा सा धैर्य रखें तो मेरे विचार से आप उसे तत्काल समझ जायेंगे। यदि माननीय सदस्य के समक्ष लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम हो तो देखें कि धारा 14, उप धारा (1) में यह कहा गया है :–

"मौजूदा सभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने पर या सभा को भंग किये जाने पर नई लोक सभा के गठन के लिये आम चुनाव कराये जायेंगे ।"

अब, उच्चतम न्यायालय ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि विधान में दिया गया यह आदेश अनिवार्य है। कार्यकाल की समाप्ति पर पुरानी सभा को भंग किये जाने से पूर्व चुनाव आयोग को निश्चित रूप से चुनाव कराने चाहिये । इसलिये उसे चुनाव कराने पड़े । दूसरी बात जो उपधारा (2) के बारे में है : इस संबंध में उसे क्या करना चाहिये था ? इस उपधारा में यह कहा गया है :-

"उपरोक्त प्रयोजन के लिये, चुनाव आयोग की सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति एक या अनेक तारीखों को एक या अनेक अधिसूचनायें जारी करेगा, जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित होंगी, जिसमें इस अधिनियम की उपबन्धों के अनुसार सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य निर्वाचित करने को कहा जायेगा ।"

इसलिये, एक या अनेक अधिसूचनायें जारी करके चुनाव कराये जा सकते हैं। इसलिये उसने असम और पंजाब के लिए प्रतीक्षा करते हुए दिल्ली, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिल नाडु और अन्य राज्यों के लिये चुनाव कराये जाने की सिफारिश की । इसके पश्चात् अध्यादेश जारी किया गया और इस अध्यादेश में पंजाब और असम को बिल्कुल ही छोड़े जाने की व्यवस्था थी, क्योंकि पुरानी सभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण पूरा करना और चुनाव कराना असंभव था । और उच्चतम न्यायालय ने यह बात स्पष्ट कर दी कि मतदातासूचियों का गहन पुनरीक्षण के कारण वहां कोई चुनाव नहीं कराये जाने चाहिये और चूंकि यह आदेश है कि पुरानी सभा के भंग किये जाने से पहले सभा का गठन हो जाना चाहिये ।

दूसरा प्रश्न पंजाब के बारे में है। पंजाब के लिए कारण दूसरा ही है। असम के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं कि चुनाव से पूर्व गहन पुनरीक्षण पूरा नहीं हो सकता था, इसलिये वहां चुनाव नहीं हो सकते थे । चुनाव आयोग ने यह सिफारिश की थी और राज्य सरकार ने भी उसी बात को दोहराया कि पंजाब में कानून और व्यवस्था की ऐसी स्थिति है कि वहां सभी जगह रक्तपात और हिंसा के बिना चुनाव कराना असंभव है । स्थिति ही ऐसी थी, चारों तरफ हिंसा भड़की हुई थी और शायद कोई कुशासन व्यक्ति ही यह निर्णय ले सकता था कि इस परिस्थितियों में भी वहां आम चुनाव कराये जायें। चुनाव आयोग के सिफारिश पर ही राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किया था। यह हमारी सिफारिश नहीं थी। इसलिये, चुनाव आयोग ने कहा कि राज्य में उसने अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाये रखने के सामान्य मार्ग में व्यस्त हैं । वहां की स्थिति ऐसी थी कि चुनाव तंत्र का कार्य करना वहां असम्भव था और इन परिस्थितियों में निष्पक्ष अथवा उचित तरीके से चुनाव कराया जाना असंभव था। इसलिये चुनाव आयोग की सिफारिश पर यह अध्यादेश जारी किया गया था क्योंकि संविधान के अन्तर्गत चुनाव आयोग चुनावों का अधीक्षण करने और नियमित करने का प्रभारी अधिकरण है। यह सिफारिश की गई थी कि ऐसा ही किया जाना चाहिये और उस सिफारिश पर ही ऐसा किया गया था और शुरू से ही जब कि 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था अबतक जैसा कि सभा को याद होगा सामान्यतः शायद ही कोई ऐसा अवसर होगा और वह भी किसी विशेष कारणवश हो, जब सभा ने चुनाव आयोग की सिफारिश की अवहेलना की हो । इसलिये सरकार ने चुनाव आयोग की उस सिफारिश को लागू करके अपने कर्त्तव्य का पालन किया है जिसमें चुनाव आयोग ने किसी बेहतर समय तक के लिये पंजाब और असम में चुनाव स्थगित करने के लिए कहा था। इस बात को आज चुनाव आयोग पर छोड़ दीजिये जो चुनाव संबंधी हर कार्य को देखरेख करने तथा नियंत्रित करने का प्रभारी अधिकरण है और जिसे पंजाब और असम में चुनाव कराने की तारीख निर्धारित करने का अधिकार है। उन शब्द के साथ मैं सभा से विचारार्थ प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : सांविधिक संकल्प प्रस्तुत हुआ :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 15) का निरनुमोदन करती है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री वड्डे सोभानाद्रीस्वारा राव (विजयवाड़ा) : माननीय मंत्री जी ने अध्यादेश जारी किये जाने के कारणों पर प्रकाश डाला है। भारत सरकार वास्तव में चुनाव आयोग के सुझावों तथा राज्यों की वर्तमान स्थिति पर विचार करने में रुचि ले सकती थी जैसा कि सरकार ने 1983 में असम राज्य में चुनाव कराये जाने का निर्णय लिया था जबकि असम राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा का वातावरण व्याप्त था, अप्रत्याशित रूप से मनुष्य की जानें गई और रक्तपात के वातावरण में चुनाव कराये गये थे। यह सुनकर भी शर्म आती है कि किसी निर्वाचन क्षेत्र से कोई विधान सभा सदस्य केवल 50 वोटों और केवल 40 वोटों से विजयी हुआ था जबकि वास्तव में 40,000 मतदाता थे। ऐसा करके लोकतंत्र का केवल मजाक उड़ाया गया था, और इसी प्रकार उप-चुनाव आयुक्त ने कहा था कि मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण आरम्भ कर दिया गया है और असम में घर-घर जाकर मतदाताओं का पता लगाने का काम नवम्बर में आरम्भ हो चुका है और 15 दिसम्बर तक पूरा हो जायगा। क्या यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और क्या मतदाता सूचियां तैयार हैं ?

श्री अशोक सेन : किसने कहा था कि यह काम दिसम्बर तक पूरा हो जायगा ?

श्री वड्डे सोभानाद्रीस्वारा राव : उप चुनाव आयुक्त ने कहा था।

श्री अशोक सेन : नहीं, नहीं उन्होंने निश्चित रूप से यह कहा होगा कि घर-घर जाकर पता लगाने का कार्य आरम्भ कर दिया जायगा। जांच अभी चल रही है।

श्री वड्डे सोभानाद्रीस्वारा राव : उसी प्रकार यह सत्तारूढ़ दल, कांग्रेस (ई), राष्ट्र की अखंडता और हितों के विरुद्ध कार्य कर रहा है। हाल में संसदीय चुनावों के दौरान उस दल ने, जिसने अनेक वर्षों तक देश पर शासन किया है, समाचार पत्रों में ऐसी विज्ञापन दिया जिसमें उन्होंने मतदाताओं से पूछा है कि वे तेलगु-देशम को चुनना पसंद करेंगे अथवा कांग्रेस (ई) को, इस विज्ञापन में उन्होंने यह भाव व्यक्त किया है कि आंध्र प्रदेश भारत संघ का अंग नहीं है। यह वास्तव में शर्मनाक बात है और ऐसी बात है जिसे सोचा भी नहीं जा सकता। मैं आप से उसकी जांच कराने का अनुरोध करता हूँ।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : ऐसा नहीं है। वह विज्ञापन को गलत रूप में उद्धृत कर रहे हैं।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यदि कोई भी किसी पत्र को उद्धृत किया जाता है तो इसे सभा पटल पर रखा जाना चाहिये।

श्री वड्डे सोभानाद्रीस्वारा राव : मैंने कहा कि मैं इसे प्रस्तुत करूंगा। महोदय, आपके माध्यम से मैं एक बात जानना चाहता हूं। पंजाब और असम में चुनावों का स्थगित करना उनकी सहूलियत के अनुसार है। और अभी भी वे नहीं बता रहे कि सरकार असम में कब चुनाव करवा रही है। इसके अतिरिक्त किस आधार पर वे चुनावों को कराने जा रहे हैं? क्या यह 1971 अथवा इसके पहले के आधार पर है, जनगणना के उद्देश्यों से वे किस नियम का सहारा लेंगे ? मैं आपसे इसका स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री भट्टम श्री रामामूर्ति (विशाखापत्तनम) : मेरे माननीय मित्र ने कुछ मुद्दे उठाये हैं तथा कुछ टिप्पणियां की हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विधिपूर्वक वचन देने के समय क्या निर्वाचन आयोग असम में कानून और व्यवस्था की स्थिति से अवगत नहीं था ?

उपाध्यक्ष महोदय : कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। इस तरह से चर्चा नहीं चलेगी।

श्री हरीश रावत।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि हाउस के अंदर और हाउस के बाहर, हर एक व्यक्ति इस बात से दुखी होगा कि इस हाउस में अब की बार पंजाब और आसाम से प्रतिनिधि नहीं पहुंचे मगर इस समय जो हालात आसाम में हैं और पंजाब में हैं, उनको भी हमें ध्यान में रखना होगा। जिन हालात में इलेक्शन कमीशन की सिफारिश को सरकार को मानना पड़ा, मैं समझता हूं कि इस हाउस का कोई भी सदस्य उन हालात को स्वीकार करते हुए, सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसका स्वागत करेगा।

मान्यवर, जब तक आसाम में इलेक्टोरल रोल्स रिवाज नहीं हो जाते, सरकार के ऊपर बन्दिश है कि वहां इलेक्शन न करवा पाये। आसाम में जो आन्दोलनकर्ता हैं और हमारे विपक्ष के मित्र भी इसी मांग के हैं कि आन्दोलनकर्ताओं

की मांग के अनुसार जब तक इलेक्टोरल रोलस रिवाईज नहीं हो जाता और उनकी मांगों को जिस प्वाइंट तक सरकार ने माना है, कम से कम उस प्वाइंट तक तो रिवीजन हो जाए, तभी वहां इलेक्शन करवाये जाएं। यदि इलेक्शन कमीशन की सिफारिश को सरकार नहीं मानती तथा वहां पुरानी इलेक्टोरल लिस्ट के आधार पर चुनाव करवाये जाते तो जैसे हालात वहां असेम्बली इलेक्शन्स के वक्त पैदा हुए थे, शायद उनसे भी बदतर हालात उस अवस्था में पैदा हो सकते थे। आसू और गण संग्राम परिषद के लोगों ने भी सरकार को इस बात की धमकी दी थी।

मान्यवर, जिस समय सोज साहब ने यहां इस बात को कहा, शायद इनके ध्यान में यह बात नहीं रही कि आसू और गण संग्राम परिषद के लोगों की ओर से सरकार को किस प्रकार की धमकी दी गई थी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विपक्ष के मित्रों को इस बिल का विरोध करने से पहले आसू और गण संग्राम परिषद के मित्रों को सलाह देनी चाहिए कि वे इस मामले पर जोर न डालें तभी मेरे विचार से सरकार को इस मामले में निर्णय लेने में मदद मिलेगी।

जहां तक पंजाब की सिचुएशन का सम्बन्ध है, हम सब उससे दुखी हैं और उसके कारण सारा देश इतना अधिक चिन्तित है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पंजाब समस्या को सुधारने के मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। सरकार जिस तेजी से इस समस्या के सुधार के लिए यत्न कर रही है, हम सब को उम्मीद है कि बहुत जल्दी वहां स्थिति सामान्य हो जाएगी और फिर उस हाउस में पंजाब से प्रतिनिधि आकर वहां की समस्याओं को उठा सकेंगे। मगर सोज साहब ने जब यहां पर अकाली दल के लोगों और उनकी लीडरशिप की वकालत की तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उनकी पार्टी की जो स्ट्रेन्थ है और जिस प्रकार उनकी पार्टी इस मामले में... (व्यवधान)

यदि आप फैक्ट बयान करते तो आप यह भी कहते कि अकाली दल अभी भी अपने आपको आनन्दपुर प्रस्ताव से डिस-एसोसियेट करने के बजाय उस प्रस्ताव पर जोर देकर कहते हैं कि सरकार को उसको मानना चाहिये, वही बातचीत के बेसिस हो सकते हैं।

यह आनन्दपुर साहब प्रस्ताव ही है जो पंजाब के अन्दर पृथकतावादी आन्दोलन चला रहा है और उग्रवादी आन्दोलन चला रहा है। यह उसकी जड़ में है। जब तक अकाली दल अपने आपको उससे अलग नहीं करता है, मैं समझता हूं कि उनके साथ बातचीत का कोई आधार नहीं बन सकता है और पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं हो सकती।

मैं अपने विरोधी पक्ष के मित्रों से आग्रह करूंगा कि कम-से-कम उनकी तरफ से यह बात साफ होनी चाहिये कि आनन्दपुर साहब का प्रस्ताव देश के हित में नहीं है और जब तक अकाली दल उस प्रस्ताव से अपने आपको अलग नहीं करता है, तब तक उनको अकाली दल की वकालत नहीं करनी चाहिये, उनकी बातों को नहीं कहना चाहिये। खुद उनको सरकार से कहना चाहिये कि वह अकाली दल के लोगों से बातचीत न करे।

इससे माननीय सदस्य सोज साहब और उनकी पार्टी की सोच साफ होती है क्योंकि उनकी पार्टी जम्मू-काश्मीर में भी मौलवी फारूख, जो जनन जनमत संग्रह की बात आज भी करते हैं, जमाते तुलवा, जमाते इस्लामी... (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वह विवाद खड़ा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत : इस हाउस के सारे पुराने मेम्बर्स को यह बात याद होगी कि जब जम्मू काश्मीर में गुरमत ट्रेनिंग कैम्प लग रहा था, जहां उग्रवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा था, उस समय भी इस हाउस में एक से अधिक माननीय सदस्यों ने इस बात को उठाया था कि उस समय की जम्मू-काश्मीर की सरकार के सरबराह मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला साहब गुरमत ट्रेनिंग कैम्प को वहां न लगवायें, यह गलत काम हो रहा है, तो माननीय सदस्य ने उन गुरमत ट्रेनिंग कैम्प को लगाने के पीछे जो उनकी मंशा थी, उसको सपोर्ट किया था। बाद में हालात ने साफ कर दिया कि गुरमत ट्रेनिंग कैम्पस से जो ट्रेनीज निकले थे, वही पंजाब में उग्रवादी एक्टिविटीज को चला रहे थे।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हमने कभी भी आनन्दपुर साहिब संकल्प को स्वीकार नहीं किया है और न ही हम इस संकल्प को स्वीकार करेंगे। वह विवाद खड़ा कर रहे हैं। ना तो मेरा उस संकल्प में हाथ है और न ही मेरे दल नेशनल कांफ्रेंस का है।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : जो हालात थे, वह इस बात से भी साफ हो जाते हैं कि उग्रवादी लोग उनकी बात का विरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा धार्मिक नेता हो, उसकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। जिस प्रकार से उन्होंने सन्त कृपाल सिंह पर गोली चलाई, यह इस बात का प्रमाण है कि पंजाब में आज भी हालात बिल्कुल असामान्य बने हुए हैं और जब तक वहां हालात सामान्य नहीं होते, वहां इलैक्शन्ज नहीं हो सकते।

जो विपक्ष के मित्र बोल रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वह कम-से-कम अकाली दल के लोगों को इतनी सलाह दें, वहां पंजाब के पांचों मुख्य ग्रन्थियों से कहें कि वह हिंसा के खिलाफ हुक्मनामा तो जारी करें। कई लोगों ने पहले भी इस प्रकार की मांग उनसे की थी, लेकिन उन्होंने हिंसा के खिलाफ हुक्मनामा जारी करने से इन्कार किया और आज भी वह हुक्मनामा जारी नहीं कर सकते, वह हिंसा को कंडम नहीं कर सकते, उग्रवादी गतिविधियों को कंडम नहीं कर सकते और उनको कंडम करने नहीं जा रहे हैं। इससे पंजाब के हालात बिगड़ रहे हैं।

इससे साफ होता है कि आज जो वहां पंजाब और असम का प्रतिनिधित्व नहीं है, उस के पीछे सरकार का दोष नहीं है, कमी सरकार की नहीं है। कमी उनकी है जो पंजाब के अन्दर आन्दोलन चला रहे हैं, उग्रवादी तत्व हैं। असम में जो आन्दोलनकर्ता हैं, उनकी कमी है। यदि हम सब मिलकर उनको सलाह दे सकते हैं और उनकी सलाह को आन्दोलनकर्ता मानें तो मैं समझता हूं कि सरकार को पंजाब और असम में चुनाव करवाने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

जहां तक कांग्रेस का सवाल है, उसे तो इससे मदद मिलेगी। अगर आज पंजाब और असम में चुनाव हुए होते तो वहां कांग्रेस की मैजोरिटी और भी बढ़ी होती। हो सकता है कि हमारी संख्या इस समय 435 और 440 के करीब होती।

इन्हीं शब्दों के साथ मंत्री जी द्वारा पेश किये गये विधेयक का मैं समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सैफुद्दीन चौधरी : (कटवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक पर चर्चा में हिस्सा लेते हुये मैं आरोप अथवा प्रत्यारोप नहीं लगाऊंगा क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं होगा। जिस चीज की आज हमें जरूरत है, वह है राष्ट्रीय स्तर पर सम्मिलित प्रयास करने की जिससे पंजाब और असम समस्याओं का समाधान हो सके। परन्तु यह दुर्भाग्यपूर्ण विधेयक है। असम और पंजाब के लोग आठवीं लोक सभा के चुनावों में भाग नहीं ले सके। पिछली बार सिर्फ असम ही था परन्तु इस बार दो राज्य हैं। यह रवैया मेरे विचार में हमारे लोकतंत्र के लिये एक हानिकारक रवैया है।

आरम्भ में, मैं प्रधान मंत्री जी की घोषणा का स्वागत करता हूं कि उनकी सरकार असम तथा पंजाब की समस्याओं का राजनैतिक हल ढूंढ निकालेगी। लेकिन मेरी आशा की किरण सरकार की अकर्मण्यता से धूमिल पड़ गयी है। राजनैतिक हल के निकालने में हमें जिस चीज की आवश्यकता है वह यह है कि हमें अपने लोगों को बताना है कि इस तरह के पृथकतावादी आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें हैं। हम अनेक बार यह बताते रहे हैं कि साम्राज्यवादी एजेन्सियां अत्यधिक कार्यरत हैं और हमारे देश में पृथकतावादी आन्दोलन को बढ़ाने में सहयोग कर रही हैं। भूतकाल में भी अनेक बार हमने बताया था कि कलकत्ता में अमरीकी कांउसलेट के कार्मिकों ने असम का दौरा किया था और पृथकतावादियों के साथ उनके अवैध सम्बन्ध थे परन्तु सरकार इन एजेन्सियों की शिनाख्त करने तथा लोगों को विश्वास में लेने के कार्य को नहीं कर सकी है। अब इसने मंत्रिमण्डल की उप-समिति बनाई है। हम नहीं जानते कि इस मंत्रिमण्डल की उप-समिति का कार्य क्या होगा परन्तु इसमें हमें बहुत सन्देह है। यद्यपि पंजाब के लिये एक उप-समिति बना दी गई है, उसी समय सत्तारूढ़ दल के कुछ नेता-और वे बहुत ही जिम्मेदार नेता समझे जाते हैं– इस तरह की बात कर रहे हैं जोकि पंजाब समस्या के हल में सहायक नहीं हैं। कुछ नेताओं का कहना है कि हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को मिला दिया जाएगा और वे समझते हैं कि यह एकमात्र अनोखा समाधान है—यह बहुत ही बेहूदापूर्ण बात है और यह देश के हितों के लिये हानिकारक है। सरकार 21वीं सदी की बात कर रही है, हमें यह समझ में नहीं आता कि किस तरह वह पीछे जाने की बात कर सकते हैं। अतः यह लोगों के विचारों में विश्वास नहीं

पैदा कर सकता। इससे खलिस्तानी प्रवृतियों को बढ़ावा ही मिलेगा, जैसा कि पहले हुआ था क्योंकि पिछली सरकार ने एकमंच्यता की नीति को अपनाया था और इसी की वजह से इन अलगाव वादी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला था। मैं जानना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक मांगों को क्यों नहीं स्वीकार किया गया जिससे कि हल निकाला जा सकता था और जल्दबाजी में धार्मिक मांगों को स्वीकार कर लिया गया। हमने कभी समर्थन नहीं किया।

1-00 म० प०

अब बहुत कुछ कहा जा चुका है कि विरोधी दलों ने आनंदपुर साहिब संकल्प का समर्थन किया है। मैं नहीं समझता कि सत्ताधारी दल के किसी व्यक्ति ने विरोधी दलों के सभी प्रस्तावों को पढ़ने की जरूरत समझी हो। हमने कभी भी इसका समर्थन नहीं किया। सच तो यह है कि विरोधी दलों ने ही पंजाब समस्या का हल निकालने की कोशिश की है और उन्होंने अकाली दल को आनंदपुर साहिब संकल्प को त्याग देने के लिये समझाया-बुझाया और तीन मांगों नदी जल, सीमा विवाद तथा चण्डीगढ़ पर विरोधी दलों ने उन्हें वार्ता के लिये राजी किया। वास्तव में अब क्या हुआ है हमें नहीं मालूम। अनेक बार हमें पता चला कि कोई हल निकाला जा रहा है परन्तु सुबह हमें बताया गया कि......

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चौधरी, हम मध्याह्न भोजन के लिये सभा स्थगित कर रहे हैं। आप मध्याह्न भोजन के पश्चात अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

1-02 म० प०

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 4 मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये एक घन्टे का समय नियत किया गया है। इसलिये मैं सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वे संक्षेप में बोलें, क्योंकि बहुत से सदस्य इसमें भाग लेना चाहते हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी से निवेदन करूंगा कि वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अतीत में हम कई बार समझौते पर पहुंच गये थे परन्तु उसके तुरन्त पश्चात् खबर आई कि समझौते पर हस्ताक्षर नहीं होंगे। मैं जानना चाहता हूं ऐसा क्यों हुआ। इसमें भी तोड़फोड़ का हाथ हो सकता है। और जासूसी गतिविधियों का भंडा फूटने के बाद हमें पूरा संदेह है कि प्रधान मंत्री सचिवालय में भी जासूस थे। कमजोर नीति के अलावा उन्होंने विध्वंसक तत्वों को उनकी गतिविधियां करने में सहायता की। इसमे उनका हाथ है।

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में हथियारों, कार्मिकों तथा सूचनाओं की तस्करी हो रही है? सरकार क्या कर रही है? सवाल यह है। अन्यथा हर बार यह स्थगित होगा। असम और पंजाब के लिये राजनैतिक हल निकालना जरूरी है। यह कानूनी समस्या नहीं है। माननीय मंत्री जी समझेंगे कि इन बातों पर बोलने का यह समय नहीं है। परन्तु इन समस्याओं के समाधान के लिये सिर्फ राजनैतिक हल ही पर्याप्त हो सकता है। क्या सरकार को इन बातों की जानकारी है? और यदि हो, तो क्या मैं जान सकता हूं कि क्या वे प्रभावकारी ढंग से सीमा को बंद करेंगे? हमारे पास यह समाचार है कि चौहान को लन्दन में विशाल प्रदर्शन आयोजित करने की इजाजत मिल गई है। इसके बारे में सरकार क्या कर रही है? इस समस्या का हल निकालने के लिये अनुकूल स्थिति पैदा करने के लिये यह प्रासंगिक मुद्दा है।

[श्री सैफुद्दीन चौधरी]

अब मैं असम पर आता हूं। असम में चुनाव कराये जा सकते थे। परन्तु यह बहुत ही खेदजनक बात है कि निर्वाचन आयोग का इस बात में अनावश्यक रूप में अंतर्ग्रस्त होने के कारण कि कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जायेगा, किस वर्ष की मतदाता सूची को लिया जायेगा—1979 की या 1971 की मतदातासूचियों के संशोधन में देरी हो गई है। उन्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिये था। मैं निर्वाचन आयोग पर किसी भी प्रकार का आक्षेप नहीं लगाना चाहता। वह बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। परन्तु निर्वाचन आयोग के बीच में आ जाने की वजह से असम में मतदाता सूचियों के संशोधन कार्य में अनावश्यक रूप से देरी हुई है। नागरिकता का निर्धारण संसद में बने कानूनों के अनुसार किया जाता है। न्यायाधिकरण असम में विशेषकर इस प्रयोजन से बनाये गए थे। मैं नहीं जानता उन न्यायाधिकरणों का क्या हो गया है। "उनके कार्य में कहां तक प्रगति हुई है"? यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक पहलू सामने आ रहा है कि कुछ लोगों को नागरिकताहीन घोषित कर दिया जायेगा। इससे फिर समस्याएं पैदा होंगी और इस तरह से इसका हल निकालना संभव नहीं होगा। उन्हें हमारे देश की वचन बद्धता पर लिया गया था। जो व्यक्ति बंगलादेश अथवा पूर्वी पाकिस्तान से बाहर आ रहे थे वे अपनी मर्जी से नहीं आ रहे थे। देश का विभाजन साम्राज्यवाद की नीति के कारण हुआ था और हमने विभाजन को स्वीकार किया। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि अल्पसंख्यकों अथवा अन्य तरह के लोगों पर अत्याचार को रोकने के लिए हम अपने देश में किसीभी तरह के अवैध अप्रवास की अनुमति दे सकते हैं। इसे हम कभी भी अनुमति नहीं दे सकते। परंतु जरूरत है प्रभावी ढंग से सीमाओं को सील करने की। इस सदन में बाड़ लगाने का प्रश्न भी आया था। बंगलादेश सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें विश्वास है कि उस कार्य को रोक दिया गया है। उस कार्य को क्यों रोका गया है? इन सभी प्रश्नों का जवाब सरकार को देना है? इस सदन में पहली बार हम असम और पंजाब के मसलों पर चर्चा कर रहे हैं। इन समस्याओं का हल करने के लिये राजनैतिक और सैद्धांतिक विश्वास की आवश्यकता है। अवसरवादिता से काम नहीं चलेगा। परन्तु लोगों के मन में उस समय संदेह पैदा हो गया है जब आंदोलनकारी नेताओं को अनावश्यक रूप में महत्व प्रदान किया गया और यह खबर बड़ी गई जो गृह मंत्री ने उन्हें टेलीफोन किया जबकि वे घोषणा कर रहे थे कि वे गणतन्त्र दिवस कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। दूसरी ओर, जालन्धर को आमंत्रित किया गया, इन सब बातों से कुछ भ्रम पैदा हो रहा है और हमें विश्वास करना पड़ रहा है कि सरकार इन समस्याओं के लिये राजनैतिक हल ढूंढने के बारे में गम्भीर नहीं है। और मैं सरकार को याद दिलाना चाहूंगा कि ये मसले उस विजय से समाप्त नहीं हो जाते जो उन्हें मिली है जो बहुमत इस सदन में मिला है। समय की मांग है बिना किसी विलम्ब के असम और पंजाब में चुनाव कराये जायें। हमें ठोस उपाय करने चाहियें और हमें लोगों के विश्वास से उन्हें क्रियान्वित करना चाहिये। देश के हित में सभी दलों को विश्वास में लेकर हमें वास्तविक हल निकाल कर उसे क्रियान्वित करना चाहिये। आवश्यकता इसी बात की है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (चांदनी चौक) : उपाध्यक्ष महोदय, इस भारतवर्ष में रहनेवाले, हर धर्म और समाज को मानने वाले लोग इकट्ठे हो कर किसी भी चुनाव में हिस्सा लेते हैं। यह सब एक गुलदस्ते की तरह है जिस में अलग अलग तरह के फूल हैं। हमारी सरकार की कभी भी यह कोशिश नहीं रही कि हमारे ही बीच में रहने वाले कुछ भाइयों को लोकसभा के लिये होने वाले चुनावों से अलग किया जाय। इस लोक सभा में, जहां देश के बहुत बड़े बड़े मामलों पर फैसले लिये जाते हैं, उन को उन फैसलों में शामिल न किया जाय। लेकिन दूसरी तरफ यह भी देखना होगा कि कौन सी ऐसी ताकतें हैं, जिन्होंने यह कोशिश की कि इस देश में झगड़े हों, दंगे हों, कुछ ऐसे उग्रवादी हैं, एन्टी-सोशल एलीमेन्ट्स हैं जो उस तरह के वातावरण से बढ़ावा ले सकें और देश में दंगे और फिसाद करा सकें।

सरकार की हमेशा यह नीति होती है कि कोई भी ऐसी समस्या हो, उस का कोई न कोई राजनीतिक हल निकाला जा सके, ताकि देश में शान्ति स्थापित रह सके। लेकिन [illegible] होगा—पिछले दिनों पंजाब में हो रहे दंगों ने वहां पर [illegible] हुई और सरकार को मजबूर हो [illegible] में [illegible] हुई थी, देश में रहने वाले हर नागरिक को भारतीयता के नाम पर जोड़ने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ कुछ ऐसी पोलिटिकल पार्टियां थीं जो उस वातावरण से फायदा उठाने में लगी हुई थीं। उन्होंने कोशिश की—जो लोग पंजाब में झगड़ा करा रहे थे उन को अपना

दे सके, उन को पनाह दे सके । हमें देखना है कि वे कौन सी ऐसी पोलिटिकल पार्टियां हैं जिन के बड़े नेता ने खड़े हो कर पूरे जोर से उन उग्रवादियों को पनाह दी और यह कहा कि सरकार ने उनके खिलाफ़ जो मुकदमें चलाये हैं, वे उन मुकदमों को लड़ेंगें और उन को बरी करायेंगे । क्या यह सबूत नहीं है कुछ ऐसी ताकतों का जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं ? मैं यहां पर यह भी कहना चाहता हूं—जब इलेक्शन के दौरान दंगे होते हैं तो यह कोशिश की जाती है कि वहां पर इलेक्शन न हों तथा वहां पर बाद में चुनाव कराये जांय ताकि कोई भी ला-एण्ड आर्डर सिचुएशन पैदा न हो । मैं एक बात और कहना चाहता हूं—सरकार इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार वे उग्रवादी लोग हैं, वे लोग है जो इस देश में तोड़-फोड़ देखना चाहते हैं । आपने देखा होगा, जिस समय जे०एस० चौहान लन्दन में बैठ कर यह कह रहा था कि इन्दिरा जी की मौत के लिये एक लाख डालर दिये जायेंगे—उस समय कौन सी पोलिटीकल पार्टी ऐसी थी जिस ने खड़े हो कर उसके खिलाफ़ आवाज उठाई हो और कहा हो कि यह गलत है । हम अपने प्रधान मंत्री के साथ खड़े हैं, कोई भी प्रधान मंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वह देश का प्रधान मंत्री होता है । उसके खिलाफ़ सब को खड़े हो कर मुकाबला करना चाहिये था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा ।

मैं एक और बात आप के सामने रखना चाहता हूं—जिस समय पंजाब में कत्ले-आम हुआ था, उस समय एक पोलिटिकल पार्टी के नेता, जिन के लिये अखबारों में एक बड़ा कार्टुन आया था—"हम दो और हमारे दो", उन्होंने कभी भी खड़े हो कर यह नहीं कहा कि जो लोग पंजाब में दंगा और फिसाद करा रहे हैं, जो वहां के माहौल को बिगाड़ रहे हैं, जिन्होंने वहां कत्ले-आम किया है, हम उनके खिलाफ़ हैं, उन्होंने कभी भी उनके खिलाफ़ आवाज नहीं उठाई, लेकिन जब देश के दूसरे भागों में दंगे हुए तो उन्होंने एक लम्बी-चौड़ी फ़हरिस्त बनाई और कहा कि ये लोग हैं जो मर गये हैं, इन को नुकसान पहुंचा है । मैं उन से पूछना चाहता हूं—अगर उन को देश से इतना ही प्रेम है और वह चाहते थे कि आम वाले समय में देश की स्थिति खराब न हो, तो उन्होंने खड़े हो कर उन घटनाओं का मुकाबला क्यों नहीं किया ? उनकी यह कोशिश रही कि लोगों की भावनाएं भड़कें और वे लोग जो वहां दंगा और फ़साद कराना चाहते हैं, उनको बढ़ावा मिले । आपने देखा होगा कि एक पोलीटीकल पार्टी के एक नेता गोल्डन टेम्पिल गये और वहां से आ कर उन्होंने बाद में यह कह दिया कि वहां पर कोई हथियार नहीं है लेकिन जो हादसा वहां पर हुआ, वह हम सब जानते हैं । वहां पर बहुत ज्यादा गोला-बारूद निकला और वहां पर लड़ाई और जंग हुई । यह इसलिए हुआ कि वहां पर शान्ति कायम की जा सके । इस तरह से आप देखें कि वे सब चीजें इस बात का सबूत है कि देश को गुमराह करने के लिए और सरकार को गुमराह करने के लिए ऐसे बयान दिये गये, जिससे देश गुमराह हो और वहां पर सही कदम न उठाए जा सकें । मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी जगह सही माहौल नहीं होगा और सही हालात नहीं होंगे, तो वहां पर चुनाव कराना सही नहीं था क्योंकि चुनाव के दौरान और ज्यादा आग भड़क सकती थी और दंगे हो सकते थे । अभी एक मुख्य ग्रन्थी के गोली मारी गई । क्या यह इस बात का सबूत नहीं है कि वहां पर हालात अभी भी इस लायक नहीं हैं कि वहां पर चुनाव कराए जा सकें । यही बात मैं आप के सामने रखना चाहता हूं कि कोई प्रान्तीयता देश की अखण्डता से बड़ी नहीं हो सकती । अगर हमें अपने देश को मजबूत रखना है, अगर इस देश को अखण्ड रखना है, तो हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम कौन सी पालीटीकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं बल्कि हमें यह देखना चाहिए कि हमारा देश कैसे मजबूत हो सकता है और हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं । अभी मेरे एक दोस्त ने यहां कहा कि असम में जो चुनाव हुए, तो एक नुमायन्दा सिर्फ 40 वोट से जीत कर आया । मैं आप के सामने यह रखना चाहता हूं कि इस हाऊस में एक बहुत बड़े नेता हैं जो सन् 1952 से बराबर चुने जा रहे हैं और वे लाखों की गिनती में सिर्फ 1200 वोट से जीत कर आए हैं । अगर वे गलत थे तो ये भी गलत हैं । इसलिए सवाल यह नहीं है कि कौन कितने वोट से जीत कर आया । अगर कोई एक वोट से भी जीतता है, तो वह मेम्बर हो सकता है और उस को हटाया नहीं जा सकता । .... (व्यवधान) ....

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : सिर्फ 40 वोट से वह जीत कर आए, यह तो इन्होंने एक उदाहरण दिया है । ..... (व्यवधान) .....

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय । कृपया बीच में मत बोलिये । उन्हें समाप्त करने दीजिये ।

श्री गिरिधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) । वह नहीं मान रहे हैं ।

श्री अमर रायप्रधान (कूच बिहार) : यह उनका प्रथम भाषण है और हम व्यवधान नहीं डालना चाहते । परन्तु यह स्पष्ट होना चाहिए . . .

श्री गिरधारी लाल व्यास : तो आप क्यों व्यवधान डाल रहे हैं ?

श्री अमर राय प्रधान : उन्होंने कहा कि एक सदस्य है जो सन 1952 से सिर्फ 1200 वोटों से जीत कर आ रहे हैं । यह सही नहीं है ।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल : इस बार ।

कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यह संवैधानिक दृष्टि से सही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें अपना भाषण जारी रखने दीजिये ।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश अग्रवाल : मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर दो स्टेट्स में चुनाव नहीं कराए गये, तो आज जनता का वरडिक्ट हमारे सामने है कि हमारा जो कदम था, वह सही था । जनता ने हमको वोट दिया है और यह कहा है कि कांग्रेस ही ऐसी सरकार है, जिसको वोट दिया जा सकता है और जो जनता के नजदीक है और जनता के दुःख-दर्द में शामिल होती है ।

जो मोशन हमारे मंत्री महोदय ने रखा है, मैं उसका अनुमोदन करता हूं ।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस बिल पर हमको ज्यादा नहीं कहना है लेकिन एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि भारत देश में पहली बार ऐसी स्थिति हो गई है कि पंजाब और असम, जो कि भारत देश के सीमा प्रदेश हैं और जो अपनी इम्पोर्टेन्स रखते हैं, देश की रक्षा के बारे में, वहां का कोई नुमायन्दा, कोई प्रतिनिधि आज इस लोक सभा में नहीं है ।

ऐसा हो सकता है कि अपनी पार्टी के कुछ लोगों को दूसरे प्रदेशों से यहां ले आये । जैसे कि श्री बूटा सिंह साहब और स्पीकर साहब राजस्थान में चुनाव लड़े और जीत कर आये । जिस दिन वे यहां आये, उस दिन वे राजस्थानी वेष में थे । ऐसा मालूम हो रहा था कि वे राजस्थानी बन गये हैं । इसलिए हमें दुःख है कि पंजाब और असम के लोग यहां नहीं हैं ।

असम के बारे में हम कह सकते हैं वहां के लिये इलेक्शन कमीशन को आदेश जारी करना पड़ा कि वहां चुनाव नहीं कर सकते हैं । सरकार को पंजाब और असम के बारे में अध्यादेश जारी करना पड़ा ।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह : माननीय सदस्य ने जो कहा मैं उसे शुद्ध करना चाहता हूं । उत्तर भारत में सारी आर्य जाति पहले जैसलमेर आई और वहां से वे पंजाब, हिमाचल प्रदेश और अन्य स्थानों को गई ।]

[हिन्दी]

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी (हनमकोंडा) : आप पुरानी जगह पर पहुंच गये, आप मूल जगह पर पहुंच गये । ठीक है ।

असम के बारे में जो बातें चल रही हैं उनमें यह भी है कि 1983 में वहां छात्रों का आन्दोलन हो रहा था । केन्द्र सरकार की उनसे गुफ्तगू चल रही थी । चुनाव से दो-तीन महीने पहले उन लोगों की मांगों को पूरा करने के लिए संविधान में संशोधन लाने की बात थी जिसका कि हमारी पार्टी ने, लोकदल ने और जनता पार्टी ने समर्थन किया था और हम उसमें साथ देने के लिये तैयार थे । फिर भी वह संशोधन नहीं किया गया । वहां चुनाव संशोधन के बाद हो सकते थे लेकिन उसमें कांग्रेस पार्टी को चुनाव में जीत कर आने में मदद नहीं मिलती । अगर आप संशोधन के बाद चुनाव कराते तो आपको मालूम है कि आप चुनाव में जीत कर नहीं आ सकते थे । आपने छात्रों से बातचीत करते हुए वहां चुनाव किये । उन चुनावों में बहुत से लोग मारे गये । वहां हिन्दु, मुसलमानों में दुश्मनी पैदा हो गई ।

दिल्ली एरियाज के लोगों और प्लेंस के लोगों में झगड़ा शुरू हुआ जो कि अभी तक दोनों के बीच में है। उन चुनावों में वोट कितने पड़े ? कहीं दो सौ वोट पड़े, कहीं केवल चालीस वोट ही पड़े। ऐसी स्थिति में वहां पर कांग्रेस की सरकार बनी। आपको मालूम था कि ऐसी परिस्थिति में ही कांग्रेस के लोग वहां पर सत्ता में आ सकते हैं और आप आये। आपने राजनीतिक दृष्टि से, वोटों की दृष्टि से फायदा उठाने के लिए वहां पर चुनाव कराये।

पंजाब के बारे में भी आप देखेंगे। पंजाब में 1981 में लाला जगत नारायण की हत्या की गई। सी०बी०आई० की इंक्वायरी हुई। उसके बारे में जब सारे देश में मांग हुई तो आपने भिण्डरावाले को अरेस्ट किया। उसके बाद में आपने उनको छोड़ दिया।

श्री बूटा सिंह : अदालत के कहने पर छोड़ा था।

श्री चंदुपाटला जंगा रेड्डी : अगर कोर्ट के कहने पर छोड़ा था तो आप हाई कोर्ट में जा सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे। आप यह सब कार्यवाही करने में पीछे हटे। जब उनको छोड़ा गया तो उसके बाद वह अपनी सेना के साथ दिल्ली आये, बम्बई गये। इससे जनता में यह भ्रम फैला कि सरकार उनसे डरती है।

फिर 1982 में एक डी०आई०जी को मारा गया, उनकी हत्या की गई। उस वक्त तक भिण्डरावाले जी नानक निवास में थे। वहां पुलिस भेज कर उनको अरेस्ट किया जा सकता था। 1983 तक सरकार ने कुछ नहीं किया। यह इस बात का सबूत है कि सरकार बजाय समस्या को हल करने के उसे बढ़ाती रही। सरकार की चुनाव के पहले समस्या को हल करके मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश जारी रही। इसी वजह से 1983 तक उसको अरेस्ट नहीं किया गया। उसके बाद कांग्रेस सरकार और पंजाब की पुलिस उनको अरेस्ट करने में असमर्थ हो गई। उसके बाद श्री राजीव गांधी जी कांग्रेस के महासचिव के नाते पंजाब पहुंचे और वहां की स्थिति पर विचार प्रकट करते हुए उन्होंने कहा कि भिण्डरावाला केवल एक धार्मिक नेता है, राजनीतिक नेता नहीं है। इस तरह से उसको एक बड़ा सर्टिफिकेट दे दिया गया। इसके बाद जितने भी वहां पर अत्याचार हुए, हत्याएं हुईं, धार्मिक नेता का सर्टिफिकेट देने के बाद बढ़ती गई। इस तरह से जनता में विश्वास किस प्रकार पैदा कर सकते हैं अगर 1981 या 1983 में भिण्डरावाले को अरेस्ट करके केस चलाते तो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी को बचाया जा सकता था, मगर आप लोग इनटाइम एक्शन नहीं लेना चाहते। आपको मालूम होगा कि हम लोग आंध्र प्रदेश से आए थे। और सभी जगहों के बी० जे० पी० और लोकदल के लोग यहां आए थे और 10 दिन तक यहां पर सत्याग्रह किया था कि स्वर्ण मंदिर में सेना भेजी जाए। हम लोगों ने सरकार पर दबाव डाला, लेकिन फिर भी दिसंबर तक सरकार रुकी रही। अगर एक्शन पहले हो जाता तो इंदिरा जी को बचाया जा सकता था और आज जो असम और पंजाब के बारे में हलचल हो रही है, वह नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के लोग सिर्फ इस दृष्टि से समस्या को टालते जाते हैं कि चुनाव के समय समस्या हल करेंगे, ताकि वोट मिल सकें।

अभी प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने बताया कि पंजाब और आसाम की समस्या को हल करने के लिए सरकार तैयार है। अगर ऐसा है तो हमारी पार्टी बीजेपी हमेशा उनके साथ है। हमें आशा है कि वे जल्दी से जल्दी इस समस्या को हल करेंगे और इन समस्याओं पर जो पूरे देश में शोर हो रहा है वह समाप्त होगा। अंत में इतना ही कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं कि अगर एक्शन पहले ले लिया जाता तो इस बिल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। मेरी सरकार से यही प्रार्थना है कि हर समस्या को चुनाव की दृष्टि से हल न किया जाए। हर समस्या के समाधान में हमारी पार्टी सरकार के साथ है। मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सरकार को सद्बुद्धि दे, इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश के संबंध में जो चर्चा यहां हो रही है उसके बारे में विरोध पक्ष के लोगों का जो विचार सुनने को मिला, उसे सुनकर बहुत ताज्जुब हुआ। अभी-अभी मेरे पूर्ववक्ता ने अपने विचार प्रस्तुत किए, उससे ऐसा लगता था कि सारी स्थिति को सही समझने के बाद भी सिर्फ विरोध पक्ष में हैं इसलिए उससे इन्कार किया जा रहा है। हमारे कम्युनिस्ट साथियों ने भी बहुत अच्छे ढंग से समस्या को प्रस्तुत किया और यह महसूस भी किया कि जो अव्यवस्था असम में हुई और जिन साम्राज्यवादी ताकतों ने पंजाब और असम को तोड़ने का प्रयत्न किया, उसी के कारण यह स्थिति आई। उसके बाद जो परिणाम सामने आए, चुनाव के समय जो स्थिति वहां पर थी, उसका जिस तरह से वर्णन किया गया उससे मैं समझता था कि वे लोग इसका समर्थन करेंगे, लेकिन इससे इन्कार करते

[श्री केयूर भूषण]

हुए अपने विरोध पक्ष में होने का अस्तित्व उन्होंने बताया है। यह बड़ा ताज्जुब लगता है, जब एक तरफ यह कहा जाता है कि यहां पर चुनाव न होने देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। असम में जब चुनाव हुए और वहां पर खून-खराबी तथा हत्याएं हुईं तो चुनाव न होने देने का पूरी तरह से प्रयत्न हुआ। वहां जब इन हालात में चुनाव हो रहे थे तो विरोधी पार्टियां यह कहती थीं कि चुनाव नहीं होने चाहिए। क्या वही स्थिति इस चुनाव के अन्दर लाना चाहते थे। अगर नहीं लाना चाहते थे तो इस अध्यादेश की आवश्यकता को महसूस करना चाहिए था। जैसी स्थिति वहां पर बनाई गई थी और जिस हालत में यह अध्यादेश लाया गया, उसका समर्थन करना चाहिए। मुझे पूर्व की स्थिति याद आती है। क्या वे उसी मानस से सोच रहे हैं कि हरेक प्रान्त को स्व-निर्णय के अधिकार के रूप में उन्हें दिया जाए या भारत को एक संस्कृति के आधार पर सम्पूर्ण भारत को एक माना जाए। यह बात सही है कि भारत कभी भी अपने को छिन्न-भिन्न स्थिति में लाने के लिए तैयार नहीं हुआ। जब मजबूरी हुई तो तभी हिन्दुस्तान के टुकड़े हुए। हिन्दुस्तान के टुकड़े करने का षड़यंत्र विदेशी ताकतों के आधार पर हो रहा है। उनके एजेन्ट भारत के अन्दर देश के टुकड़े करना चाहते हैं। क्या उन्हें ऐसा करने का मौका दिया जाए या मुकाबले से लड़ा जाए। जिस तरीके से हमारी दिवंगत प्रधान मंत्री ने अपनी कुर्बानी देकर भारत को बचाया, उसी आधार पर हमको भी लड़ना चाहिए। आज के वातावरण में अगर आप पंजाब को देखेंगे तो क्या आपको यह महसूस नहीं होगा कि इसके पीछे वही षड़यंत्र दोहराया गया है। सन् 48 से सन् 85 के बीच हमारे देश में काफी अन्तर आया है। उस समय भी जब भारत आजाद हुआ और भारत की आजादी जैसे-जैसे नजदीक आई तो साम्राज्यवादी ताकतें पराभूत हो चुकी थीं। उन्हें ऐसा लगता था कि शांति का मसीहा भारत आगे बढ़ेगा और एक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आयेगा तथा जिस शक्ति के सामने एटोमिक बम भी किसी काम के नहीं रह जायेंगे। यह स्वयं तो शक्तिशाली होगा ही, या इसके सामने साम्राज्यवादी ताकतें नहीं रह पायेंगी। इसलिए वे चाहते थे कि हिन्दुस्तान के टुकड़े हों। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के दो टुकड़े उन्होंने करवाए, मार्क्सियों ने एक एजेन्ट के रूप में उनका काम किया। इस वजह से जन भावनाएं विपरित हो गई। उस महापुरुष की आपको याद दिलाना चाहता हूं जिसने भारत को स्वतंत्रता में सर्वाधिक योगदान दिया और राष्ट्र को सर्वाधिक जगाया। उसके सामने एक कल्पना थी। विभिन्न भाषा-भाषी और विभिन्न धर्म होने के बावजूद भी भारतीय संस्कृति हजारों साल से एक ही रही है। संस्कृति को धर्म या भाषा नहीं काट सकती। संस्कृति, धर्म और भाषा से बड़ी है और देश उससे भी बड़ा है। उस स्थिति को जब तोड़ा गया तो उसके सामने एक साफ नक्शा था, और वह था महात्मा गांधी। वह जानते थे कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान होने के बाद भी लोगों का दिल नहीं टूटा है। वह चाहते थे कि इनका दिल एक हो जाए। साम्राज्यवादी ताकतों को यह मालूम था कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का दिल जुड़ता है इसलिए खून-खराबा हुआ। इसी वजह से उन्होंने अपनें सबसे बड़े दुश्मन महात्मा गांधी को ही मारा और भले ही उनको मारने में नाथूराम गोड़से का हाथ रहा है। मारनें वाले के हाथ में पिस्तौल नाथूराम गोड़से का रहा है मगर साम्राज्यवादी ताकतों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी को शांति का और साम्राज्यवादीयों का सबसे बड़ा दुश्मन मानकर गोली से उड़ा दिया। आज यहां फिर से वही षड़यंत्र देखा जा रहा है। इन 35–36 सालों में जिस तेजी से भारत ने अपनी स्थिति को दुनिया के सामने सुधारा है, निखारा है, उसके कारण साम्राज्यवादियों को फिर से खतरा दिखाई देने लगा है। यदि भारत आज दुनिया के सामने विश्व-शान्ति के रक्षक के रूप में सामने आता है, मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है तो इससे उन साम्राज्यवादी ताकतों का नुकसान होने वाला है, ऐसा जब उनको दिखाई देने लगा तो उन्होंने फिर से हिन्दुस्तान के उसी तरीके से टुकड़े करने का प्रयत्न किया और यहां पंजाब समस्या और आसाम समस्या को खड़ा किया, कहीं दंगे हो रहे हैं हिन्दु और मुसलमानों के बीच, कहीं दंगे हों रहे हैं सिखों और गैर-सिखों के बीच। आप ईमानदारी से सोचने का प्रयत्न कीजिए, इन सब कार्यों के पीछे सिवाय साम्राज्यवादियों की चाल के अतिरिक्त आपको कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं देगी। वे फिर से देश के टुकड़े करने पर आमादा हैं।

पंजाब के माहौल को बिगाड़ने के पीछे किसका हाथ है, क्या सिक्ख कौम इसके लिए जिम्मेवार है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोई भी मजहब या ग्रंथ, चाहे वह सिक्खों का हो, इस्लामी हो, इसाइयों का हो, राष्ट्र को तोड़ने की आज्ञा नहीं देता, किसी धर्म-ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। कोई भी मजहब धर्म के साथ साथ देश का बंटवारा नहीं चाहेगा। मगर यह हमारे यहां हो रहा है और उसका कारण यही है कि यहां फिर से वही शक्तियां अपनी चाल और षड़यंत्र रच रही हैं। वे शक्तियां यह भी जानती हैं कि धर्म एक नाजुक मामला होता है और अलगाव की वृत्ति को बढ़ाने के लिए उसका ही उप-

योग किया जाता रहा है। इस समय हमारे यहां जिस महान धर्मग्रंथ की मान्यता बढ़ती जा रही थी, जिसमें भारतीय संस्कृति की रक्षा का जिक्र मौजूद था, सभी धर्मों में जितने महान पुरुष हुए, जितने संत हुए, उनकी वाणियां उसके अंदर रहीं, सिक्खों का और उनके धर्मग्रंथ का, आज का इस देश की रक्षा और कुर्बानी में जितना योगदान रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए उन ताकतों ने सोचा कि यही स्थान उपयुक्त हो सकता है और इसी लिए जानबूझकर वहां षड्यंत्र कराया गया और देश के टुकड़े करने का प्रयत्न किया गया।

जिस तरह गुरु नानक देव की वाणी से सारे देश में एकता का सूत्रपात हुआ, उसी तरीके से असम में भी शंकरदेव हुए जिन्होंने सारे देश को राष्ट्रीयता का पाठ सिखाया। दूसरे, जितने अन्य सन्त हुए, चाहे मध्य में कबीर हुए, शंकराचार्य हुए, उन सबके उपदेशों में भारत को एक करने की बात कही गई, उनका प्रयत्न यही रहा कि भारत एक हो जाए। मगर साम्राज्यवादी ताकतों ने हमेशा उसका गलत फायदा उठाने की कोशिश की।

इसलिए आज मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि साम्राज्यवादियों की चालों को तोड़ने के लिए इंदिरा जी ने जिस तरह काम किया, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपके पास प्रमाण दे सकता हूं कि उनका प्रत्येक कदम राष्ट्र की एकता, अखण्डता और विश्व-शान्ति के लिए उठा। यदि स्वर्ण मन्दिर में सेना का प्रवेश भी हुआ तो वह राष्ट्र को बचाने के लिए हुआ। उस बात को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं कि आज का अकाली दल वह अकाली दल नहीं है जिसने 1920 में धर्मगुरुओं के अत्याचारों और अन्याय के खिलाफ आवाज उठायी थी। यह वह अकाली दल नहीं है जिसने मास्टर तारा सिंह के सामने आकर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के टुकड़े न होने देने के लिए आवाज उठायी थी। आज के अकाली दल का आधार दूसरा है। जिस तरह से मैं मुस्लिम लीग को कहता हूं, जिस समय उसकी शुरुआत हुई, वह भारत का बंटवारा करवाने वाली मुस्लिम लीग नहीं थी, उसका भारतीय संस्कृति से गहरा सम्बन्ध रहा है, उसी आधार पर आज उसका धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं है। आज जो अकाली दल है, वह भारत देश के टुकड़े करवाने के लिए धर्म के नाम पर धर्म न समझने वालों ने एक नक्शा सामने रखा है इसलिए इस अकाली दल को सिक्ख न माना जाए, पंजाब न माना जाए। जिस अकाली दल ने भारत को सदा एक रखा, उसी को आधार मान कर आज इस समस्या का हल निकाला जाए और मुझे विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसा मौका आयेगा जब पंजाब बता देगा कि चाहे चुनावों का मामला हो या सारे भारत के साथ चलने का प्रश्न हो, अथवा अपनी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ और जिस पथ पर हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, उन सब मामलों में वह हमेशा समर्पित रहेगा। चाहे असम हो या पंजाब हो, कोई प्रांत पीछे नहीं रहेगा। इसलिए अन्तिम निवेदन मैं आपके सामने यह करना चाहता हूं कि चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्यों पर आघात पहुंचाने के लिए जिस तरह से साम्राज्यवादी शक्तियां लगी हुई हैं, सक्रिय हैं, मेरा निवेदन यही है कि उनके कुछ एजेंट हमारे बीच भी विद्यमान हैं और उन दोनों को सोच-समझ कर ही अगला कदम आगे बढ़ना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक से स्पष्ट है कि सरकार असम और पंजाब में कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नियंत्रण पाने में असफल रही है।

एक माननीय सदस्य। आप इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे ?

श्री अमर राय प्रधान: तो फिर आपने वहां चुनाव क्यों नहीं कराए ? महोदय, कल माननीय प्रधानमंत्री ने इस सभा में कहा कि वह असम और पंजाब की समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करेंगे। हम उस वक्तव्य का स्वागत करते हैं और साथ ही उन्हें यह आश्वासन भी देते हैं कि पंजाब और असम की समस्या का समाधान करने में हम उन्हें पूरा सहयोग देंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करना चाहते हैं कि वह ऐसे भाषण न दें कि सी० पी० आई० (एम०), सी० पी० आई०, फारवर्ड ब्लॉक और आर० एस० पी० जैसे वामपंथी दलों ने आनंदपुर साहिब संकल्प का समर्थन किया है। हमारे दल फारवर्ड ब्लॉक ने कभी संकल्प का समर्थन नहीं किया। महोदय, हमारा विश्वास है कि भारत एक है। चाहे हम हिंदू हों, मुसलमान हो, ईसाई हों अथवा सिक्ख हों, चाहे हम असम में रहते हों, चाहे पश्चिम बंगाल में, तमिलनाडु में रहते हों अथवा देश के किसी अन्य भाग में हम सब एक हैं। हम दृढ़तापूर्वक यह घोषणा करते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक और कच्छ से कोहिमा तक की भूमि हमारी मातृभूमि है।

[श्री अमर राय प्रधान]

जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी

भारत हमारी मातृभूमि है और हम सब इसके पुत्र पुत्रियां हैं और हम सब भाई बहन हैं। इस संबंध में मैं रवीन्द्रनाथ टैगोर की बंगाली कविता से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं :--

"हेथाय आर्य हेथा अनार्य
हेथाय द्राविड़ चीन
शक हुन दल पाठान मोगल
एक देहे होलो लीन।"

भारत में रहनेवाले आर्य, अनार्य, द्रविड़, चीनी, शक, हुण और मोगल और पठान सब एक हैं पर मेरी समझ में नहीं आता कि असम और पंजाब में चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं।

इस संबंध में मैं 'हिंदुस्तान टाइम्स' दिनांक 23 जनवरी, 1985 में प्रकाशित एक समाचार की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं :

"एक प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री त्रिवेदी ने कहा कि चूंकि मतदाता सूचियों में संशोधन का कार्य अभी पूरा किया जाना है, इसलिए संसद् और विधानसभा के चुनाव मार्च में कराना संभव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि निर्वाचन कार्डों पर दावों और प्रतिदावों के निपटान में कितना समय लगेगा हालांकि राज्य में परिगणना पिछले महीने पूरी हो चुकी थी।"

आसाम में क्या हो रहा है? वहां यद्यपि व्यापक जन संहार नहीं हो रहा है। लेकिन निर्दोष लोगों की हत्या अभी भी जारी है। माननीय विधि मंत्री यहां बैठे हैं और वह जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार के डांगी कैंप में और कूच बिहार जिले में जोराई कैंप में कितने लोग रह रहे हैं। करीब 2 वर्ष पूर्व नेले में हुए जनसंहार के पश्चात् लगभग 50,000 लोगों को जो कि असम में रह रहे थे, पश्चिम बंगाल में शरण लेने के लिए बाध्य होना पड़ा, 50,000 लोगों में से 10,000 लोग अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि जनगणना पूरी हो चुकी है। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जो अभी भी शिविरों में रह रहे हैं। असम के मुख्य मंत्री उन शिविरों का दौरा नहीं कर सके। उन्होंने उनसे वापस जाने का अनुरोध किया लेकिन वे वापस जाने का साहस नहीं कर पाए। वे कहां जाएं। नेले में घटी घटना के दौरान उनके घर जला दिए गए थे। (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय अच्छी तरह जानते हैं कि असम में घर घर जाकर गणना की जा रही है। कुछ लोग पुलिस अधिकारियों के साथ घर घर जा रहे हैं और लोगों से अपनी नागरिकता के पहचान पत्र दिखाने के लिए कह रहे हैं। वे कह रहे हैं कि पहचान पत्र न दिखाए जाने पर उन्हें विदेशी समझा जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप तामिल के नागरीक हो सकते हैं। यदि मैं आपसे नागरिकता का पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध करूं, मैं समझता हूं कि आप नहीं दिखा पाएंगे। यदि मैं अपने माननीय विधि मंत्री श्री अशोक सेन से अपनी नागरिकता का पहचान पत्र दिखाने का अनुरोध करू तो वह भी नहीं दिखा सकेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हू कि क्या वह अपनी नागरिकता का पहचान पत्र दिखा पाएंगे? निश्चय ही वह नहीं दिखा पायेंगे। जहां तक मेरा सवाल है मैं 15 वर्ष तक पश्चिम बंगाल विधान सभा का सदस्य रहा हूं और अब 15 वर्षों से मैं संसद् में हूं। यदि आप मुझे नागरिकता का पहचान पत्र दिखाने के लिए कहें, तो मेरे लिए यह संभव नहीं है। मैं नहीं जानता कि क्या हमारे राष्ट्रपति जी अपना नागरिकता कार्ड दिखा पाएंगे। लेकिन इस तरह से गणना की जा रही है। यह कितना हास्यास्पद है। विभिन्न समाचार पत्रों में यह समाचार दिया जा चुका है कि कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या दुगुनी या तिगुनी हो गई है। 1978 में मतदाता सूची पूरी होने के बाद इसमें 250% या 300% वृद्धि हुई है। 1978 के पश्चात् अब 1985 आ गया है। इस छोटी अवधि में मतदाताओं की संख्या

दुगुनी या तिगुनी हो गई है। यह कैसे संभव हो सकता है? आप कह रहे हैं कि जहां कहीं भी असंगति 40% से अधिक है, वहां पुलिस अधिकारी जाएंगे और भिन्न तरीके से जनगणना कराएंगे और फिर इसका निर्णय किया जाएगा। मैं समझता हूं कि पहले से ऐसे लोग वहां होंगे जो कि जाली वोटर हैं।

मैं माननीय विधि मंत्री से, जो यह विधेयक पेश कर रहे हैं, स्पष्टतया यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह असम में पिछली बार हुए विधान सभा तथा संसद के चुनावों की भांति ही चुनाव कराना चाहते हैं। क्या चुनाव उसी तरह होंगे जिसमें मतदाता सूची और मतदाता जाली थे?

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात दो मिनट में समाप्त करने का प्रयत्न कीजिए।

श्री अमर राय प्रधान: मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री श्री अशोक सेन तथा अपने माननीय प्रधानमंत्री से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उन्हें असम और पंजाब में यथा संभव शीघ्र चुनाव कराने चाहिए। परन्तु वह बात नहीं दोहराई जानी चाहिए जो असम में पिछले विधान सभायें और संसदीय चुनावों में हुई। जब संसद के और विधान सभा के कुछ उम्मीदवार 0.1% से भी कम वोटों से निर्वाचित हो गए थे। आप उसकी कल्पना कर सकते हैं। लगभग 80,000 मतदाताओं में से उन्हें केवल लगभग 400 मत प्राप्त हुए और उन्हीं से वे विधानसभा के सदस्य निर्वाचित किए गए। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। धन्यवाद।

विधि और न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन): मैं सदन में सभी दलों के माननीय सदस्यों का आभारी हूं और उन्होंने जो विचार व्यक्त किए हम सब उनसे सहमत हैं। माननीय सदस्यों ने बार बार कहा है कि देश एक है सभी की रगों में समान खून बहता है और हमारे दिलों से एक ही आवाज निकलती है। मैं इससे अधिक और कुछ नहीं कह सकता। हमारा विचार है कि राष्ट्र को मजबूत बनाया जाए। इसलिए लोकतंत्र का यह मजबूत ढांचा बनाए रखने के लिए, हमें वहां उस समय चुनाव कराने होंगे, जब ऐसा करना संभव होगा।

किसी भी सदस्य ने यह नहीं कहा है कि मतदाता सूचियों में व्यापक संशोधन कराए बिना पंजाब या असम में चुनाव कराना संभव था। जो कुछ कहा गया है वह एकदम असंगत है। मेरे सहयोगी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा जाना चाहिए था कि उन्हें सब कठिनाइयों का पूर्वानुमान होना चाहिए था और ऐसी परिस्थितियां तैयार करनी चाहिए थीं जिनमें चुनाव कराए जा सकते। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी और वहां चुनाव कराना संभव था।

मुझे इसमें संदेह नहीं कि माननीय गृह मंत्री वहां पुनः सामान्य स्थिति लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। और उस काम में हमें भी योगदान देना होगा। हम सब को प्रधान मंत्री तथा गृह मंत्री के हाथ मजबूत करने चाहिए ताकि वे पंजाब और असम को पुनः राष्ट्र की मुख्य धारा में ला सके। वे भी हमारा ही खून हैं। क्या हम पंजाब अथवा असम के बिना भारत की कल्पना कर सकते हैं? वे हमारे इतिहास के अभिन्न अंग हैं। क्या कोई सोच सकता है कि असम को भारत से अलग करना संभव है?

जो लोग खालिस्तान राज्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं वे सिखों के महान इतिहास को भूल रहे हैं। सिखों का इतिहास एक गौरवमय इतिहास है। असम का इतिहास संस्कृति, पुनर्जागरण और दृढ़ता का इतिहास है। सिखों का इतिहास गौरवशाली लोगों का इतिहास है। मुक्ति शब्द केवल सिखों से ही संबद्ध नहीं है, बल्कि पूरे राष्ट्र से संबंध है, जिसका अभिप्राय है अत्याचार से मुक्ति।

श्री प्रधान ने डा० टैगोर की वह महान कविता उद्धृत की जिसे केरल शिक्षा विधेयक के मामले में उच्चतम न्यायालय ने उद्धृत किया था जिसमें कहा गया है कि भारत का इतिहास गंगा का इतिहास है। यह युगों से बहती रही है और सभी धाराएं इसमें समा जाती हैं। उन्होंने अपने आप को पूर्णतः आत्मसात करते हुए भी, अपनी पहचान बनाए रखी है। इलाहाबाद में संगम है, जहां यमुना और गंगा एक दूसरे के साथ साथ बहती है और फिर भी एक दूसरे में विलीन हो जाती हैं। इसी तरह अधिकांश सिख, हिंदू, जैन और ईसाई भारतीयता के महान समुद्र में जिसे डा० टैगोर के अनुसार 'भारत वेश' कहा गया है, मैं समा गये हैं।

[श्री अशोक सेन]

सिखों के बारे में मुझे याद है कि जब युवा छात्र स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे थे तब सिखों के महान नेता गुरु गोविन्द सिंह के इतिहास ने हम सब को बहादुरी के महान कार्यों के लिए प्रेरित किया था। मैं डा० टैगोर की एक महान कविता उद्धृत करूंगा। उन्होंने कहा था --

"पांच नदियों के तटों से घिरा उदित हुआ है एक महान राष्ट्र,
सिर पर है जटावत केश, निवासियों के जिसके,
और हृदय में है प्रार्थना 'गुरु की जय',
सिखों के आवाहन से विदलित हो गया है आकाश"।

उन्होंने इसको समाप्त महान सिख 'बंदा' का उल्लेख करके की, जिसे लाल किला में गरम सलाखों से दागा गया था और जिसे दिल्ली के तत्कालीन अत्याचारी बादशाह फारूख ने अपने ही पुत्र को छुरा मारने के लिए कहा था।

अत्याचार के विरुद्ध उस बहादुरी और संघर्ष ने भारतीयों को कई पीढ़ियों को बहादुरी और त्याग के लिए प्रेरित किया और जब इन गुमराह लोगों ने सोचा कि सिखों को भारत की मुख्यधारा से अलग किया जा सकता है, तो वे अपने इतिहास को भूल गए।

हमें इसमें संदेह नहीं कि अब वे समझ गये है कि वे अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे और पूरा राष्ट्र अटल, संगठित और निडर रहेगा और अपने टुकड़े नहीं होने देगा। सिख हमारे साथ रहेंगे। असम के लोग हमारे देश का अभिन्न अंग बने रहेंगे। और उन्हें भी इस राष्ट्र पर गर्व होगा। अतः हमें उस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए कार्य करना होगा। और जो कुछ हुआ है निश्चय ही वह संगत नहीं है क्योंकि हम यहां लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रश्न पर चर्चा कर रहे हैं। जिन कुछ स्थानों में चुनाव नहीं हो पाए है, जहां इतनी हिंसा फैली हुई थी कि वहां चुनाव कराना असंभव था, वहां हिंसा पर सफलतापूर्वक नियंत्रण किया जा चुका है।

हमारी दिवंगत नेता का महान बलिदान खालिस्तान के कफन में आखिरी कील साबित होगा। उनके अंतिम शब्द प्रत्येक भारतीय की आत्मा को प्रेरणा देंगे और राष्ट्र की अखंडता और राष्ट्रीयता, जो कभी नष्ट नहीं होगी, का पथ आलोकित करेंगे। इस देश ने पिछले चुनाव भारतीय इतिहास की इस सचाई को लेकर आरंभ किए थे कि हमारी राष्ट्रियता कभी भी नष्ट नहीं हो सकती और हमारे चुनावों ने यह सिद्ध कर दिया है। अमेरिका में 1865 में यह तय करने के लिए, कि अमेरिका संघ को अलग नहीं किया जा सकता गृह युद्ध हुआ था। और किसी भी राज्य को संघ से पृथक स्वाधीनता की घोषणा करने की अनुमति नहीं थी। इसके लिए गृह-युद्ध हुआ जिसमें लगभग दस लाख अमरीकी मारे गए, और गैटिसवर्ग के लड़ाई के मैदान में युद्ध के दौरान अब्राहिम लिंकन ने कहा था कि पार्थक्य की होली का अंत कर दो और यह सिद्ध कर दो अमरीकी राज्य विनाश के लिए नहीं है, उस महान नेता ने गैटिसवर्ग के युद्ध के मैदान में कहा था कि हमारे पूर्वजों ने 80 वर्ष पूर्व इस देश में ऐसे सिद्धांत पर आधारित राज्य की स्थापना की थी जिसमें सभी आदमी बराबर पैदा हुए है औह जहाँ सहमति के बिना किसी को भी किसी पर शासन करने का अधिकार नहीं है।

आज हम उस युद्ध-स्थल पर खड़े हैं जहाँ उस सिद्धांत की रक्षा के लिए हजारो ने अपने प्राणों की आहुति दे दी है और यह युद्ध यह सिद्ध करेगा कि क्या एक स्थापित राष्ट्र का विनाश होगा या नहीं, और क्या जनता की सरकार, जनता के लिए सरकार तथा जनता द्वारा सरकार का विनाश हो जाएगा। इस बार भारत में यह पाठ मत पेटी के माध्यम से सिखाया गया है, हिंसा द्वारा नहीं, गृह-युद्ध द्वारा नहीं; और जिन्होंने हमारे मूल ढांचे को नष्ट करने का प्रयास किया था उन्होंने अब देख लिया है कि यह एक असम्भव कार्य है और जिन बाहरी तत्वों ने इस चिंगारी को सुलगना चाहा था और हमारे समूचे देश में आग फैलाकर अराजकता फैलाने का प्रयास किया, अब यह समझ चुके हैं कि यह कितना असमम्भव काम है। इसलिए, हम सभी को बहुत गर्व है, कम से कम चुनाव में परास्त होने वाले तथा वे जो विजयी हुए हैं उन्हें एक समान गर्व है कि यह राष्ट्र जीवित रहेगा, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होगा; और हमने यह सच्चाई मतपेटी के माध्यम से सिद्ध कर दी है। इसलिए, मतपेटी तथा चुनाव तंत्र हमारे लोकतंत्र की महान परिस्थितियाँ हैं। हम अपनी इच्छा की अभिव्यक्ति

के लिए स्वतंत्र हैं, हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं, हम मतपेटी द्वारा अपनी सरकार चुनते हैं न कि सेना या शक्ति द्वारा।

आज हम सारे विश्व में, भारत के चारों ओर देख रहे हैं कि पूरे अफ्रिका में सेना के अधिनायकवाद ने किस प्रकार एक के बाद एक संसदीय लोकतंत्र को नष्ट किया है; औपनिवेशक [भस्मावशेष] में से जो कुछ निर्मित किया गया था, आज फिर आग की भेंट हो गया है। पूरे एशिया में बहुत थोड़े लोकतंत्र बच पाए हैं। भूमध्य सागर तथा लेबनान से इंडोनेशिया तक यही मरुद्वीप की तरह एकमात्र देश है जिसमें लोकतांत्रिक सरगर्मी तथा परम्पराएं बची हुई हैं।

3-00 म० प०

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) : इस विधेयक के लिए कितना समय नियत किया गया है?

उपाध्यक्ष महोदय : समय समाप्त हो चुका है।

श्री अशोक सेन : आप बहुत बेचैन है।

श्री अमल दत्त : मैं बेचैन नहीं हूं। मुझे हैरानी हो रही थी कि जो कुछ आप बोल रहे हैं, उसकी प्रासंगिकता क्या है।

श्री अशोक सेन : मैं स्वयं यह बात कह रहा था। और मेरे विद्वान मित्र श्री अमल दत्त उसी समय जागे लगते हैं जब सदन में सभी कुछ अप्रासंगिक बोला जा रहा था। मैं तो केवल अप्रासंगिक बात का अप्रासंगिक उत्तर दे रहा हूं। जब श्री अमर रायप्रधान ऐसी ही बातें कर रहे थे। तो मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही थी। मैं स्वयं श्री दत्त की तरह यह सोच रहा था कि वाद विवाद के विषय के साथ इसकी क्या प्रासंगिकता है।

मैंने आरम्भ में ही कहा था कि हम सम्बन्धित विषय से बहुत दूर भटक गए हैं, प्रो० सोज भी इन्हीं में शामिल हैं, वह भी भटक गए हैं।

श्री अमल दत्त : यह विश्व, भारत तथा लोकतंत्र पर विचार-गोष्ठी थी।

श्री अशोक सेन : मेरे विचार में ऐसा नहीं था। लेकिन जब यह सब कुछ बोला जा रहा था तो आपको जाग जाना चाहिए था।

इसलिए, श्रीमन, हम उस प्रश्न पर बहस कर रहे हैं जो इन सही मुद्दों से भिन्न है। चूंकि भावनाएं उभारी गईं और वक्ता रास्ते से भटक गये मुझे उनका सुनना पड़ा और अपने विचारों को पूरी तरह अभिव्यक्त करना पड़ा क्योंकि मैं यह नहीं सोच सकता कि मैं महान आदर्शों तथा इन महान भावनाओं के अनुरूप नहीं हूं।

श्रीमन, अब इस विधेयक की ओर आते हुए जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, यह एक बहुत आवश्यक विधेयक है और हमें अधिनियम अवश्य संशोधन करना चाहिए। इस के साथ साथ मैं अपने सच्चे विश्वास तथा आशा की अभिव्यक्ति कर रहा हूं कि ज्यों ही सम्भव होगा, असम तथा पंजाब दोनों में लोकतंत्र तथा चुनावों का तंत्र बहुत वास्तविक बन जाएगा और बहुत जल्दी हम असम तथा पंजाब के अपने भाइयों को अपने समक्ष यहां बैठा हुआ तथा देश के सर्वोच्च मंच की कार्यवाहियों में भाग लेते हुए देखेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सैफुद्दीन सोज।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मैं जिन मुद्दों को पहले उठा चुका हूं, उन्हें नहीं दोहराउंगा। लेकिन माननीय विधि मंत्री के उत्कृष्ट भाषण तथा वक्तृता के बावजूद मैं उनसे एक मुद्दे पर सहमत नहीं हो पाया हूं : जब उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए नियमों का उद्धरण दिया और कहा कि निर्वाचन आयोग एक से अधिक नोटिस जारी कर सकता है। मैं मानता हूं। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग को ऐसा कोई अधिकार नहीं था कि . . . **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्होंने निर्वाचन आयोग का उद्धरण नहीं दिया था, उन्होंने टैगोर का उद्धरण दिया था।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : लेकिन जब उन्होंने टैगोर का उद्धरण दिया तो मैंने अनुभव किया कि मैं मानसिक रूप से इसका इकबाल की कविता में अनुवाद कर सकता हूँ, जिन्होंने कहा है :

"यूनान-मिस्र-रोमा सब मिट गए जहां से,
बाकी मगर है अब तक नामों निशान हमारा ।"

इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत महान रहेगा । लेकिन, प्रश्न यह है कि निर्वाचन आयोग के पास असम और पंजाब को छोड़ने की कोई शक्ति नहीं थी, क्योंकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम लागू था और अध्यादेश 20 नवम्बर को प्रख्यापित किया गया, जबकि निर्वाचन आयोग की अधिसूचना 13 नवम्बर, 1984 को जारी कर दी गई थी । इसलिए, मैं उनसे सहमत नहीं हूं । बेशक, उन्होंने मुझे प्रबुद्ध किया है, जिसके लिए मैं उनका आभारी हूं ।

जब मैं पंजाब के बारे में कुछ बोल रहा था तो श्री हरीश रावत - मैं नहीं समझता कि वह इस समय यहां मौजूद हैं- ने कुछ आक्षेप करने चाहे थे । मैंने कभी भी अकालियों की वकालत नहीं की है । मैंने केवल सुरजीत के बारे में कहा था, जिनके बारे में मैं जानता हूँ कि शायद वह राज्य सभा के मौजूदा सदस्य हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : हम सभी उनसे तथा उनकी निष्ठा से परिचित हैं । तीन दिन पहले ही वह अपने दल के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे थे । उन्होंने कहा था कि खालिस्तान के प्रश्न पर तोहड़ा तथा लोंगोवाल ने कभी भी भिंडरांवाले का समर्थन नहीं किया - श्री रावत जम्मू और कश्मीर तथा फारूक अब्दुल्ला व जमाते - इस्लामी का नाम बीच मे घसीट लाए ।

श्री अशोक सेन : श्री अमल दत्त के अनुसार आप अप्रासंगिक बात कर रहे हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : केवल उसी अंश को नहीं बल्कि आप कह सकते थे कि सारा की भाषण ही अप्रासंगिक था । जब मैं पंजाब की चर्चा कर रहा था तो मैंने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का उल्लेख नहीं किया था । आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को बीच में लाकर श्री रावत हम पर आक्षेप करना चाहते थे । मैं यहां यह कहना चाहता हूँ कि डा० अब्दुल्ला तथा उनके दल नेशनल कांफ्रेंस ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को कभी भी स्वीकार नहीं किया, जैसा कि देश को बताया गया । किसी भी विपक्षी दल ने उस प्रस्ताव का समर्थन नही किया है । आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव को बीच मे लाकर, वह हमे बदनाम करना चाहते थे, लेकिन देश बेहतर जानता है । आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव पृथकतावाद के मत को प्रतिपादित करता है । इसके कई रूप हैं । इसका मूल रूप पाने के लिए हमे कठिन परिश्रम करना पड़ा था । मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे तत्व थे जो पृथकतावाद का प्रवचन देते थे । हमने उनकी निन्दा की थी । नेशनल कांफ्रेंस द्वारा पंजाब में किसी प्रकार के आतंकवाद या अलगाववाद का समर्थन करने का कोई प्रश्न ही नहीं है । लेकिन हम पंजाब समस्या का हल चाहते हैं, क्योंकि आपको यह बताना कोई गलत कार्य नहीं है कि हमारी अर्थ व्यवस्था बड़ी जर्जर स्थिति मे है । हमारा पर्यटन चौपट हो गया है । जम्मू और कश्मीर की समूची अर्थ व्यवस्था पंजाब पर निर्भर है क्योंकि वह हमारा प्राणाधार है । इसलिए, मैं और मेरा दल इस बात के इच्छुक हैं कि कि हिन्दू और सिख परस्पर शांति और भाईचारे के साथ रहें ।

[हिन्दी]

हम घी के चिराग जलाएंगे जब वहां अमन होगा और भाईचारा कायम होगा, जो पहले था अभी महात्मा गांधी का नाम लिया गया । पहले जमाने में जब मैं छोटा था, उस वक्त ख्याल था कि हिंसा, नान वायलेंस, अदमतशद्दुद, कमजोरी की बात है, लेकिन अब जब सोचता हूं तो मुझे ख्याल आता है कि महात्मा गांधी के अदमतशद्दुद के लिये बड़ी शक्ति चाहिये । वह तोपों, तफंगों, जैट, एटम-बमों से ज्यादा बड़ी चीज है । उसके लिये शक्ति होनी चाहिये । इसलिये महात्मा गांधी का प्यार बखेर दीजिये । इस मुल्क में, पंजाब में, अमन की ज्योत जलायें । यही मेरा मकसद था ।

[پروفیسر سیف الدین سوز – جاری – ہم گھی کے چراغ جلائینگے جب وہاں امن
ہوگا اور بھائی چارا قایم ہوگا ' جو پہلے تھا – ابھی مہاتما گاندھی کا نام لیا گیا –
پہلے زمانے میں جب میں چھوٹا تھا اس وقت خیال تھا کہ اہنسا – نان وائلینس
ادم تشدد کمزوری کی بات ہے لیکن اب جب سوچتا ہوں تو مجھے خیال آتا

ہے کہ مہاتما گاندھی کے ادم تشدد کیلئے بڑی شکتی چاہئے – وہ توپوں' تفنگوں' جیٹ' ایٹم بموں سے زیادہ بڑی چیز ہے – اسکے لئے شکتی ہونی چاہئے – اس لئے مہاتما گاندھی کا پیار بکھیر دیجئے – اس ملک میں پنجاب میں امن کی جیوت جلائیں – وہی میرا مقصد تھا –]

[अनुवाद]

मैं लेफ० जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के उस भाषण का कुछ अंश पढ़कर सुनाता हूं जो उन्होंनें नेशनल सिख फोरम की ओर से बोलते हुए दिया। उन्होंने कहा सिखों को बदनाम किया जा रहा है, वे भारतीय हैं और राष्ट्रवादी हैं। किसी सिख के पृथकतावादी होने का कोई प्रश्न नहीं है। कुछ आतंकवादी हो सकते हैं। यह एक छोटा सा समूह है। लेकिन वह आतंकवादी समूह समूची सिख कौम का प्रतिनिधित्व नहीं करता। मैंने पहले भी कहा है कि यदि सिख अलग राज्य मांगते है तो यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। हमारा आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव से इसलिए मतभेद है, क्योंकि इससे अलग राष्ट्र की गन्ध आती है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। देश केवल एक है और वह है भारतदेश इसलिए, मैं महसूस करता हूँ कि पंजाब में आप चुनाव करवा सकते हैं। आपने वहां परिक्षाएं करवाई। मेरी जानकारी यह है कि मेरे साथी श्री जगन्नाथ कौशल मुझसे सहमत होंगे—पंजाब में जब आपने परिक्षाएं करवाई, तो वे सर्वोत्तम परिक्षाएं थीं जिनमें न कोई धांधली थी और न ही कोई अनुचित तरीके अपनाए गए। ये विशुद्ध परीक्षाएं थीं। जाति, रंग तथा वंश का विचार किए बिना पंजाबी केन्द्र सरकार के आभारी हैं कि उसने वहां परीक्षाएं करवाई। इसलिए, आप वहां चुनाव भी करवा सकते है। समूचा पंजाब आपका कृतज्ञ होगा। मैं नहीं मानता कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया। मैं महसूस करता हूं कि हम पंजाब और असम में चुनाव करवा सकते थे।

जम्मू और कश्मीर के संबंध में श्री रावत नें जमाते इस्लामी के नाम का उल्लेख किया था और कहा था कि हमारा उनके साथ गठजोड़ है। जमात रूढ़िवाद की पक्षधर है। डा० फारूक अब्दुल्ला ने संय्यद अली गिलानी को गिरफतार कर लिया था लेकिन आपने श्री गुलाम मोहम्मद शाह द्वारा उसे छुड़वा लिया, जो कि जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते आप ने चुनावों के दौरान हमें क्षति पहूँचाने की दृष्टि से उसे छुड़वाया लेकिन वह हमें क्षति नहीं पहूंचा सके। लेकिन उन्होंने बहिष्कार करनें के लिए कहा। जब उन्हें मुक्त किया गया, तो उसने फिर वही अलगाववाद का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि भारत के साथ विलय अंतिम नहीं है। वह अभी भी फरार हैं। फिर भी आपने यहां यह कहा है कि जमाते इस्लामी के साथ हमारा कोई गठजोड़ है। यह तो आपके दल द्वारा समर्थित श्री गुलाम मोहम्मद शाह थे जिन्होंने सैय्यद अली गिलानी को मुक्त करवाया।

आपको यह बात माननी होगी कि सैय्यद अली गिलानी भारत के साथ विलय की बात को स्वीकार नहीं करते, और जब उन्हें मुक्त किया गया तो उन्होंने काश्मीर घाटी में चार भाषण किए एक सेपोर से तथा एक बारामूला में, अर्थात मेरे निर्वाचन क्षेत्र में। हफिजार अंसारी ने भी उसका समर्थन किया। वह भी उसी जैसे हैं। अब वे अपने पिछले कारनामों को स्वीकार कर रहे हैं। और इसी सैय्यद अली गिलानी को चुनावों के दौरान नेशनल कांफ्रेंस सरीखी राष्ट्रवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए मुक्त कर दिया गया और फिर भी आपके सदस्य कभी कभी ऐसी बातें करने लगते हैं।

मैं और गहराई में जाकर ऐसे मुद्दे नहीं लऊंगा जिनसे यहां वातावरण कटु बने, लेकिन चूंकि दृष्टिकोण में भिन्नता है, इसलिए मैं यहां प्रस्तुत किए गए विधेयक का विरोध करने पर बल दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज, क्या आप आपने संकल्प को वापस ले रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन, मेरे वापस लेन का कोई प्रश्न ही नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 नवम्बर, 1984 को प्रख्यापित लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 15) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड वार विचार आरम्भ करेगी । प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 तथा 3 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 तथा 3 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

विधि तथा न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ? समय पहले ही समाप्त हो चुका है ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट में जो इस प्रकार के प्रावधान रखे गए हैं, उन से यह साफ जाहिर होता है कि, सरकार की मंशा यह है कि जब लोक सभा का टर्म खत्म होने को हो, तो उस के पहले दूसरी लोक सभा बन जाए और उसके लिए चुनाव कमिशन की तरफ से जो नोटिफोकेशन इश्यू किया गया, उससे यह मालूम पड़ा कि इसमें कुछ लेकूना रह गया है । वह बिल्कुल क्लियर-कट मामला नहीं था, जिससे यह साबित हो कि वे जो स्टेटस् हैं, जिनको चुनाव से वंचित कर रहे हैं, वहां चुनाव नहीं कराया जाएगा । उसमें किसी प्रकार की कानूनी खामी न रह जाए । इसलिए इस प्रकार का आर्डिनेन्स इश्यू किया गया ।

यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्होंने इस के बारे में नुक्ताचीनी की है और खास तौर से प्रो० सौज साहब ने और हमारे मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी के भाई ने और जो यहां पर हैं, "हम दो हमारे दो" ने जिस प्रकार की नुक्ताचीनी की है, उस के बारे में कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पीपुल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें हमने कोई ऐसी शपथ नहीं ली है कि हम वहां पर चुनाव नहीं करायेंगे । हम तो पंजाब और असम में चुनाव करना चाहते हैं । लेकिन असम में जिस प्रकार की खामियां रह गई है, वहां पर वोटर लिस्ट को रिवाईज करना है । आसु और वहां को गण संग्राम परिषद इस बात को मांग करती रही हैं और हमने उनसे वायदा किया हुआ है। उस वायदे को पूरा करने के लिए अभी तक वहां पर चुनाव नहीं हो सके हैं । हम वायदे के अनुसार वहां पर चुनाव करना चाहते हैं । हम आपको मांगों के अनुसार सारी बातें कर रहे हैं । क्या यह आपके दिमाग का दिवालिया निकल गया है जो आप ऐसा कह रहे हैं ? जब तक वहां पर इलेक्टोरल रोल नहीं बनेंगे तब तक चुनाव कैसे होंगे ।

आप बात कर रहे थे कि एक जगह पर दो सौ वोट पड़े, दूसरी जगह पर बहुत कम वोट पड़े । मैं आप से एक बात कहना चाहता हूं कि किसी को वहां पर वोट डालने से मना तो नहीं किया गया था । अगर एक लाख वोटों में से कोई एक भी वोट डालने आता है तो वह जिसको वोट डालेगा वह जीता हुआ माना जायेगा । आप को यह नुक्ताचीनी करते हैं यह व्यर्थ है ।"

मैं आप से कहना चाहता हूं कि यह आपकी कमजोरी है कि आपने वहां के चुनावों में हिस्सा नहीं लिया । जितने भी विरोधी दल के हमारे भाई यहां बैठे हैं अगर ये चुनाव में हिस्सा न लें, भारतीय जनता पार्टी के लोग हिस्सा न ले, जनता पार्टी के लोग हिस्सा न लें, तो इसे क्या कहां जायेगा । यही कहा जायेगा कि इन पार्टीयों में वहां चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं थी । एक तरफ आप लोक चुनावों में हिस्सा नहीं लेते, दूसरी तरफ नुक्ताचीनी करते हैं । आप लोग लोक को सभा में लाखों वोटों से जीत कर सदस्य बन कर आये हो । यहां जो जनता को राय के मुताबिक कानून बनता है उसको हम सब स्वीकार करना चाहिए । आप लोगों को नुक्ताचीनी के सिवाय कोई बात नहीं आती है । आप की कोई कंस्ट्रक्टीव अप्रोच नहीं है ।

हमारे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि हमने आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन का समर्थन नहीं किया । पहले यही लोग बहुत जोर-जोर से चिल्लाया करते थे कि आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन को मान लीजिए ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

यह बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बडागरा) : विपक्ष में से किसी ने यह नहीं कहा है ।

[हिन्दी]

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : यह बात सही है कि सारी विरोधी पार्टियों ने यह नहीं कहा था लेकिन करीब करीब यह तो तय हो गया था कि ....

(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास : इनकी कथनी और करनी में अन्तर है । ये लोग उनको मूमेंट को समर्थन देते रहे हैं । (व्यवधान) यह बात बिल्कुल सही है । आज प्रोफेसर कह रहे हैं कि हमने आनन्दपुर साहिब रिजोल्यूशन का विरोध किया था । यहां पर पार्लियमेंट के अन्दर ऐसी तकरीर हुई है जिनमें उसका समर्थन होता है । उन लोगों ने वहां पर कैम्पस लगाये और वहां पर उनकी राज्य की सरकार ने उन्हें शरण दी । यह बात बिल्कुल साफ है ।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इस ओर से किसी ने भी आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया है । आप कार्यवाही का वृतान्त देख सकते हैं । वह झूठा आरोप लगा रहे हैं ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : मुझे व्यवस्था का एक प्रश्न उठाना है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । कृपया बैठ जाइये ।

श्री सैफुद्दीन सोज : श्री व्यास के प्रति पूर्ण सम्मान व्यक्त करता हूं और यह भी सच है कि वह संसद के एक वरिष्ठ सदस्य हैं परन्तु मैं खेद सहित आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इस भाषण को कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए । उन्होंने झठ के अतिरिक्त कुछ नहीं बोला है !

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : महोदय, इसे कार्यवाही वृतान्त से मत निकालिए । सभा के पिछले पांच वर्ष के कार्यवाही वृतान्त को देखने के लिए अध्यक्ष महोदय, एक संसदीय समिति नियुक्त कर दें जो यह पता लगाए कि क्या विपक्ष के किसी भी सदस्य ने आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव का समर्थन किया था । वे यह बात चुनाव मंच पर कह सकते हैं । परन्तु इस सभा को झूट का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल न किया जाए ।

आप मेरी चुनौती स्वीकार कीजिए । एक संसदीय समिति नियुक्त कर दीजिए । पिछले पांच वर्ष का कार्यवाही वृतान्त देख लेते हैं कि क्या किसी सदस्य ने ऐसा कहा था ।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : यहां पर समर्थन किया गया है ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : कभी नहीं किया गया है ।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठ जाइये ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री व्यास जी एक वक्तव्य का उल्लेख कर रहे थे

(व्यवधान)

महोदय, श्री व्यास जी सातवीं लोकसभा में विपक्षी सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों का उल्लेख कर रहे थे वह या तो उस कार्यवाही वृतान्त का उल्लेख करें अथवा एक वरिष्ठ सदस्य श्री उन्नीकृष्णन द्वारा दी गई उस चुनौती को स्वीकार करें कि सभा की एक समिति इसकी जांच करे अथवा वह सभा से क्षमा मांगे ।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : जांच करवा लीजिए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । आप नोटिस दीजिए । हम देखेंगे ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। चूंकि यह मुद्दा उठाया गया है, इसलिए मैं दो सुझाव देना चाहता हूं। पहला माननीय सदस्य श्री व्यास द्वारा दिए गए वक्तव्य को कार्यवाही वृतान्त से न निकाला जाए क्योंकि हम चाहते हैं कि माननीय सदस्य द्वारा दिया गया गलत वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में बना रहे अन्यथा इस बात की जांच नहीं कि जा सकेगी कि क्या ऐसा कहा गया था या नहीं। अतः इसे कार्यवाही वृतान्त में रहने दीजिए। और यदि समिति नियुक्त करना संभव नहीं है तो मैं एक और सुझाव देता हूं। मैं आपके माध्यम से यह सुझाव देता हूं कि स्वयं अध्यक्ष महोदय समस्त कार्यवाही वृतान्त को देखें और सभा को बताने का प्रयास करें कि क्या विपक्ष के किसी भी सदस्य ने आनन्दपुर प्रस्ताव पारित होने के दिन से इस विशेष प्रस्ताव का कभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन किया था। अध्यक्ष महोदय, स्वयं कार्यवाही वृतान्त को देख सकते हैं और अपनी राय जाहिर कर सकते हैं। हमें उनकी सदाशयता में पूर्ण विश्वास है। वह सभा को बता देंगे।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : यहां पर भारतीय जनता पार्टी और लोक दल के सदस्यों द्वारा बिल्कुल कहा गया है कि अकालियों को मांगों को स्वीकार किया जाए। निश्चित तरीके से कहा है।

[अनुवाद]

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : वह अपनी बात बदल रहे हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पहले ही अपनी राय प्रकट कर चुके हैं। आप वक्तव्य दीजिए। वह भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होगा। अतः यदि आप कोई नोटिस देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। इस पर विचार किया जाएगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : नहीं, महोदय, यह चुनौती है।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा सुझाव बिल्कुल स्पष्ट है। आप के माध्यम से मैं यह सुझाव दे रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय से कार्यवाही वृतान्त को देखने का अनुरोध किया जाए और श्री व्यास द्वारा कही गई बात की सत्यता का पता लगाया जाए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : यह एक गंभीर आरोप है। यह ठीक है कि चुनाव अभियान के दौरान ये आरोप लगाए गए थे। हमें चिन्ता नहीं है। चुनाव समाप्त हो चुके हैं। वह अब इसे यहां दोहरा रहे हैं और मैं उन्हें स्पष्ट रूप से चुनौती दे रहा हूं। अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सभा की एक समिति को यह जानने के लिए क्या पिछले पांच वर्षों के दौरान सातवीं लोक सभा के कार्यकाल में विपक्ष के किसी सदस्य ने इसका समर्थन किया था, सभा की कार्यवाही की जांच को जाए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक है।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : महोदय, वह जांच के विरुद्ध है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इन्होंने यह कहा है कि इस मामले को अध्यक्ष के पास भेज दीजिए। हम विचार करेंगे। माननीय मंत्री जी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

3-26 म० प०

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन करने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब मद संख्या 14 पर सांविधिक संकल्प तथा मद संख्या 15 पर विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक को लेते हैं। उन दोनों मदों को एक साथ लिया जाएगा। प्रो० सैफुद्दीन सोज

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

यहां प्रस्तुत किया गया विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक एक बहुत ही अच्छा विधेयक है। इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबन्ध हैं जिनका मैं समर्थन करता हूं। यह एक अत्यन्त अच्छा विचार है कि इस की जांच की जाए कि भारत की कौनसी राजनीतिक पार्टियां विदेशों से दान आदि के रूप में अभिदाय प्राप्त कर रही हैं।

इस विधेयक में कुछ संशोधन करके वे कई राजनीतिक दलों को इस कानून के अन्तर्गत लाए हैं, विशेषरूप से जम्मू और काश्मीर राज्य के राजनीतिक दलों को, जो पहले इस कानून के अन्तर्गत नहीं आते थे। इस विधेयक के ऐसे उपबन्धों पर हमें कोई आपत्ति नहीं थी। परन्तु मेरी पहली आपत्ति यह है कि इरादा छिपता नहीं है। आप जब इस विधेयक को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि केन्द्र में सत्तारूढ़ दल देश के अन्य राजनीतिक दलों के रिकार्ड और राजनीतिक गतिविधियों की जांच करने की शक्ति अपने पास रखना चाहता है। मैं इस विधेयक के कुछ उपबन्धों को अस्वीकार करने अथवा निकाल देने की राय दूंगा।

उदाहरण के लिए, इसमें एक उपबन्ध ऐसा है जिसके अन्तर्गत एक राजनीतिक दल को विदेशों से दान प्राप्त करने से पूर्व, विदेश से कोई भी धन प्राप्त करने से पूर्व स्वयं केन्द्र सरकार के पास पंजीकरण कराना होगा और उस पंजीकरण में केन्द्र के पास मनमाने अधिकार हैं।

इस विधेयक में दान प्राप्त करने वाले किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत करने में अथवा उसे अनुमति प्रदान करने में विलम्ब को संस्थागत किया गया है।

3-30 म० प०

[श्री निस्संकारा राव वेंकटरत्नम पीठासीन हुए]

मैं राजनीतिक दलों को केन्द्रीय सरकार के पास पंजीकरण कराने में और उन दलों को दान प्राप्त करने की अनुमति देने में विलम्ब के बारे में बोल रहा हूं। इस विधेयक में ही विलम्ब संस्थागत कर दिया गया है क्योंकि इसमें इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं हैं कि केन्द्रीय सरकार कितनी बार स्वीकृति प्रदान करने में कितना समय लेगी।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (ऊधमपुर) : आप कैसे कह सकते हैं कि देरी की जाती है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया विधेयक को पढ़िए। इस विधेयक में विलम्ब संस्थागत कर दिया गया है। केन्द्र सरकार के पास मनमाने अधिकार होंगे। केन्द्र सरकार क्या है ? यह एक बहुमत वाले दल की सरकार ही तो है। इस प्रकार यह कांग्रेस दल की सरकार है। अतः आप केवल अन्य राजनीतिक दलों की गतिविधियों पर रोक लगाना चाहते हैं और मेरी ओर से सबसे बड़ी आपत्ति विलम्ब के बारे में है। आप को किसी न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई न्यायालय में जाता है उसमें महीनों और सालों लग सकते हैं। समय का उल्लेख अत्यन्त महत्वपूर्ण है। आप चुनाव करवा रहे हैं और किसी भी राजनीतिक दल को दान की आवश्यकता हो सकती है। समय-तत्व अत्यन्त महत्वपूर्ण है और केन्द्र सरकार किसी कानून से, इस विधेयक के किसी उपबन्ध से किसी भी राजनीतिक दल को दान प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित समय में पंजीकृत करने के लिए बाध्य नहीं है।

श्री गिरधारी लाल डोगरा : आप न्यायालय में क्यों जाना चाहते हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे आपकी बात समझ नहीं आती है। क्या आप दान प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं ?

श्री के० रामसूर्ति (कृष्णगिरि) : आप यह कह रहे हैं कि विदेशी अभिदाय के मामलों को निपटाने के लिए केन्द्र के पास मनमाने अधिकार हो जाएंगे। केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अन्य कोई राज्य विदेशी मामलों को नहीं देख रहा है। हमें राजनीतिक दलों द्वारा दान प्राप्त किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस विधेयक का उद्देश्य राजनीतिक दलों द्वारा विदेशों से दान प्राप्त करने को नियन्त्रित और विनियमित करना है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप चाहते हैं कि आपके दल सहित सभी दल विदेशों से दान प्राप्त करें।

श्री के० रामसूर्ति : नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : तब आपने विधेयक नहीं पढ़ा। वास्तविक जांच-पड़ताल होनी चाहिए। मैं यह कहता हूं कि केन्द्र के पास राजनीतिक दलों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर निर्णय देने के मनमाने अधिकार हैं। समय अत्यन्त महत्वपूर्ण है और यदि आप न्यायालय जाते हैं तो और भी समय नष्ट होगा।

इस प्रकार आप केवल विपक्षी राजनीतिक दलों पर नियन्त्रण लगा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : इस बिल में आपके जम्मू और काश्मीर राज्य के राजनैतिक दलों को शामिल कर दिया गया है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि यह विषय से हट कर है। मैं नहीं जानता कि यह कैसे हुआ है। संभवतः वे चाहते हैं कि पहली बार दोष-सिद्धि होने पर एक राजनीतिक दल साफ छूट जाए और दूसरी दोष-सिद्धि पर एक राजनीतिक दल पर तीन वर्षों के लिए रोक लगा दी जाए।

मैं माननीय गृह मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि पहली दोषसिद्धि पर एक राजनीतिक दल क्यों साफ छूट जाए। यदि इसने कदाचार किया है तो यह साफ कैसे छूट सकता है और दूसरी दोष-सिद्धि पर आप एक राजनीतिक दल पर तीन वर्षों के लिए रोक लगा देंगे।

इसके बाद तीसरी आपत्ति यह है कि जब आपको अध्यादेश प्रख्यापित करना था तब आप अन्य राजनीतिक दलों से पूछ सकते थे और उनसे परामर्श कर सकते थे। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित किये जाने के काफी समय बाद अब आकर यह विधेयक यहां लाया गया है लेकिन अब भी आपने अन्य राजनीतिक दलों के साथ परामर्श नहीं किया है। लोकतंत्र को कायम रखने का यह कोई तरीका नहीं है।

इन आपत्तियों को उठाने के बाद मैं माननीय गृह मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि वित्तीय ज्ञापन अधूरा है। आप इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि आपको कितने व्यय की आवश्यकता है। आप कृपया वित्तीय ज्ञापन भी देखिये क्योंकि आपने हमें विधेयक में सही स्थिति और सम्बद्ध व्यय का अनुमान नहीं बताया है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976, जिसका उद्देश्य कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य को स्वीकार या उपयोग किये जाने को विनियमित करना है जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य कर रही संसदीय संस्थाएं, राजनीतिक संगम, शैक्षिक और अन्य स्वैच्छी संगठन तथा व्यक्ति सार्वभौमिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र के मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें, जो आठ वर्ष से अधिक समय से प्रवर्तित है। इस अधिनियम में यह व्यवस्था है कि कुछ प्रवर्गों के व्यक्ति और राजनीतिक दल किसी प्रकार का विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेंगे, यह कि केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट राजनीतिक स्वरूप वाला कोई ऐसा संगठन जो राजनीतिक दल नहीं है, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना विदेशी अभिदाय स्वीकार नहीं करेगा और यह कि निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाले अन्य संगम, जो राजनीतिक दल न होकर किसी राजनीतिक स्वरूप वाले संगठन नहीं हैं, विहित किये जाने वाले समय के भीतर और रीति में केन्द्र सरकार को विदेशी अभिदाय, उस स्रोत जिससे और उस रीति जिसमें ऐसा विदेशी अभिदाय उन्हें प्राप्त हुआ है, और जिन उद्देश्यों के लिए तथा उस रीति जिसमें ऐसे अभिदाय का उपयोग किया गया है, के बारे में सूचना देंगे।

अधिनियम में कुछ प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए किसी प्रकार के विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पहले केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति लेने की व्यवस्था है ।

समय समय पर ये आरोप लगाये गये हैं कि कुछ स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय का आवांछित और कई बार तो देश विरोधी प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है । इस बात के आरोप भी लगाए गए कि विदेशी धन देश में साम्प्रदायिक और अन्य दंगों में लगाया गया । ऐसी परिस्थितियों में सरकार ने महसूस किया कि अधिनियम में समुचित संशोधन किया जाना चाहिए ताकि अभिदायों का उन प्रयोजनों के सिवाय जिनके लिए ये प्राप्त हुए हैं किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग करने की गुंजाइश न रहे और अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में कुछ ऐसे राजनीतिक दलों को लाया जाए जो अब तक इसके अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं ।

"विदेशी अभिदाय" की परिभाषा में एक कमी देखी गई । परिभाषा केवल पहले प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त अभिदाय पर लागू होती है । इसी अभिदाय को यदि आगे किसी और दल को दे दिया जाए तो उसे विदेशी अभिदाय नहीं समझा जाता है । अतः इस पदावली की परिभाषा का विस्तार किया जाना था जिससे कि यह उन संगमों पर लागू हो सके जिन्हें विदेशी अभिदाय या उसका कोई अंश आगे दे दिया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि अंततः उसका उपयोग किस प्रकार से हुआ ।

अधिनियम में किसी 'राजनीतिक दल' की परिभाषा में यह कहा गया है कि "राजनीतिक दल" से भारत के विभिन्न नागरिकों का कोई संगम या निकाय अभिप्रेत है जो उस समय प्रवृत्त निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश, 1968 के अधीन राजनीतिक दल के रूप में भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रीकृत है या रजिस्ट्रीकृत समझा जाता है यह देखा गया कि कुछ संगम न केवल राजनीतिक गति-विधियों में सक्रिय थे बल्कि भारत के निर्वाचन आयोग में रजिस्ट्रीकृत हुए बिना निर्वाचनों में अपने उम्मीदवार भी खड़े करते रहे हैं । इस प्रकार के संगम तथा राजनीतिक दल विद्यमान परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं ऐसे राजनीतिक संगमों या राजनीति के दलों द्वारा विदेशी अभिदाय प्राप्त करने को रोकने के लिए यह आवश्यक समझा गया कि इस पदावली की परिभाषा का विस्तार किया जाए ।

जैसा कि अधिनियम की प्रस्तावना में बताया गया है अधिनियम केवल उन्हीं व्यक्तियों या संगमों पर लागू होता है जो राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत हैं । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा धारित उच्च पदों और उनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है । अंतः यह महसूस किया गया कि अधिनियम के उपबंध न्यायाधीशों पर भी लागू हों ।

अधिनियम में यह व्यवस्था है कि निश्चित सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम वाला प्रत्येक संगम, जो विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और प्रयोग के बारे में आवधिक अंतरालों में विहित रीति से सूचना देगा । यह देखा गया कि ऐसे अनेक संगमों से सूचना नहीं मिल रही है । यह महसूस किया गया कि यदि इस प्रयोजन के लिए संगमों को विनिर्दिष्टतः रजिस्ट्रीकृत किया जाए और अभिदाय किसी बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा में एक लेखे में प्राप्त हों तो विदेशी अभिदायों का बेहतर विनियमन होगा ।

उनके लिए, जो रजिस्ट्रीकृत नहीं होना चाहते या जिन्हें कभी-कभी विदेशी अभिदाय प्राप्त होता है, एक ऐसा उपबंध होना चाहिए जिसके अंतर्गत ऐसे विदेशी अभिदाय केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ही स्वीकार किये जा सकते हों । ऐसे संगमों को वे सूचनाएं भी देनी होंगी जो रजिस्ट्रीकृत संगमों द्वारा दी जाती हैं । ऐसा प्रस्ताव है कि रजिस्ट्रीकृत संगमों के बारे में, जो समय पर या विहित रीति से सूचनाएं नहीं देतीं या असत्य सूचना देती हैं, केन्द्र सरकार के पास शक्ति हो कि वह उनसे कह सके कि वे किसी प्रकार के विदेशी अभिदाय को स्वीकार करने से पहले पूर्व अनुमति लें ।

सरकार का विचार था कि उसके पास उन संगठनों के लेखाओं की परीक्षा करने की शक्ति होनी चाहिए जिनसे विहित विवरणियां समय पर प्राप्त नहीं होती हैं या वे विधि के अनुसार नहीं होती

[श्री एस० बी० चव्हाण]

अथवा उनकी जांच से समुचित रूप से ऐसा लगता है कि अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन हुआ है या उल्लंघन हो रहा है ।

संगमों को अधिनियम के अंतर्गत इस बात की तो स्वतंत्रता है कि वे अपने कार्यक्रमों के लिए विदेशी अभिदाय ले किन्तु उनसे यह आशा की जाती है कि वे उसके प्रयोग तथा विवरणियां पेश करने आदि से सम्बन्धित कानून के उपबंधों का पालन करें। यदि किसी संगम को कानून का उल्लंघन करने के लिए एक बार से अधिक दोष सिद्ध होता है तो स्पष्ट है कि वह विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव है कि अधिनियम में इस आशय का एक उपबंध बनाया जाए कि दूसरी बार दोष सिद्ध होने पर ऐसे संगम द्वारा तीन वर्षों के लिए विदेशी अभिदाय स्वीकार करने पर रोक होगी।

उपरोक्त संशोधनों के साथ एक विधेयक 1984 के मानसून सत्र के दौरान मई, 1984 में राज्य सभा में पुरःस्थापित और पारित किया गया था । समयाभाव के कारण सातवीं लोक सभा द्वारा इस पर विचार नहीं किया जा सका । चूंकि प्रस्तावित विधेयक के कुछ उपबंधों को तत्काल प्रभारी बनाने की आवश्यकता थी, 20 अक्तूबर 1984 को एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया । विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम अध्यादेश के उपबंधों के अनुसार संशोधित किये गए और संगत अधिसूचना 5 नवम्बर 1984 को प्रकाशित की गई। अध्यादेश की धारा 4 और 6 के उपबंधों को 21-11-1984 को प्रकाशित एक अधिसूचना के माध्यम से 1-1-1985 से लागू किया गया है, इन्हें सभा-पटल पर पहले ही रखा जा चुका है। संगमों के रजिस्ट्रीकरण के कारण होने वाले कार्यभार को निपटाने के लिए तथा विदेशी अभिदाय स्वीकार करने के लिए पूर्व अनुमति देने हेतु एवं विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और सूचनाओं पर प्रभावी निगरानी रखने तथा उससे सम्बन्धित जांच और अनुवर्ती कार्यवाही आदि के लिए अतिरिक्त पद बनाने होंगे जिस पर अनुमानतः लगभग 11 लाख रुपये प्रतिवर्ष खर्च आयेगा । विदेशी अभिदाय (विनियमनों) संशोधन विधेयक, 1985 में मामूली परिशोधनों के साथ अध्यादेश के उपबंधों को शामिल किया गया है । सभा मुझसे सहमत होगी कि विधेयक में अंतर्विष्ट उपबंध अपने राष्ट्रीय जीवन को बेदाग रखने के लिए आवश्यक हैं । अतः मैं सिफारिश करता हूं कि इस विधेयक पर विचार किया जाए ।

मेरे विचार से यह सही होगा कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये प्रश्नों का अंत में उत्तर देने का प्रयत्न करूं । मेरे विचार से विधेयक का सारा विरोध गलत जानकारी और विधेयक को गलत पढ़ने के कारण हुआ है । मेरे विचार में मैं शायद यह नहीं कह सकता कि उन्होंने विधेयक नहीं पढ़ा है लेकिन साथ ही वह विधेयक से सही जानकारी नहीं ले पाये हैं । सरकार का आशय किसी राजनीतिक दल को विदेशी अभिदाय लेने की अनुमति देना नहीं है । हमें इस बारे में पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए । यदि आप धारा 9 पढ़ें तो आप देखेंगे कि वह आतिथ्य विदेशी आतिथ्य, जिसकी किन्हीं व्यक्तियों को मिलने की सम्भावना है, के बारे में है । इन सभी को विनियमित करने और विशेषकर माननीय सदस्य द्वारा उठायी गई आपत्ति को दूर करने के लिये ऐसा किया जा रहा है । जैसा उनका यह कहना कि हम किसी राजनीतिक दल को जिसका एक बार दोष सिद्ध हो गए हो उसे दूसरी बार दोष सिद्ध हो जाने के बाद 3 वर्ष की उदार अवधि दे रहे हैं । यह दर्शाता है कि उन्होंने विधेयक को ठीक से नहीं पढ़ा है । मेरे विचार से तो हमारा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है । यदि वह विधेयक को ध्यान से पढ़े तो मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकांश गलतफहमी, जो यहां उन्होंने व्यक्त की है, तथ्यों पर सही नहीं उतरेगी ।

सच तो यह है कि किसी भी राजनीतिक दल को विदेशी अभिदाय लेने की मनाही है । इस बारे में हमें स्पष्ट होना चाहिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ : क्या यह सही नहीं है कि दूसरी बार सिद्ध होने पर भी उन्हें 3 वर्ष का समय दिया जाता है ? पहली बार दोष सिद्ध होने पर आप क्या करते हैं ?

श्री एस० बी० चव्हाण : इसीलिए तो अपने माननीय मित्र से अनुरोध कर रहा हूं कि वह एक बार फिर विधेयक को पढ़ें ।

अनेक सांस्कृतिक, धार्मिक और अन्य संगम हैं जो या तो केन्द्र सरकार को समय पर सूचना नहीं देते हैं या उनसे जिस प्रोफार्मा पर सूचना देना अपेक्षित होता है उस पर सूचना नहीं देते हैं। यही विभिन्न मुद्दे है। अतः पहली बार दोष सिद्ध होने पर उन्हें सुधार करने का अवसर दिया जाता है। यदि दूसरी बार दोष सिद्ध होता है तो निस्संदेह काफी कड़ी कार्यवाही की व्यवस्था की गई है। उन्हें 3 वर्षों तक कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

वाद-विवाद के दौरान यदि कोई माननीय सदस्य कोई प्रश्न उठाते हैं तो मैं उसका भरसक उत्तर देने का प्रयत्न करूंगा।

इन शब्दों के साथ मैं सिफारिश करता हूं कि सभा इस विधेयक पर विचार करे।

सभापति महोदय : सांविधिक संकल्प प्रस्तुत हुआ :—

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर 1984 को प्रख्यापित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

माननीय सदस्य द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प और मंत्री महोदय द्वारा पेश किया विधेयक दोनों अब सभा के समक्ष हैं।

अब श्री अनिल बसु बोलेंगे।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : सभापति महोदय, सरकार वर्तमान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में कतिपय परिवर्तन लाना चाहती है। यह वर्तमान विधेयक, जिसे दूसरी सभा ने पारित कर दिया है, 1976 के मूल अधिनियम में संशोधन करने के लिये पुरःस्थापित किया गया है। सरकार 'विदेशी अभिदाय' तथा 'राजनीतिक दलों' की परिभाषा को व्यापक बनाना चाहती है। विदेशी अभिदाय प्राप्त करने वाले संगठनों को कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ती है। सरकार ऐसे मामलों की जांच करने की शक्ति ग्रहण कर रही है जहाँ ऐसे संगठनों ने लेखा परीक्षित लेखे, आदि प्रस्तुत न किये हों।

महोदय, अब हम ऐसे संशोधनों पर आपत्ति नहीं उठा सकते हैं किन्तु हम कतिपय प्रश्न पूछना चाहते हैं। माननीय मन्त्री द्वारा प्रस्तावित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन विधेयक में कुछ कमियां रह गई हैं। वास्तव में सरकार उन कमियों को दूर करना चाहती है जो रह गई है, इसलिये इस संशोधनकारी विधेयक को इस सभा में पेश किया गया है।

1976 के मूल अधिनियम में एक छूट देने वाली धारा, अर्थात् धारा 8 है। जिन संगठनों को विदेशी अभिदाय प्राप्त हो रहे हैं उन्हें इस धारा के प्रयोग का व्यापक अवसर मिलता है। इस धारा में जो कमियां हैं उन्हें दूर करने के लिए इस संशोधनकारी विधेयक में कोई प्रस्ताव नहीं है। हाल के वर्षों में सभा में विदेशी धन की भूमिका तथा उससे हमारे राष्ट्रीय जीवन को होने वाले खतरे के बारे में चर्चा हुई है। दुर्भाग्य से देश में ऐसी अनेक उदाहरण हैं जब कि विदेशी धन हमारे राष्ट्रीय हित के विरुद्ध राष्ट्र-विरोधी भूमिका के लिये प्रयुक्त किया गया।

इस देश में कार्यरत बहु राष्ट्रीय निगमों के मामले में धारा 8 के दुरुपयोग की बहुत गुंजाइश है। सामान्य व्यापार और कारोबार के नाम पर वे हमारे देश में सक्रिय हो जायेंगे और उनके माध्यम से विदेशी धन आयेगा। इस प्रकार दिये गये विदेशी धन का पता लगाना सरकार के लिए सम्भव नहीं है। इसलिए हमारा यह प्रस्ताव है कि धारा 8 पर समुचित विचार किया जाए, ताकि बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों की गतिविधियों पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाये जा सकें। सरकार के उच्चाधिकारियों से हमें पता चला है कि विदेशी धन का प्रभाव बना हुआ है और विदेशी एजेन्सियां देश तथा सरकार में अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। इससे

[श्री अनिल बसु]

निश्चय ही राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा पैदा हो जाता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि सरकार विदेशी अभिदाय को विनियमित करना अथवा उन पर प्रतिबन्ध लगाना चाहती है तो ऐसा सही ढंग से किया जाना चाहिये, क्योंकि मूल अधिनियम में अनेक कमियां हैं। मैं इस बात से अनभिज्ञ हूं कि सत्तारूढ़ दल इस सम्बन्ध में कहां तक कार्यवाही करना चाहता है और क्या वह भूल करने वालों को दंडित करना तथा ईमानदारों को पुरस्कृत करना चाहता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं यह भी नहीं जानता कि क्या सरकार इस प्रकार के सभी विदेशी अभिदायों पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए राजनैतिक दृष्टि से प्रतिबद्ध है या नहीं। हमने देखा है कि विदेशी एजेन्सियां, विशेष रूप से समाज कल्याण कार्य करने के बहाने हमारे देश में सक्रिय हैं। विदेशी एजेन्सियों द्वारा हमारे देश में की जा रही अनेक प्रकार की गतिविधियों पर इस सभा में पहले भी चर्चा हो चुकी है। अतः यदि सरकार विदेशी अभिदायों पर सचमुच प्रतिबन्ध लगाना चाहती है, तो उसे देश में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निगमों की गतिविधियों पर ध्यान रखना होगा।

यह कहा गया है कि उच्च सरकारी अधिकारियों को आतिथ्य सत्कार मिलता है और वे विदेशों का दौरा करते हैं। व्यापारी तथा अन्य निहित स्वार्थ उन्हें वित्तीय सहायता देते हैं। यदि विदेशी धन सरकार के उच्च अधिकारियों तक विदेशी विचारधारा के साथ पहुंचता है तो इससे हमारे आस पास खतरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी। अतः हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि विदेशी अभिदाय का सही तरीके से नियंत्रण किया जाना चाहिए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये आवश्यक आमूलचूल सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन किये जाने चाहिये।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : सभापति महोदय, मैं अपने विचार संक्षेप में प्रकट करूंगा। जैसा कि गृह मन्त्री महोदय ने बताया है कि विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 में काफी कमियां थी और हम सब मंत्री महोदय को इस मंत्री सभा में इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देते हैं जिसके माध्यम से अब इस कानून को सख्त बनाया जायेगा। महोदय, पिछले कुछ दिनों से प्रधान मन्त्री तथा गृह मन्त्री इस सभा में इस तथ्य का उद्घाटन करते रहे हैं कि किस प्रकार कुछ विदेशी शक्तियां चारों तरफ पैसे का जाल फैला कर इस राष्ट्र और इस प्रशासन के अस्तित्व को ही मिटा देना चाहती थी। विदेशी शक्ति द्वारा गुप्तचारी का मामला इस चरम सत्य को उद्घाटित करता है कि इस देश में अस्थिरता पैदा करने में उसका हाथ है। किन्तु हम सभी इस तथ्य से परिचित हैं कि न केवल हमारे देश में, अपितु अन्य विकासशील देशों में भी विदेशी शक्तियां, विशेष रूप से वे विदेशी शक्तियां, जिनके उपनिवेशवादी साम्राज्य छिन्न-भिन्न हो गये हैं, विधिवत निर्मित सरकारों को अस्थिर करने में प्रयत्नशील हैं और इस प्रकार अस्थिरता पैदा कर विभिन्न रूपों में नव-उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद का खेल खेल रही हैं।

विदेशी अभिदानों पर नियन्त्रण करने की आवश्यकता के बारे में मुझे एक उदाहरण याद आ रहा है। 1975 में रेल हड़ताल हुई थी और उस समय न केवल गाड़ियों को पटरियों से उतारने, अपितु समूची अर्थ-व्यवस्था को तहस नहस करने का भी प्रयास किया गया था। इस बात का पता चला है और यहां भी यह तथ्य सामने आया कि इस समूचे आंदोलन का नेता, जो बाद में जनता सरकार का एक** मन्त्री बना था, इस देश की समूची अर्थ-व्यवस्था को नष्ट करने और समूची रेल सेवाओं को अस्तव्यस्त करने के लिये विदेशी धन प्राप्त कर रहा था ...(व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी (महबूबनगर) : यह क्या है ? इस बात को कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाये। यह बिल्कुल असंगत है। गृहमन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में जांच करवाये ..., (व्यवधान)

श्री एडुआर्डो फैलीरो : माननीय सदस्य, जो अब खड़े हैं, और यहां पर कतिपय विषयों को बड़े जोरदार ढंग से उठाते हैं मैं पिछले कुछ दिनों से उनसे काफी प्रभावित हुआ हूं किन्तु मैं पूर्ण विनम्रता से सही

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सूचना देने के लिये उन्हें बताना चाहता हूं कि यह आरोप सभा में तथा सभा से बाहर तथा समाचार पत्रों में लगाये गये हैं और ये आरोप ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध लगाये गये है जिनका नाम .... (व्यवधान) अब यदि आप चाहे तो मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। उनका नाम** ... (व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए ... (व्यवधान)। मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। वह पहले नोटिस दिये बिना किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप नहीं लगा सकते और वह अपनी सफाई में कुछ कहने के लिये यहां नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य सत्तारूढ़ दल के हैं और उनका दल पिछले चार वर्षों से भी अधिक समय से सत्तारूढ़ है और उनका दल अगले पांच वर्ष और सत्ता में रहेगा। हम इस सरकार को किसी चालाकी से अथवा फूट डाल कर अस्थिर नहीं करना चाहते जैसा कि उन्होंने काश्मीर और आन्ध्र प्रदेश में किया था।

मैं यह बात कहना चाहता हूं कि आपका दल सत्तारूढ़ है। आप इस सम्बन्ध में जांच क्यों नहीं करवाते हैं? गृह मन्त्री महोदय जांच करवाने के लिये आगे क्यों नहीं आये? सत्तारूढ़ दल के सदस्य केवल गैर-जिम्मेदाराना, आधारहीन तथा दुर्भावनापूर्ण आरोप लगा कर ही सन्तुष्ट हो रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री वसुदेव आचार्य : (बांकुरा) इसे कार्यवाही-वृतान्त से निकाल दिया जाना चाहिये... (व्यवधान)

सभापति महोदय : अध्यक्ष महोदय कार्यवाही-वृतान्त को देखेंगे और निर्णय करेंगे।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : यदि गृह मन्त्री इन आरोपों के बारे में जांच करवाने के लिए तैयार हैं तो मैं चाहता हूं कि इन आरोपों को कार्यवाही-वृतान्त में ही रहने दिया जाए।

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान मत डालिए। श्री फैलीरो, आप अपनी बात जारी रखिये और एक ही बात को न दोहराइये ... (व्यवधान)

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : आप गृह मन्त्री महोदय से जांच करवाने के लिये क्यों नहीं कहते?

सभापति महोदय : कृपया व्यवधान नहीं डालिए।

4-00 म० प०

श्री एदुआर्डो फैलीरो : महोदय आन्ध्र प्रदेश के और जनता पार्टी के माननीय सदस्य के लिए इतना उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैंने यह निवेदन किया है कि ये आरोप यहां पहले भी लगाये गये हैं और सभा के बाहर भी लगाये गये हैं और विशेषरूप से इन आरोपों को मेरे माननीय मित्र, जो अब इस सभा में नहीं है, के विरुद्ध सिद्ध करने के लिए एक जांच आयोग कांग्रेस द्वारा बिठाया गया था किन्तु दुर्भाग्य से उनकी अपनी सरकार अर्थात जनता सरकार ने उसे वापस ले लिया था।

(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यहां पर पिछले पांच वर्षों से उनकी सरकार है। उन्होंने कोई कार्यवाही क्यों नहीं की?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : वे आपात काल की 18 मास की काली अवधि भूल गये हैं ... (व्यवधान)

सभापति महोदय : बात को मत दोहराइये। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि विवादास्पद विषयों को मत दोहराइये।

श्री एदुआर्डो फैलीरो : मैं आपसे सादर निवेदन करना चाहता हूं कि सी० आई० ए० के एक वरिष्ठ संचालक फिलिप अगी तथा अन्य व्यक्तियों में जो इस एजेन्सी के अन्दर कार्यरत थे, अपनी पुस्तकों में तथा संयुक्त राज्य अमरीका की सीनेट समिति के समक्ष अनेक रहस्योद्घाटन किये हैं। अपनी प्रकाशित पुस्तकों में उन्होंने बताया है कि सी०आई०ए० न केवल अपने संचालकों तथा उसने जो विशेष जाल बिछा रखे है, उनके माध्यम से अपितु मुख्य रूप से ऐसे संगठनों के माध्यम से भी कार्य करती है जो बड़े प्रतिष्ठित सांस्कृतिक

**कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया गया।

[श्री एडुआर्डो फलेरियो]

संगठन होते हैं श्रम संगठन होते हैं व्यावसायिक व्यक्तियों आदि के संगठन होते हैं और उदाहरण के तौर पर फिलिप अगई ने ऐसे दर्जनों संगठनों के नामों की सूची दी है जिन्हें तब तक शिक्षाविदों, समाचार पत्रों के प्रतिष्ठित संगठन समझा जाता था। मुझे इस प्रकार की एक प्रतिष्ठित पत्रिका 'एनकाउंटर' का उदाहरण स्मरण हो आया है जो विश्व भर में एक प्रतिष्ठित पत्रिका मानी जाती थी, इसका पता चला था कि यह सी०आई०ए० समर्थित पत्रिका थी। और इसी प्रकार शिक्षाविदों श्रमिकों के अनेक संगठनों, का पता चला है जिन्हें इस प्रकार की अन्तर्राष्ट्रीय गुप्तचर एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती थी।

अब हमें यहां जो अनुभव रहा है और गृह मंत्री महोदय ने आज यहां बताया है और उनके पूर्व के गृह मन्त्रियों ने पहले बताया था कि इस देश में अस्थिरता लाने के प्रयासों, चाहे वे पूर्वोत्तर में हों अथवा चाहे उत्तर में अथवा कहीं भी हुए हों, के लिये काफी हद तक ऐसी एजेन्सीयों द्वारा वित्तपोषण किया गया है जो न केवल अमरीका से सम्बद्ध हैं बल्कि ऐसे अन्य अनेक पश्चिमी देशों से सम्बद्ध हैं। यह आज के सन्दर्भ में संगत है। जो मात्र अमरीका से धन तथा अवैध निधि बटोरने के संगठन सिद्ध हुए हैं।

अब हम राजनीतिक दलों को लेते हैं। विपक्ष के मेरे मित्र ने पहले जो कुछ कहा है, मैं निश्चय ही उसका समर्थन करता हूं कि महोदय अब समय आ गया है जब कि हमें राजनीतिक दलों के खर्चे पर नियन्त्रण रखना पड़ेगा।

श्री ईराबु अय्यापु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने बहुत से संगठनों का उल्लेख किया है। क्या वे प्रधान मंत्री महोदय के मुख्य सचिव के माध्यम से भी सक्रिय है?

श्री एडुआर्डो फलेरियो : प्रधान मंत्री महोदय ने कल उस सभा में जो यह कहकर मुख्य सचिव की प्रशंसा की थी कि उन्होंने अपना त्यागपत्र देकर आचरण के सर्वोच्च स्तर को बनाए रखा है यद्यपि स्वयं उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, तो उस प्रशंसा की बात इस सभा के सदस्यों की समझ में आ जानी चाहिये थी।

अब, सभापति महोदय, राजनीतिक दल विशेषकर ऐसे समय पर जिनमें से हम होकर गुजरे हैं अर्थात चुनावों के समय जो खर्च करते हैं, मैं उस मुद्दे के बारे में कहने जा रहा था। विपक्ष के एक नेता यहां पहले ही कह चुके हैं कि हम सभी अपना संसदीय जीवन यह गलत बयान देकर शुरू करते हैं कि हम केवल तीस या पचास हजार अथवा एक लाख रूपया व्यय करते हैं, जबकि वास्तविक व्यय कहीं अधिक होता है। अब प्रधान मंत्री महोदय ने अपने आश्वासन में जोरदार और स्पष्ट रूपसे कल यह मुद्दा उठाया था कि सरकार चुनाव सुधारों के बारे में चिन्तित है। मेरा सरकार से आग्रह है कि वह चुनाव सुधारों के इस महत्वपूर्ण पहलू को ध्यान में रखे, अर्थात चुनावों में व्यय पर नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है और हमें भी कुछ विदेशों की तरह यथा पश्चिम जर्मनी की तरह यह करना चाहिये कि यदि कोई राजनीतिक दल गत चुनाव में एक अमुक प्रतिशत तक वोट प्राप्त कर लेता है तो उस राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने के लिए स्वयं सरकार पैसा देगी। यही सही रास्ता है। राजनीतिक दलों को विदेशों से चंदा लेने की कतई अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, क्योंकि इस तरीके से विदेशी ताकतें इस राष्ट्र के भाग्य का निर्णय करेंगी। इसकी कतई अनुमति नहीं दी जानी चाहिये।

माननीय सदस्यों ने आतिथ्य सत्कार का उल्लेख किया है। लोगों का हृदय जीतने का एक तरीका उन्हें विदेशों की सैर करना और सब खर्चा उठाना है। वे उस देश और शासन की यहां आकर बड़ाई करते हैं और उसके साथ गहरी और स्थायी मित्रता की बात भी करते हैं, जो कि कभी-कभी औचित्य की सीमाएं भी लांघ जाता है। यह सब प्रारंभ में स्वयं संसद सदस्यों पर ही लागू होना चाहिये। निश्चय ही यदि संसद सदस्य यह जानते है कि कानून के अधीन उन्हें गृह मन्त्रालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करनी चाहिये और विदेशी आतिथ्य स्वीकार करने से पूर्व गृह मन्त्रालय को पूर्व सूचना देनी चाहिये तो मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि प्रत्येक सांसद इसका पालन करेगा। परन्तु यह आवश्यक है कि संसदीय कार्य मन्त्रालय या सचिवालय को ये तथ्य सांसदों को शुरू में ही सूचित कर देने चाहिये कि यदि

कोई आतिथ्य सत्कार स्वीकार करता भी है तो, उसे यह गृहमंत्रालय से पूर्व अनुमति लेकर करना चाहिये। यह परिपत्र द्वारा किया जाना चाहिये। मैं जानता हूं कि बहुत से सांसदों ने यह आतिथ्य सत्कार अनजाने में स्वीकार कर लिया और बिना गृह मंत्रालय को सूचना दिए कर लिया और कभी-कभी इस प्रकार सरकार को और देश को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। विदेशों से इस देश में थोड़ा और व्यापक हस्तक्षेप होने का एक और तरीका ग्रामीण विकास एजेंसियां है। कुछ स्वयं-भू ग्रामीण विकास अभिकरणों ने ग्रामीण क्षेत्रों में काफी अशांति फैला रखी है। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि स्वयंसेवी अभिकरणों का स्वागत है और ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका स्वागत है, लेकिन उन्हें देश के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मानकों के भीतर ही कार्य करना चाहिये। इन संगठनों को असंतोष, सामाजिक असंतोष फैलाने की और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये जो हमारे देश की सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक प्रणालियों में अस्थिरता उत्पन्न करते हैं।

यहां पर यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि इन अभिकरणों के बारे में कुदाल जांच आयोग का क्या कहना है। एक ऐसा ही अभिकरण जो कि इस जांच आयोग के समक्ष उपस्थित हुआ था, वह है "अवार्ड" (स्वैच्छिक एवं ग्रामीण विकास अभिकरण)। यहां तक कि गांधी शान्ति प्रतिष्ठान पर कुदाल आयोग ने प्रतिकूल टिप्पणियां की है और इससे पहले कि जनता पार्टी के मेरे मित्र उछल पड़ें, क्या मैं बता दूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री महोदय, श्री मोरारजी देसाई ने प्रतिष्ठान के बहुत से पदाधिकारियों और 'अवार्ड' के पदाधिकारियों की कटु आलोचना की थी ?

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी : मैं आपसे सहमत हूं।

श्री एडुआर्डो फलेरो : ऐसा पता चला है कि उस प्रतिष्ठान और 'अवार्ड' को दिए गये बहुत से धन का दुरुपयोग किया गया है। पश्चिम जर्मनी को हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में रिपोर्टें भेजी गई हैं, इस मामले का सरकार को पता लगाना चाहिये।

मैं श्री सोज के इस कथन से सहमत हूं कि किसी राजनीतिक दल विशेष को, इस कानून की आड़ में तंग न किया जाए। इसका उद्देश्य देश में विदेशी मुद्रा की आमद को रोकना भी नहीं है, परन्तु इसका उद्देश्य तो केवल इस बात पर दृष्टि रखना है कि यह धन कैसे आ रहा है, कहां से आ रहा है और यह कैसे खर्च किया जाता है। किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं होना चाहिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार का ऐसा कोई इरादा नहीं है। और इस सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है।

मुझे याद है कि जनता सरकार ने इन्दिरा जी को कितना परेशान किया था। परन्तु जैसे ही वह सत्ता में आईं तो, उन्होंने अपनी उदारता दिखाई। न्यायमूर्ति वेंकटलिंगम की अध्यक्षता में नियुक्त किए गए आयोग ने श्री कान्ति देसाई के विरुद्ध भाई रिपोर्टें दी थी। परन्तु उन्होंने कह दिया कि हम इन रिपोर्टों को नहीं मानेंगे। बीती बातों को बिसार दिया जाए।' हम सभी इस सरकार के इस रवैये के साक्षी हैं कि इसके पास क्षमा करने की भारी क्षमता है और इसमें प्रतिशोधी न होने की भी क्षमता है। मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है यह स्थिति यथावत रहेगी। परन्तु इस सदन में सबको एक होना चाहिये और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस कथन में हम सभी सहमत हैं कि चाहे कुछ भी विवाद क्यों न हो, हम इसे अपनी ही संस्थाओं द्वारा हल करेंगे और बाहर से उन लोगों को नहीं लायेंगे जो कि चालबाजी से काम लेंगे। इसी भावना से मैं इस विधान का पूर्ण और जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं और सभी पीछे बैठे सदस्यों से इसका समर्थन करने का अनुरोध करता हूं जिससे कि सदन में इसे प्रस्तुत करते समय सरकार के हाथ मजबूत हो जाएं।

श्री एच० एम० पटेल (साबरकांठा) : सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि विदेशी अंशदान विनियम अधिनियम आवश्यक था और यह संशोधन भी अपेक्षित है। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वास्तव में वह यह है कि अधिनियम को किस तरह से कार्यान्वित किया जाता है मुझे इस बात से आश्चर्य होता है कि

[श्री एच० एम० पटेल]

हम इतने सारे प्रत्यायोजित विधान लाना चाहते हैं। इस अधिनियम के अधीन नियम बनाने के लिये बहुत सारी शक्तियां प्रदान की जाती हैं। संशोधन विधेयक में नियमों को समाविष्ट करने के लिये जब इतना सारा समय था तो इसकी क्या आवश्यकता थी ? वे बड़ी आसानी से यह बता सकते थे कि कितने समय में और किस प्रकार आयकर की विवरणी दी जा सकती है उन्हें आसानी से इसी विधेयक में सम्मिलित किया जा सकता था। तभी हम उनपर टिप्पणी कर सकते थे कि क्या दिया गया समय पर्याप्त था, और क्या आवश्यक सूचना एकत्र करने के लिए यथा प्रस्तावित तरीके को दिया जाना आवश्यक था। ये सभी बातें स्पष्टरूप से उल्लिखित की जा सकती थी और यहां उपस्थित सदस्यों को उन पर टिप्पणी करने का मौका मिल गया होता कि क्या यह पर्याप्त है, क्या यह अपर्याप्त है क्या यह उन संघों, दलों के लिए इन विवरणियों के प्रस्तुत करने में कोई व्यावहारिक कठिनाई उत्पन्न करेगा।

मुझे भी उनके इस विचार पर कुछ आश्चर्य हो रहा है कि इन संशोधनों को लागू करने के लिए 11 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। यह मेरी कतई समझ में नहीं आता है। गृह मंत्रालय में पहले से ही एक कक्ष है जो पहले से ही 1976 के असंशोधित अधिनियम के अधीन संबंधित व्यक्तियों तथा संघों से विवरण प्राप्त करता है। अब नये सिरे से जोड़ने के लिए तो केवल राजनीतिक दल ही रह गये हैं और उनकी संख्या बहुत अधिक नहीं हो सकती उनकी संख्या तो केवल थोड़ी सी ही है। अन्य सभी संघ, आदि पहले के अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। अतः नये विवरण, आदि की संख्या अपेक्षाकृत होगी और विद्यमान कक्ष ने आसानी से उन्हें संभाल लिया होगा।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : वे यह पूछना चाहते हैं कि क्या सूचना सही है या नहीं।

श्री एच० एम० पटेल : मैं कुछ ऐसे तरीकों का उल्लेख कर रहा हूं जिनके द्वारा नये प्रधान मंत्री, जो स्वच्छ प्रशासन चाहते हैं, को इच्छानुसार प्रशासनिक सुधार होना संभव हो सकता है। जिन्हें मैं यह बताने का प्रयास कर रहा हूं, इस उद्देश्य को प्राप्त करने का एक यह तरीका नहीं है कि जब तक नितांत आवश्यक न हो जाये, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाती रहे। मैं यह सुझाव तो दे नहीं रहा हूं कि स्टाफ की आवश्यकता ही नहीं है। इसके होते हुए मुझे इसको समझना कुछ-कुछ कठिन लगता है और इस अतिरिक्त स्टाफ की क्या आवश्यकता है जिस पर कि 11 लाख रुपये का खर्च आए।

कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हम नितांत अनावश्यक रूप से बढ़ाते रहते हैं। प्रस्ताव यह है कि हर बात को स्पष्ट करना होगा कि भविष्य में अंशदान किसी बैंक आदि की किसी विशिष्ट शाखा के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं लिया जायेगा। वस्तुतः ऐसा प्रबंध हो जाने से आपको एक ऐसा बहुत ही अच्छा साधन प्राप्त हो जायगा जिसके माध्यम से आप सभी सूचना रिकार्ड कर सकते हैं। क्या किसी अन्य स्थान पर भी इसका रिकार्ड रखना आवश्यक है ? यदि आवश्यक है तो अवश्य रखिये किन्तु इससे ऐसा प्रतीत होता है कि हम उसी काम को व्यर्थ ही में दो बार कर रहे हैं।

अब आपका कहना है कि आप राजनैतिक दलों के लेखों का लेखा परीक्षा करायेंगे। वास्तव में, पहले के अधिनियम में ही ऐसी व्यवस्था है कि आप ऐसा कर सकते हैं। किसी प्रकार का सन्देह या शंका होने की स्थिति में विवरणी की जांच करने का उसमें पर्याप्त प्रावधान है। परन्तु यदि आप समझते हैं कि लेखा परीक्षा कराना नितांत आवश्यक है तो अवश्य कराइये। परन्तु क्या 100 प्रतिशत लेखा परीक्षा कराना आवश्यक है ? वास्तव में, यदि आप जांच कराना चाहते हैं तो यह एक प्रसिद्ध सिद्धान्त है, कि 100 प्रतिशत जांच के मुकाबले में कभी-कभी नमूना जांच करना अधिक कारगर होता है।

अतः, मैं कहूंगा कि गृहमन्त्री महोदय को जो कि अब यहां उपस्थित नहीं हैं, यह पहलू ध्यान में रखना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से उनका यह आशय पता चल जायेगा—कि लेखा परीक्षा कराने के लिए स्वयं मंत्रालय में विशेष स्टाफ रखना अनावश्यक होगा। यदा कदा ही आवश्यक होने पर आप चुने हुए दलों का कभी कभी नमूना लेखा परीक्षा करने के लिये फर्मों का चयन कर सकते हैं यह कहीं अधिक संतोष-

जनक जांच होगी । मैं वास्तव में ही यह बता देना चाहता हूं कि ये वे पहलू हैं जिन पर चाहे कुछ भी हो आपको सावधानी से विचार करना चाहिये जिससे कि वास्तव में ही उन अधिक लोगों को भर्ती से बचा जा सके जिनको बाद में निकालना आपके लिए कठिन हो ।

और फिर यह भी सच है क्योंकि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को नौकरी से नहीं निकाल सकते हैं जो कि आपको आवश्यकता से फालतू हो क्योंकि वर्तमान विधान और नियम ऐसे ही हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप आवश्यकता से अधिक स्टाफ भर्ती करने से पहले अतिरिक्त सावधानी बरतें ।

वास्तव में मुद्दा तो यह है कि जैसा कि उद्देश्य और कारणों के कथन में बताया गया है, विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक को मुख्यतया इस विचार से मई, 1984 में राज्य सभा में पुरः-स्थापित किया गया था कि विदेशी अंशदान की प्राप्ति पर प्रभावी ढंग से निगरानी रखी जा सके और इसके दायरे में उन कुछ राजनीतिक दलों को भी सम्मिलित किया जा सके, जो कि पहले से इसके दायरे में नहीं आते हैं । केवल निगरानी सम्बन्धी कार्यों को पूरा करने की बात इस अतिरिक्त संशोधन में कही गई है क्योंकि गत संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के दोनों सदन विधेयक को पास नहीं कर सके ।

एक अध्यादेश जारी किया गया था । उस अध्यादेश को अब अधिनियम में बदला जा रहा है अतः यह पता लगाने के लिये सरकार के पास काफी समय था कि उन्हें इस संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में किन नियमों की जरूरत पड़ेगी । तब इस प्रत्यायोजित विधान के साधन का आश्रय लेने की क्या आवश्यकता है ? जब वे नियम बनाए जाते हैं तो निस्संदेह इन्हें सभा पटल पर रखा जायेगा लेकिन इस समय प्रायः उनका सावधानीपूर्वक अध्ययन नहीं किया जाता। यदि इन्हें इस संशोधन के साथ यहां पर प्रस्तुत किया जाता तो हम कुछ रचनात्मक आलोचना करने की स्थिति में होते । ऐसी स्थिति में भी जब विधेयक का सिद्धांत स्वीकार्य होता तो भी कार्यान्वयन के तरीके का प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण बन जाता है और उस तरीके के कार्यान्वयन में, विपक्ष भी सहायता कर सकता है । मैं निवेदन करता हूं कि जहां तक हो सके प्रत्यायोजित विधान की आवश्यकता से बचने के लिये और अधिक सावधानी बरतनी चाहिये । मैं कोई अन्य टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं ।

4-19 म० प०

[श्री शरद शंकर दिघे पीठासीन हुए]

[हिन्दी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, "टूवर्ड्स् सोशल रेवोल्यूशन" वसंत साठे जी ने एक किताब लिखी है । उन्होंने बताया है अपनी पुस्तक में कि 1967-68 के अंदर 34 हजार करोड़ रुपए काला धन था जो 1981-82 में बढ़ कर 54 हजार करोड़ हो गया । देश के अंदर बाहरी शक्तियों से धन आता है। संस्थाओं के पास जो धन आ रहा है, उसकी जांच कौन करेगा ? इसी वजह से कानून बनाने का एक मकसद था क्योंकि गल्फ कन्ट्रीज से काला धन आ रहा है । आपको मालूम होगा पंजाब की राजनीति में भी हस्तक्षेप करने के लिए काला धन बाहर से आया था । इसी धन को रोकने के लिए यह कानून बनाया जा रहा है। कानून तो किताबों में मौजूद है । आपको चाहिए कि आप उसको लागू करें। एक पैक्ट मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं । यह विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 1975 की धारा 23 है जिसमें कहा गया है :

[अनुवाद]

"इस अधिनियम के किसी प्रावधान अथवा इसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करते हुए विदेशी स्रोत से कोई विदेशी अंशदान अथवा कोई करेंसी जो कोई व्यक्ति स्वीकार करता है अथवा इसे स्वीकार करने में किसी व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी अथवा संगठन की सहायता करता है उसे पांच वर्ष तक का कारावास का दंड दिया जायेगा अथवा जुर्माना किया जायेगा अथवा कारावास और जुर्माना दोनों होंगे ।"

[श्री मूलचन्द डागा]

[हिन्दी]

1976 के बाद 1985 में आप यह प्रश्न कर रहे हैं । आप यह बताएं कि कौन सी संस्था को आपने पनीश कर दिया । 1985 में आपसे एक सांसद पूछ रहा है कि क्या यह कानून अलमारी में रखने के लिए है या इसको अमली रूप देना चाहिए । बहुत से लोगों ने यह सवाल किया है । आप एक उत्तर दीजिए कि उस आरगेनाइजेशन के पास काला धन आया और उसको यह सजा हुई । मेरे से पहले बोलने वाले वक्ता ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी । आप कानून बनाते हैं और आप ही उसमें कुछ तबदीली लाना चाहते हैं । लेकिन, कानून की अनुपालना कुछ रूल्स से बनती है । अगर उन रूल्स को ले आप तो समझा जा सकता है कि आपका इरादा क्या है । यहां पर सन् 1983 में एक प्रश्न पूछा गया था । वह मैं आपको बता देना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

प्रश्न यह है : "क्या यह सच है कि पंजाब राज्य में विध्वंसकारी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिये इस राज्य में विदेशी धनराशि आ रही है ।"

और इसका उत्तर है :

"विदेशों से पंजाब को धनराशि भेजने के बारे में सरकार को प्राप्त सूचना के अधिनियम के अन्तर्गत .... कानून के अन्तर्गत संवीक्षा की जाती है ।"

[हिन्दी]

इस वक्त पंजाब में कितना काला धन अन-अकाउंन्टेड आया, तो आपने उस वक्त कहा कि हम फैक्ट्स इकट्ठा करेंगे । उसके बाद उत्तर आज तक नहीं आया । उसके बाद राज्य सभा में एक प्रश्न श्रीमती मैमूना सुल्तान द्वारा पूछा गया । उसका जो उत्तर आया, वह मैं आपको पढ़कर सुना देना चाहता हूं ।

[अनुवाद]

"कंप्यूटर से गणना करके प्राप्त हुए परिणामों के अनुसार वर्ष 1976-77 और 1978 के दौरान क्रमशः 182.35 करोड़ रुपये और 177.08 करोड़ रुपये के विदेशी अंशदान प्राप्त हुए । वर्ष 1979 के बाद की विवरणियों में निहित आंकड़ों की कंप्यूटर से गणना की जा रही है ।"

[हिन्दी]

आप मुझे इन दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि वे कौन-कौन सी बाहर की ताकतें हैं जिन ताकतों ने हमारे देश में विदेशी सम्पत्ति भेजी । चाहे आप किसी सैक्शन का सहारा लें, आप भले ही कहें कि हम देश को मजबूत बनाने के लिए, इस देश में जो संस्थाएं विदेशी धन लाती हैं, किसी परपज़ के लिए लाती हैं, उनकी तो आप सराहना करते हैं, लेकिन यदि वे उसका हिसाब नहीं देती, कानून का उल्लंघन करती हैं, कानून की अवहेलना करती हैं तो आपने उनको क्या सजा दी, उनके खिलाफ अब तक कितने मुकदमे पेंडिंग हैं और किन संस्थाओं के खिलाफ पेंडिंग हैं, उसका कोई हवाला नहीं दिया । क्या गृह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि आज इस कानून के पास हो जाने के बाद, आज तक सरकार ने किन-किन संस्थाओं के खिलाफ कार्यवाही की जब कि आपने एक स्थान पर उत्तर दिया था कि हम इन ताकतों की जांच करेंगे लेकिन जांच करने के बावजूद भी बराबर हमारे देश में अनएकाउन्टेड मनी हर साल कई संस्थाओं के जरिए आ रही है, क्या आपने उसको रोकने के लिए कोई कार्यवाही की ।

यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि आपने जिस ऑब्जेक्ट के अधीन यह बिल प्रस्तुत किया है कि हम इस व्यवस्था को और स्ट्रिन्जेंट बनाना चाहते हैं, सरकार मौजूदा कानून लागू करने के लिए कदम उठा रही है, आपने इतना कह दिया कि इन कारणों से हम यह व्यवस्था करना चाहते हैं--वी वान्ट टू इन्क्लूड जजेज आलसो--लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज दूसरे देश में जाए और उसको वहां किसी के द्वारा कोई गिफ्ट दे दी जाती है, तो उसको तो पता ही नहीं होगा, फिर आप

उसे कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। उसको यह बताना पड़ेगा कि मुझे यह गिफ्ट किसलिए दी गई, इट इज नेसेसरी, यह आपको डिगनिटी और डेकोरम के ठीक अनुकूल होगा, यहां आपने जज का जो वर्ड शामिल किया है, उस जज का मतलब आप क्या लेते हैं, यह स्पष्ट नहीं किया है। कौन आदमी चाहता है कि फौरन कन्ट्री से पैसा लेकर उपयोग में लाये। मैंने इस पर अपनी अमेंडमेंट भी मूव की है कि अगर मुझे किसी आदमी ने बाहर के किसी देश में जब मैं जाऊं तो गिफ्ट दे दी हो, और मुझे उसका मालूम न हो कि वह किसी फौरन कन्ट्री वालों ने दी है या कैसे दी गई है, जब तक मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी न होती मेरी स्थिति क्या होगी। मेरे बाहर जाने पर यदि किसी इण्डियन एसोसिएशन की ओर से मेरा स्वागत किया जाता है और कोई गिफ्ट दी जाती है तो मुझे उसके बारे में मालूम ही नहीं पड़ता है कि यह गिफ्ट किसी विदेशी ने दी है। क्या फिर भी आप चीफ जस्टिस को इंक्लूड करेंगे? जज के साथ आप क्या हाई कोर्ट के जजेज को भी शामिल करेंगे? आखिर आप इस कानून में क्या प्रावधान चाहते हैं? जहां तक मैं समझा हूं आपकी मंशा यह है कि हमारे यहां जितने राजनैतिक दल हैं और विभिन्न पार्टियां बाहर से धन लेकर चुनावों में लगा देती हैं, उसका क्या हम एम० पीज० लोग सही हिसाब देते हैं या गलत देते हैं, यह तो आप जानते हैं, लेकिन जो हमने कानून बनाया है, उसके अनुसार हिसाब देने के बाद भी इस देश के अंदर आज काला धन बढ़कर 56 हजार करोड़ रुपये हो गया है। उस काले धन का उपयोग इन संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जो बाहर की ताकतों के द्वारा दिया जाता है। पंजाब में खालिस्तान की मांग करने वाले लोगों को, कुछ उग्रवादियों को, और कुछ आतंकवादियों को भी बाहर से दौलत मिली है। इन कारणों की जांच के लिए आपने जो कानून बनाया है, गृह मंत्री जी स्पष्ट उत्तर दें कि आज तक उसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपने क्या कार्यवाही की, सैक्शन 23 के अंतर्गत किन किन संस्थाओं या लोगों को पनिशमेंट दी गई। सवाल ही नहीं उठता है और आप नया कानून ले के आ रहे हैं और कहते हैं कि हम इसे और स्ट्रिन्जेंट बनाना चाहते हैं, हमने यह वायदा किया है। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री ने वायदा किया है कि काले धन के आधार पर जो राजनैतिक संस्कृति पनपेगी, वह देश के लिए खतरनाक होगी। उन्होंने निर्णय लिया है कि इस प्रकार की संस्कृति को हम पनपने नहीं देंगे, जिसके आधार पर काला धन हो। काले धन के आधार पर जो राजनीतिक संस्कृति पनप रही है, उसे रोकने के लिए यह कानून बनाने के लिए आप हमारे पास आये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस कानून को आप किस प्रकार अमली रूप देंगे?

इसके लिये एक सुझाव उधर बैठने वाले हमारे एक माननीय सदस्य ने दिया था। कभी-कभी ऐसे कानून बनते हैं जिन पर रूल्स के द्वारा अमली रूप दिया जाता है और रूल्स हमारे सामने आते नहीं हैं। हम जानना चाहते हैं कि कानून को अमली रूप कैसे दिया जायेगा?

सभापति जी, आपको इसका बड़ा अनुभव है। आप जानते हैं कि कानून तो बन जाता है लेकिन रूल, 6 महीने के बाद बनते हैं। जब तक रूल नहीं बनते तब तक कानून को अमली रूप नहीं दिया जाता। बात सही थी कि इस कानून के बनाने के साथ-साथ अगर नियम भी इसके साथ हो आ जाते तो शायद पार्लियामेंट अपनी भूमिका अच्छी निभा सकती थी।

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय जब उत्तर दें तो यह बतायें कि इस कानून में संशोधन करने से हमें यह-यह लाभ हुआ और जिन लोगों ने कसूर किया है, उन्हें हमने सजा दी है।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण): मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है। इस विधेयक का समर्थन करते हुए कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय मामलों पर स्पष्टीकरण भी चाहा था।

मैं सर्वप्रथम श्री डागा का उल्लेख करना चाहता हूं जो इन मामलों में अत्यन्त निपुण हैं और जिनको वस्तुतः उन्हें प्रभारी मंत्री से स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। मेरे विचार से हम जिस आदर्श परम्परा का अनुसरण कर रहे हैं यह उसके अनुरूप नहीं है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह यथासंमत सदन में इससे

[श्री एस० बी० चव्हाण]

बचें यदि हम इस स्वरूप के मामलों को उठाने से बच सकें बेहतर होगा । सर्वप्रथम वह यह पता लगाना चाहते थे ....

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी । (महबूबनगर) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री एस० बी० चव्हाण । : मैं आपकी बात सुनने को तैयार नहीं हूं । कृपया बैठ जाइये । मुझे नहीं मालूम कि आप प्रत्येक मामले पर व्यवस्था का प्रश्न क्यों करते हैं ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी । महोदय, गृह मंत्री इस सभा के सदस्य को यह नहीं बता सकते कि उसे क्या बोलना चाहिए । इससे सभा के सदस्य की स्वतंत्रता का अतिक्रमण होता है ।

श्री मूलचंद डागा । नियम 349 के अधीन वह ऐसा कर सकते हैं ।

सभापति महोदय । वह एक वरिष्ट मंत्री हैं । वह सलाह दे सकते हैं ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी । किस को ?

सभापति महोदय । अपने पार्टी के सदस्य को ।

श्री सुदिनी जयपाल रेड्डी महोदय, मैं मंत्री महोदय की बात समझ नहीं सका हूं ।

श्री एस० बी० चव्हाण । माननीय सदस्य श्री डागा ने काले धन का उल्लेख किया है जिसका इस समय देश में परिचालन है । उन्होंने इस सदन के एक सदस्य द्वारा लिखी गई पुस्तक का उल्लेख किया है। मेरा विचार इस मामले को व्याप्ति को बढ़ाना नहीं चाहता । यदि माननीय सदस्य महसूस करते हैं कि देश में आ रहे काले धन का सरकार द्वारा लेखा-जोखा रखा जाना चाहिये तो इसके पीछे जो तर्क है वह मेरी समझ से बाहर है । यदि यह लेखाबद्ध राशि है और यह ऐसा उपाय है जो वास्तव में सरकार की ओर से यह सुनिश्चित करने का प्रयास है कि कम से कम इस राशि का कुछ हिस्सा, जो अन्यथा कालाधन बन जायेगा, यदि यह दर्ज करने, विवरणियां दायर करने और सरकार को जानकारी प्राप्त कराने के लिये लेखा-बद्ध किया जा सकता है तो इसमें अनुचित क्या है । इसके बाद यदि हमें संदेह है कि कुछ पार्टियों ने असामाजिक अथवा राष्ट्र विरोधी कार्य किये हैं तो उनका लेखा-परीक्षा करने के लिये गुंजाइश है । और यदि प्रथम दृष्टि में मामला बनता है तो पार्टी पर मुकदमा चलाया जा सकता है । इस समय, 1976 अधिनियम के बाद मैं सभा को केवल यह बता सकता हूं कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को 13 मामले सौंपे गये हैं । मैं कोई अधिक ब्यौरा नहीं दे सकता हूं । मैं यह भी नहीं बता सकता कि आरोप क्या हैं । मैं सभा को केवल यह बता सकता हूं कि राज्य सरकारों और केन्द्रीय जांच ब्यूरो को जांच-पड़ताल करने के लिये 13 मामले सौंपे गये हैं और पूरी जांच-पड़ताल के बाद यदि राज्य सरकारें और केन्द्रीय जांच ब्यूरो संतुष्ट हो जाता है कि प्रथम दृष्टि में मामला बनता है तो संबंधित पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही करने में सरकार को कोई संकोच नहीं होगा । लेकिन इस समय इससे कुछ अधिक कहना मेरे लिये बुद्धिमतापूर्ण और उपयुक्त नहीं होगा ।

श्री अमर राय प्रधान (कूचबिहार) : सभापति महोदय, हम इस प्रतिवेदन की कब तक आशा करें ?

श्री एस० बी० चव्हाण : सभा पटल पर कोई प्रतिवेदन नहीं रखा जायेगा । यह राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय जांच ब्यूरो की जांच-पड़ताल है और यह सरकार का विभाग है । वे इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहे हैं और पूरी जांच-पड़ताल के बाद यदि प्रथम दृष्टि में मामला बनता है तो उन्हें संबंधित पार्टियों के खिलाफ कार्यवाही करने का पूरा अधिकार है । इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है ।

महोदय, एक अन्य मुद्दा, जिसका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, न्यायाधीशों के बारे में है । मैं पूरी तरह से गलत धारणा में था । मेरी धारणा यह थी कि केवल उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शामिल किया जाता है और अन्य न्यायाधीशों को शामिल नहीं किया जाता है । इस संशोधन की जो शब्दावलि है मैं उसे नहीं समझा हूं, मैं केवल इस मामले का स्पष्टीकरण कर सकता हूं । सार्वजनिक

जीवन में निष्ठा और अधिक ख्याति के कारण उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कतिपय प्रतिष्ठा पर पहुंच चुके है । वास्तव में किसी उच्च प्रतिष्ठित व्यक्ति पर कोई आक्षेप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं है । जहां तक उपहार का संबंध है यदि यह हजार रुपये तक भी है – इसके लिये सीमा निर्धारित है–यदि यह इस सीमा से कम है तो वास्तव में इसकी अनुमति दी गई है । यदि यह व्यक्तिगत उपहार है तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता । लेकिन न केवल उपहार पाने वाले व्यक्ति अपितु वे व्यक्ति भी, जो इन्हें प्रभावित करके विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त करने में रुचि रखते हैं, सभी संदिग्ध तरीकों का प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्यवश, एक विकासशील देश होने के नाते इसका सामान्यीकरण करना मेरे लिये ठीक नहीं होगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति हैं जो हम प्रकार के तरीकों और प्रलोभनों का शिकार हो जाते हैं । अतः इन खामियों को दूर करने के लिये यह प्रयास है और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि संसदीय जीवन अथवा अन्य संस्थाओं के एक प्रभाग को प्रभावित करने के लिये विदेशी दाताओं अथवा विदेशी अंशदाताओं द्वारा इस प्रकार का कोई कार्य करने का प्रयास न किया जाये जिसका इस विधेयक में उल्लेख किया गया है ।

माननीय सदस्य श्री एच० एम० पटेल ने प्रत्यायोजित विधान का उल्लेख किया है । नियमों को बनाने की शक्तियां की जा रही हैं और इस सदन में व्याप्त प्रथा के अनुसार नियमों को ज्यों ही अन्तिम रूप दिया जाता है, उन्हें सभा-पटल पर रखा जाता है । विशिष्ट समय सीमा है और इस समय के भीतर यदि माननीय सदस्यों की रुचि हो तो इन नियमों की सदन में चर्चा की जा सकती है । और यदि निर्धारित अवधि के भीतर कोई आपत्ति नहीं की जाती हैं तो ये अन्तिम माने जाते हैं और इसके बाद इन नियमों को लागू किया जाता है । मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार के प्रत्यायोजित विधान के लिये माननीय सदस्य क्यों आपत्ति कर रहे हैं जब तक अधीनस्थ विधान संबंधी समिति महसूस नहीं करती हैं कि इन नियमों के अधीन कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो वास्तव में मूल अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं । यदि एच० एम० पटेल द्वारा इस प्रकार की किसी बात का संकेत दिया जाता है तो मैं उनसे विचार-विमर्श करने के लिये तैयार हूं । लेकिन मेरे विचार से उन्होंने इस प्रकार की किसी बात का संकेत नहीं दिया है । उन्होंने सामान्य रूप से केवल इस बात की आपत्ति की है कि इस प्रकार की प्रवृत्ति ठीक नहीं है । वह इस बात को मानेंगे कि उन्हें स्वयं बहुत से नियम बनाने पड़े थे । चाहे जो भी सत्तारूढ़ पार्टी हो एक विधान विशेष बनाते समय कई ऐसी बातें सामने आती हैं जिसका संभवतया आप पूर्व अंदाजा नहीं लगा सकते हैं । आपको कुछ परिस्थितियों के अनुसार नियम बनाने पड़ते हैं । मेरे विचार से हम इस विचार को छोड़ नहीं सकते हैं कि नियमों को बनाने के लिये सरकार को शक्तियां देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

माननीय सदस्य श्री एच० एम० पटेल ने जिस अन्य बात का उल्लेख किया है मैं उसे समझ नहीं सका हूं । मुझे खेद है कि वह सदन में मौजूद नहीं हैं । इस बात को उठाने पर कम से कम वह यह सुनने के लिये सदन में मौजूद रहते कि मैं उत्तर में क्या कहता हूं । दुर्भाग्यवश, वह सदन में नहीं है । उन्होंने कहा है कि बहुत अधिक कर्मचारी हैं जिसके बारे में विचार किया जा रहा है । वह सैल ही पर्याप्त है। उन्होंने यह पूछा है कि इस प्रयोजन के लिये हम अतिरिक्त कर्मचारी क्यों नियुक्त करें ।

इन प्रावधनों को थोड़ा कठोर बना दिया गया है जिनके द्वारा यदि सरकार महसूस करती है कि कुछ लेखे ठीक प्रकार से नहीं रखे गये हैं अथवा उन्होंने गलत लेखे दिये हैं तो सरकार की ओर से यह अनिवार्य हो जाता है कि वह लेखों की ठीक प्रकार से लेखा-परीक्षा के लिये किसी अधिकारी को भेजे और इसके बाद यदि हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी पार्टी ने इरादे से अथवा जान-बूझकर सरकार को गुमराह करने का प्रयास किया है तो संबंधित पार्टी के खिलाफ मुकदमा चलाने का यह उपयुक्त मामला बनता है। लेकिन स्वयं संतुष्ट होने के लिये कि पार्टी ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है और उनके लेन-देन में एक विशेष तरीके से लेखे रखना अत्यन्त कठिन कार्य है तो हमने एक प्रावधान किया है जिसमें कहा गया है, "यदि पार्टी की दो बार दोषसिद्धि होती है" और इस प्रकार का प्रावधान जानबूझकर किया गया है ताकि उन वास्तविक पार्टियों को संरक्षण दिया जा सके जो अपने लेन-देन के दौरान कुछ गलती कर सकते हैं ।

[श्री एस० बी० चव्हाण]

मेरे विचार से हम ज्यादा ही इसका अर्थ लगा रहे हैं । सरकार का किसी पार्टी को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है । लेकिन साथ ही हम विदेशी दान अथवा अंशदान प्राप्त करने और इसका लेखा-जोखा न रखने के लिये किसी प्रकार की गुंजाइश की अनुमति नहीं दे सकते हैं ।

माननीय सदस्य देखेंगे कि यह केवल पहला आदाता नहीं अपितु इसके बाद भी दूसरा, तीसरा और चौथा आदाता है । यदि उन्हें कोई विदेशी अंशदान प्राप्त होना था तो वे इस बात से बच नहीं सकते कि उन्हें कभी नही मालूम हुआ कि यह राशि प्राप्त होने का स्रोत क्या है । उन्हें अच्छी तरह से मालूम होना चाहिये कि यह विदेशी अंशदान है जो कुछ लोगों की सहायता के रूप में दिया जा रहा है ताकि कुछ मामलों में कुछ जानकारी अथवा निर्णय को प्रभावित किया जा सके । दान के लिये कोई व्यक्ति कुछ देने के लिये तैयार नहीं है । विभिन्न पार्टियों को दिये जा रहे धन के लिये बहुत से लोग किसी न किसी प्रकार का लाभ प्राप्त करने में रुचि रखते हैं ।

इसी कारण हमने नियमों को कुछ और कड़ा करने के लिये सोचा और हमने इन्हें कड़ा करने का प्रयास किया है । मुझे इस बात का पता है कि इसके बावजूद भी माननीय सदस्य उल्लेख कर सकते हैं कि ऐसे विभिन्न अवसर हो सकते हैं जिनमें अधिक कठोर उपायों, वर्तमान अधिनियम को भी अधिक कड़ा बनाने अथवा संशोधित विधेयक, जो मैं सदन के समक्ष लाया हूं, की आवश्यकता है । मैं इसे अच्छी तरह समझ सकता हूं । लेकिन जिन परिस्थितियों में हम कार्य करते हैं, वह उसमें यह अध्यादेश उद्घोषित किया गया था और इस अध्यादेश का स्थान यह विधेयक लेगा । इसी कारण यह विधेयक सदन के समक्ष लाया गया है । मैं आशा करता हूं कि इस प्रकार के स्पष्टीकरण से जो मैंने दिया है, यह सभा इस विधेयक के उपबंधों पर विचार करेगी और इसे पारित करेगी ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : (बारामूला) : सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे द्वारा पहले दिये गये कुछ सुझाओं के प्रति अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है । लेकिन अन्य बातों में उन्होंने यह शिकायत की है कि मैंने इस विधेयक के प्रावधानों को गलत पढ़ा है । इस विधेयक को गलत पढ़ने का प्रश्न ही नहीं है । मैंने इस विधेयक के प्रयोजन का समर्थन किया है । यह बहुत अच्छा विचार है कि विदेशी अंशदान को विनियमित किया जावे । विशेष पार्टियों और संघों के लेखाओं की लेखा-परीक्षा करने संबंधी प्रावधान भी आवश्यक हैं । लेकिन मुद्दा यह है कि उन्होंने मेरी इस बात पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है कि उन्होंने न तो अध्यादेश की उद्घोषणा करते हुए और न ही इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श किया । ऐसी बात नही है कि केन्द्रीय सरकार और सत्तारूढ़ दल ही देश में बुद्धिमता का एकमात्र अभिरक्षक है । सौहार्दपूर्ण वातावरण होना चाहिये जिसमें आप बचे हुए राष्ट्रीय विपक्ष के साथ परामर्श कर सकें । इस मामले पर यदि माननीय गृह मंत्री अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ परामर्श करते तो वह कुछ नहीं गंवाते । मान लीजिए उन्होंने संघों, व्यक्तियों आदि का ध्यान रखा है । इस विधेयक के दायरे के अन्तर्गत लाई गई राजनीतिक पार्टियों के बारे में क्या स्थिति है ?

श्री एस० बी० चव्हाण : उन पर तो पूर्ण प्रतिबंध है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं यह जानता हूं कि संशोधनों द्वारा आपने विधेयक में सुधार किया है, किन्तु जहां तक इन संशोधनों और इस विधेयक का सम्बन्ध है आपने राजनीतिक दलों को विश्वास में नहीं लिया है ।

आपने उनके साथ परामर्श नहीं किया है । मेरे विचार में रजिस्ट्रीकरण का पूरा दायित्व केन्द्र सरकार का है । यदि कोई राजनीतिक दल आवेदन करता है तो आप उस पर काफी समय लगायेंगे किन्तु लगाया जाने वाला समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। मान लीजिए चुनाव नजदीक हैं और कोई राजनीतिक दल दान लेना चाहता है । अतः आपको समय विनिर्दिष्ट करना चाहिए । आपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (उधमपुर) : क्या ऐसे कोई राजनीतिक दल हैं जिन्हें विदेशों से धन मिल रहा हो ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज। मैं गृह मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं । उन्हें किसी वकील की जरूरत नहीं है ।

श्री गिरधारी लाल डोगरा। आपको स्पष्ट होना चाहिए । हमें गुमराह न कीजिए ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज। श्री पाटिल ने सुझाव दिया था कि व्यय में कमी लायी जानी चाहिए । मैं यह महसूस करता हूं कि गृह मंत्री महोदय को श्री पाटिल के सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि उससे व्यय में कमी आयेगी और जहां तक कक्ष की स्थापना का सम्बन्ध है उसके लिए अतिरिक्त व्यय की सलाह नहीं देंगे ।

मैंने विधेयक के आरम्भ का समर्थन किया है । किन्तु वर्तमान रूप में इस विधेयक का मैं विरोध करता हूं ।

मैं विधेयक के आरम्भ का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज। मैं विधेयक का समर्थन नहीं करता हूं ।

सभापति महोदय। क्या आप अपने संकल्प पर जोर दे रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज। मैं इसे वापस नहीं ले रहा हूं ।

सभापति महोदय। अब मैं सांविधिक संकल्प को सभा के मतदान के लिए पेश करता हूं । प्रश्न यह है कि :

"यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 20 अक्तूबर, 1984 को प्रख्यापित विदेशी अभिदाय (विनियमन) संशोधन अध्यादेश, 1984 (1984 का अध्यादेश संख्या 12) का निरनुमोदन करती है ।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय। मैं माननीय मंत्री के प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है कि :

"हम विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 का संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

सभापति महोदय। अब हम विधेयक पर खण्ड-वार विचार करेंगे । श्री मूलचंद डागा का एक संशोधन है।

खण्ड 2

(धारा 2 का संशोधन)

श्री मूलचंद डागा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 1, पंक्ति 15 —

"प्राप्त किया है" के स्थान पर

"किसी ऐसे विदेशी स्रोत से, जिसकी उसे जानकारी है, प्राप्त किया है", प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

यदि किसी विदेशी स्रोत से दान प्राप्त करने वाला कोई व्यक्ति कहता है कि "मुझे नहीं पता कि किसने मुझे यह दिया है", तो उस कैसे दण्डित किया जा सकता है ? उसे दान देने वाले के बारे में जानकारी होनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री एस० बी० चव्हाण : माननीय सदस्य द्वारा अपना संशोधन पेश किये जाने से पूर्व मैं प्रारम्भ में स्थिति स्पष्ट कर चुका हूँ।

माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे कि निर्धारित सीमा से अधिक राशि वाले वैयक्तिक दान प्राप्त करने पर इस शक की गुंजाइश हो सकती है कि यदि इसका मूल्य 1000 रुपये से अधिक है तो उसे क्यों किसी विशेष व्यक्ति को दिया गया है। माननीय सदस्य को स्थिति को समझना चाहिए। हम केवल इतना चाहते हैं कि वह सरकार को सूचित करे कि उसे यह दान मिला था और इसका स्रोत यह है। वह, यह सिद्ध करने का कार्य कि उसे जानकारी नहीं है सरकार पर क्यों छोड़े? स्थिति इसके विपरीत होनी चाहिए। दान लेने वाले दल का यह दायित्व होगा कि उसे पता रहे कि उसे इस स्रोत से दान मिल रहा था। सरकार यह दायित्व स्वीकार नहीं कर सकती है। यदि सरकार यही दायित्व स्वीकार करती है तो इसका अर्थ यह होगा कि अत्यधिक मामलों में चूक के कारण, लोग छूट जायेंगे। अतः मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने संशोधन पर जोर न दें और इसे वापस ले लें।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं।

श्री मूलचंद डागा : नहीं महोदय, मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब मैं खण्ड 2 को सभा के मतदान के लिए पेश करता हूँ। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3

(धारा 4 का संशोधन)

श्री मूलचंद डागा : महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि :

पृष्ठ 2 पंक्ति 22,--

"न्यायाधीश" के स्थान पर "सिविल न्यायालय या जिला न्यायालय का न्यायाधीश" प्रतिस्थापित किया जाए। (3)

मेरे संशोधन में यह व्यवस्था है कि विधेयक में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को शामिल न किया जाए। इन विशिष्ट व्यक्तियों को शामिल न किया जाए।

सभापति महोदय : क्या आप अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : गृह मंत्री महोदय को इस बारे में क्या कहना है?

श्री एस० बी० चव्हाण : मैंने पहले ही स्थिति स्पष्ट कर दी है।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन पर जोर दे रहे हैं?

श्री मूलचंद डागा : नहीं महोदय, मैं इसे वापस लेना चाहता हूँ।

संशोधन संख्या 3 सभा की अनुमति से वापस लिया गया

सभापति महोदय : खण्ड 4 पर कोई संशोधन नहीं है। अतः मैं खण्ड 3 और 4 को इकट्ठा सभा के मतदान के लिए पेश करता हूँ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 और 4 विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 5

(धारा 9 का संशोधन)

सभापति महोदय। श्री मूलचंद डागा द्वारा एक संशोधन की सूचना दी गई है। यह भी न्यायाधीशों से सम्बन्धित है। क्या वह प्रस्ताव रख रहे हैं।

श्री मूलचन्द डागा। नहीं महोदय।

सभापति महोदय। प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 6 और 7 विधेयक में जोड़ दिये गए।

खण्ड 8

(नई धारा 15क का संशोधन)

श्री मूल चन्द डागा। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"पृष्ठ 4 पंक्ति 2 के अंत में निम्नलिखित जोड़ा जाए :—"और यदि विदेशी मुद्रा से सम्बन्धित विधि या इस अधिनियम के किसी उपबंध का कोई उल्लंघन हुआ पाया जाता है तो लेखापरीक्षित लेखा जब्त किया जा सकता है।" (8)

मान लिजिए लेखाओं की परीक्षा होती है। इसके बावजूद यदि यह पाया जाता है कि अधिनियम के कुछ उल्लंघन किये गए हैं तो लेखा जब्त किया जा सकेगा। मेरा यह संशोधन इसी सम्बन्ध में है।

श्री एस० बी० चव्हाण। यह एक अत्यंत सामान्य प्रस्ताव है जिसमें कुछ अधिकारियों को लेखापरीक्षा करने की शक्तियां दी गई हैं और उनको ये शक्तियां एक निश्चित स्वरूप की हैं। मैं नहीं समझता कि हमें अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था करनी चाहिए कि लेखापरीक्षा अधिकारी को यह अधिकार दिया जाए कि वह लेखाओं को जब्त कर ले। यदि ऐसा अपेक्षित हुआ तो निस्सन्देह सम्बन्धित प्राधिकारी एक दूसरे को साथ परामर्श करेंगे और यदि वे समझते हैं कि लेखे संदिग्ध स्वरूप के हैं तो लेखाओं को जब्त कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि इस उपबंध को अधिनियम में शामिल करने से कोई लाभ होगा। यदि आप ऐसा उपबंध करते हैं तो बाद में इससे कठिनाई पैदा हो सकती है। विभिन्न अधिनियमों में ऐसा उपबंध पहले है। जब तक हमारा काम विद्यमान उपबंधों से पूरा हो सकता है तो मेरे विचार से इस धारा के अंतर्गत किसी विशिष्ट उपबंध की व्यवस्था की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य इस पर जोर देंगे।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा।

सभापति महोदय। क्या सभा की अनुमति से श्री मूलचंद डागा द्वारा पेश किया गया संशोधन वापस लिया जा सकता है?

संशोधन संख्या 8 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय। अब, प्रश्न यह है :

कि "खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 और 10 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री एस० बी० चव्हाण : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4-57 म० प०

कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध विधेयक

[अनुवाद]

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : "मैं प्रस्ताव करता हूं : कि कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियमित इन्तजाम किये जाने तक उसके प्रचालन और अनुरक्षण का और उससे सम्बन्धित विषयों का अस्थायी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

दमदम से टोलीगंज तक 16.43 किलोमीटर की दूरी के लिए तीव्रगामी परिवहन व्यवस्था का निर्माण करने की परियोजना सरकार ने 1972 में मंजूर की थी और यह निर्माण कार्य अक्तूबर 1973 में आरम्भ हुआ था। 1979 तक इस परियोजना के लिए केवल 49 करोड़ रु० ही आबंटित किये गये थे। 1980 से धन की अधिक व्यवस्था की गई है और तब से यह कार्य संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है।

इस परियोजना के पूरा होने में अवश्यम्भावी विलंब होने के फलस्वरूप कलकत्ता के नागरिकों को होने वाली कठिनाई को दूर करने के लिए इस भूमिगत रेल के कुछ भाग को पूरा करने और इसे व्यावसायिक स्तर पर चालू करने का प्रयास किया गया।

इसी उद्देश्य से अक्तूबर, 1984 तक एस्प्लेनेड-भवानीपुर के बीच 3.5 कि० मी० के हिस्से को एकहरी लाइन बिछाकर यह भूमिगत रेल सेवा तैयार की गई और सीमित सेवाओं के साथ इसे जनता के लिए आरम्भ किया गया। जब तक इसके प्रचालन और अनुसरण के लिए अलग से विधान अधिनियमित किये बिना इसे आरम्भ नहीं किया जा सकता था। निर्माण गतिविधियों के लिए भूमिगत रेल (संकर्म सन्निर्माण) अधिनियम 1978 अधिनियमन किया गया और इसे 1-2-1979 को लागू किया गया।

यात्रियों को अन्तरिम राहत प्रदान करने की दृष्टि से यात्रियों को लाने ले जाने के लिए उपरोक्त रेल खंड सेवा को आरम्भ करने के लिए यह महसूस किया गया कि खंड के नियमित प्रचालन और अनुरक्षण के लिए व्यवस्था किये जाने तक आवश्यक विधान इस समय बनाया जाए और एक व्यापक विधान बाद में अधिनियमित कर लिया जाये।

5.00 म० प०

भूमिगत रेल के प्रचालन का अनुभव प्राप्त करने के लिए भी इस खंड को आरम्भ करना आवश्यक समझा गया।

क्योंकि उस समय संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा था, इसलिए 22 अक्तूबर, 1984 को राष्ट्रपति जी ने कलकत्ता भूमिगत रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अस्थायी उपबन्ध अध्यादेश, 1984 (1984 का 813) प्रख्यापित किया।

इस अध्यादेश के प्रख्यापित हो जाने के बाद 24 अक्तूबर, 1984 को मेट्रो रेलवे के प्रथम खंड के आरम्भ किये जाने के साथ ही क्रमशः 24 अक्तूबर, 1984 और 12 नवम्बर, 1984 को भूमिगत रेल का एस्प्लेनेड–भवानीपुर और दमदम–बेलगाछियां खण्डों को आरम्भ किया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत भी विश्व के उन गिने–चुने देशों में शामिल हो गया है, जिनके यहां भूमिगत रेल व्यवस्था है ।

जो विधेयक इस समय आपके विचारार्थ रखा गया है, उसमें निम्नलिखित मुख्य उपबन्ध हैं :

भूमिगत रेल (संकर्म–सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 के—

(i) अधिन गठित भूमिगत रेल प्रशासन के प्रचालन और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व सौंपा जायेगा ;

(ii) भूमिगत रेल चलाने के लिए विशेष उपबन्ध ;

(iii) कतिपय अपराध विनिर्दिष्ट करना और उनके लिए समुचित शास्तियों का उपबंध करना ;

(iv) भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के उपबंध, उन विषयों की बाबत जिन के लिए विधेयक में विनिर्दिष्ट रूप से उपबंध नहीं किया गया है, भूमिगत रेल पर भी लागू किए जायेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर चर्चा की जाए।

5·03 म० प०

[श्रीमती बसवराजेश्वरी पीठासीन हुई]

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1984—85 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों का संदाय और विनियोग प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

श्री एस० थंगाराजू

श्री एस० थंगाराजू (पेरम्बलूर) : **माननीय सभापति महोदया, माननीय मंत्री ने कहा है......

सभापति महोदया । क्या आपने तमिल में बोलने की पूर्व सूचना दी थी ?

श्री एस० थंगा राजू । मैं तमिल में बोल रहा हूं।

सभापति महोदया । जब तक आप पूर्व सूचना न दे और इसकी अनुमति न लें, आपको तमिल में बोलने की अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया । मैं एक–एक करके आपकी बातें सुनना चाहूंगी । क्या आपने सूचना दी थी ?

श्री पी० कोलनदाईवेलू । (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदया, वह मेरे दल के सदस्य हैं, और तमिल में बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया । मैं एक एक करके आपकी बात सुनूंगी, और अपना विनिर्णय दूंगी ।

श्री पी० कोलनदाईवेलू । इसके लिए किसी विनिर्णय की आवश्यकता नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदया । जब मैं खड़ी हूं तो आपको बैठ जाना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? माननीय सदस्य किस बात के लिए बहस करना चाहते हैं? माननीय सदस्य क्या कहना चाहते हैं ?

श्री पी० कोलनदाईवेलू । महोदया, अखिल भारतीय अन्ना डी० एम० के० दल की ओर से वह इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

** तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

)—166 LSS/ND/85

[श्री पी० कोलनथाई वेलू]

महोदया, वह तमिल में बोलना चाहते हैं ।

क्योंकि वह अपनी मातृ-भाषा में बोलना चाहते हैं, इसलिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। पहले भी परम्पराएं और पूर्वोदाहरण हैं और इस सभा में पहले भी कई सदस्य इस प्रकार बोल चुके हैं। इसका अंग्रेजी रूपान्तरण होता रहा है। यह प्रावधान है। यह सुविधा उन्हें भी अवश्य उपलब्ध की जानी चाहिए।

सभापति महोदया : मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वह बोल सकते हैं लेकिन इस समय अनुवाद की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जब तक वह पूर्वसूचना न दें, वह अपनी भाषा में नहीं बोल सकते। अगर उन्होंने सूचना दी होती तो कार्यालय ने व्यवस्था कर दी होती। लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी। वह बोल सकते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इस समय अनुवाद की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : अन्य लोग आपकी बातों को समझ नहीं सकेंगे।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : सभापति महोदया, शायद उन्होंने सूचना नहीं दी है। पहले भी, सातवीं लोक सभा में कई एक सदस्यों ने हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अपनी मातृभाषा में भाषण दिये हैं। वे बंगाली में भी बोले हैं। हमने कभी सूचनाएं नहीं दी। कृपया इस कथन पर पुनः विचार कीजिए कि पहले आप सूचना दें और तभी आप अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं। कृपया इस पर पुनः विचार कीजिए। क्योंकि अनुवादक पहले से ही उपलब्ध हैं। मैं नहीं समझता कि अब वे क्यों उपलब्ध नहीं हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : परम्परा यही रही है कि जो सदस्य हिन्दी या अंग्रेजी के अलावा अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं वे पूर्व सूचना दिया करते थे, ताकि पहले से ही दुभाषिये का इन्तजाम किया जा सके। परम्परा यही रही है।

(व्यवधान)

श्री नारायण चौबे : नियम हो सकते हैं। लेकिन इस प्रकार की कोई परम्परा नहीं थी।

सभापति महोदया : आप कृपया बैठ जाइये। वे क्या कहना चाहते हैं, कृपया हमें समझने दें।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : यहां मुख्य बात यह है कि अगर कोई सदस्य अपनी मातृभाषा में बोलना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो कुछ वे बोलेंगे उसे कोई समझ नहीं पायेगा।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : अगर माननीय सदस्य आधे घंटे के पश्चात् बोलना चाहें, तो हम भाषान्तरण व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे।

सभापति महोदया : क्योंकि उन्होंने सूचना नहीं दी है, इसलिए इस समय दुभाषिये की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर आप अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त दुभाषिये की सुविधा उपलब्ध नहीं है। जो सदस्य यहां उपस्थित हैं वे सभी आपकी बात नहीं समझ पायेंगे।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : वे आधे घंटे बाद बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री गुलाम नबी आजाद : आज वह अपनी मातृ भाषा में बोल सकते हैं। लेकिन भविष्य में उन्हें पूर्व सूचना देनी होगी।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : लेकिन क्या भाषान्तरण की व्यवस्था है ?

श्री गुलाम नबी आजाद : आज सम्भव नहीं है।

सभापति महोदया : मुझे बताया गया है कि इस समय दुभाषिये की व्यवस्था नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप बोल सकते हैं लेकिन बिना भाषान्तरण की व्यवस्था के।

श्री नारायण चौबे : इससे सरकार की असमर्थता का पता चलता है। वे आधे घंटे में भाषान्तरण की व्यवस्था नहीं कर सकती।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : मैं नहीं समझती इस मुद्दे पर और चर्चा की व्यवस्था है। अगर आप अपनी मातृभाषा में बोलना चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कृपया बोलिए।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : महोदया, आपको हमारे अधिकारों की रक्षा करनी है। आप अब इस सभा की अध्यक्षता कर रही हैं। हमारे अधिकारों को छीना नहीं जाना चाहिए।

सभापति महोदया : मैं सदस्यों के अधिकारों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाना चाहती। वह किसी भी भाषा में बोल सकते हैं। मैं यह कह रही थी कि उन्हें पूर्व सूचना देनी चाहिए ताकि आवश्यक व्यवस्था की जा सके। इस समय हम विशिष्ट प्रकार की स्थिति का सामना कर रहे हैं।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : व्यवस्था की जानी चाहिये। भाषान्तरकार तो हैं।

सभापति महोदया : ऐसी व्यवस्था सूचना देने पर की जाती है। माननीय सदस्य ने कोई सूचना नहीं दी है। यदि उन्होंने सूचना दी होती तो हम व्यवस्था कर देते। लेकिन उन्होंने सूचना नहीं दी है फिर भी मैं अभी देखती हूं कि क्या हम व्यवस्था कर सकते हैं। इस बीच में अगले वक्ता का नाम पुकारूंगी। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : सभापति महोदय, इस विधेयक का प्रयोजन कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये कुछ महीने पूर्व राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश का स्थान लेना है। भूमिगत रेल (संकर्म-सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 नामक एक अन्य अधिनियम है। जब यह विधेयक संसद में पारित किया गया था, उस समय परिकल्पित किया गया था कि भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये एक पृथक संस्था का गठन किया जायेगा लेकिन अब तक हमें पता नहीं है कि इस बारे में रेल मंत्रालय द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं और क्या वे इसके लिये एक पृथक प्रशासन, एक स्वायत्तशासी संस्था का गठन करेंगे अथवा भारतीय रेल के साथ भूमिगत रेल का संचालन करेंगे।

दो मान्यता प्राप्त फेडरेशनों अर्थात् 'आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन' और 'नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन्स' ने संयुक्त रूप से मांग की है कि भूमिगत रेल के संचालन के लिये एक पृथक प्रशासन, एक स्वायत्तशासी संस्था होनी चाहिये।

भूमिगत रेल का निर्माण-कार्य लम्बे अर्से पूर्व 1972 में शुरू हुआ था। 1972 में भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने निर्माण कार्य का उद्घाटन किया और यह कार्य 1978 तक पूरा किया जाना था लेकिन वर्ष 1985 तक केवल 20 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हुआ है और भूमिगत रेल के प्रचालन के लिए केवल चार किलोमीटर रेलवे मार्ग की अनुमति दी गई थी।

वर्ष 1972 में इसका अनुमान क्या था? यह 140 करोड़ रुपये का था। वर्ष 1981 में इस अनुमान में दोबारा संशोधन करके इसे 560 करोड़ रुपये कर दिया गया। पिछले सत्र में भूतपूर्व रेल मंत्री ने तारांकित प्रश्न के उत्तर में हमें बताया था कि कलकत्ता भूमिगत रेल के 17 किलोमीटर लाइन को पूरा करने के लिये 1000 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी।

[श्री वसुदेव आचार्य]

अब यदि आप वर्ष 1972 से वर्षवार आबंटन को देखें तो आपको पता चलेगा कि 1972 से 1981-82 तक बहुत थोड़ी राशि मंजूर की गई थी। और इस राशि का भी पूरा उपयोग नहीं किया गया था। वर्ष 1972-73 में 2 करोड़ 97 लाख रुपये मंजूर किये गये थे लेकिन 1 करोड़ 68 लाख रुपये ही उपयोग में लाये गये थे। वर्ष 1973-74 में मंजूर की गई राशि 6 करोड़ और 97 लाख रुपये है तथा वास्तविक व्यय 3 करोड़ और 71 लाख रुपये है। वर्ष 1974-75 में मंजूर की गई राशि 12 करोड़ और 50 लाख रुपये है और वर्ष के दौरान 6 करोड़ और 2 लाख रुपये का वास्तविक व्यय किया गया था। केवल वर्ष 1982-83 से कलकत्ता भूमिगत रेल के निर्माण-कार्य के लिये आबंटन में वृद्धि हुई थी।

सभापति महोदया, शायद आप कलकत्ता शहर की यातायात समस्या से अवगत हैं। यदि आप हमारे देश के तीन अन्य शहरों अर्थात्, दिल्ली, मद्रास और बम्बई के साथ तुलना करें तो कलकत्ता शहर में सड़क अंतराल की प्रतिशतता कम है। बम्बई में यह 16 प्रतिशत, मद्रास में 18 प्रतिशत, दिल्ली में 24 प्रतिशत है लेकिन कलकत्ता में यह केवल 6 प्रतिशत है। यही कारण है जिससे पश्चिम बंगाल और कलकत्ता के लोगों ने भूमिगत रेल परियोजना की मांग की थी क्योंकि नियमित प्रयोक्ता तथा कलकत्ता के निवासियों के अतिरिक्त लाखों लोग प्रतिदिन कलकत्ता शहर में आते हैं और अपने घरों को लौटते हैं। कलकत्ता शहर में यातायात की समस्या का यही कारण है। अत: मैं माननीय रेल मंत्री श्री बंसी लाल जी से अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि आगामी रेल बजट अर्थात् 1985-86 में रेल का निर्माण कार्य शीघ्र करने के लिये कलकत्ता भूमिगत रेल के निर्माण-कार्य के लिये कम से कम 100 करोड़ रुपये मंजूर किये जाने चाहियें।

महोदया, भूमिगत रेल के इस चार किलोमीटर के प्रचालन के लिये लक्ष्य तारीख पहले 2 जुलाई की निर्धारित की गई थी। लेकिन इसे आस्थगित कर दिया गया। क्यों? जून के महीने में भारी बारिश हुई थी। सुरंग में पानी भर गया था और यह जल प्लावित हो गई थी। इसके बाद जांच समिति का गठन हुआ। उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है और जहाँ तक हमें पता है इस तीन सदस्यीय जांच समिति ने कहा है कि सुरक्षा संबंधी पहलू पर विचार किये बिना ही दो जुलाई को भूमिगत रेल का प्रचालन जल्दी में लिया गया निर्णय है जिसका कारण भूतपूर्व रेल मंत्री की निजी महत्वाकांक्षा थी। माननीय रेल मंत्री कृपया स्पष्ट करें कि जल्दी में निर्णय क्यों लिया गया था, सुरंग में पानी किस प्रकार प्रवेश कर गया और कितने अमूल्य उपकरण पानी में डूब गये थे।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : भूतपूर्व रेल मंत्री अत्यधिक पूर्वकालिक नहीं थे।

श्री वसुदेव आचार्य : जी नहीं अत्यधिक पूर्वकालिक नहीं थे। श्रीमान्, आप नहीं हैं।

मैं 34,01,35,000 रुपये मूल्य के अमूल्य उपकरणों की सूची दे सकता हूँ जो बाढ़ के पानी में डूब गये थे। अत: माननीय रेल मंत्री कृपया इस सभा को बतायें कि ऐसा क्यों हुआ है। यदि यह दुर्घटना 2 जुलाई के बाद हुई होती तो अधिक विपत्ति पड़ती।

यह नकली इतों, सब-स्टेशन, तारों तथा रोशनदान के उपकरणों का कुल मूल्य है। बाढ़ के पानी के कारण अमूल्य उपकरण और आधुनिकतम मशीनें डूब गई थीं। रैल मंत्री महोदय कृपया हमें बतायें कि जांच समिति के प्रतिवेदन में क्या कहा गया है, इसके लिये किसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिये. यह क्यों हुआ है और यह सुनिश्चित करने के लिये कि क्या सुरक्षात्मक उपाय किये गये है कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो।

मैं अब हजारों नैमित्तिक श्रमिकों के बारे में बोलना चाहता हूँ अर्थात्, भूमिगत रेल के निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिक। जब इस भूमिगत रेल का निर्माण-कार्य पूरा हो जायेगा तो वे कहां जायेंगे?

भारतीय रेलवे में लगभग 2.2 लाख नैमित्तिक श्रमिक हैं। वर्ष 1980 में जब त्रिपाठीजी रेल मंत्री थे तो उन्होंने इस सदन को बताया था कि भारतीय रेलवे में कार्यरत सभी नैमित्तिक श्रमिकों

को खपा लिया जायेगा। लेकिन आज की तारीख तक 2.20 लाख नैमित्तिक श्रमिक ऐसे हैं जिन्हें अभी भारतीय रेलवे द्वारा खपाया जाना है। इनके अतिरिक्त भूमिगत रेल के निर्माण कार्य में लगे हुए हजारों नैमित्तिक श्रमिक इसके पूरा हो जाने के बाद बेरोजगार हो जायेंगे। अतः इनकी समस्या हल की जानी चाहिये। इन्हें नियमित किया जाना चाहिये। इस भूमिगत रेल के निर्माण-कार्य के पूरा हो जाने पर इन्हें नियमित रेल कर्मचारियों के रूप में खपाया जाना चाहिये।

भूमिगत रेल और भूमि पर परिवहन के बीच कुछ समन्वय होना चाहिये। जब इस भूमिगत रेल का उद्घाटन हुआ तो यह समन्वय नहीं था। सुरंग से बाहर आ रहे यात्री अपने गंतव्य स्थलों पर किस प्रकार जायेंगे? इस मामले पर विचार करना चाहिये और ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये ताकि यात्रियों को अपने गंतव्य स्थलों पर जाने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

मैं पुनः माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वह कम से कम इस निर्माण-कार्य तथा जमीन के खोदने के कारण लोगों की दशा देखने के लिये कलकत्ता नगर का दौरा करें। यह निर्माण-कार्य शीघ्र किया जाना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।

सभापति महोदया : श्री नारायण चौबे।

श्री पी० कोलनथाईवेलू : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या आपने तमिल से अंग्रेजी में साथ-साथ भाषान्तरण के लिये कोई व्यवस्था की है। मंत्री महोदय इस सभा में इसके बारे में पहले ही वायदा कर चुके हैं।

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : उन्होंने इसके बारे में सुझाव दिया है।

श्री पी० कोलनथाईवेलू : यह रिकार्ड में है। मंत्री महोदय के सुझाव को इस सदन द्वारा नोट कर लिया गया है। क्या आप इसके लिये कोई व्यवस्था कर रहे हैं अथवा नहीं?

सभापति महोदया : जैसा कि आज की स्थिति है, इसके लिये कोई व्यवस्था नहीं है क्योंकि इसका भाषान्तरकार छुट्टी पर है। अगली बार जब आप नोटिस देंगे तो हम इसके भाषान्तरण के लिये व्यवस्था करेंगे।

श्री पी० कोलनथाईवेलू : मुझे खेद है यह अध्यक्ष तथा सभापति का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह यहां पर इसकी व्यवस्था करें क्योंकि आप भली-भांति जानते हैं कि तमिल एक समृद्ध तथा विख्यात भाषा है और भारत की 14 भाषाओं में से एक है। आप अब हमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। यदि आप अब इसके लिये कुछ व्यवस्था नहीं करेंगे तो हमें सदन से बहिर्गमन करना पड़ेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : इसकी पहले से ही व्यवस्था है।

श्री पी० कोलनथाईवेलू : मैं अध्यक्षपीठ से उत्तर चाहता हूँ।

श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर (बंगलौर-दक्षिण) : न केवल तमिल के लिये अपितु अन्य भाषाओं के लिये भी आपको यह व्यवस्था करनी है। उदाहरणार्थ कन्नड़ में बोलने वाले 28 सदस्य हैं। बहुत से सदस्य हैं जो न तो अंग्रेजी में अथवा न ही हिन्दी में बोल सकते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वह इसके लिये भी कुछ व्यवस्था करें कि वे टेलीफोन काल पर आने के लिये तैयार रहें तथा संसद् में तत्काल आ सकें। कृपया इस प्रकार की व्यवस्था की जाये।

सभापति महोदया : सर्वप्रथम मैं बहस पर रोक नहीं लगाना चाहती। जैसी आज स्थिति है मुझे बताया गया है कि भाषान्तरण करने वाला व्यक्ति इस समय उपलब्ध नहीं है। अतः मेरे विचार से बहस पर रोक लगाने का कोई इरादा नहीं है। अतः जैसी आज स्थिति है भाषान्तर नहीं होगा। कल से जब कभी आप नोटिस देंगे हम इसके लिये व्यवस्था करेंगे। भाषान्तरणकार छुट्टी पर है। आप कृपया हमारी कठिनाई को समझें। आज आपको हुई असुविधा के लिये मुझे खेद है।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : यह एक सर्वोच्च संस्था है। हम यहां पर बैठे हुए हैं। यदि आप भाषान्तरण के लिये कोई व्यवस्था नहीं कर सकते तो आप हमारे लिये क्या करेंगे? यह हमारे लिये शर्म की बात है।

सभापति महोदया : केवल आज ही कुछ असुविधा हुई है क्योंकि भाषान्तरण करने वाला व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। वह छुट्टी पर है। आपने जो कुछ कहा है हम इसे पूरी तरह से समझते हैं। हम इसके बाद कुछ व्यवस्था करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा तमिल भाषान्तरणकार सभा के श्रेष्ट भाषान्तरणकारों में से एक है।

सभापति महोदया : मुझे बताया गया है कि वह आज से लम्बी छुट्टी पर है क्योंकि उनकी मात गंभीर रूप से बीमार है।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : आप किसी दूसरे भाषान्तरणकार को लगा सकते थे।

सभापति महोदया : आप इसके लिये अनावश्यक रूप से क्यों जोर डाल रहे हैं? मैं इस मामले पर गौर करूंगी। मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि वह लम्बी छुट्टी पर हैं क्योंकि उनकी माता गंभीर रूप से बीमार है। अत: आज वह है नहीं। इसलिये यह असुविधा हो रही है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इस मामले को ज्यादा तूल न दें।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : महोदया, मुझे खेद है।

सभापति महोदया : मैं यही आपको आश्वासन देती हूं कि हम इसके लिये कुछ व्यवस्था करेंगे। वह केवल दो दिन नहीं आयेंगे।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : क्या आप इस विधेयक को दो दिन बाद फिर लेंगे?

सभापति महोदया : इस विधेयक को? यह सम्भव नहीं है।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : माननीय सदस्य इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। दो दिन बाद ...

सभापति महोदया : मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस मामले मे हमसे सहयोग करें। इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है।

श्री पी० कोलनदाईवेलू : हम हमेशा प्रधानमंत्री जी से सहयोग करते आये हैं।

सभापति महोदया : इस विधेयक के पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। महा सचिव जी बता रहे हैं कि वह दो दिन की छुट्टी पर है। उनकी माताजी सख्त बीमार हैं। मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य को इस असुविधा पर आपत्ति नहीं होगी। उन्हें हमसे सहयोग करना चाहिये।

प्रो० मधु दण्डवते : उपाध्यक्ष महोदय इस समस्या विशेष पर विचार कर रहे हैं।

सभापति महोदया : श्री नारायण चौबे।

श्री नारायण चौबे : सभापति महोदया, यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत वर्षों बाद मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है। यद्यपि वह केवल शहर के बहुत थोड़े से हिस्से में केवल 3-6 की० मी० में ही शुरू हुई है जबकि इसे शहर के 16 कि० मी० में शुरू किया जाना था।

प्रो० मधु दण्डवते : इसे बम्बई तक मत लाइये। हमे इस सेवा की जरूरत नहीं है। यह बहुत अनावश्यक खर्च है।

श्री नारायण चौबे : मेरे माननीय मित्र श्री दंडवते यह रेल सेवा नहीं चाहते।

एक माननीय सदस्य : बम्बई मे उनके पास एक मेट्रो थियेटर है।

श्री नारायण चौबे। इस रेल सेवा की नींव 1972 में रखी गई थी, इसे 1978 तक पूरा हो जाना था, लेकिन अब 1985 आ गया है और अब तक मेट्रो रेलवे का केवल 22 से 25 प्रतिशत कार्य ही पूरा हुआ है।

महोदय, इसका मतलब यह नहीं है कि मेट्रो रेल की व्यवस्था करके पश्चिम बंगाल के साथ कोई पक्षपात किया गया था, जैसा कि सत्ताधारी दल के कुछ सदस्य मानते हैं। उनका कहना है कि हम हर चीज लिये जा रहे हैं और वे कलकत्ता तथा मेट्रो रेलवे के प्रति ईर्ष्यालु हैं। यह सही नहीं है। यह एक सही राष्ट्रीय एवं उचित कदम था। तत्कालीन सरकार द्वारा कलकत्ता में मेट्रो रेल सेवा शुरू करना बिल्कुल सही कदम था, क्योंकि भारत के सभी शहरों में से, कलकत्ता में सबसे अधिक भीड़-भाड़ है। इसका कारण इस सरकार या उस सरकार—कांग्रेस ( ) सरकार या वाम पंथी सरकार द्वारा दिये गये कारण ही नहीं हैं, बल्कि इसका स्पष्ट कारण यह है कि कलकत्ता एक ऐसा शहर है जो अंग्रेजों द्वारा अव्यवस्थित ढंग से बसा हुआ है। इसमें केवल 6.4 प्रतिशत भूमि सड़क के अन्तर्गत आती है, जबकि बम्बई में यह 16 प्रतिशत, दिल्ली मे 24 प्रतिशत तथा मद्रास में 18 प्रतिशत है। इस प्रकार सभी महानगरों की तुलना में कलकत्ता मे छोटी-छोटी सड़कें हैं। हम वहां और अधिक बसें या ट्रामें नहीं चला सकते, क्योंकि यहां यातायात अवरुद्ध रहता है। स्वाभाविक रूप से हमें मेट्रो के लिये कुछ धन खर्च करना चाहिये, ताकि इसका कार्य जल्दी पूरा हो। जैसा कि हम जानते हैं कि इस मे जितना समय लगेगा, मांगें भी बढ़ती जायेंगी। और सरकार को अपेक्षाकृत अधिक धन भी खर्च करना पड़ेगा। जैसा कि आप जानते हैं इसकी आनुमानित राशि 140 करोड़ रुपये से बढ़कर अब, जैसा कि हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी—मेरा मतलब है भूतपूर्व रेलमंत्री जी ने कहा है .... (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते। यदि वे 'दिवंगत' कहते हैं तो मैं निधन संबंधी उल्लेख करने की मांग करूंगा।

श्री नारायण चौबे। मेरा मतलब है भूतपूर्व रेल मंत्री !

सभापति महोदया। आप श्री दंडवते को दुख न पहुंचायें।

श्री नारायण चौबे। वह भी रेल मंत्री रह चुके हैं इसलिये वह ऐसा अनुभव कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य। वह देर से भी आये है।

श्री नारायण चौबे। यदि आप इस मेट्रो रेलवे का कार्य जल्दी पूरा नहीं कर सकते तो कीमतें और बढ़ेंगी और शायद आपको कुछ वर्षों में 1500 करोड़ रु० खर्च करने पड़ें।

मैं अपने नये रेल मंत्री जी का ध्यान इस वास्तविक कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं जो अब हमारे सामने आ रही है। सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आप कलकत्ता, जोकि गंगा के मैदान में है जायें, तो आप सम्पूर्ण कलकत्ता मे टीले, कीचड़ और गंदगी देखेंगे और यह सारी कीचड़ और गंदगी मेट्रो के निर्माण से आई है। इसे साफ किया जाना चाहिये।

अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी कठिनाई है मेट्रो को चित्तरंजन एवेन्यू के नीचे से निकालना। आप दमदम से और एस्प्लेनेड से भवानीपुर तक से भी कुछ आगे बढ़ गये हैं। लेकिन आप इसे चित्तरंजन एवेन्यू के साथ कैसे जोड़ेंगे। यदि आप इसके लिये जो कि कलकत्ता का प्रमुख स्थान है, कोई व्यवस्था नहीं कर सकते तो कलकत्ता मे जनजीवन ठप्प पड़ जायेगा। इस बारे में आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमें समाचारपत्रों से जानकारी मिली है कि हमारी सरकार विदेशों में इस बारे में जानकारी तथा प्रोद्योगिकी प्राप्त करने के लिए गयी है। मेट्रो का कार्य तेजी से पूरा करने के लिये सरकार किन एजेंसियों की सहायता ले रही है? समय की यही मांग है।

यह बात मैं अवश्य कहूंगा कि सरकार ने इस वर्ष अधिक धन खर्च करके एक बात अच्छी की है और वह यह है कि इसने इस वर्ष अधिक धन खर्च किया है। सातवें दशक में सरकार ने इसके लिये बहुत कम धनराशि स्वीकृत की थी। 1982 से 1984 तक जब श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी रेल मंत्री थे, तो इस पर अधिक धनराशि खर्च की गई और मेट्रो 3.5 किलोमीटर के छोटे से मार्ग पर चलनी शुरू हुई। यदि आप इस पर अधिक धन नहीं लगाते तो कलकत्ता शहर की दु:ख और तकलीफें बढ़ती जायेंगी और इससे राष्ट्र के दु:ख तथा तकलीफें बढ़ जायेंगी।

[श्री नारायण चौबे]

प्रशासन का यह बहुत ही कठोर रवैया है कि वह यह सोच रहा है कि वह रेल मार्ग को बाढ़ से बचाने के संबंधी सुरक्षा उपाय किये बिना ही रेल चलाएगा। क्या आप यह समझते हैं कि पश्चिम बंगाल उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा देश के तटीय भागों में बाढ़ नहीं आयेगी? पश्चिम बंगाल में प्राय: बाढ़ें आती रहती हैं लेकिन यदि रेल मार्ग को बाढ़ से बचाने के लिये उचित सुरक्षा उपाय नहीं किये जाते और यदि 30 करोड़ रु० की मशीनें बाढ़ के कारण बर्बाद हो जाती हैं तो भूमिगत रेल में यात्रा करने वाले लोगों की क्या हालत होगी?

मेट्रो सेवा अभी ठीक तरह से नहीं चल रही है। इसमे अभी काफी खामियां हैं। मुझे खामियों पर कोई शिकायत नहीं है। भारत में मेट्रो पहली बार शुरु हुई है हमारे इंजीनियर और श्रमिक इससे अधिक सीखेंगे और वे कम गलतियां करेंगे। लेकिन जो भी कमियां सामने आई हैं उन्हें शीघ्र दूर किया जाना होगा।

मेट्रो के दोनों ओर बहुत सी इमारतों को नुकसान पहुंचा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वे यह देखें कि उनका उचित मुआवजा मिले और उनको बचाया जाना चाहिये। मेट्रो को चलाने के लिये कलकत्ता के अन्य लोगों को जिनके मकान रेल मार्ग के साथ हैं, नुकसान न पहुंचाया जाये। यदि उनको नुकसान होता है तो सरकार को उन्हें मुआवजा देने के लिये आगे आना चाहिये।

हमारी सरकार एक चुनी हुई सरकार है। उन्हें भारी जनादेश मिला है 507 में से 401 सदस्य आये हैं, उन्हें 49 प्रतिशत के लगभग मत प्राप्त हुये हैं। यह बहुत अच्छी बात है। आप श्रमिकों के लिये लोकतंत्र की स्थापना क्यों नहीं करते? संसद सदस्यों के लिये ही लोकतंत्र क्यों है। आप ने मजदूर संघों को अभी तक मान्यता क्यों नहीं दी? आप मजदूर संघों को ठीक तरह से काम करने देना क्यों नहीं चाहते? न केवल यहां बल्कि चित्तरंजन मे भी आपने मान्यता नहीं दी है, पेरम्बूर में भी आपने मान्यता नहीं दी है, बनारस मे भी आपने मान्यता नहीं दी है। मैं कहता हूं कि मजदूर संघों को मान्यता देने के मामले को बेलट द्वारा निपटाया जाये। यदि आप यहां चुनकर आते है तो आप मजदूर संघों को मान्यता देने से क्यों डरते हैं जिनको बहुमत मिलता है? मैं यही बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं।

और फिर महोदय, मेट्रो रेल के कार्य को पूरा करने के लिए बहुत से नैमित्तिक श्रमिकों ने दिन रात काम किया है। वे 13, 14, 15 या यहां तक कि 18 वर्षों से काम करते आ रहे हैं। कुछ श्रमिक कुछ अन्य परियोजनाओं मे काम कर रहे थे। यदि वे इस रेलवे में काम करने के लिये 18 वर्ष की आयु में आये थे तो अब उनकी आयु 35 या 36 वर्ष हो गई है। यदि उस समय वे जवान थे तो अब बूढ़े हो गये हैं। क्या आप नहीं चाहते कि उनको नियमित किया जाये। मेरा अनुरोध है कि आप यह देखें कि उनको नियमित किया जाये। यहां बहुत से नौकरशाही बैठे हुये हैं जो इस नियम, विनियम, अनुच्छेद अथवा यह संविधान संशोधन, आदि की बातें करते हैं। यदि खुली लाइन पर काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिक 240 दिन काम करने के बाद अस्थाई दर्जा प्राप्त कर लेते हैं तो मेट्रो रेलवे परियोजना के इन बेचारे मजदूरों को, जिन्होंने 14-15 वर्ष तक काम किया है, अस्थाई दर्जा भी क्यों नहीं दिया जा सकता? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस मामले पर विचार करें। यहां रेलवे बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद हैं, वे इस समस्या के बारे में मुझसे अधिक जानते हैं। यदि खुली लाइन में काम करने वाला व्यक्ति 240 दिन नैमित्तिक मजदूर के रूप में काम करने पर, अस्थाई दर्जा प्राप्त कर सकता है तो मेट्रो रेलवे में काम करने वाले ये लोग जिन्होंने 14-15 वर्ष काम किया है, अस्थाई दर्जा क्यों नहीं प्राप्त कर सकते! मैं आपको यह बता दूं कि कलकत्ता के मेट्रो अधिकारी पहले से ही इस बारे में आपको सिफारिश कर चुके हैं। 40 प्रतिशत मजदूरों को अस्थाई दर्जा पहले ही दिया जा चुका है केवल 60 प्रतिशत मजदूर ही बाकी रहते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात का ध्यान रखें कि इस शेष 60 प्रतिशत मजदूरों को भी अस्थाई दर्जा मिल जाये।

महोदय, सुरंग में काम करना मुश्किल कार्य है। इस जोखिम भरे कार्य के लिये आप भत्ता दीजिये। भारत सरकार की यह आम परिपाटी रही है कि जोखिम भत्ता दिया जाये। तो फिर सुरंग में काम करने वाले इन मजदूरों को जोखिम भत्ता क्यों नहीं दिया जा सकता? इससे आप कितनी धनराशि बचाते हैं।

यदि हम पांच तारा होटलों में चाय पार्टी पर या इस चुनाव पर या अन्य चुनाव पर काफी धन खर्च कर सकते हैं तो फिर सुरंग में काम करने वाले इन लोगों, जिन्होंने आपके सपनों को साकार किया है जोखिम भत्ता, भारी कार्य भत्ता, क्यों नहीं दिया जा सकता? यह मेरा दूसरा अनुरोध है।

मेरा तीसरा अनुरोध सामूहिक बीमे के बारे में है। कर्मचारी यह मांग कर रहे हैं कि सामूहिक बीमा होना चाहिये। रेलवे में नैमित्तिक श्रमिकों के अलावा अन्य श्रमिकों के लिये सामूहिक बीमे की व्यवस्था पहले से ही है। लेकिन चूंकि वे नैमित्तिक श्रमिक हैं, इसलिए आप उनको सामूहिक बीमे की सुविधा नहीं दे रहे हैं, यद्यपि मैं आपको यह पुनः बता दूं कि कलकत्ता मैट्रो अधिकारियों ने इसकी सिफारिश की है। इस 'मेट्रो' परियोजना से कुछ व्यक्ति स्थायी पदों पर लिए गए हैं। वे उनमें से ही चुने गये हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि है जो व्यक्ति अब खुली लाइनों पर कार्यरत हैं उनको भी अस्थायी किया जाये। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहूंगा कि कृपया मेट्रो रेलवे को शीघ्रता से पूरा करें। अगर आपको इसे पूरा करने में कोई रुकावट है तो कलकत्ता में हमारी सरकार आपकी मदद के लिए तैयार है। कृपया उनका सहयोग लीजिए व उनको भी सलाह दीजिए कि वे क्या करें। परन्तु मेट्रो को कृपया जल्दी से पूरा कीजिए व इसके पूर्ण होने पर मेट्रो को आगे बढ़ाए। रेलवे बोर्ड का यह प्रस्ताव है कि वह मेट्रो को हुगली के पीछे से हावड़ा व अन्य स्थानों तक ले जायेगा। वह अभी बहुत दूर है। कृपया कम से कम उस हिस्से को पूरा कर लीजिए, अगर यह कार्य पूरा नहीं किया गया तो यह कलकत्ता व पश्चिमी बंगाल के लोगों के दुःखों और कठिनाइयों को और बढ़ाएगा। इन शब्दों के साथ महोदया, मैं आपका धन्यवाद करते हुए अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री भोलानाथ सेन (कलकत्ता दक्षिण) : सभापति महोदया, मुझे मेट्रो रेलवे में 1972 में रहने का अवसर प्राप्त हुआ जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी। उस वक्त इसके लगभग सात वर्षों में पूरा होने का अन्दाजा था। लेकिन बदकिस्मती से किन्हीं कारणों से यह पूरी न हो सकी। निःसंदेह कलकत्ता की खास काली भूमि, मानसून व बहुत पुरानी जलमल निर्माण लाइनों, गैस लाइनें जो रेल लाइन के समानान्तर चल रही हैं, के कारण भी कठिनाइयां हुई हैं।

जो कठिनाईयां मैंने देखी है और आजकल देख रहा हूं वह यह है कि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण व अन्य प्राधिकरण, जो मेट्रो रेल प्राधिकरण से संबद्ध रहे हैं, वे ठीक से कार्य नहीं कर रहे हैं। कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लोग किसी कारण वश सहयोग नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि प्रभारी मंत्री या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी अधिक खुश नहीं थे कि रेलगाड़ी चलनी शुरू हो।

मैं मंत्री महोदय को कम से कम एक सलाहकार समिति किसी नियम व अधिनियम के अन्तर्गत बनाने के लिए सुझाव देता हूं। मैं किसी ऐसी स्वायत्तशासी संस्था के बारे में नहीं सोच रहा हूं, वह जो कि रेलवे का अंग होगी। इस समिति में यात्रियों के प्रतिनिधि और कलकत्ता में स्थित प्राधिकरण जैसे कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण, कलकत्ता पुलिस, राज्य परिवहन प्राधिकरण, कलकत्ता ट्रामवेज व कलकत्ता पत्तन आयुक्त के प्रतिनिधि हों।

भूमिगत रेल लाइन, जो कलकत्ता के सबसे अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से गुजरती है, सड़कों सहित लगभग 6 प्रतिशत निमित क्षेत्र है जब कि अन्य क्षेत्रों में यह 24 से 25 प्रतिशत है। कलकत्ता में आप सांस भी नहीं ले सकते। वहां शायद ही कोई पार्क हो। यहां तक कि मैदानों पर भी कब्जा हो रहा है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान रेल मंत्री को मैदानों पर किसी समय किए गए कब्जों के बारे में याद होगा।

जिस क्षेत्र से रेल गुजरती है वह शहर का मुख्य हिस्सा होता है। लेकिन पिछले दस वर्षों से यह बनी नहीं है जिसके कारण, सड़क सुविधा, जो बसे हुए क्षेत्र का 6 प्रतिशत है, प्रभावित हो रही है। और यातायात का संचालन ठीक ढंग से नहीं हो रहा है।

किसी समय मुख्य मार्गों को छोड़ने की बजाये सुरंगें बनाने का कार्यक्रम था। लेकिन तब कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, सुरंग मार्ग बनाने का विचार त्याग दिया गया। अब हर जगह सड़कों को काट कर इन्हें ढकने का तरीका अपनाया जा रहा है। इन्हें काटने व ढकने से शहर दो भागों में बंट गया है। इसकी जल्दी से जल्दी मरम्मत की जायें, क्योंकि इससे शहर के निवासियों व यात्रियों को रोजाना परेशानी होती है। कभी कभी तो स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, क्योंकि वहां पर अधिक बसें नहीं है। कारें वहां से नहीं जा सकतीं, क्योंकि सड़कें काटी गई

10—166 LSS/ND/85

[श्री भोलानाथ सेन]

है। जिन सड़कों का रख-रखाव राज्य सरकार द्वारा किया जाता है उनकी हालत खस्ता है व इस कारण कोई भी कार आसानी से वहां पर नहीं चल सकती।

भारत सरकार कलकत्ता निवासियों की घर से दफ्तर व दफ्तर से घर तक जाने के लिए एक सहज परिवहन व्यवस्था बनाने हेतु मदद करने के लिए आगे आई है लेकिन दुर्भाग्यवश, यह कार्य काफी सालों से चल रहा है। अब इसको लगभग 12 वर्ष हो गये हैं, जब वर्षा होती है तो पश्चिम बंगाल में मुख्यतः गंगा के मुहाने में बहुत वर्षा होती है और सारे शहर में बाढ़ आ जाती है। नयी जल निकास प्रणाली भी इस पानी को बाहर नहीं फेंक पाती। जब तक सड़कों को काटने व ढकने की प्रणाली में तेजी लाकर इसको समय पर पूरा नहीं कर लिया जाता तब तक सारा शहर खतरनाक स्थिति में बना रहेगा और इस कारण पहले दुर्घटनाएं भी हुई हैं। अब ये सारी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मैं यह जानता हूं कि भारत में पहलीबार मेट्रो रेल की द्रुत परिवहन प्रणाली, एक भूमिगत परिवहन प्रणाली शुरू की गई है और इस के प्रयोग में गलतियां होंगी, जबकि हर जगहों पर ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि ऐसा कोई कारण नहीं, अगर इच्छा व पैसा हो तो मुझे विश्वास है कि भारत में इस प्रणाली को पूरा करने व कलकत्ता शहर को यात्री भीड़ को मदद करने के लिए काफी तकनीकी जानकारी उपलब्ध है। यह सत्य है कि कलकत्ता में विद्युत की स्थिति भी काफी खराब है। और हाल ही में कलकत्ता में दो दिन तक बिलकुल बिजली नहीं रही। लेकिन ये बातें मेट्रो रेलवे में कार्यरत इंजीनियर जानते हैं। वे काफी कुशल व सक्षम व्यक्ति हैं। अतः इस स्थिति से निबटा जा सकता है।

परन्तु दूसरा पहलू मेरे विचार में यह है कि इसमें एक खंड 16 है जिसमें यह कहा गया है कि चलती गाड़ियों को रोकना, आदि दण्डनीय है। सभापति महोदया, अब कलकत्ता एक बहुत बड़ा शहर है। इसमें जलमल निष्कासन के लिए पाइप है जो कि सीमेंट के नहीं बल्कि ज्यादातर ईंटों के है और वे 100 वर्ष पुराने है। वहां पर ऐसे पाइप भी है जो सतह से 6 फुट नीचे व लगभग 60 वर्ष पहले डाले गये थे। और इन पाइपों को बम या हथगोला फेंककर आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिससे सारी रेल प्रणाली को अस्त व्यस्त किया जा सकता है। हाल ही की घटना नगर निगम के पाइपों के रिसने के कारण हुई है, क्योंकि वे नगर निगम के पाइपों की देखभाल ठीक प्रकार से नहीं करते थे। अब वे इस सम्बन्ध में क्या करने जा रहे हैं। यह कोई साधारण रेलवे नहीं है जिसमें रेल गांवों से होकर जायेगी और वहां कोई रुकावट नहीं होगी तथा वहां पर कोई तोड़फोड़ की घटना नहीं होगी ऐसा हुआ है और वास्तव में कलकत्ता महानगरीय रेल विकास प्राधिकरण से संबंधित मंत्री महोदय ने कहा, "भूमिगत रेल से यात्रा करनी खतरनाक है।" कलकत्ता के लोगों ने सोचा कि तोड़–फोड़ होगा। जो पाइपें भूमिगत है उनसे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कुछ सोचना होगा। ये पाइपें पानी की, जलमल पाइपें बिजली के तार या गैस पाइप ही सकती हैं जो भूमि सतह से 6, 8 या 10 फीट नीचे हैं। अब इनको सुरक्षित रखने के लिए कुछ किया जाना चाहिए क्योंकि मैंने मेट्रो रेल के रेल प्रशासन की परिभाषा में देखा है कि केवल रेल लाइनें, साइडिंग आदि मेट्रो रेलवे के अन्दर आते हैं लेकिन आपसपास की जगह नहीं आती जहां पर लाइनों को नुकसान होगा। अगर कोई व्यक्ति गैस या पानी की पाइपों, जो कि बहुत पुरानी हैं और आसानी से तोड़ी जा सकती हैं, की तोड़–फोड़ की योजना बनाता है तो यह खतरनाक बात होगी और यदि यह एक बार नष्ट हो गयी तो समूची लाइन महीनों के लिए रुक जायेगी। इस तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए व इनकी सुरक्षा होनी चाहिए।

दूसरी बात जिसके बारे में हमें विचार करना है वह पोस्टर की बाबत है जो दीवारों के दोनों तरफ चिपकायें गए हैं। सभापति महोदया, कुछ दिन पहले मैं इंगलैण्ड में था। मैंने मास्को भूमिगत रेल स्टेशन में भी पोस्टर देखें जिनमें महर्षि महेश योगी के भी पोस्टर थे।

और वास्तव में पैसे देकर बड़े–बड़े पोस्टर चिपकवाये जाते हैं। यह कार्य भी किसी लाइसेंसिंग प्रणाली द्वारा किया जा सकता है बाहर के पोस्टरों के संबंध में, आप उन्हें नहीं रोक सकते। कानूनी उपबंध केवल लिखित रूप में ही रहेगा लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। कलकत्ता में भवन हर पर अलग–अलग, राजनीतिक

दर्शों के बारे लिखे हुये हैं। कोई भी इसे रोक नहीं सकता। लेकिन मेरा यह सुझाव है कि इन चीजों को रोकने के लिये कोई प्रयास किया जाना चाहिये।

दूसरी समस्या यह है कि शहर में चलने वाली बसों के किराये की दरें एक जैसी नहीं हैं। किसी भी हालत में किराया बढ़ाना नही जाना चाहिये। जहां तक भूमिगत रेल का संबंध है, इसका उपयोग आमतौर पर नौकरी-पेशा करने वाले लोगों द्वारा किया जायेगा जो दफ्तरों में आएंगे और जायेंगे। इसके लिये मासिक या 'सीजन' (अवधि विशेष के लिये) टिकटें प्राप्त करने की प्रणाली होनी चाहिये। वहां ऐसी कोई प्रणाली नहीं है। मैं समझता हूं कि रेल मंत्रालय इस ओर ध्यान देगा, ताकि हम कलकत्ता में इसी प्रकार की सुविधा प्राप्त कर सकें जैसी कि हम अन्य रेलों के मामले में विशेषकर उपनगरीय रेलों के मामले में प्राप्त करते हैं।

जितनी जल्दी इस रेल मार्ग का निर्माण कार्य पूरा होगा हमारे लिये उतना ही अच्छा होगा। कलकत्ता के लोगों को माल ले जाने वाले भारी ट्रकों से वास्तव में परेशानी होती है। इन ट्रकों से सड़कें खराब हो जाती हैं और वे इसके लिए कोई शुल्क नहीं देते हैं। ये लम्बी दूरी के ट्रक बाहर से आते हैं और लोगों को आधी रात में जगा देते हैं। इसलिये, यह विचार किया गया था कि कुछ चल स्टाक बनाया जाये जो आधी रात के बाद जब वहां सुबह, जैसे चार बजे तक, यात्रियों की भीड़ भाड़ नही होती, माल ढोएगा यह माल टालीगंज से दमदम तक जायेगा और जब यातायात कम होगा तब आयेगा। इसके हमेशा अशांत रहने वाले शहर कलकत्ता के निकटवर्ती इलाकों को शान्ति मिलेगी।

अंत में, मैं माननीय रेल मंत्री जी से यह अनुरोध करूंगा कि वह देखें कि जिन स्थानों पर खुदाई के कारण अब भी गड्ढे हैं उन्हें न केवल मिट्टी से भरा जाये बल्कि उनको इस्पाती चद्दरों से ढका जावे। अमरीका में ऐसा ही होता है। यदि वहां इस्पाती चद्दरें नही होंगी तो दुर्घटनाएं होंगी, चाहे आप इसकी सूचना पुलिस को दें या न दें। यदि आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं तो भी कुछ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में, हर जगह ऐसी स्थिति है। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने से कुछ नहीं होता है। लोगों को परेशानी होती रहेगी और इससे हमारी तथा हमारे सत्तारूढ़ दल की बदनामी होगी। मैं नहीं चाहता कि अगले चुनाव के आने से पहले इस तरह की कोई बात कहीं जाये। मैं रेल मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर गम्भीरता से सोचें, नियत राशि को बढ़ायें और इससे भी बढ़कर अर्थात् दो वर्षों के भीतर राज्य में नये चुनाव आने से पहले यथा शीघ्र यह कार्य करवाने के लिये अधिकारियों को सशक्त करें।

श्री उत्तम राठौड़ (हिंगोली) : सभापति महोदया, दुर्भाग्य से मैं भी कलकत्ता गया था। इस शहर की हजारों समस्याएं हैं। मुझे अपने देश में कलकत्ता की पहली मेट्रो देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे पता है कि इसे एक खास अवधि तक पूरा करने का प्रस्ताव किया गया था। लेकिन धन की कमी तथा प्रशासन के सामने आई बहुत सी चुनौतियों के कारण इसे पूरा नही किया जा सका। लेकिन मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि हमने मेट्रो को चलते देखा है।

6-00 म० प०

सभापति महोदया : अब श्री उत्तम राठौर बोलेंगे। मैं इस चर्चा को पूरा करने के लिये सभा का समय कुछ और बढ़ाने की अनुमति चाहती हूं। हम यह चर्चा पूरी कर लेंगे वह अंतिम वक्ता हैं।

(व्यवधान)

सभापति महोदया : जब मैं बोल रही हूं तो मुझे बोलने दीजिये। इसके बाद ही मैं आपकी बात सुनूंगी वह अन्तिम वक्ता है। इसके बाद माननीय मंत्री जी उत्तर देंगे। इसके बाद शीघ्र ही हम इस विधेयक पर चर्चा समाप्त करेंगे। हम आधा घंटा समय और बढ़ा देंगे।

डा० सरदीश राय (बोलपुर) : मुझे कुछ काम है।

सभापति महोदया : कृपया हमें सहयोग दीजिये।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मुझे कुछ काम है।

सभापति महोदया : कृपया आप थोड़ी देर और बैठ जाइये। हम इसे समाप्त कर देंगे। माननीय मंत्री जो कुछ कहना चाहते हैं हम उनकी बात सुनें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मुझे सभा का समय बढ़ाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि इस मामले को उठाया जाये और इसे आज ही निपटाया जाये।

श्री नारायण चौबे : ऐसा कैसे सम्भव है? आप नई परम्पराएं स्थापित कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिये। यदि आप सभा का समय बढ़ाना चाहते हैं तो इस पर पहले कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा की जानी चाहिये थी। ऐसा होना चाहिये था।

सभापति महोदया : कृपया मुझे सहयोग दीजिये। हम इस चर्चा को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। अब तक तो उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त कर लिया होता। कृपया संक्षेप में बोलिये, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि संक्षेप में बोलें। हम केवल 15 मिनट और बैठेंगे।

अनेक माननीय सदस्य : हम चले जायेंगे।

श्री एच० के० एल० भगत : कृपया आप अपनी जगह पर आकर बैठ जाइये। कृपया सभा का समय बढ़ा दीजिये।

सभापति महोदया : कृपया आइए। कृपया संक्षेप में बोलिये। आप अंतिम वक्ता हैं।

श्री उत्तम राठौर : आपके इसी रवैये के कारण ही मैट्रो कार्य पूरा होने में इतना विलम्ब हुआ है।

यह सच है कि जब सुरंग का काम शुरु हुआ था तो कुछ इमारतों में दरारें आ गई थी। मैंने सुरंगों से सिचाई होते भी देखी है और उसमें भी हमें कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। इसमें कोई नई बात नहीं है।

हमें बताया गया है कि रेल प्राधिकरण इनके अपनों की मरम्मत करने के लिये इन सभी रोगों की सहायता करने का प्रयास कर रहा है। और इस ओर भी ध्यान दे रहा है कि उचित कार्यवाही की जाये और मुआवजा भी दिया जाये।

इस अवसर पर, मैं रेल प्राधिकारियों को उनके द्वारा किये गये कार्य के लिये बधाई देता हूं। निस्संदेह रेलवे ने विदेशों से कुछ तकनीकी जानकारी प्राप्त की है। वे उस जानकारी को वर्तमान परिस्थितियों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वे इसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं।

मैं रेल प्राधिकारियों को एक बार फिर बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यदि उनको उचित वित्तीय सहायता दी जाती है तो वे निश्चित रूप से ही हमारे द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्य पूरा कर देंगे।

इस संबंध में, मैं एक घटना का उल्लेख करूँगा। जब हम मैट्रो में यात्रा कर रहे थे तो हम मेट्रो को देखकर बहुत खुश हो रहे थे। रेलवे स्टेशन तथा रेल डिब्बे वातानुकुलित थे। हर चीज स्वचालित थी। जब हम दो चक्कर लगा कर उतरे तो मैंने एक सी० पी० एम० सदस्य से कहा "आप के पास कितने सुन्दर सवारी डिब्बे हैं" सी० पी० एम० सदस्य ने कहा "आप यह सब मत देखिये, आपके आने के 15 दिन बाद आप इनमें से अधिकांश वस्तुओं को गायब देखेंगे"। उन्होंने ऐसा बताया। वह सी० पी० एम० (मार्क्सवादी) के सदस्य हैं। श्री अमर रायप्रधान इस घटना को याद करें। वह सी० पी० एम० के सदस्य है। श्री अमर प्रधान जी कृपया याद करें। ये लोग ऐसी परिस्थितियों में काम कर रहे है ....

श्री अमर राय प्रधान (कूच बिहार) : आप यह कैसे स्वीकार कर सकते है कि वह व्यक्ति सी० पी० एम० का ही सदस्य था? आप केवल कोई कहानी ही सुना रहे हैं।

श्री उत्तम राठौर : यदि कोई विलम्ब होता है तो मैं समझता हूं कि हमें उन्हें नहीं कोसना चाहिये, बल्कि इन कठिनाइयों पर काबू पाने में हमें उनकी मदद करनी चाहिये।

रेल मंत्री (श्री बंसी लाल) : सभापति महोदय, मेरे विचार में इसमें कोई नया मुद्दा नहीं उठाया गया है। माननीय सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों में से अधिकांश मुद्दों का जवाब मैं अपने पिछले वक्तव्य में दे चुका हूं और अधिनियम में अधिकांश उपबन्ध विद्यमान हैं।

श्री बसुदेव आचार्य ने धन नियत करने के बारे में कहा है। मैं इस सम्मानित सभा को यह बताना चाहता हूं कि 1972-73 से 1979-80 परियोजना के लिये कुल 68 करोड़ रुपये 1980-81 में 27. करोड़ रुपये 1981-82 में 32.30 करोड़ रुपये, 1982-83 में 44 करोड़ रु० 1983-84 में 62.50 करोड़ रु० और 1984-85 में 83 करोड़ रु० की धनराशि

नियत गयी थी, महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि अगले वर्ष इस वर्ष की अपेक्षा अधिक नियत किया जायेगा।

श्री वसुदेव आचार्य ने मेट्रो रेलवे में बाढ़ आने के बारे में भी कहा है। मेट्रो रेलवे में बाढ़ आई थी। कलकत्ता में अप्रत्याशित एवं भारी वर्षा के कारण यह हुआ सड़कों पर उसे 4 फुट पानी भर गया था हमने उन जल निकासों पर बांध बना दिए थे जिनसे पानी बाहर निकलता था। स्थानीय निवासियों ने यह सोचा कि पानी उनके घरों में आ जायेगा। इससे बचने के लिए उन्होंने अपने बांध काट दिये व पानीजल निकासों से बाहर चला गया। अब ऐसा नहीं होगा। जल निकास द्वारा अब 9 फुट ऊंचे कर दिए गए हैं।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह केवल एक कहानी है।

श्री बंसी लाल : श्री वसुदेव आचार्य ने नैमित्तिक कामगारों का जिक्र भी किया था। नैमित्तिक कामगारों को नैमित्तिक कामगारों की तरह ही माना जायेगा और रेलवे विभाग जो कुछ उनके लिए कर सकता है कर रहा है। कार्य समाप्त होने पर अगर किसी व्यक्ति को रखा जा सकता है तो उसको रख लिया जाएगा। लेकिन इस समय हम नैमित्तिक कामगारों के बारे में कोई वायदा नहीं कर सकते।

जहां तक सड़क परिवहन की बात है मैं समझता हूं कि इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। राज्य सरकार को इसे देखना चाहिए। नारायण चौबेजी ने भूमिगत रेल में खुली लाइनों पर कार्य करने वाले कर्मचारियों की स्थायी दर्जा देने की बात भी कही है। इसके बारे में अन्तिम निर्णय लेने के समय ध्यान रखा जायगा। इस समय कुछ भी नहीं कहा जा सकता।

एक माननीय विपक्षी सदस्य ने कहा है कि यह लाईन सिर्फ 3.5 कि०मी० तक चालू की गई है। वास्तव में इसको 5.7 कि०मी० तक बढ़ाया गया है—3.5 कि०मी० ऐसप्लेनेड से भवानीपुर तक और 2.2 कि०मी० दमदम से बेलगाचिया।

दूसरी बातें जो माननीय सदस्यों ने कही हैं उनको ध्यान में रखा जायगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कलकत्ता भूमिगत रेल के प्रचालन और अनुरक्षण के लिए नियमित इन्तजाम किये जाने तक उसके प्रचालन और अनुरक्षण का और उससे सम्बन्धित विषयों का अस्थायी उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगा। खण्ड 2 से 10 तक कोई संशोधन नहीं दिए गए है। मैं इन सबको एक साथ सदन के मत के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 10 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 10 विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड 11

(भूमिगत रेलवे में प्रदर्शन करने पर रोक लगाना)

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4, पंक्ति 42,—

"भूमिगत रेल प्रशासन" के स्थान पर "भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भूमिगत रेल पदधारी" प्रतिस्थापित किया जाए। (1)

श्री शरद दिघे : मैं यह संशोधन इस लिए ला रहा हूं कि मैं यह महसूस करता हूं कि प्रारूप तैयार करने में कुछ कमी रह गयी है। खण्ड 11 मेट्रो रेलवे में प्रदर्शन करने पर रोक लगाने के विषय में है और प्रदर्शनकारियों को रेल परिसर से बाहर करने का अधिकार मेट्रोरेल प्रशासन को दिया गया है।

'भूमिगत रेल प्रशासन' की व्याख्या खंड 2 में की गई है। "भूमिगत रेल प्रशासन" का अभिप्राय है भूमिगत रेल महा-प्रबन्धक।

[प्रो० शरद दिघे]

मेरा कहना यह है कि भूमिगत रेल के महाप्रबन्धक के लिए धरना दे रहे लोगों को रेल परिसर से बाहर करना अव्यावहारिक होगा। अतः मेरा यह सुझाव है कि कोई भी भूमिगत रेल पदधारी जो महाप्रबन्धक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत हो रेल परिसर में अगर प्रदर्शन हो तो उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकेगा।

मैं विधेयक के ऐसे ही तीन अन्य खंडों की ओर मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। जहां तक खंड 9 का सम्बन्ध है उसमें भी धूम्रपान वर्जित किया गया है। इस मामले में भी यह अपराध करने वाले व्यक्ति को वह पदधारी बाहर निकाल सकता है जो भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा प्राधिकृत किया गया हो। इसी प्रकार खंड 12 में भी व्यवस्था है कि जो यात्री रेल की छत पर यात्रा कर रहे होंगे उन्हें भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत रेल पदधारी द्वारा रेलगाड़ी से हटाया जा सकेगा। इसी प्रकार खंड 11(2) में व्यवस्था है कि यदि कोई व्यक्ति भूमिगत रेल के किसी कक्ष या सवारी डिब्बे में उसके किसी परिसर में कोई इश्तहार चिपकाएगा या लगाएगा या कोई बात या विषय लिखेगा या चित्रित करेगा तो भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी रेल पदधारी द्वारा उसे कक्ष, सवारी डिब्बे या परिसर से हटाया जा सकेगा। अतः खंड 11(1) में शायद प्रारूप में गलती के कारण कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो प्रदर्शन करेगा उसे भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा हटाया जा सकेगा अर्थात् महाप्रबन्धक द्वारा। अतः मेरा सुझाव है कि 'भूमिगत रेल प्रशासन' के स्थान पर 'भूमिगत रेल प्रशासन द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भूमिगत रेल पदधारी' प्रतिस्थापित किया जाए। इससे जहां तक खंड 11(1) का सम्बन्ध है व्यावहारिक दृष्टि से ठीक हो जायगा। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार करेंगे!

श्री बंसी लाल : मैं संशोधन को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं क्योंकि कभी हमें पुलिस सहायता भी लेनी पड़ सकती है और उसे निकालने के लिए शब्द 'रेल प्रशासन' में सब कुछ आ जायेगा। अगर हम विशेष पदधारी शब्द रखते तो यह हमारे लिए समस्या पैदा करेगा। इसलिए मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

श्री शरद दिघे : माननीय मंत्री जब कभी ऐसी समस्या पैदा हो तो इस पर विचार कर सकते हैं।

मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं दे रहा हूं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अगर आपको अदालत में जाना पड़े तो आप इनकी मदद भी ले सकते हैं।

सभापति महोदय : क्या सभा की राय है कि श्री शरद दिघे द्वारा पेश किया गया संशोधन वापिस ले लिया जाए?

संशोधन संख्या 1 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 11 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 12 से 23 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र व विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

श्री बंसी लाल : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

6-15 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

प्रथम प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6-16 म० प०

तत्पश्चात् लोकसभा गुरुवार, 24 जनवरी, 1985/4 माघ, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

प्राक्कथन

आठवीं लोक सभा के लोक सभा वाद-विवाद का यह पहला खण्ड है। सातवीं लोक सभा के अवसान तक, लोक सभा वाद-विवाद के दो संस्करण प्रकाशित किये जाते थे, अर्थात् (एक) मूल संस्करण, जिसमें सभा की कार्यवाही का विवरण उन्हीं भाषाओं में छापा जाता था, जिनमें वह सभा में सम्पन्न हुई हो, परन्तु जो भाषण क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते थे उनका अंग्रेजी/हिन्दी अनुवाद सम्मिलित किया जाता था और उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में छापा जाता था, पर साथ ही उन भाषणों को प्रकोष्ठकों में फारसी लिपि में भी छापा जाता था, और (दो) हिन्दी संस्करण, जिसमें हिन्दी में सम्पन्न हुई कार्यवाही को मूल रूप में, उर्दू में दिए गए भाषणों को देवनागरी लिपि में तथा अंग्रेजी में हुई कार्यवाही का एवं क्षेत्रीय भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद छापा जाता था।

2. आठवीं लोक सभा के प्रथम सत्र से, लोक सभा की सामान्य प्रयोजन समिति के निर्णय के अनुसार, "लोक सभा वाद-विवाद" के दो संस्करण प्रकाशित किए जा रहे हैं, अर्थात् (एक) अंग्रेजी संस्करण, जिसमें अंग्रेजी में सम्पन्न हुई कार्यवाही मूल रूप में, और हिन्दी या किसी क्षेत्रीय भाषा में हुई कार्यवाही का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित होगा, और (दो) हिन्दी संस्करण अपने वर्तमान रूप में, परन्तु उर्दू भाषणों को देवनागरी लिपि में छापने के साथ-साथ फारसी लिपि में प्रकोष्ठकों में भी छापा जायेगा।

3. इसके अतिरिक्त लोक सभा की कार्यवाही का मूल संस्करण भी केवल अभिलेख और सन्दर्भ के लिये तैयार किया जा रहा है, जिसकी सजिल्द प्रतियां संसद ग्रन्थालय में रखी जा रही हैं।

4. अंग्रेजी और हिन्दी दोनों संस्करणों में एक उपयुक्त संकेत दिया जा रहा है, जो यह दर्शायेगा कि कार्यवाही का कौन सा विशिष्ट अंश मूल रूप में अंग्रेजी/हिन्दी में है और कौन सा अनूदित है।

5. आशा है कि अंग्रेजी और हिन्दी के ये अलग-अलग संस्करण सदस्यों एवं रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

नई दिल्ली,

जनवरी, 1985

सुभाष काश्यप,

महासचिव।

1 LSS/85—1